Bookhindi.blogspot.com ही एकमात्र ऐसी बेबसाइड है जो आपको मुफ़्त मे हिन्दी की किताबें प्रधान करती है। और इस पर ऐसी किताबें भी है जो आपको कही भी प्राप्त नही हो सकती है।

हमें फ़ेसबुक पर लाइक करें:-Hindi Book&comics

हिन्दी की किताबें :- Story book, exam book, ncert cbse book, hindi writer, hindu granth and other books सभी मुफ़्त है।

हिंदी व्याकरण

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

हिंदी व्याकरण

पं. कामताप्रसाद गुरु
साहित्यवाचस्पति, व्याकरणाचार्य

प्रकाशन संस्थान
नयी दिल्ली-110002

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

प्रकाशक
प्रकाशन संस्थान
4715/21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज
नयी दिल्ली-110 002

संस्करण : सन् 2009
ISBN : 81-7714-329-8
आवरण : जगमोहन सिंह रावत

शब्द-संयोजन : कम्प्यूटेक सिस्टम, दिल्ली-110032
मुद्रक : बी. के. ऑफसेट, दिल्ली-110032

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

भूमिका

यह हिंदी व्याकरण काशी नागरीप्रचारिणी सभा के अनुरोध और उत्तेजन से लिखा गया है। सभा ने लगभग पाँच वर्ष पूर्व हिंदी का एक सर्वांगपूर्ण व्याकरण लिखने का विचार कर इस विषय के दो-तीन ग्रंथ लिखवाए थे, जिनमें बाबू गंगाप्रसाद एम.ए. और पं. रामकर्ण शर्मा के लिखे हुए व्याकरण अधिकांश में उपयोगी निकले। तब सभा ने इन ग्रंथों के आधार पर अथवा स्वतंत्र रीति से, विस्तृत हिंदी व्याकरण लिखने का गुरुभार मुझे सौंप दिया। इस विषय में पं. महावीरप्रसाद जी द्विवेदी और पं. माधवराव सप्रे ने भी सभा से अनुरोध किया था, जिसके लिए मैं आप दोनों महाशयों का कृतज्ञ हूँ। मैंने इस कार्य में किसी विद्वान् को आगे बढ़ते हुए न देखकर अपनी अल्पज्ञता का कुछ भी विचार न किया और सभा का दिया हुआ भार धन्यवादपूर्वक तथा कर्त्तव्यबुद्धि से ग्रहण कर लिया। उस भार को अब मैं पाँच वर्ष के पश्चात्, इस पुस्तक के रूप में यह कहकर सभा को लौटाता हूँ कि

'अर्पित है, गोविंद, तुम्हीं को वस्तु तुम्हारी।'

इस ग्रंथ की रचना में मैंने पूर्वोक्त दोनों व्याकरणों से यत्र-तत्र सहायता ली है और हिंदी व्याकरणों के आज तक छपे हुए हिंदी और अँगरेजी ग्रंथों का भी थोड़ा-बहुत उपयोग किया है। इन सब ग्रंथों की सूची पुस्तक के अंत में दी गई है। द्विवेदी जी लिखित 'हिंदी भाषा की उत्पत्ति' और ब्रिटिश विश्वकोष' के 'हिंदुस्तानी' नामक लेख के आधार पर, इस पुस्तक में, हिंदी की उत्पत्ति लिखी गई है। अरबी, फारसी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए मैं अधिकांश में राजा शिवप्रसाद कृत 'हिंदी व्याकरण' और प्लाट्स कृत 'हिंदुस्तानी ग्रामर' का ऋणी हूँ। काले कृत 'उच्च संस्कृत व्याकरण' से मैंने संस्कृत व्याकरण के अंश लिए हैं।

सबसे अधिक सहायता मुझे दामले कृत 'शास्त्रीय मराठी व्याकरण' से मिली है, जिसकी शैली पर मैंने अधिकांश में अपना व्याकरण लिखा है। पूर्वोक्त पुस्तक से मैंने हिंदी में घटित होने वाले व्याकरण विषयक कई एक वर्गीकरण, विवेचन, नियम और न्यायसम्मत लक्षण, आवश्यक परिवर्तन के साथ लिए हैं। संस्कृत व्याकरण के कुछ उदाहरण भी मैंने इस पुस्तक से संग्रह किए हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अँगरेजी, बँगला और गुजराती व्याकरणों से भी कहीं-कहीं सहायता ली गई है।

इन पुस्तकों के लेखकों के प्रति मैं नम्रतापूर्वक अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

हिंदी तथा अन्यान्य भाषाओं के व्याकरणों से उचित सहायता लेने पर भी, इस पुस्तक में जो विचार प्रकट किए गए हैं, और जो सिद्धांत निश्चित किए गए हैं, वे साहित्यिक हिंदी से ही संबंध रखते हैं और उन सबके लिए मैं ही उत्तरदाता हूँ। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि हिंदी व्याकरण की छोटी-मोटी कई पुस्तकें उपलब्ध होते हुए भी हिंदी में, इस समय अपने विषय और ढंग की यही एक व्यापक और (संभवतः) मौलिक पुस्तक है। इसमें मेरा कई ग्रंथों का अध्ययन और कई वर्षों का परिश्रम तथा विषय का अनुराग और स्वार्थत्याग सम्मिलित है। इस व्याकरण में अन्यान्य विशेषताओं के साथ-साथ एक बड़ी विशेषता यह भी है कि नियमों के स्पष्टीकरण के लिए इनमें जो उदाहरण दिए गए हैं, वे अधिकतर हिंदी के भिन्न-भिन्न कालों के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक लेखकों के ग्रंथों से लिए गए हैं। इस विशेषता के कारण पुस्तक में यथासंभव, अंधपरम्परा अथवा कृत्रिमता का दोष नहीं आने पाया है। पर इन सब बातों पर यथार्थ सम्मति देने के अधिकारी विशेषज्ञ हैं।

कुछ लोगों का मत है कि हिंदी के 'सर्वांगपूर्ण' व्याकरण में मूल विषय के साथ-साथ साहित्य का इतिहास, छंदोनिरूपण, रस, अलंकार, कहावतें, मुहाविरे आदि विषय रहने चाहिए। यद्यपि ये सब विषय भाषाज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं, तो भी ये सब अपने आप में स्वतंत्र विषय हैं और व्याकरण से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किसी भी भाषा का 'सर्वांगपूर्ण' व्याकरण वही है, जिससे उस भाषा के सब शिष्ट रूपों और प्रयोगों का पूर्ण विवेचन किया जाय और उनमें यथासंभव स्थिरता लाई जाय। हमारे पूर्वजों ने व्याकरण का यही उद्देश्य माना है[1] और मैंने इसी पिछली दृष्टि से इस पुस्तक को 'सर्वांगपूर्ण' बनाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि यह ग्रंथ पूर्णतया सर्वांगपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने व्यापक विषय में विवेचन की कठिनाई और भाषा की अस्थिरता तथा लेखक की भ्रांति और अल्पज्ञता के कारण कई बातों का छूट जाना संभव है, तथापि मुझे यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि इस पुस्तक से आधुनिक हिंदी के स्वरूप का प्रायः पूरा पता लग सकता है।

यह व्याकरण, अधिकांश में, अँगरेजी व्याकरण के ढंग पर लिखा गया है। इस प्रणाली के अनुसरण का मुख्य कारण यह है कि हिंदी में आरंभ ही से इसी प्रणाली

1. उन्होंने सावधानतापूर्वक अपनी भाषा के विषय का अवलोकन किया और जो सिद्धांत उन्हें मिले उनकी स्थापना की।डॉ. भांडारकर।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का उपयोग किया गया है और आज तक किसी लेखक ने संस्कृत प्रणाली का कोई पूर्ण आदर्श उपस्थित नहीं किया। वर्तमान प्रणाली के प्रचार का दूसरा कारण यह है कि इसमें स्पष्टता और सरलता विशेष रूप से पाई जाती है और सूत्र तथा भाष्य, दोनों ऐसे मिले रहते हैं कि एक ही लेखक पूरा व्याकरण, विशद रूप में लिख सकता है। हिंदी भाषा के लिए वह दिन सचमुच बड़े गौरव का होगा, जब इसका व्याकरण 'अष्टाध्यायी' और 'महाभाष्य' के मिश्रित रूप में लिखा जायगा, 'पर वह दिन अभी बहुत दूर दिखाई देता है। यह कार्य मेरे लिए तो, अल्पज्ञता के कारण, दुस्तर है; पर इसका सम्पादन तभी संभव होगा, जब संस्कृत के अद्वितीय वैयाकरण हिंदी को एक स्वतंत्र और उन्नत भाषा समझकर इसके व्याकरण का अनुशीलन करेंगे। जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक इसी व्याकरण से इस विषय के अभाव की पूर्ति होने की आशा की जा सकती है। यहाँ यह कह देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस पुस्तक में सभी जगह अँगरेजी व्याकरण का अनुकरण नहीं किया गया है। इसमें यथासंभव संस्कृत प्रणाली का भी अनुसरण किया गया है और यथास्थान अँगरेजी व्याकरण के कुछ दोष भी दिखाए गए हैं।

मेरा विचार था कि इस पुस्तक में मैं विशेषकर 'कारकों' और 'कालों' का विवेचन संस्कृत की शुद्ध प्रणाली के अनुसार करता; पर हिंदी में इन विषयों की रूढ़ि अँगरेजी के समागम से, अभी तक इतनी प्रबल है कि मुझे सहसा इस प्रकार का परिवर्तन करना उचित न जान पड़ा। हिंदी में व्याकरण का पठन-पाठन अभी बाल्यावस्था ही में है; इसलिए इस नई प्रणाली के कारण इस रूखे विषय के और भी रूखे हो जाने की आशंका थी। इसी कारण मैंने 'विभक्तियों' और 'आख्यानों' के बदले 'कारकों' और 'कालों' का नामोल्लेख तथा विचार किया है। यदि आवश्यकता जान पड़ेगी तो ये विषय किसी अगले संस्करण में परिवर्तन कर दिए जावेंगे। तब तक संभवतः विभक्तियों को मूल शब्दों में मिलाकर लिखने के विषय में कुछ सर्वसम्मत निश्चय हो जायगा।

इस पुस्तक में, जैसा कि ग्रंथ में अन्यत्र (पृष्ठ 78 पर) कहा है, अधिकांश में वही पारिभाषिक शब्द रखे गए हैं, जो हिंदी में 'भाषाभास्कर' के द्वारा प्रचलित हो गए हैं। यथार्थ में ये सब शब्द संस्कृत व्याकरण के हैं, जिससे मैंने और भी कुछ शब्द लिए हैं। थोड़े बहुत आवश्यक पारिभाषिक शब्द मराठी तथा बँगला भाषाओं के व्याकरणों से लिए गए हैं और उपर्युक्त शब्दों के अभाव में कुछ शब्दों की रचना मैंने स्वयं की है।

व्याकरण की उपयोगिता और आवश्यकता इस पुस्तक में यथास्थान बतलाई गई है, तथापि यहाँ इतना कहना उचित जान पड़ता है कि किसी भी भाषा के व्याकरण का निर्माण उसके साहित्य की पूर्ति का कारण होता है और उसकी प्रगति में सहायता देता है। भाषा की सत्ता स्वतंत्र होने पर भी व्याकरण उसका सहायक अनुयायी बनकर

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

उसे समय-समय और स्थान-स्थान पर जो आवश्यक सूचनाएँ देता है, उससे भाषा का लाभ होता है। जिस प्रकार किसी संस्था के संतोषपूर्वक चलने के लिए सर्वसम्मत नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा की चंचलता दूर करने और उसे व्यवस्थित रूप में रखने के लिए व्याकरण ही प्रधान और सर्वोत्तम साधन है। हिंदी भाषा के लिए वह नियंत्रण और भी आवश्यक है, क्योंकि इसका स्वरूप उपभाषाओं की खींचातानी में अनिश्चित सा हो रहा है।

हिंदी व्याकरण का प्रारम्भिक इतिहास अंधकार में पड़ा हुआ है। हिंदी भाषा के पूर्वरूप 'अपभ्रंश' का व्याकरण हेमचंद्र ने बारहवीं शताब्दी में लिखा है, पर हिंदी व्याकरण के प्रथम आचार्य का पता नहीं लगता। इसमें सन्देह नहीं कि हिंदी के आरंभ काल में व्याकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो स्वयं भाषा ही उस समय अपूर्णावस्था में थी और दूसरे, लेखकों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान और प्रयोग के लिए उस समय व्याकरण की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। उस समय लेखों में गद्य का अधिक प्रचार न होने के कारण भाषा के सिद्धांतों की ओर संभवतः लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। जो हो, हिंदी के आदि वैयाकरण का पता लगाना स्वतंत्र खोज का विषय है। मुझे जहाँ तक पुस्तकों से पता लग सका है, हिंदी व्याकरण के आदि निर्माता वे अँगरेज थे, जिन्हें ईसवी सन् की उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में इस भाषा के विधिवत् अध्ययन की आवश्यकता हुई थी। उस समय कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. गिलक्राइस्ट ने अँगरेजी में हिंदी का एक व्याकरण लिखा था। उन्हीं के समय में प्रेमसागर के रचयिता लल्लू जी लाल ने 'कवायद' के नाम से हिंदी व्याकरण की एक छोटी पुस्तक रची थी। मुझे इन दोनों पुस्तकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ; पर इनका उल्लेख अँगरेजी के लिखे हिंदी व्याकरण में तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में पाया जाता है।

लल्लू जी लाल के व्याकरण के लगभग 25 वर्ष पश्चात् कलकत्ते के पादरी आदम साहब ने हिंदी व्याकरण की एक छोटी सी पुस्तक लिखी जो कई वर्षों तक स्कूलों में प्रचलित रही। इस पुस्तक में अँगरेजी व्याकरण के ढंग पर हिंदी व्याकरण के कुछ साधारण नियम दिए गए हैं। पुस्तक की भाषा पुरानी, पंडिताऊ और विदेशी लेखक की स्वाभाविक भूलों से भरी हुई है। इसके पारिभाषिक शब्द बँगला व्याकरण से लिए गए जान पड़ते हैं और हिंदी में उन्हें समझाते समय विषय की कई भूलें भी हो गई हैं।

सिपाही विद्रोह के पीछे शिक्षा विभाग की स्थापना होने पर पं. रामजसन की 'भाषा तत्वबोधिनी' प्रकाशित हुई, जो एक साधारण पुस्तक है और जिसमें कहीं कहीं हिंदी और संस्कृत की मिश्रित प्रणालियों का उपयोग किया गया है। इसके पीछे पं. श्री लाल का 'भाषाचंद्रोदय' प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ अधिक नियम पाए जाते हैं। फिर सन् 1869 ईसवी में बाबू नवीनचंद्र राय कृत 'नवीन चंद्रोदय'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

निकला। राय महाशय पंजाब निवासी बंगाली और वहाँ के शिक्षा विभाग के उच्च कर्मचारी थे। आपने अपनी पुस्तक में 'भाषाचंद्रोदय' का उल्लेख कर उसके विषय में जो कुछ लिखा है, उससे आपकी कृति का पता लगता है। आप लिखते हैं'भाषाचंद्रोदय' की रीति स्वाभाविक है; पर इसमें सामान्य वा अनावश्यक विषयों का विस्तार किया गया है, और जो अत्यंत आवश्यक था अर्थात् संस्कृत शब्द जो भाषा में व्यवहृत होते हैं, उनके नियम यहाँ नहीं दिए गए। 'नवीन चंद्रोदय' में भी संस्कृत प्रणाली का आंशिक अनुसरण पाया जाता है। इसके पश्चात् पं. हरिगोपाल पाध्ये ने अपनी 'भाषातत्वदीपिका' लिखी। पाध्ये महाशय महाराष्ट्री थे; अतएव उन्होंने मराठी व्याकरण के अनुसार कारक और विभक्ति का विवेचन, संस्कृत की रीति पर किया है और कई एक पारिभाषिक शब्द मराठी व्याकरण से लिए हैं। पुस्तक की भाषा में स्वभावतः मराठीपन पाया जाता है। यह पुस्तक बहुत कुछ अँगरेजी ढंग पर लिखी गई है।

लगभग इसी समय (सन् 1875 ई. में) राजा शिवप्रसाद का 'हिंदी व्याकरण' निकला। इस पुस्तक में दो विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह है कि पुस्तक अँगरेजी ढंग की होने पर भी इसमें संस्कृत व्याकरण के सूत्रों का अनुकरण किया गया है; और दूसरी यह कि हिंदी के व्याकरण के साथ-साथ नागरी अक्षरों में, उर्दू का भी व्याकरण दिया गया है। इस समय हिंदी और उर्दू के स्वरूप के विषय में वाद-विवाद उपस्थित हो गया था और राजा साहब दोनों बोलियों को एक बनाने के प्रयत्न में अगुआ थे, इसीलिए आपको ऐसा दोहरा व्याकरण बनाने की आवश्यकता हुई। इसी समय भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने बच्चों के लिए एक छोटा सा हिंदी व्याकरण लिखकर इस विषय की उपयोगिता और आवश्यकता सिद्ध कर दी।

इसके पीछे पादरी एथरिंगटन साहब का प्रसिद्ध व्याकरण 'भाषाभास्कर' प्रकाशित हुआ, जिसकी सत्ता 40 वर्ष से आज तक एक सी अटल बनी हुई है। अधिकांश में दूषित होने पर भी इस पुस्तक के आधार और अनुकरण पर हिंदी के कई छोटे-मोटे व्याकरण बने और बनते जाते हैं।[1] यह पुस्तक अँगरेजी ढंग पर लिखी गई है और जिन पुस्तकों में इसका आधार पाया जाता है, उनमें भी इसका ढंग लिया गया है। हिंदी में यह अँगरेजी प्रणाली इतनी प्रिय हो गई कि इसे छोड़ने का पूरा प्रयत्न आज तक नहीं किया गया। मराठी, गुजराती, बँगला आदि भाषाओं के व्याकरणों में भी बहुधा इसी प्रणाली का अनुकरण पाया जाता है।

इधर गत 25 वर्षों के भीतर हिंदी के छोटे मोटे कई एक व्याकरण प्रकाशित हुए हैं, जिनमें विशेष उल्लेखयोग्य पं. केशवराम भट्ट कृत 'हिंदी व्याकरण', ठाकुर

1. 'हिंदी व्याकरण' और उसके संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित होने तथा इनकी नकल करके कई व्याकरण बनने के कारण 'भाषाभास्कर' का प्रचार बहुत घट गया है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

रामचरण सिंह कृत 'भाषाप्रभाकर', पं. रामावतार शर्मा का 'हिंदी व्याकरण', पं. विश्वेश्वरदत्त शर्मा का 'भाषातत्व प्रकाश' और पं. रामदहिन मिश्र का 'प्रवेशिका हिंदी व्याकरण' है। इन वैयाकरणों में किसी ने प्रायः देशी, किसी ने पूर्णतया विदेशी और किसी ने मिश्रित प्रणाली का अनुकरण किया है। पं. गोविंदनारायण मिश्र ने 'विभक्तिविचार' लिखकर हिंदी विभक्तियों की व्युत्पत्ति के विषय में गवेषणापूर्ण समालोचना की है और हिंदी व्याकरण के इतिहास में एक नवीनता का समावेश किया है।

मैंने अपने व्याकरण में पूर्वोक्त प्रायः सभी पुस्तकों के अधिकांश विवादमान विषयों की यथास्थान, कुछ चर्चा और परीक्षा की है। इस पुस्तक का प्रकाशन आरंभ होने के पश्चात् पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी की 'हिंदी कौमुदी' प्रकाशित हुई; इसलिए अन्यान्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक के 'किसी विवेचन का विचार मेरे ग्रंथ में न हो सका। 'हिंदी कौमुदी' अन्यान्य सभी व्याकरणों की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रामाणिक और शुद्ध है।

कैलाग, ग्रीब्ज, पिंकाट आदि विदेशी लेखकों ने हिंदी व्याकरण की उत्तम पुस्तकें, अँगरेजों के लाभार्थ, अँगरेजी में लिखी हैं, पर, इनके ग्रंथों में किए गए विवेचनों की परीक्षा मैंने अपने ग्रंथ में नहीं की, क्योंकि, भाषा की अशुद्धता की दृष्टि से विदेशी लेखक पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माने जा सकते।

ऊपर, हिंदी व्याकरण का, गत प्रायः 100 वर्षों का, संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। इससे जाना जाता है कि हिंदी भाषा के जितने व्याकरण आज तक हिंदी में लिखे गए हैं, वे विशेषकर पाठशालाओं के छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए निर्मित हुए हैं। उनमें बहुधा साधारण (स्थूल) नियम ही पाए जाते हैं, जिससे भाषा की व्यापकता पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ सकता। शिक्षित समाज ने उनमें से एक किसी भी व्याकरण को अभी विशेष रूप से प्रामाणिक नहीं माना है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में एक विशेषता यह भी है कि अन्य भाषाभाषी भारतीयों ने भी इस भाषा का व्याकरण लिखने का उद्योग किया है, जिससे हमारी भाषा की व्यापकता, इसके प्रामाणिक व्याकरण की आवश्यकता और साथ ही हिंदी भाषा वैयाकरणों का अभाव अथवा उनकी उदासीनता ध्वनित होती है। हिंदीभाषा के लिए यह एक बड़ा शुभ चिह्न है कि कुछ दिनों से हिंदीभाषी लेखकों (विशेषकर शिक्षकों) का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट हो रहा है।

हिंदी में अनेक उपभाषाओं के होने तथा उर्दू के साथ अनेक वर्षों से इसका संपर्क रहने के कारण हमारी भाषा की रचनाशैली अभी तक बहुधा इतनी अस्थिर है कि इस भाषा के वैयाकरण को व्यापक नियम बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ भाषा के स्वाभाविक संगठन से भी उत्पन्न होती हैं; पर निरंकुश लेखक उन्हें और भी बढ़ा देते हैं। हिंदी के स्वराज्य में अहंमन्य लेखक

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

बहुधा स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया करते हैं और व्याकरण के शासन का अभ्यास न होने के कारण इस विषय के उचित आदेशों को भी पराधीनता मान लेते हैं। प्रायः लोग इस बात को भूल जाते हैं कि साहित्यिक भाषा सभी देशों और कालों में लेखकों की मातृभाषा अथवा बोलचाल की भाषा से थोड़ा बहुत भिन्न रहती है और वह मातृभाषा के समान, अभ्यास ही से आती है। ऐसी अवस्था में केवल स्वतंत्रता के आदेश से वशीभूत होकर शिष्ट भाषा पर विदेशी भाषाओं अथवा प्रांतीय बोलियों का अधिकार चलाना एक प्रकार की राष्ट्रीय अराजकता है। यदि स्वयं लेखकगण, अपनी साहित्यिक भाषा को योग्य अध्ययन और अनुकरण से शिष्ट, स्पष्ट और प्रामाणिक बनाने की चेष्टा न करेंगे तो वैयाकरण 'प्रयोगशरण' का सिद्धांत कहाँ तक मान सकेगा? मैंने अपने व्याकरण में प्रसंगानुरोध से प्रांतीय बोलियों का थोड़ा-बहुत विचार करके, केवल साहित्यिक हिंदी का विवेचन किया है। पुस्तक में विषय विस्तार के द्वारा यह प्रयत्न भी किया गया है कि हिंदी पाठकों की रुचि व्याकरण की ओर प्रवृत्त हो। इन सब प्रयत्नों की सफलता का निर्णय विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं।

इस पुस्तक में एक विशेष त्रुटि रह गई है, जो कालांतर ही में दूर हो सकती है, जब हिंदी भाषा की पूरी और वैज्ञानिक खोज की जायगी। मेरी समझ में किसी भी भाषा के सर्वांगपूर्ण व्याकरण में उस भाषा के रूपांतरों और प्रयोगों का इतिहास लिखना आवश्यक है। यह विषय इस व्याकरण में न आ सका, क्योंकि हिंदी भाषा के आरंभकाल में, समय-समय पर (प्रायः एक एक शताब्दी में) बदलनेवाले रूपों और प्रयोगों के प्रामाणिक उदाहरण, जहाँ तक मुझे पता लगा है, उपलब्ध नहीं हैं, फिर इस विषय के योग्य प्रतिपादन के लिए शब्दशास्त्र की विशेष योग्यता की भी आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में मैंने 'हिंदी व्याकरण' में हिंदी भाषा के इतिहास के बदले हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देने का प्रयत्न किया है। यथार्थ में यह बात अनुचित और आवश्यक प्रतीत होती है कि भाषा के सम्पूर्ण रूपों और प्रयोगों की नामावली के स्थान में कवियों और लेखकों तथा उनके ग्रंथों की शुष्क नामावली दी जाय। मैंने यह विषय केवल इसलिए लिखा है कि पाठकों को, प्रस्तावना के रूप में, अपनी भाषा की महत्ता का थोड़ा बहुत अनुमान हो जाय।

हिंदी के व्याकरण का सर्वसम्मत होना परम आवश्यक है। इस विचार से काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने इस पुस्तक को दोहराने के लिए एक संशोधन समिति निर्वाचित की थी। उसने गत दशहरे की छुट्टियों में अपनी बैठक की, और आवश्यक (किंतु साधारण) परिवर्तन के साथ इस व्याकरण को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया। यह बात लेखक, हिंदी भाषा और हिंदीभाषियों के लिए अत्यंत लाभदायक और महत्त्वपूर्ण है। इस समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लेकर पुस्तक संशोधनादि कार्यों में अमूल्य सहायता दी है

आचार्य पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

साहित्याचार्य पं. रामावतार शर्मा एम.ए.।
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी.ए.।
रा. ब. पंडित लज्जाशंकर झा, बी.ए.।
बाबू जगन्नाथदास (रत्नाकर) बी.ए.।
बाबू श्यामसुंदरदास, बी.ए.।
पंडित रामचन्द्र शुक्ल।

इन सब सज्जनों के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी का मैं विशेषतया कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपने हस्तलिखित प्रति का अधिकांश भाग पढ़कर अनेक उपयोगी सूचनाएँ देने की कृपा और परिश्रम किया है। खेद है कि पं. गोविंदनारायण जी मिश्र तथा पं. अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी समयाभाव के कारण समिति की बैठक में योग न दे सके, जिससे मुझे आप लोगों की विद्वत्ता और सम्मति का लाभ प्राप्त न हुआ। व्याकरण संशोधन समिति की सम्मति परिशिष्ट में दी गई है।

अंत में, मैं विज्ञ पाठकों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपाकर मुझे इस पुस्तक के दोषों की सूचना अवश्य दें। यदि ईश्वरेच्छा से पुस्तक को द्वितीयावृत्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा तो उसमें उन दोषों को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया जायगा। तब तक पाठकगण कृपाकर 'हिंदी व्याकरण' के सार को उसी प्रकार ग्रहण करें जिस प्रकार

संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार।

गढ़ा फाटक
जबलपुर
बसंतपंचमी
संवत् 1977

निवेदक
कामताप्रसाद गुरु

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

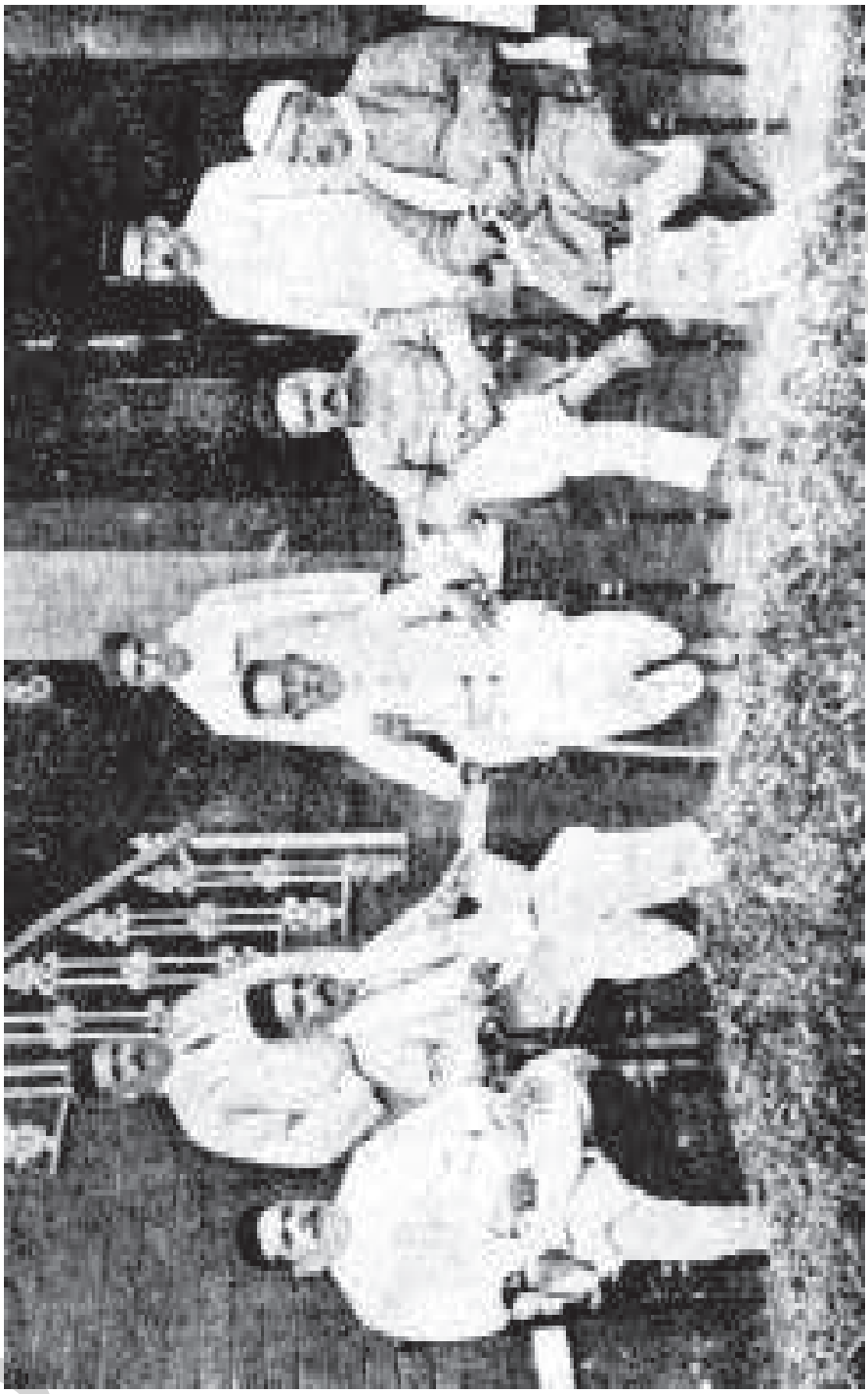

खड़ेडॉ. श्यामसुंदरदास, पं. रामनारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
बैठेश्री जगन्नाथदास रत्नाकर, श्री कामताप्रसाद गुरु, पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं. लज्जाशंकर झा, पं. चंद्रधरशर्मा गुलेरी

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अनुक्रम

भूमिका *v*

1. प्रस्तावना 19

(1) भाषा 19

(2) भाषा और व्याकरण 21

(3) व्याकरण की सीमा 22

(4) व्याकरण से लाभ 22

(5) व्याकरण के विभाग 23

2. हिंदी की उत्पत्ति 25

(1) आदिम भाषा 25

(2) आर्यभाषाएँ 26

(3) संस्कृत और प्राकृत 26

(4) हिंदी 29

(5) हिंदी और उर्दू 34

(6) तत्सम और तद्भव शब्द 37

(7) देशज और अनुकरणवाचक शब्द 38

(8) विदेशी शब्द 39

पहला भाग

वर्णविचार

पहला अध्यायवर्णमाला 40

दूसरा अध्यायलिपि 42

तीसरा अध्यायवर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण 44

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

चौथा अध्यायस्वराघात 51
पाँचवाँ अध्यायसंधि 52

दूसरा भाग
शब्दसाधन
पहला परिच्छेद-शब्दभेद

पहला अध्यायशब्दविचार 60
दूसरा अध्यायशब्दों का वर्गीकरण 62

पहला खंडविकारी शब्द

पहला अध्यायसंज्ञा 67
दूसरा अध्यायसर्वनाम 74
तीसरा अध्यायविशेषण 94
चौथा अध्यायक्रिया 111

दूसरा खंडअव्यय

पहला अध्यायक्रिया विशेषण 121
दूसरा अध्यायसंबंधसूचक 135
तीसरा अध्यायसमुच्चयबोधक 145
चौथा अध्यायविस्मयादिबोधक 158

दूसरा परिच्छेदरूपांतर

पहला अध्यायलिंग 160
दूसरा अध्यायवचन 173
तीसरा अध्यायकारक 181
चौधा अध्यायसर्वनाम 199
पाँचवाँ अध्यायविशेषण 206
छठा अध्यायक्रिया 212

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

सातवाँ अध्यायसंयुक्त क्रियाएँ 257
आठवाँ अध्यायविकृत अव्यय 269

तीसरा परिच्छेदव्युत्पत्ति

पहला अध्यायविषयारंभ 271
दूसरा अध्यायउपसर्ग 273
तीसरा अध्यायसंस्कृत प्रत्यय 279
चौथा अध्यायहिंदी प्रत्यय 292
पाँचवाँ अध्यायउर्दू प्रत्यय 308
छठा अध्यायसमास 318
सातवाँ अध्यायपुनरुक्त शब्द 336

तीसरा भाग
वाक्यविन्यास

पहला परिच्छेदवाक्यरचना

पहला अध्यायप्रस्तावना 342
दूसरा अध्यायकारकों के अर्थ और प्रयोग 344
तीसरा अध्यायसामासिक अधिकरण शब्द 359
चौथा अध्यायउद्देश्य, कर्म और क्रिया का अन्वय 360
पाँचवाँ अध्यायसर्वनाम 365
छठा अध्यायविशेषण और संबंध कारक 368
सातवाँ अध्यायकालों के अर्थ और प्रयोग 370
आठवाँ अध्यायक्रियार्थक संज्ञा 379
नवाँ अध्यायकृदंत 381
दसवाँ अध्यायसंयुक्त क्रियाएँ 387
ग्यारहवाँ अध्यायअव्यय 389
बारहवाँ अध्यायअध्याहार 391
तेरहवाँ अध्यायपदक्रम 394
चौदहवाँ अध्यायपद-परिचय 397

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दूसरा परिच्छेदवाक्यपृथक्करण

पहला अध्यायविषयारंभ	406
दूसरा अध्यायवाक्य और वाक्यों में भेद	407
तीसरा अध्यायसाधारण वाक्य	409
चौथा अध्यायमिश्र वाक्य	418
पाँचवाँ अध्यायसंयुक्त वाक्य	433
छठा अध्यायसंक्षिप्त वाक्य	437
सातवाँ अध्यायविशेष प्रकार के वाक्य	438
आठवाँ अध्यायविरामचिह्न	440
परिशिष्ट (क) कविता की भाषा	449
परिशिष्ट (ख) काव्यस्वतंत्रता	463
परिशिष्ट (ग) उदाहृत ग्रंथों के नामों के संकेत	468
परिशिष्ट (घ) व्याकरण संशोधन समिति की सम्मति	472

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

1. प्रस्तावना

(1) भाषा

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। जगत् का अधिकांश व्यवहार, बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत् के व्यवहार का मूल है।

(बहरे और गूँगे मनुष्य अपने विचार संकेतों से प्रकट करते हैं। बच्चा केवल रोकर अपनी इच्छा जनाता है। कभी-कभी केवल मुख की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। कोई-कोई बंगाली लोग बिना बोले ही संकेतों के द्वारा बातचीत करते हैं। इन सब संकेतों को लोग ठीक-ठीक नहीं समझ सकते और न इनसे सब विचार ठीक-ठीक प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार की सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता।)

पशु-पक्षी आदि जो बोली बोलते हैं, उससे दुःख, सुख आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती। मनुष्य की भाषा से उसके सब विचार भली-भाँति प्रकट होते हैं, इसलिए वह व्यक्त भाषा कहलाती है; दूसरी सब भाषाएँ या बोलियाँ अव्यक्त कहलाती हैं।

व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य केवल एक दूसरे के विचार ही नहीं जान लेते, वरन् उसकी सहायता से उनके नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। किसी विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक सम्भाषण करते हैं, जिससे हमारे विचार आगे चलकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा से धारणाशक्ति की सहायता मिलती है। यदि हम अपने विचारों को एकत्र करके लिख लें तो आवश्यकता पड़ने पर हम लेख रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नति या अवनति का प्रतिबिंब है। प्रत्येक नया शब्द एक नये विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास मानो उसके बोलनेवालों का इतिहास है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

भाषा स्थिर नहीं रहती; उसमें सदा परिवर्तन हुआ करते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष से अधिक समय तक एक सी नहीं रह सकती। जो हिंदी हम लोग आजकल बोलते हैं, वह हमारे प्रपितामह आदि के समय में ठीक इसी रूप में न बोली जाती थी और न उन लोगों की हिंदी वैसी थी, जैसी महाराज पृथ्वीराज के समय में बोली जाती थी। अपने पूर्वजों की भाषा की खोज करते-करते हमें अंत में एक ऐसी हिंदी भाषा का पता लगेगा, जो हमारे लिए एक अपरिचित भाषा के समान कठिन होगी। भाषा में यह परिवर्तन धीरे-धीरे होता हैइतना धीरे-धीरे कि वह हमको मालूम नहीं होता; पर अंत में, परिवर्तनों के कारण नई-नई भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत से शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं, दूसरे देश के लोग तद्वत् नहीं बोल सकते। जलवायु में हेर-फेर होने से लोगों के उच्चारण में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण नए-नए विचारों के लिए नए-नए शब्द बनाने पड़ते हैं; जिससे भाषा का शब्दकोश बढ़ता जाता है। इसके साथ ही बहुत सी जातियाँ अवनत होती जाती हैं और उच्च भावों के अभाव में उनके वाचक शब्द लुप्त होते जाते हैं।

विद्वान् और ग्रामीण मनुष्यों की भाषा में कुछ अंतर रहता है। किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान् पंडित करते हैं, वैसा सर्वसाधारण लोग नहीं कर सकते। इससे प्रधान भाषा बिगड़कर उसकी शाखारूप नई-नई बोलियाँ बन जाती हैं। भिन्न-भिन्न दो भाषाओं के पास-पास बोले जाने के कारण भी उन दोनों के मेल से एक नई बोली उत्पन्न हो जाती है।

भाषागत विचार प्रकट करने में एक विचार के प्रायः कई अंश प्रकट करने पड़ते हैं। उन सभी अंशों के प्रकट करने पर उस समस्त विचार का मतलब अच्छी तरह समझ में आता है। प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रायः कई शब्द रहते हैं। प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है जो कई मूल ध्वनियों के योग से बनती है। जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयोग करते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों को काम में लाते हैं। यदि हम शब्द का ठीक-ठीक उपयोग न करें तो हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ी पड़ जाय और संभवतः कोई हमारी बात न समझ सके। हाँ, भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है; वे किसी न किसी कारण से कल्पित किए गए हैं, तो भी जो शब्द जिस वस्तु का सूचक है उसका इससे, प्रत्यक्ष में, कोई संबंध नहीं। हाँ, शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थादि की भावना को अपने में बाँध सा लिया है, जिससे शब्दों का उच्चारण करते ही, उन पदार्थों का बोध तत्काल हो जाता है। कोई-कोई शब्द केवल अनुकरणवाचक होते हैं; पर जिन सार्थक शब्दों से भाषा बनती है; उनके आगे ये शब्द बहुत थोड़े रहते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, तब बहुधा कथित भाषा काम में लाते हैं; पर जब हमें अपने विचार दूरवर्ती मनुष्य के पास पहुँचाने का काम पड़ता है; अथवा भावी संतति के लिए उनके संग्रह की आवश्यकता होती है; तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। लिखी हुई भाषा में शब्द की एक-एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक-एक चिह्न नियत कर लिया जाता है, जिसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि कानों का विषय है; पर वर्ण आँखों का, और ध्वनि का प्रतिनिधि है। पहले पहल केवल बोली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों को स्थायी रूप देने के लिए कई प्रकार की लिपियाँ निकाली गईं। वर्णलिपि निकालने के बहुत समय पहले तक लोगों में चित्रलिपि का प्रचार था जो आजकल भी पृथ्वी के कई भागों के जंगली लोगों में प्रचलित है। मिस्र के पुराने खंडहरों और गुफाओं आदि में पुरानी चित्रलिपि के अनेक नमूने पाए गए हैं, और इन्हीं से वहाँ की वर्णमाला निकली है। इस देश में भी कहीं-कहीं ऐसी पुरानी वस्तुएँ मिली हैं जिन पर चित्रलिपि के चिह्न मालूम पड़ते हैं। कोई-कोई विद्वान् यह अनुमान करते हैं कि प्राचीन समय के चित्रलेख के किसी-किसी अवयव के कुछ लक्षण वर्तमान वर्णों के आकार में मिलते हैंजैसे 'ह' में हाथ और 'ग' में गाय के आकार का कुछ न कुछ अनुकरण पाया जाता है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही विचार के लिए बहुधा भिन्न-भिन्न शब्द होते हैं; उसी प्रकार एक ही मूल ध्वनि के लिए उनमें भिन्न-भिन्न अक्षर भी होते हैं।

(2) भाषा और व्याकरण

किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है; वे सभी बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयोग के अनुसार कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं। फिर, एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर हो जाते हैं। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं, और उनमें एक नया ही अर्थ पाया जाता है। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष क्रम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है। इस अवस्था में आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्टतापूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों में स्थिरता और समानता हो। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं; क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण (वि+आ+करण) शब्द का अर्थ 'भली-भाँति समझाना' है। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

व्याकरण भाषा के आधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता रहता है। वैयाकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी ओर से नए नियम बनाकर भाषा को बदल दे। वह इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है, अथवा अधिकता से किया जाता है; पर उसकी सम्मति मानना या न मानना सभ्य लोगों की इच्छा पर निर्भर है। व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, वरन् भाषा पहले बोली जाती है, और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। व्याकरण और छन्दशास्त्र निर्माण करने के बरसों पहले से भाषा बोली जाती है और कविता रची जाती है।

(3) व्याकरण की सीमा

लोग बहुधा यह समझते हैं कि व्याकरण पढ़कर वे शुद्ध-शुद्ध बोलने और लिखने की रीति सीख लेते हैं। ऐसा समझना पूर्ण रूप से ठीक नहीं। यह धारणा अधिकांश में मृत (अप्रचलित) भाषाओं के संबंध में ठीक कही जा सकती है जिनके अध्ययन में व्याकरण से बहुत कुछ सहायता मिलती है। यह सच है कि शब्दों की बनावट और उनके संबंध की खोज में भाषा के प्रयोग में शुद्धता आ जाती है; पर यह बात गौण है। व्याकरण न पढ़कर भी लोग शुद्ध-शुद्ध बोलना और लिखना सीख सकते हैं। कई अच्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में उसका विशेष उपयोग नहीं करते। उन्होंने अपनी मातृभाषा का लिखना अभ्यास से सीखा है। शिक्षित लोगों के लड़के बिना व्याकरण जाने शुद्ध भाषा सुनकर ही शुद्ध बोलना सीख लेते हैं; पर अशिक्षित लोगों के लड़के व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्रायः अशुद्ध ही बोलते हैं। यदि छोटा लड़का कोई वाक्य शुद्ध नहीं बोल सकता तो उसकी माँ उसे व्याकरण का नियम नहीं समझाती, वरन् शुद्ध वाक्य बता देती है और लड़का वैसा ही बोलने लगता है।

केवल व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है और रोचकता का अभाव रह सकता है। व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं जिससे किसी भी विचारवान् मनुष्य को उनके समझने में कठिनाई अथवा सन्देह न हो।

(4) व्याकरण से लाभ

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा व्याकरण के आश्रित नहीं और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

नहीं हो सकती; तो उसका निर्माण करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ? कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि व्याकरण एक शुष्क और निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्रायः वही संबंध है, जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टिक्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारों में देखते हैं, उन्हीं को बहुधा सिद्धांतवत् ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम-विरुद्ध नहीं होती; उसी प्रकार भाषा भी नियम-विरुद्ध नहीं बोली जाती। वैयाकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, और स्पष्टतापूर्वक विचार प्रगट करने के लिए, उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनको जानकर हम भाषा के नियम जान सकते हैं; और उन भूलों का कारण समझ सकते हैं, जो कभी-कभी नियमों का ज्ञान न होने के कारण अथवा असावधानी से, बोलने या लिखने में हो जाती है। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना भी आवश्यक है। कभी-कभी तो कठिन अथवा संदिग्ध भाषा का अर्थ केवल व्याकरण की सहायता से ही जाना जा सकता है। इसके सिवा व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भाषा सीखना भी बहुधा सहज हो जाता है।

कोई-कोई वैयाकरण व्याकरण को शास्त्र मानते हैं और कोई-कोई उसे केवल कला समझते हैं; पर यथार्थ में उसका समावेश दोनों भेदों में होता है। शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधिपूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों को खोज सकते हैं जिन पर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलम्बित है और वह कला इसलिए है कि हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं।

विचारों की शुद्धता तर्कशास्त्र के ज्ञान से और भाषा की रोचकता साहित्य-शास्त्र के ज्ञान से आती है।

हिंदी व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी के रूपांतर और रचना के बहुजनमान्य नियमों का क्रमपूर्ण संग्रह रहता है। इसमें प्रसंगवश प्रांतीय और प्राचीन भाषाओं का भी यत्र-तत्र विचार किया जाता है, पर वह केवल गौण रूप में और तुलना की दृष्टि से।

(5) व्याकरण के विभाग

व्याकरण भाषासंबंधी शास्त्र है, और जैसा अन्यत्र (पृ. 20 पर) कहा गया है, भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है, और शब्द प्रायः मूल ध्वनियों से। लिखी हुई भाषा में एक मूल ध्वनि के लिए प्रायः एक चिह्न रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन विभाग होते हैं(1) वर्णविचार, (2) शब्दसाधन और (3) वाक्यविन्यास।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(1) **वर्णविचार** व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिए जाते हैं।

(2) **शब्दसाधन** व्याकरण के उस विधान को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूपान्तर और व्युत्पत्ति का वर्णन रहता है।

(3) **वाक्यविन्यास** व्याकरण के उस विभाग का नाम है जिसमें वाक्यों के अवयवों का परस्पर संबंध बताया जाता है और शब्दों से वाक्य बनाने के नियम दिए जाते हैं।

सू.कोई-कोई लेखक गद्य के समान पद्य को भाषा का एक भेद मानकर व्याकरण में उसके अंगछंद, रस और अलंकारका विवेचन करते हैं। पर ये विषय यथार्थ में साहित्यशास्त्र के अंग हैं जो भाषा को रोचक और प्रभावशालिनी बनाने के काम आते हैं। व्याकरण से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस पुस्तक में इनका विवेचन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कहावतें और मुहाविरे भी जो बहुधा व्याकरण की पुस्तकों में भाषाज्ञान के लिए दिए जाते हैं, व्याकरण के विषय नहीं हैं। केवल कविता की भाषा और काव्यस्वतंत्रता का परोक्ष संबंध व्याकरण से है, अतएव ये विषय प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में दिए जायँगे।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

2. हिंदी की उत्पत्ति

(1) आदिम भाषा

भिन्न-भिन्न देशों में रहने वाली मनुष्य जातियों के आकार, स्वभाव आदि की परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता है कि उनमें आश्चर्यजनक और अद्‌भुत समानता है। विदित होता है कि सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे। वे एक ही स्थान पर रहते थे और एक ही आचार-व्यवहार करते थे। इसी प्रकार, यदि भिन्न-भिन्न भाषाओं के मुख्य-मुख्य नियमों और शब्दों की परस्पर तुलना की जाय तो उनमें भी विचित्र सादृश्य दिखाई देता है। उससे यह प्रकट होता है कि हम सबके पूर्वज पहले एक ही भाषा बोलते थे। जिस प्रकार आदिम स्थान से पृथक् होकर लोग जहाँ-तहाँ चले गए और भिन्न-भिन्न जातियों में विभक्त हो गए; उसी प्रकार उस आदिम भाषा से भी कितनी ही भिन्न भिन्न भाषाएँ उत्पन्न हो गईं।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मनुष्य पहले-पहल एशिया खंड के मध्य भाग में रहता था। जैसे-जैसे उसकी संतति बढ़ती गई, क्रम-क्रम से लोग अपना मूल स्थान छोड़ अन्य देशों में जा बसे। इसी प्रकार यह भी एक अनुमान है कि नाना प्रकार की भाषा एक ही मूल भाषा से निकलती है। पाश्चात्य विद्वान् पहले यह समझते थे कि इब्रानी भाषा से, जिसमें यहूदी लोगों के धर्मग्रंथ हैं, सब भाषाएँ निकली हैं, परंतु उन्हें संस्कृत का ज्ञान होने और शब्दों के मूल रूपों का पता लगने से यह ज्ञात हुआ है कि एक ऐसी आदिम भाषा से, जिसका पता लगना कठिन है, संसार की सब भाषाएँ निकली हैं और वे तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं

(1) **आर्यभाषाएँ** इस भाग में संस्कृत, प्राकृत (और उससे निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आर्यभाषाएँ), अँगरेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएँ हैं।

(2) **शामी भाषाएँ** इस भाग में इब्रानी, अरबी और हब्शी भाषाएँ हैं।

(3) **तूरानी भाषाएँ** इस भाग में मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ी (दक्षिणी हिंदुस्तान की) भाषाएँ और तुर्की आदि भाषाएँ हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(2) आर्यभाषाएँ

इस बात का अभी तक ठीक-ठीक निर्णय नहीं हुआ कि संपूर्ण आर्यभाषाएँफारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी आदिवैदिक संस्कृत से निकली हैं अथवा और-और भाषाओं के साथ-साथ यह पिछली भाषा भी आदिम आर्यभाषा से निकली है। जो भी हो यह बात अवश्य निश्चित हुई है कि आर्य लोग, जिनके नाम से उनकी भाषाएँ प्रख्यात हैं, आदिम स्थान से इधर-उधर गये और भिन्न-भिन्न देशों में उन्होंने अपनी भाषाओं की नींव डाली। जो लोग पश्चिम को गए उनसे ग्रीक, लैटिन, अँगरेजी आदि आर्यभाषाएँ बोलने वाली जातियों की उत्पत्ति हुई। जो लोग पूर्व को आए उनके दो भाग हो गए। एक भाग फारस को गया और दूसरा हिन्दूकुश को पार कर काबुल की तराई में से होता हुआ हिंदुस्तान पहुँचा। पहले भाग के लोगों ने ईरान में मीडी (मादी) भाषा के द्वारा फारसी को जन्म दिया, और दूसरे भाग के लोगों ने संस्कृत का प्रचार किया, जिससे प्राकृत के द्वारा इस देश की प्रचलित आर्यभाषाएँ निकली हैं। प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हुई इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भी है। भिन्न-भिन्न आर्यभाषाओं की समानता दिखाने के लिए कुछ शब्द नीचे दिए जाते हैं

संस्कृत	मीडी	फारसी	यूनानी	लैटिन	अँगरेजी	हिंदी
पितृ	पतर	पिदर	पाटेर	पेटर	फादर	पिता
मातृ	मतर	मादर	माटेर	मेटर	मदर	माता
भ्रातृ	व्रतर	ब्रादर	फ्राटेर	फ्राटर	ब्रदर	भाई
दुहितृ	दुग्धर	दुख्तर	थिगाटेर	०	डाटर	धी
एक	यक	यक	हैन	अन	वन	एक
द्वि, दौ	द्व	दू	डुआ	डुओ	टू	दो
तृ	थृ	०	दृ	दृ	थ्री	तीन
नाम	नाम	नाम	ओनोमा	नामेन	नेम	नाम
अस्मि	अह्मि	अम	ऐमी	सम	ऐम	हूँ
ददामि	दधामि	दिहम	डिडोमी	डिडोमी	०	देऊँ

इस तालिका से जान पड़ता है कि निकटवर्ती देशों की भाषाओं में अधिक समानता है और दूरवर्ती देशों की भाषाओं में अधिक भिन्नता। यह भिन्नता इस बात की भी सूचक है कि यह भेद वास्तविक नहीं है, और न आदि में था, किंतु वह पीछे से हो गया है।

(3) संस्कृत और प्राकृत

जब आर्य लोग पहले-पहल भारतवर्ष में आए तब उनकी भाषा प्राचीन (वैदिक) संस्कृत थी। इसे देववाणी भी कहते हैं, क्योंकि वेदों की अधिकांश भाषा यही है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

रामायण, महाभारत और कालिदास आदि के काव्य जिस परिमार्जित भाषा में हैं, वह बहुत पीछे की है। अष्टाध्यायी आदि व्याकरणों में 'वैदिक' और 'लौकिक' नामों से दो प्रकार की भाषाओं का उल्लेख पाया जाता है और दोनों के नियमों में बहुत कुछ अंतर है। इन दोनों प्रकार की भाषाओं में विशेषताएँ ये हैं कि एक तो संज्ञा के कारकों की विभक्तियाँ संयोगात्मक हैं; अर्थात् कारकों में भेद करने के लिए शब्दों के अंत में अन्य शब्द नहीं आते; जैसे मनुष्य शब्द का संबंधकारक संस्कृत में 'मनुष्यस्य' होता है, हिंदी की तरह 'मनुष्य का' नहीं होता। दूसरे, क्रिया के पुरुष और वचन में भेद करने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्रिया के ही रूप से प्रकट होता है, चाहे उसके साथ सर्वनाम लगा हो या न लगा हो; जैसे'गच्छति' का अर्थ 'सः गच्छति (वह जाता है) होता है। यह संयोगात्मकता वर्तमान हिंदी के कुछ सर्वनामों में और संभाव्य भविष्यत्काल में पाई जाती है; जैसेमुझे, किसे, रहूँ इत्यादि। इस विशेषता की कोई-कोई बात बंगाली (बँगला) भाषा में भी अब तक पाई जाती है; जैसे **'मनुष्येर'** (मनुष्य का) संबंधकारक में और **'कहिलाम'** (मैंने कहा) उत्तम पुरुष में। आगे चलकर संस्कृत की यह संयोगात्मकता बदलकर विच्छेदात्मकता हो गई।

अशोक के शिलालेखों और पतंजलि के ग्रंथों से जान पड़ता है कि ईसवी सन् के कोई तीन सौ बरस पहले उत्तरी भारत में एक ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसमें भिन्न-भिन्न कई बोलियाँ शामिल थीं। स्त्रियों, बालकों और शूद्रों से आर्यभाषा का उच्चारण ठीक-ठीक न बनने के कारण इस नई भाषा का जन्म हुआ था और इसका नाम 'प्राकृत' पड़ा। 'प्राकृत' शब्द 'प्रकृति' (मूल) शब्द से बना है और उसका अर्थ 'स्वाभाविक' या 'गँवारी' है। वेदों में गाथा नाम से जो छन्द पाए जाते हैं, उनकी भाषा पुरानी संस्कृत से कुछ भिन्न है, जिससे जान पड़ता है कि वेदों के समय में भी प्राकृत भाषा थी। सुविधा के लिए वैदिक काल की इस प्राकृत को हम पहली प्राकृत कहेंगे और ऊपर जिस प्राकृत का उल्लेख हुआ है उसे दूसरी प्राकृत। पहली प्राकृत ही ने कई शताब्दियों के पीछे दूसरी प्राकृत का रूप धारण किया। प्राकृत का जो सबसे पुराना व्याकरण मिलता है; वह वररुचि का बनाया है। वररुचि ईसवी सन् के पूर्व पहली सदी में हो गए हैं। वैदिक काल के विद्वानों ने देववाणी को प्राकृत भाषा की भ्रष्टता से बचाने के लिए उसका संस्कार करके व्याकरण के नियमों से उसे नियन्त्रित कर दिया। इस परिमार्जित भाषा का नाम 'संस्कृत' हुआ, जिसका अर्थ 'सुधारा हुआ' अथवा 'बनावटी' है। यह संस्कृत भी पहली प्राकृत की किसी शाखा से शुद्ध होकर उत्पन्न हुई है। संस्कृत को नियमित करने के लिए कितने ही व्याकरण बने जिसमें पाणिनि का व्याकरण सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। विद्वान् लोग पाणिनि का समय ई. सन् के पूर्व सातवीं सदी में स्थिर करते हैं और संस्कृत को उनसे सौ वर्ष पीछे तक प्रचलित मानते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पहली प्राकृत में संस्कृत की संयोगात्मकता तो वैसी ही थी, परंतु, व्यंजनों के अधिक प्रयोग के कारण उसकी कर्णकटुता बहुत बढ़ गई थी। पहली और दूसरी प्राकृत में अन्य भेदों के सिवा यह भी एक भेद हो गया था कि कर्णकटु व्यंजनों के स्थान पर स्वरों की मधुरता आ गई; जैसे'रघु' का 'रहु' और 'जीवलोक' का 'जीअलोअ' हो गया।

बौद्ध धर्म के प्रचार से दूसरी प्राकृत की बड़ी उन्नति हुई। आजकल यह दूसरी प्राकृत पाली भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास धीरे-धीरे होता गया और कुछ समय बाद उसकी तीन शाखाएँ हो गईं; अर्थात् **शौरसेनी, मागधी** और **महाराष्ट्री।** शौरसेनी भाषा बहुधा उस प्रांत में बोली जाती थी, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं। मागधी मगध देश और बिहार की भाषा थी तथा महाराष्ट्री का प्रचार दक्षिण के बंबई, बरार आदि प्रांतों में था। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में एक और भाषा थी जिसको **अर्धमागधी** कहते थे। वह शौरसेनी और मागधी के मेल से बनी थी। कहते हैं, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी इसी अर्धमागधी में जैन धर्म का उपदेश देते थे। पुराने जैन ग्रंथ भी इसी भाषा में हैं। बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांत सर्वप्रिय बनाने के लिए अपने ग्रंथ बोलचाल की भाषा अर्थात् प्राकृत में रचे थे। फिर काव्यों और नाटकों में भी उसका प्रयोग हुआ।

थोड़े दिनों के पीछे दूसरी प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात् परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया है। 'अपभ्रंश' शब्द का अर्थ 'बिगड़ी हुई भाषा' है। ये अपभ्रंश भाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं। इसके प्रचार के समय का ठीक-ठीक पता नहीं लगता; पर जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे जाना जाता है कि ईसवी सन् के ग्यारहवें शतक तक अपभ्रंश भाषा में कविता होती थी। प्राकृत के अंतिम वैयाकरण हेमचंद्र ने, जो बारहवें शतक में हुए हैं, अपने व्याकरण में अपभ्रंश का उल्लेख किया है।

अपभ्रंशों में संस्कृत और दोनों प्राकृतों से भेद हो गया, उनकी संयोगात्मकता जाती रही और उनमें विच्छेदात्मकता आ गई; अर्थात् कारकों का अर्थ प्रकट करने के लिए शब्दों में विभक्तियों के बदले अन्य शब्द मिलने और क्रिया के रूप में सर्वनामों का बोध होना रुक गया।

प्रत्येक प्राकृत के अपभ्रंश पृथक्-पृथक् थे और वे भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्रचलित थे। भारत की प्रचलित आर्यभाषाएँ न संस्कृत से निकली हैं और न प्राकृत से; किंतु अपभ्रंशों से। लिखित साहित्य में बहुधा एक ही अपभ्रंश भाषा का नमूना मिलता है जिसे **नागर अपभ्रंश** कहते हैं। इसका प्रचार बहुत करके पश्चिम भारत में था। इस अपभ्रंश में कई बोलियाँ शामिल थीं जो भारत के उत्तर की तरफ प्रायः समग्र

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पश्चिमी भाग में बोली जाती थीं। हमारी हिंदी भाषा दो अपभ्रंशों के मेल से बनी हैएक नागर अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी और पंजाबी निकली है; दूसरा अर्धमागधी का अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी निकली है और जो अवध, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है।

नीचे लिखे वृक्ष से हिंदी भाषा की उत्पत्ति ठीक-ठीक प्रकट हो जायगी

(4) हिंदी

प्राकृत भाषाएँ ईसवी सन् के कोई आठ-नौ सौ वर्ष तक और अपभ्रंश भाषाएँ ग्यारहवें शतक तक प्रचलित थीं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में हिंदी की प्राचीन कविता के उदाहरण[1] पाए जाते हैं। जिस भाषा में मूल 'पृथ्वीराजरासो' लिखा गया है। 'षटभाषा'[2] का मेल है। इस 'काव्य' में हिंदी का पुराना रूप पाया जाता है।[3] इन

1. भल्ला हुआ जु मारिया, बहिणि महारा कंतु।
   लज्जेजं तु वयंसिअहु जइ भग्गा घर एंतु॥
   (हे बहिन, भला हुआ जो मेरा पति मारा गया। यदि भागा हुआ घर आता तो मैं सखियों में लज्जित होती।)
2. संस्कृतं प्राकृतं चैव शौरसेनी तदुद्भवा।
   ततोऽपि मागधी तद्वत् पैशाची देशजेति यत्॥
3. उच्चिष्ट छंद चंदह बयन सुनत सु जंपिय नारि।
   तवु पवित्र पावन कविय उकति अनूठ उघारि॥
   अर्थ'छंद (कविता) उच्छिष्ट है' चंद का यह वचन सुनकर स्त्री ने कहापावन कवियों की अनूठी उक्ति का उद्धार करने से शरीर पवित्र हो जाता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

उदाहरणों से जान पड़ता है कि हमारी वर्तमान हिंदी का विकास ईसवी सन् की बारहवीं सदी से हुआ है। 'शिवसिंह सरोज' में पुष्य नाम के एक कवि का उल्लेख है जो 'भाखा की जड़' कहा गया है, और जिसका समय सन् 713 ई. दिया गया है। पर न तो इस कवि की कोई रचना मिली है और न यह अनुमान हो सकता है कि उस समय हिंदी भाषा प्राकृत अथवा अपभ्रंश से पृथक् हो गई थी। बारहवें शतक में भी यह भाषा अधबनी अवस्था में थी, तथापि अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत प्रवेश के समय से होने लगा था। यह प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि पीछे से भाषा के लक्षण में 'पारसी' भी रखी गई।[1]

विद्वान् लोग हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को नीचे लिखे चार भागों में बाँटते हैं

1. आदि हिंदी यह उस हिंदी का नमूना है जो अपभ्रंश से पृथक् होकर साहित्यकार्य के लिए बन रही थी। यह भाषा दो कालों में बाँटी जा सकती है(1) वीरकाल (1200-1400) और (2) धर्मकाल (1400-1600)।

वीरकाल में यह भाषा पूर्ण रूप से विकसित न हुई थी और इसकी कविता का प्रचार अधिकतर राजपूताने में था। इसके बाहर के साहित्य की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। उसी समय महोबे में जगनिक कवि हुआ जिसके किसी ग्रंथ के आधार पर 'आल्हा' की रचना हुई। आजकल इस काव्य की मूल भाषा का ठीक पता नहीं लग सकता, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रांतों के लेखकों और गवैयों ने इसे अपनी बोलियों का रूप दे दिया है। विद्वानों का अनुमान है कि इसकी मूल भाषा बुंदेलखंडी थी और यह बात कवि की जन्मभूमि बुंदेलखंड में होने से पुष्ट होती है।

प्राचीन हिंदी का समय बतानेवाली दूसरी रचना भक्तों के साहित्य में पाई जाती है, जिसका समय अनुमान से 1400-1600 है। इस काल के जिन-जिन कवियों के ग्रंथ आजकल लोगों में प्रचलित हैं उनमें बहुतेरे वैष्णव थे और उन्हीं के मार्ग-प्रदर्शन से पुरानी हिंदी के उस रूप में, जिसे ब्रजभाषा कहते हैं; कविता रची गई। वैष्णव सिद्धांत के प्रचार का आरंभ रामानुज से माना जाता है जो दक्षिण के रहने वाले थे और अनुमान से बारहवीं सदी में हुए हैं। उत्तर भारत में यह धर्म रामानंद स्वामी ने फैलाया, जो इस संप्रदाय के प्रचारक थे। इनका समय सन् 1400 ईसवी के लगभग माना जाता है। इनकी लिखी कुछ कविताएँ सिक्खों के आदिग्रंथ में मिलती हैं और इनके रचे हुए भजन पूर्व में मिथिला तक प्रचलित हैं। रामानंद के चेलों में कबीर थे जिनका समय 1512 ईसवी के लगभग है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें 'साखी',

1. ब्रजभाषा भाखा रुचिर कहैं सुमति सब कोय।
मिलै संस्कृत पारस्यौ पै अतिसुगम जु होय॥ (काव्यनिर्णय)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

'शब्द', 'रेख्ता' और 'बीजक' अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा[1] में ब्रजभाषा और हिंदी के उस रूपांतर का मेल है, जिसे लल्लू जी लाल ने (सन् 1803 में) 'खड़ीबोली' नाम दिया है। कबीर ने जो कुछ लिखा है; वह धर्म-सुधारक की दृष्टि से लिखा है, लेखक की दृष्टि से नहीं। इसलिए उनकी भाषा साधारण और सहज है। लगभग इसी समय मीराबाई हुईं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुत सी कविताएँ कीं। इनकी भाषा कहीं मेवाड़ी, और कहीं ब्रजभाषा है। इन्होंने 'राग गोविंद की टीका' आदि ग्रंथ लिखे। सन् 1469 ई. से 1538 तक बाबा नानक का समय है। ये नानकपंथी सम्प्रदाय के प्रचारक और 'आदिग्रंथ' लेखक हैं। इस ग्रंथ की भाषा पुरानी पंजाबी होने के बदले पुरानी हिंदी है। शेरशाह (1540) के आश्रय में मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' लिखी जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन के चित्तौर का किला लेने पर वहाँ के राजा रतनसेन की रानी पद्मावती के आत्मघात की ऐतिहासिक कथा है[2]। इस पुस्तक की भाषा अवधी है।

वैष्णव धर्म का एक और भेद है जिसमें लोग श्रीकृष्ण को अपना इष्टदेव मानते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक वल्लभ स्वामी थे, जिनके पूर्वज दक्षिण के रहनेवाले थे। वल्लभ स्वामी ने सोलहवीं सदी के आदि में उत्तर भारत में अपने मत का प्रचार किया। इनके आठ शिष्य थे जो 'अष्टछाप' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आठों कवि ब्रज में रहते थे और ब्रजभाषा में कविता करते थे। इनमें सूरदास मुख्य हैं। जिनका समय सन् 1550 ई. के लगभग है। कहते हैं, इन्होंने सवा लाख पद[3] लिखे हैं जिनका संग्रह 'सूरसागर' नामक ग्रंथ में है। इस पंथ के चौरासी गुरुओं का वर्णन 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' नामक ग्रंथ में पाया जाता है। जो ब्रजभाषा के गद्य में लिखा गया है; पर इस ग्रंथ का समय निश्चित नहीं है।

अकबर (1556-1605 ई.) के समय में ब्रजभाषा की कविता की अच्छी उन्नति हुई। अकबर स्वयं ब्रजभाषा में कविता करते थे और उनके दरबार में हिंदू कवियों के समान रहीम, फैजी फहीम आदि मुसलमान कवि भी इस भाषा में रचना करते

---

1. मनका फेरत जुग गया गया न का फेर।
   कर का मन का छाँड़ि दे मन का मनका फेर॥
   नव द्वारे को पींजरा तामें पंछी पौन।
   रहिबे को आचर्ज है गये अचंभा कौन॥
2. यह एक अन्योक्ति भी है जिसमें सत्य ज्ञान के लिए आत्मा की खोज का और उस खोज में आनेवाले विघ्नों का वर्णन है।
3. संभवतः सूरदासजी के पदों की संख्या सवा लाख अनुष्टुप् श्लोकों के बराबर होगी। इससे भ्रमवश लोगों ने सवा लाख पदों की बात प्रचलित कर दी। ग्रंथ का विस्तार बनाने के लिए प्राचीन काल से अनुष्टुप् छंद एक प्रकार की नाप मान लिया गया है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

थे। हिंदू कवियों में टोडरमल, बीरबल, नरहरि, हरिनाथ, करनेश और गंग आदि अधिक प्रसिद्ध थे।

2. मध्य हिंदीयह हिंदी कविता के सत्ययुग का नमूना है जो अनुमान से सन् 1600 से लेकर 1800 ई. तक रहा। इस काल में केवल कविता और भाषा ही की उन्नति नहीं हुई वरन् साहित्य विषय के भी अनेक उत्तम और उपयोगी ग्रंथ लिखे गए। मध्य हिंदी के कवियों में सबसे प्रसिद्ध गुसाईं तुलसीदास जी हुए; जिनका समय सन् 1573 से 1624 ई. तक है। उन्होंने हिंदी में एक महाकाव्य लिखकर भाषा का गौरव बढ़ाया और सर्वसाधारण में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। राम के अनन्य भक्त होने पर भी गोसाईं जी ने शिव और राम में भेद नहीं माना और मत मतान्तर का विवाद नहीं बढ़ाया। वैराग्य वृत्ति के कारण उन्होंने श्रीकृष्ण की भक्ति और लीलाओं के विषय में बहुत नहीं लिखा, तथापि 'कृष्ण गीतावली में इन विषयों पर यथेष्ट और मनोहर रचना की है।

तुलसीदास ने ऐसे समय में रामायण की रचना की जब मुगल राज्य दृढ़ हो रहा था और हिंदू समाज के बंधन अनीति के कारण ढीले हो रहे थे। मनुष्य के मानसिक विकारों का जैसा अच्छा चित्र तुलसीदास ने खींचा है, वैसा और कोई नहीं खींच सका।

रामायण की भाषा अवधी है; पर वह बैसवाड़ी से विशेष मिलती-जुलती है। गोसाईं जी के और ग्रंथों में अधिकांश ब्रजभाषा है।

इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि केशवदास, बिहारीलाल, भूषण, मतिराम और नाभादास हैं।

केशवदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने साहित्य विषयक ग्रंथ रचे। इस विषय के इनके ग्रंथ 'कविप्रिया', 'रसिकप्रिया' और 'रामालंकृतमंजरी' हैं। 'रामचंद्रिका' और 'विज्ञानगीता' भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुतायत है। इनकी योग्यता की तुलना सूरदास और तुलसीदास से की जाती है। इनका मरणकाल अनुमान से सन् 1612 ईसवी है। बिहारीलाल ने 1650 ईसवी के लगभग 'सतसई' समाप्त की। इस ग्रंथरत्न में काव्य के प्रायः सब गुण विद्यमान हैं। इसकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। 'बिहारी सतसई' पर कई कवियों ने टीकाएँ लिखी हैं। भूषण ने 1671 ई. में 'शिवराजभूषण' बनाया और कई अन्य ग्रंथ लिखे। इनके ग्रंथों में देशभक्ति और धर्माभिमान खूब दिखाई देता है। इनकी कुछ कविताएँ खड़ी बोली में भी हैं और अधिकांश कविताएँ वीर रस से भरी हुई हैं। चिंतामणि और मतिराम भूषण के भाई थे, जो भाषासाहित्य के आचार्य माने जाते हैं। नाभादास जाति के डोम थे और तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने ब्रजभाषा में 'भक्तमाल' नामक पुस्तक लिखी जिसमें अनेक वैष्णव भक्तों का संक्षिप्त वर्णन है।

इस काल के उत्तरार्ध (1700-1800 ईसवी) में राज्यक्रांति के कारण कविता

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

की विशेष उन्नति नहीं हुई। इस काल के प्रसिद्ध कवि प्रियादास, कृष्णकवि, भिखारीदास, ब्रजवासीदास, सूरति मिश्र आदि हैं। प्रियादास ने सन् 1712 ईसवी में 'भक्तमाल' पर एक (पद्य) टीका लिखी। कृष्णकवि ने 'बिहारी सतसई' पर सन् 1720 के लगभग एक टीका रची। भिखारीदास सन् 1723 के लगभग हुए और साहित्य के अच्छे कवि समझे जाते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'छंदोऽर्णव' और 'काव्यनिर्णय' हैं। ब्रजवासीदास ने सन् 1770 ई. में 'ब्रजविलास' लिखा, जो विशेष लोकप्रिय है। सूरति मिश्र ने इसी समय में ब्रजभाषा के गद्य में 'बैताल पचीसी' नामक एक ग्रंथ लिखा। यही कवि गद्य के प्रथम लेखक हैं।

3. आधुनिक हिंदीयह काल सन् 1800 से 1900 ईसवी तक है। इसमें हिंदी गद्य की उत्पत्ति और उन्नति हुई। अँगरेजी राज्य की स्थापना और छापे के प्रचार से इस शताब्दी में गद्य और पद्य की अनेक पुस्तकें बनीं और छपीं। साहित्य के सिवा इतिहास, भूगोल, व्याकरण, पदार्थविज्ञान और धर्म पर इस काल में कई पुस्तकें लिखी गईं। सन् 1857 ई. के विद्रोह के पीछे देश में शान्तिस्थापना होने पर समाचार पत्र, मासिक पत्र, नाटक, उपन्यास और समालोचना का आरंभ हुआ। हिंदी की उन्नति का एक विशेष चिह्न इस समय यह है कि इसमें खड़ी बोली (बोलचाल की भाषा) की कविता लिखी जाती है। इसके साथ ही हिंदी में संस्कृत शब्दों का निरंकुश प्रयोग भी बढ़ता जाता है। इस काल में शिक्षा के प्रचार से हिंदी की विशेष उन्नति हुई।

पादरी गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू जी लाल ने सन् 1804 ई. में 'प्रेम-सागर' लिखा जो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ है। इनके बनाए और प्रसिद्ध ग्रंथ' 'राजनीति' (ब्रजभाषा के गद्य में), 'सभाविलास', 'लालचन्द्रिका' (बिहारी सतसई पर टीका), 'सिंहासन पचीसी' हैं। इस काल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर (1815), ग्वाल (1815), पजनेश (1816), रघुराजसिंह (1834), दीनदयालगिरि (1855), और हरिश्चंद्र (1880) हैं।

गद्यलेखकों में लल्लू जी लाल के पश्चात् पादरी लोगों ने कई विषयों की पुस्तकें अँगरेजी से अनुवाद कराकर छपवाईं। इसी समय से हिंदी में ईसाई धर्म की पुस्तकों का छपना आरंभ हुआ। शिक्षा विभाग के लेखकों में पं. श्रीलाल, पं. वंशीधर वाजपेयी और राजा शिवप्रसाद हैं। शिवप्रसाद ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसे हिंदू-मुसलमान दोनों समझ सकें। इनकी रचना प्रायः उर्दू ढंग की होती थी। आर्यसमाज की स्थापना से साधारण लोगों में वैदिक विषयों की चर्चा और धर्मसंबंधी हिंदी की अच्छी उन्नति हुई। काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी की विशेष उन्नति की है। उसने गत अर्धशताब्दी में अनेक विषयों के न्यूनाधिक सौ उत्तम ग्रंथ प्रकाशित किए हैं जिनमें सर्वांगपूर्ण हिंदी कोश और हिंदी व्याकरण मुख्य है। उसने प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की नियमबद्ध खोज कराकर अनेक दुर्लभ ग्रंथों का भी प्रकाशन किया है। प्रयाग की हिंदी साहित्य सम्मेलन नामक संस्था हिंदी की उच्च परीक्षाओं का प्रबंध और

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

संपूर्ण देश में उसका प्रचार राष्ट्रभाषा के रूप में कर रही है। उसने कई एक उपयोगी पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

इस काल के और प्रसिद्ध लेखक राजा लक्ष्मणसिंह, पं. अम्बिकादत्त व्यास, राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन सब में भारतेंदु जी का आसन ऊँचा है। उन्होंने केवल 35 वर्ष की आयु में कई विषयों की अनेक पुस्तकें लिखकर हिंदी का उपकार किया और भावी लेखकों को अपनी मातृभाषा की उन्नति का मार्ग बताया। भारतेंदु के पश्चात् वर्तमान काल में सबसे प्रसिद्ध लेखक और कवि पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं. श्रीधर पाठक, पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय और बाबू मैथिलीशरण हैं, जिन्होंने उच्च कोटि के अनेक ग्रंथ लिखकर हिंदी भाषा और साहित्य का गौरव बढ़ाया है। आधुनिक काल के अन्य प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद, पं. सुमित्रानंदन पंत, बाबू जयशंकर प्रसाद, पं. सूर्यकांत त्रिपाठी, पं. माखनलाल चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, नंददुलारे वाजपेयी, जैनेंद्रकुमार दिनकर, बच्चन, श्यामसुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा हैं। कवयित्रियों में श्रीमती महादेवी वर्मा और सुभद्राकुमारी चौहान प्रसिद्ध हैं।

(5) हिंदी और उर्दू

'हिंदी' नाम से जो भाषा हिंदुस्तान में प्रसिद्ध और प्रचलित है, उसके नाम, रूप और विस्तार के विषय में विद्वानों का मतभेद है। कई लोगों की राय में हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है और कई लोगों की राय में दोनों अलग-अलग दो बोलियाँ हैं। राजा शिवप्रसाद सदृश महाशयों की युक्ति यह है कि शहरों और पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान कुछ सामाजिक तथा धर्मसंबंधी और वैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर प्रायः एक ही भाषा में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के विचार पूर्णतया समझ लेते हैं। इसके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह सदृश विद्वानों का पक्ष यह है कि जिन दो जातियों का धर्म, व्यवहार, विचार, सभ्यता और उद्देश्य एक नहीं है, उनकी भाषा पूर्णतया एक कैसे हो सकती है? जो हो, साधारण लोगों में आज कल हिंदुस्तानियों की भाषा हिंदी और मुसलमानों की भाषा उर्दू प्रसिद्ध है। भाषा का मुसलमानी रूपांतर केवल हिंदी में नहीं, वरन् बँगला, गुजराती, आदि भाषाओं में भी पाया जाता है। 'हिंदी भाषा की उत्पत्ति' नामक पुस्तक के अनुसार हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी की शाखाएँ हैं, जो पश्चिमी हिंदी का एक भेद है। इस भाषा का 'हिंदुस्तानी' नाम अँगरेजों का रखा हुआ है और उससे बहुधा उर्दू का बोध होता है। हिंदू लोग इस शब्द को 'हिंदुस्तानी' कहते हैं और इसे बहुधा 'हिंदी बोलने वाली 'जाति' के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं।

हिंदी कई नामों से प्रसिद्ध है; जैसेभाषा, हिंदवी (हिंदुई), हिंदी, खड़ी बोली और नागरी। इसी प्रकार मुसलमानों की भाषा के भी कई नाम हैं। वह हिंदुस्तानी, उर्दू, रेख्ता और दक्खिनी कहलाती है। इनमें से बहुत से नाम दोनों भाषाओं का

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

यथार्थ रूप निश्चित न होने के कारण दिए गए हैं।

हमारी भाषा का सबसे पुराना नाम केवल 'भाषा' है। महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी के अनुसार यह नाम भास्वती की टीका में आया है, जिसका समय संवत् 1485 है। तुलसीदास ने रामायण में 'भाषा' शब्द लिखा है, पर अपने फारसी पंचनामे में 'हिंदवी' शब्द का प्रयोग किया है। बहुधा पुस्तकों के नामों में और टीकाओं में यह शब्द आजकल प्रचलित है; जैसे'भाषा भास्कर, भाषा टीका सहित', इत्यादि। पादरी आदम साहब की लिखी और सन् 1837 में दूसरी बार छपी 'उपदेश कथा' में इस भाषा का नाम 'हिंदवी' लिखा है। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हमारी भाषा का हिंदी नाम आधुनिक है।[1] इसके पहले हिंदू लोग इसे 'भाषा' और मुसलमान लोग 'हिंदुई' या 'हिंदवी' कहते थे। लल्लू जी लाल ने प्रेमसागर में (सन् 1804 में) इस भाषा का नाम 'खड़ी बोली'[2] लिखा है, जिसे आजकल कुछ लोग न जाने क्यों 'खरी बोली' कहने लगे हैं। आजकल 'खड़ी बोली' शब्द केवल कविता की भाषा के लिए आता है, यद्यपि गद्य की भाषा भी 'खड़ी बोली' है। लल्लू जी लाल ने एक जगह अपनी भाषा का नाम 'रेख्ते की बोली' भी लिखा है। 'रेख्ता' शब्द कबीर के एक ग्रंथ में भी आया है, पर वहाँ उसका अर्थ 'भाषा' नहीं है किंतु एक प्रकार का 'छंद' है। जान पड़ता है कि फारसी अरबी शब्द मिलाकर भाषा में जो फारसी शब्द रचे गए उनका नाम रेख्ता (अर्थात् मिला हुआ) रखा गया और फिर पीछे से यह शब्द मुसलमानों की कविता की बोली के लिए प्रयुक्त होने लगा। यह भी एक अनुमान है कि मुसलमानों में रेख्ता का प्रचार बढ़ने के कारण हिंदुओं की भाषा का नाम 'हिंदुई' (या हिंदवी) रखा गया। इसी 'हिंदवी' में, जिसे आजकल 'खड़ी बोली' कहते हैं, कबीर, भूषण, नागरीदास आदि कुछ कवियों ने थोड़ी-बहुत कविता की है; पर अधिकांश हिंदू कवियों ने श्रीकृष्ण की उपासना और भाषा की मधुरता के कारण ब्रजभाषा का ही उपयोग किया है।

आरंभ में हिंदुई और रेख्ता में थोड़ा ही अंतर था। अमीर खुसरो, जिनकी मृत्यु सन् 1325 ई. में हुई, मुसलमानों में सर्वप्रथम और प्रधान कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा[3] से जान पड़ता है कि उस समय तक हिंदी में मुसलमानी शब्द और फारसी ढंग की रचना की भरमार न हुई थी, और मुसलमान लोग शुद्ध हिंदी पढ़ते-लिखते

---

1. सन् 1846 में दूसरी बार छपी 'पदार्थ विद्यासार' नामक पुस्तक में 'हिंदी भाषा' का नाम आया है।
2. ब्रजभाषा के ओकारांत रूपों से मिलान करने पर हिंदी के आकारांत रूप 'खड़े' जान पड़ते हैं। बुंदेलखंड में इस भाषा को 'ठाढ़ी बोली' या 'तुर्की' कहते हैं।
3. तरुवर से एक तिरिया उतरी, उसने खूब रिझाया।
   बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया॥
   आधा नाम पिता पर वाका, अपना नाम निबोरी।
   अमीर खुसरो यों कहैं बूझ पहेली मोरी॥

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

थे। जब देहली के बाजार में तुर्क, अफगान और फारसवालों का संपर्क हिंदुओं से होने लगा, और वे लोग हिंदी शब्दों के बदले अरबी, फारसी के शब्दों को बहुतायत से मिलाने लगे, तब रेख्ता ने दूसरा ही रूप धारण किया, और उसका नाम 'उर्दू' पड़ा। 'उर्दू' शब्द का अर्थ 'लश्कर' है। शाहजहाँ के समय में उर्दू की बहुत उन्नति हुई, जिससे 'खड़ी बोली' की उन्नति में बाधा पड़ गई।

हिंदी और उर्दू मूल में एक ही भाषा हैं। उर्दू हिंदी का केवल मुसलमानी रूप है। आज भी कई शतक बीत जाने पर, इन दोनों में विशेष अंतर नहीं; पर इनके अनुयायी लोग इस नाममात्र के अंतर को वृथा ही बढ़ा रहे हैं। यदि हम लोग हिंदी में संस्कृत के और मुसलमान उर्दू में अरबी-फारसी के शब्द कम लिखें तो दोनों भाषाओं में बहुत थोड़ा भेद रह जाय और संभव है, किसी दिन दोनों समुदायों की लिपि और भाषा एक हो जाय। धर्मभेद के कारण पिछली शताब्दी में हिंदी और उर्दू के प्रचारकों में परस्पर खींचातानी शुरू हो गई। मुसलमान हिंदी से घृणा करने लगे और हिंदुओं ने हिंदी के प्रचार पर जोर दिया। परिणाम यह हुआ कि हिंदी में संस्कृत शब्द और उर्दू में अरबी-फारसी के शब्द मिल गए और दोनों भाषाएँ क्लिष्ट हो गईं। इन दिनों कई राजनीतिक कारणों से हिंदी-उर्दू विवाद और भी बढ़ रहा है, और 'हिंदुस्तानी' के नाम से एक खिचड़ी भाषा की रचना की जा रही है, जो न शुद्ध हिंदी होगी और न शुद्ध उर्दू।

आरंभ से ही उर्दू और हिंदी में कई बातों का अंतर भी रहा है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और उसमें अरबी-फारसी शब्दों की विशेष भरमार रहती है। इसकी वाक्य रचना में बहुधा विशेष्य विशेषण के पहले आता है, और (कविता में) फारसी के संबोधन कारक का रूप प्रयुक्त होता है। हिंदी के संबंधवाचक सर्वनाम के बदले उसमें कभी-कभी फारसी का संबंधवाचक सर्वनाम आता है। इनके सिवा रचना में और भी दो-एक बातों का अंतर है कोई-कोई उर्दू लेखक इन विदेशी शब्दों के लिखने में सीमा के बाहर चले जाते हैं। उर्दू और हिंदी की छंद रचना में भी भेद है। मुसलमान लोग फारसी-अरबी के छंदों का उपयोग करते हैं। फिर उनके साहित्य में मुसलमानी इतिहास और दंतकथाओं के उल्लेख बहुत रहते हैं। शेष बातों में दोनों भाषाएँ प्रायः एक हैं।

कुछ लोग समझते हैं कि वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति लल्लू जी लाल ने उर्दू की सहायता से की है। यह भूल है। 'प्रेमसागर' की भाषा दोआब में पहले ही से बोली जाती थी। उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग 'प्रेमसागर' में किया और आवश्यकतानुसार उसमें संस्कृत के शब्द भी मिलाए। मेरठ के आसपास और उसके कुछ उत्तर में यह भाषा अब भी अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती है। वहाँ इसका वही रूप है, जिसके अनुसार हिंदी का व्याकरण बना है। यद्यपि इस भाषा का नाम 'उर्दू' या 'खड़ी बोली'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

नया है, तो भी उसका यह रूप नया नहीं, किंतु उतना ही पुराना है, जितने उसके दूसरे रूपब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि हैं। देहली में मुसलमानों के संयोग से हिंदी भाषा का विकास जरूर हुआ, और इसके प्रचार में भी वृद्धि हुई। इस देश में जहाँ-जहाँ मुगल बादशाहों के अधिकारी गए वहाँ-वहाँ वे अपने साथ इस भाषा को भी लेते गए।

कोई-कोई लोग हिंदी भाषा को 'नागरी' कहते हैं। यह नाम अभी हाल का है, और देवनागरी लिपि के आधार पर रखा गया जान पड़ता है। इस भाषा के तीन नाम और प्रसिद्ध हैं(1) ठेठ हिंदी, (2) शुद्ध हिंदी और (3) उच्च हिंदी। 'ठेठ हिंदी' हमारी भाषा के उस रूप को कहते हैं, जिसमें 'हिंदवी छुट् और किसी बोली की पुट् न मिले।' इसमें बहुधा 'तद्भव' शब्द आते हैं। 'शुद्ध हिंदी' में तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है, पर उसमें विदेशी शब्द नहीं आते। 'उच्च हिंदी' शब्द कई अर्थों का बोधक है। कभी-कभी प्रांतिक भाषाओं से हिंदी का भेद बताने के लिए इस भाषा को 'उच्च हिंदी' कहते हैं। अँगरेज लोग इस नाम का प्रयोग बहुधा इसी अर्थ में करते हैं। कभी-कभी 'उच्च हिंदी' से वह भाषा समझी जाती है, जिसमें अनावश्यक संस्कृत शब्दों की भरमार की जाती है और कभी-कभी यह नाम केवल 'शुद्ध हिंदी' के पर्याय में आता है।

(6) तत्सम और तद्भव शब्द

उन शब्दों को छोड़कर जो फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरेजी आदि विदेशी भाषाओं के हैं (और जिनकी संख्या बहुत थोड़ीकेवल दशमांश है) अन्य शब्द हिंदी में मुख्य तीन प्रकार के हैं

(1) तत्सम
(2) तद्भव
(3) अर्द्धतत्सम

तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं, जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं; जैसेराजा, पिता, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि। [1]

तद्भव वे शब्द हैं जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसेराय, खेत, दाहिना, किसान।

---

1. इस प्रकार के कई शब्द कई सदियों से भाषा में प्रचलित हैं। कोई-कोई साहित्य के बहुत पुराने नमूनों में भी मिलते हैं, परंतु बहुत से वर्तमान शताब्दी में आए हैं। यह भरती अभी तक जारी है। जिस रूप में ये शब्द आते हैं, वह बहुधा संस्कृत की प्रथमा के एकवचन का है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अर्द्धतत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं, जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते-बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसेबच्छ, अग्याँ, मुँह, बंस, इत्यादि।

बहुत से शब्द तीनों रूपों में मिलते हैं, परंतु कई शब्दों के सब रूप नहीं पाए जाते। हिंदी के क्रिया शब्द प्रायः सबके सब तद्भव हैं। यही अवस्था सर्वनामों की है। बहुत से संज्ञा शब्द तत्सम या तद्भव हैं और कुछ अर्द्धतत्सम हो गए हैं।

तत्सम और तद्भव शब्दों में रूप की भिन्नता के साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता भी होती है। तत्सम प्रायः सामान्य अर्थ में आता है और तद्भव शब्द विशेष अर्थ में; जैसेस्थान सामान्य नाम है, पर 'थाना' एक विशेष स्थान का नाम है। कभी-कभी तत्सम शब्द से गुरुता का अर्थ निकलता है और तद्भव से लघुता का, जैसेदेखना साधारण लोगों के लिए आता है, पर 'दर्शन' किसी बड़े आदमी या देवता के लिए। कभी-कभी तत्सम के दो अर्थों में से तद्भव से केवल एक ही अर्थ सूचित होता है; जैसे'वंश' का अर्थ 'कुटुंब' भी है, और 'बाँस' भी है; पर तद्भव 'बाँस' से केवल एक ही अर्थ निकलता है।

यहाँ तत्सम, तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं

तत्सम	अर्द्धतत्सम	तद्भव
आज्ञा	अग्याँ	आन
राजा	०	राय
वत्स	बच्छ	बच्चा
अग्नि	अगिन	आग
स्वामी	०	साई
कर्ण	०	कान
कार्य	कारज	काज
पक्ष	०	पंख, पाँख
वायु	०	बयार
अक्षर	अच्छर	अक्ख, आखर
रात्रि	रात	०
सर्व	०	सब
दैव	दई	०

(7) देशज और अनुकरणवाचक शब्द

हिंदी में और भी दो प्रकार के शब्द पाए जाते हैं

(1) देशज (2) अनुकरणवाचक।

देशज वे शब्द हैं जो किसी संस्कृत (या प्राकृत) मूल से निकले हुए नहीं जान

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पड़ते और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता; जैसेतेंदुआ, खिड़की, धूआ, ठेस इत्यादि।

ऐसे शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है और संभव है कि आधुनिक आर्यभाषाओं की बढ़ती के नियमों की अधिक खोज और पहचान होने से अंत में इनकी संख्या बहुत कम जो जाएगी।

पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं; जैसेखटखटाना, धड़ाम, चट आदि।

(8) विदेशी शब्द

फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, वे विदेशी कहाते हैं, अँगरेजी से आजकल भी शब्दों की भरती जारी है। विदेशी शब्द हिंदी में ध्वनि के अनुसार अथवा बिगड़े हुए उच्चारण के अनुसार लिखे जाते हैं। इस विषय का पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस-किस समय पर कौन से विदेशी शब्द आए हैं; पर ये शब्द भाषा में मिल गए हैं और इनमें कोई-कोई शब्द ऐसे हैं जिनके समानार्थी हिंदी शब्द बहुत समय से अप्रचलित हो गए हैं। भारतवर्ष की और और प्रचलित भाषाओंविशेषकर मराठी और बँगला से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हैं। कुछ विदेशी शब्दों की सूची दी जाती है

(1) **फारसी**आदमी, उम्मेदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दूकान, बाग, मोजा इत्यादि।

(2) **अरबी** अदालत, इम्तिहान, एतराज, औरत, तनखाह, तारीख, मुकदमा, सिफारिश, हाल इत्यादि।

(3) **तुर्की** कोतल, * चकमक, * तगमा, तोप, लाश इत्यादि।

(4) **पोर्चुगीज** कमरा, * नीलाम, पादरी, * भारतौल, पेरू।

(5) **अँगरेजी** अपील, इंच, * कलक्टर, * कमेटी, कोट, * गिलास, * टिकट, * टीन, नोटिस, डाक्टर, डिगरी, * पतलून, फंड, फीस, फुट, * मील, रेल, * लाट, लालटेन, समन, स्कूल इत्यादि।

(6) **मराठी** प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू (ओर, तरफ) इत्यादि।

(7) **बँगला** उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, भद्रलोग (= भले आदमी), गल्प, नितांत इत्यादि।

---

* ये शब्द अपभ्रंश हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पहला भाग

वर्णविचार

पहला अध्याय

वर्णमाला

1. वर्णविचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं, जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है।

2. वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड न हो सकें; जैसेअ, इ, क्, ख्, इत्यादि।

'सबेरा हुआ' इस वाक्य में दो शब्द हैं, 'सबेरा' और 'हुआ'। 'सबेरा' शब्द में साधारण रूप से तीन ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैंस, बे, रा। इन तीन ध्वनियों में से प्रत्येक ध्वनि के खंड हो सकते हैं, इसलिए वह मूल ध्वनि नहीं है। 'स' में दो ध्वनियाँ हैं, स् अ, और इनके कोई और खंड नहीं हो सकते इसलिए 'स्' और 'अ' मूल ध्वनि हैं। ये ही मूल ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। 'सबेरा' शब्द में स्, अ, ब्, ए, र्, आये छह मूल ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार 'हुआ' शब्द में ह्, उ, आये तीन मूल ध्वनियाँ या वर्ण हैं।

3. वर्णों के समुदाय को वर्णमाला[1] कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं। इनके दो भेद हैं(1) स्वर (2) व्यंजन। [2]

4. स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं; जैसेअ, इ, उ, ए इत्यादि। हिंदी में स्वर 11 हैं[3]

---

1. फारसी, अँगरेजी, यूनानी आदि भाषाओं में वर्णों के नाम और उच्चारण एक से नहीं हैं इसलिए विद्यार्थियों को उन्हें पहचानने में कठिनाई होती है। इन भाषाओं में जिन (अलिफ, ए, डेल्टा आदि) को वर्ण कहते हैं, उनके खंड हो सकते हैं। वे यथार्थ में वर्ण नहीं किंतु शब्द हैं। यद्यपि व्यंजन के उच्चारण के लिए उनके साथ स्वर लगाने की आवश्यकता होती है, तो भी उसमें केवल छोटे से छोटा स्वर अर्थात् अकार मिलाना चाहिए, जैसा हिंदी में होता है।
2. संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच् और व्यंजनों को हल् कहते हैं।
3. संस्कृत में, ऋ, ऌ, ॡ ये तीन स्वर और हैं; पर हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। ऋ (ह्रस्व) भी हिंदी में आने वाले केवल तत्सम शब्दों ही में आता है; जैसेऋषि, ऋण, कृपा, नृत्य, मृत्यु इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

5. व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन 33 हैं[1]

क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ।

ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न।

प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श,

ष, स, ह।

इन व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए 'अ' मिला दिया गया है। जब व्यंजनों में कोई स्वर नहीं मिला रहता तब उसका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा कर देते हैं जिसे हिंदी में हल् कहते हैं; जैसेक्, थ्, म् इत्यादि।

6. व्यंजनों में दो वर्ण और हैं जो **अनुस्वार** और **विसर्ग** कहलाते हैं।[2] अनुस्वार का चिह्न स्वर के ऊपर एक बिन्दी और विसर्ग का चिह्न स्वर के आगे दो बिन्दियाँ हैं; जैसेअं अः। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है; पर इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह अंतर है कि स्वर इनके पहले आता है और दूसरे व्यंजनों के पीछे; अ + ं, अं, अ, अ + ः, अः, क् + अ = क, ख् + अ = ख।

7. हिंदी वर्णमाला के वर्णों के प्रयोग के संबंध में कुछ नियम ध्यान देने योग्य हैं

(अ) कुछ वर्ण केवल संस्कृत (तत्सम) शब्दों में आते हैं; जैसेऋ ण्, ष्। उदाहरणऋतु, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण।

(आ) ङ् और ञ् पृथक् रूप से केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं; जैसेपराङ्मुख, नञ् तत्पुरुष।

(इ) संयुक्त व्यंजनों में से क्ष और ज्ञ केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं; जैसेमोक्ष, संज्ञा।

(ई) ङ्, ञ, ण हिंदी में शब्दों के आदि में नहीं आते। अनुस्वार और विसर्ग भी शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं होते।

(उ) विसर्ग केवल थोड़े से हिंदी शब्दों में आता है; जैसेछः, छिः इत्यादि।

---

1. इनके सिवा वर्णमाला में व्यंजन और मिला दिए जाते हैंक्ष, त्र, ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन हैं और इस प्रकार मिलकर बने हैंक् + ष = क्ष, त् + र = त्र, ज + ञ = ज्ञ। (21वाँ अंक देखो।)
2. अनुस्वार और विसर्ग के नाम और उच्चारण एक नहीं हैं। इनके रूप और उच्चारण की विशेषता के कारण कई वैयाकरण इन्हें अं, अः के रूप में स्वरों के साथ लिखते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दूसरा अध्याय
लिपि

8. लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न मान लिए गए हैं, वे भी वर्ण कहलाते हैं; पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि[1] में लिखी जाती है।

(सू.देवनागरी के सिवा कैथी, महाजनी आदि लिपियों में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है; पर उनका प्रचार सर्वत्र नहीं है। ग्रंथलेखन और छापने के काम में बहुधा देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है।)

9. व्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। व्यंजनों में मिलने से बदलकर स्वर का जो रूप हो जाता है उसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे लिखी जाती है

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ	औ
	ा	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ

10. अ की कोई मात्रा नहीं है। जब यह व्यंजन में मिलता है, तब व्यंजन में नीचे का चिह्न (्) नहीं लिखा जाता; जैसेक् + अ = क, ख् + अ = ख।

11. आ, ई, ओ और औ की मात्राएँ व्यंजन के आगे लगाई जाती हैं; जैसेका, की, को, कौ। इ की मात्रा व्यंजन के पहले, ए और ऐ की मात्राएँ ऊपर; और उ, ऊ, ऋ की मात्राएँ नीचे लगाई जाती हैं; जैसेकि, के, कै, कु, कू, कृ।

12. अनुस्वार स्वर के ऊपर और विसर्ग स्वर के पीछे आता है; जैसेकं, किं, कः, काः।

13. उ और ऊ की मात्राएँ जब र् में मिलती हैं, तब उनका आकार कुछ निराला हो जाता है, जैसेरु, रू। र् के साथ ऋ की मात्रा का संयोग व्यंजनों के समान होता है; जैसेर् + ऋ + ॠ। (25वाँ अंक देखो)।

14. ऋ की मात्रा को छोड़कर और अं, अः को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों में मिलाप को बारहखड़ी[2] कहते हैं। स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं : क् की बारहखड़ी नीचे दी जाती है

क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः।

---

1. 'देवनागरी' नाम की उत्पत्ति के विषय में मतभेद है। श्याम शास्त्री के मतानुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र 'देवनागर' कहलाते थे, और उनके मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम 'देवनागरी' हुआ।
2. यह शब्द द्वादशाक्षरी का अपभ्रंश है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

15. व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं (1) खड़ी पाई समेत और (2) बिना खड़ी पाई के। ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र, को छोड़कर शेष व्यंजन पहले प्रकार के हैं। सब वर्णों के सिरे पर एक-एक आड़ी रेखा रहती है, जो ध, झ और भ में कुछ तोड़ दी जाती है।

16. नीचे लिखे वर्णों के दो-दो रूप पाए जाते हैं

ग्र और अ; झ और झ, ण और ण; क्ष और क्ष; ज्ञ और ज्ञ।

17. देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण और नाम तुल्य होने के कारण, जब कभी उसका नाम लेने का काम पड़ता है, तब अक्षर के आगे 'कार' जोड़कर उसका नाम सूचित करते हैं; जैसेअकार, ककार, मकार, सकार से अ, क, म, स का बोध होता है। 'रकार' को कोई कोई 'रेफ' भी कहते हैं।

18. जब दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता, तब उनको संयोगी वा संयुक्त व्यंजन कहते हैं; जैसेक्य, स्म, त्र। संयुक्त व्यंजन बहुधा मिला कर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः तीन से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है; जैसेस्तंभ, मत्स्य, माहात्म्य।

19. जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, तब वह संयोग द्वित्व कहलाता है, जैसेकक्का, सच्चा, अन्न।

20. संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उच्चारण होता है, उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं; जैसेअंत, यत्न, अशक्त, सत्कार।

21. क्ष, त्र, ज्ञ, जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं उनका कुछ भी रूप संयोग में नहीं दिखाई देता; इसलिए कोई-कोई उन्हें व्यंजनों के साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं। क् और ष के मेल क्ष, त् और र के मेल से त्र और ज् और ञ के मेल से ज्ञ बनता है।

22. पाई (।) वाले आद्य वर्णों की पाई संयोग में गिर जाती है; जैसे प् + य =प्य, त् + थ = त्थ, त् + म् + य = त्म्य।

23. ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, से सात व्यंजन संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं, और इनके अंत का (संयुक्त) व्यंजन पूर्व वर्ण के नीचे बिना सिरे के लिखा जाता है; जैसेअङ्क, उच्छ्वास, टट्टी, मट्ठा, हड्डी, प्रह्लाद, सह्याद्रि।

24. कई संयुक्त अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसेक् + क = क्क; क्क; क् + व = क्व, क्व, ल् + ल = ल्ल, ल्ल, क् + ल् = क्ल, क्ल, श् + व = श्व, श्व।

25. यदि रकार के पीछे कोई व्यंजन हो तो रकार उस व्यंजन के ऊपर, वह रूप (र्) धारण करता है, जिसे रेफ कहते हैं, जैसेधर्म, सर्व, अर्थ। यदि रकार

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

किसी व्यंजन के पीछे आता है, तो उसका रूप दो प्रकार का होता है

(ख) खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे रकार इस रूप (◌्र) से लिखा जाता है; जैसेचक्र, भद्र, ह्रस्व, आदि।

(आ) दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका यह रूप (◌्) होता है; जैसेराष्ट्र, त्रिपुंड, कृच्छ्र।

(सू.ब्रजभाषा में बहुधा र् + य का रूप य्य होता है, जैसेमार्‌यो, हार्‌यो।)

26. क् और त मिलकर क्त और त् तथा त मिलकर त्त होता है।

27. ङ्, ञ्, ण्, न्, म् अपने ही वर्ग के व्यंजनों से मिल सकते हैं; पर उनके बदले में विकल्प से अनुस्वार[1] आ सकता है; जैसेगङ्गा=गंगा, चञ्चल=चंचल, पण्डित=पंडित, दन्त=दंत, कम्प=कंप।

कई शब्दों में इस नियम का भंग होता है; जैसेवाङ्मय, मृण्मय, धन्वन्तरि, सम्राट, उन्हें, तुम्हें।

28. हकार से मिलने वाले व्यंजन कभी-कभी भूल से उसके पूर्व लिख दिए जाते हैं; जैसेचिन्ह (चिह्न), ब्रम्ह (ब्रह्म), आव्हान (आह्वान), आल्हाद (आह्लाद) इत्यादि।

29. साधारण व्यंजनों के समान संयुक्त व्यंजनों में भी स्वर जोड़कर बारहखड़ी बनाते हैं; जैसेक्र, क्रा, क्रि, क्री, क्रु, क्रू, क्रे, क्रै, क्रो, क्रौ, क्रं, क्रः।

(देखो 14वाँ अंक)

तीसरा अध्याय

वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण

30. मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है, उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं।

31. स्थान भेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुसार वर्ग होते हैं

कंठ्य जिनका उच्चारण कंठ से होता है; अर्थात् अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग।

तालव्य जिनका उच्चारण तालु से होता है; अर्थात् इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, और श।

मूर्धन्य जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है; अर्थात् ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ष।

1. हिंदी में बहुधा अनुनासिक (◌ँ) के बदले में भी अनुस्वार आता है, जैसेहँसना=हंसना, पाँच=पांच। (देखो 50वाँ अंक)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दंत्य जिनका उच्चारण ऊपर के दाँतों पर जीभ लगाने से होता है; अर्थात् त, थ, द, ध, न, ल और स।

ओष्ठ्य जिनका उच्चारण ओठों से होता है, जैसेउ, ऊ, प, फ, ब, भ, म।

अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, अर्थात् ङ, ञ, ण, न, म, और अनुस्वार। (देखो 39वाँ और 46वाँ अंक)।

(सू.स्वर भी अनुनासिक होते हैं। (देखो 29वाँ अंक)।

कंठ्यतालव्य जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है; अर्थात् ए, ऐ।

कंठोष्ठ्य जिनका उच्चारण कंठ और ओठों से होता है; अर्थात् ओ, औ।

दंत्योष्ठ्य जिनका उच्चारण दाँत और ओठों से होता है; अर्थात् व।

32. वर्णों के उच्चारण की रीति को **प्रयत्न** कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्रिय की क्रिया को **आभ्यंतर प्रयत्न** और ध्वनि के अंत की क्रिया को **बाह्य प्रयत्न** कहते हैं।

33. **आभ्यंतर प्रयत्न** के अनुसार वर्णों के मुख्य चार भेद हैं

(1) **विवृत**इनके उच्चारण में वागिंद्रिय खुली रहती है। स्वरों का प्रयत्न **विवृत** कहलाता है।

(2) **स्पृष्ट**इनके उच्चारण में वागिंद्रिय का द्वार बन्द रहता है। 'क' से लेकर 'म' तक 25 व्यंजनों को **स्पर्श वर्ण** कहते हैं।

(3) **ईषत् विवृत**इनके उच्चारण में वागिंद्रिय कुछ खुली रहती है। इसी भेद में य, र, ल, व हैं। इनको **अंतस्थ** वर्ण भी कहते हैं; क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों का मध्यवर्ती है।

(4) **ईषत् स्पृष्ट** इनका उच्चारण वागिंद्रिय के कुछ बन्द रहने से होता हैश, ष, स, ह। इन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार का घर्षण होता है; इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं।

बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य दो भेद हैं(1) अघोष, (2) घोष।

(1) अघोष वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, उनके उच्चारण में घोष अर्थात् नाद नहीं होता।

(2) घोष वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है।

अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और श, ष, स।

घोष वर्ण शेष व्यंजन और सब स्वर।

(सू.बाह्य प्रयत्न के अनुसार केवल व्यंजनों के जो भेद हैं, वे आगे दिए जायँगे। (देखो 44वाँ अंक)।

स्वर

35. उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं

(1) मूल स्वर, (2) संधि स्वर।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(1) जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है,उन्हें **मूल स्वर (वा ह्रस्व)** कहते हैं। वे चार हैंअ, इ, उ और ऋ।

(2) मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर **संधि स्वर** कहलाते हैं; जैसेआ, ई, ए, ऐ, ओ, औ।

36. संधि स्वरों के दो भेद हैं

(1) दीर्घ और (2) संयुक्त।

(1) किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसे दीर्घ कहते हैं; जैसेअ + अ = आ, इ + इ = ई, उ + उ = ऊ, अर्थात् आ, ई, ऊ दीर्घ स्वर हैं।

(सू.ऋ + ऋ = ॠ; यह दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है।)

(2) भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसेअ + इ = ए, अ + उ = ओ, आ + ए = ऐ, आ + ओ = औ।

37. उच्चारण के **कालमान** के अनुसार स्वरों के दो भेद किए जाते हैंलघु और गुरु। उच्चारण के कालमान को मात्रा[1] कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं; जैसेअ, इ, उ, ऋ। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं; जैसेआ, ई, ए, ऐ, ओ, औ।

(सू. 1सब मूल स्वर लघु और सब सन्धि स्वर गुरु हैं।)

(सू. 2संस्कृत में प्लुत नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद माना जाता है; पर हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता। 'प्लुत' शब्द का अर्थ है 'उछलता हुआ'। प्लुत में तीन मात्राएँ होती हैं। वह बहुधा दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में आता है। उसकी पहचान दीर्घ स्वर के आगे तीन का अंक लिख देने से होती है, जैसेए! 3 लड़के ! 3, हूँ ! 3।)

38. जाति के अनुसार भी स्वरों के दो भेद हैं **असवर्ण** और **सवर्ण** अर्थात् सजातीय और विजातीय। समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सवर्ण कहते हैं। जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते, वे असवर्ण कहलाते हैं। अ, आ; परस्पर सवर्ण हैं। इसी प्रकार इ, ई तथा उ, ऊ सवर्ण हैं।

अ, इ, वा अ, ऊ अथवा इ, ऊ असवर्ण स्वर हैं।

(सू.ए, ऐ, ओ, औ इन संयुक्त स्वरों में परस्पर सवर्णता नहीं है; क्योंकि ये असवर्ण स्वरों से उत्पन्न हैं।)

39. उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद और हैं

(1) सानुनासिक और (2) निरनुनासिक।

---

1. हिंदी में 'मात्रा' शब्द के दो अर्थ हैंएक स्वरों का रूप (देखो 9वाँ अंक) दूसरा कालमान।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

यदि मुँह से पूरा श्वास निकाला जाय तो शुद्ध-निरनुनासिक-ध्वनि निकलती है, पर यदि श्वास का कुछ भी अंश नाक से निकाला जाय तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। अनुनासिक स्वर का चिह्न (ँ) चंद्रबिंदु कहलाता है; जैसेगाँव, ऊँचा। अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्रबिंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है; वह केवल अनुनासिक स्वर का चिह्न है। अनुनासिक व्यंजनों को कोई कोई नासिक्य और अनुनासिक स्वरों को केवल 'अनुनासिक' कहते हैं। कभी कभी यह शब्द चंद्रबिंदु का पर्यायवाचक भी होता है। (देखो 46वाँ अंक)

40. (क) हिंदी में अंत्य का उच्चारण प्रायः हल के समान होता है; जैसेगुण, रात, धन इत्यादि। इस नियम के कई अपवाद हैं

(1) यदि अकारांत शब्द का अंत्याक्षर संयुक्त हो, तो अंत्य का उच्चारण पूरा होता है; जैसेसत्य, इंद्र, गुरुत्व, सन्न, धर्म, अशक्त इत्यादि।

(2) इ, ई वा ऊ के आगे य हो, तो अंत्य अ का उच्चारण पूर्ण होता है; जैसेप्रिय, सीय, राजसूय, इत्यादि।

(3) एकाक्षरी अकारांत शब्दों के अंत्य अ का उच्चारण पूरा-पूरा होता है; जैसेन, व, र, इत्यादि।

(4) (क) कविता में अंत्य अ का पूर्ण उच्चारण होता है; जैसे'समाचार जब लक्ष्मण पाए', परंतु जब इस वर्ण पर यति[1] होती है; तब इसका उच्चारण बहुधा अपूर्ण होता है; जैसे'कुंद इंदु सम देह उमारमन करुणा अयन'।

(ख) दीर्घ स्वरांत त्र्यक्षरी शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकारांत हो तो उसका उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसेबकरा, कपड़े, करना, बोलना, तानना इत्यादि।

(ग) चार अक्षरों के ह्रस्व स्वरांत शब्दों में यदि दूसरा अक्षर अकारांत हो तो उसके अ का उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसेगड़बड़, देवधन, मानसिक, सुरलोक, कामरूप, बलहीन।

अपवाद यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अक्षर कोई उपसर्ग हो तो दूसरे अक्षर के अ का उच्चारण पूर्ण होता है; जैसेपुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित।

(घ) दीर्घ स्वरांत चार अक्षरी शब्दों में तीसरे अक्षर के अ का उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसेसमझना, निकलना, सुनहरी, कचहरी, प्रबलता।

(ङ) यौगिक शब्दों में मूल अवयव के अंत्य अ का उच्चारण आधा (अपूर्ण) होता है; जैसेदेवधन, सुरलोक, अन्नदाता, सुखदायक, शीतलता, मनमोहन, लड़कपन इत्यादि।

41. हिंदी में ऐ और औ का उच्चारण संस्कृत से भिन्न होता है। तत्सम शब्दों में इनका उच्चारण संस्कृत के ही अनुसार होता है; पर हिंदी में ऐ बहुधा अय् और औ बहुधा अव् के समान बोला जाता है; जैसे

---

1. विश्राम

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

संस्कृत ऐश्वर्य, सदैव, पौत्र, कौतुक इत्यादि।

हिंदी है, मैल, और चौथा इत्यादि।

(क) ए और ओ का उच्चारण कभी-कभी क्रमशः इ और ए तथा उ और ओ का मध्यवर्ती होता है; जैसे(इकट्ठा), एकट्ठा, मिहतर (मेहतर), उसीसा (ओसीसा), गुबरैला (गोबरैला)।

42. उर्दू और अँगरेजी के कुछ अक्षरों का उच्चारण दिखाने के लिए, अ, आ, इ, उ आदि स्वरों के साथ बिंदी और अर्धचंद्र लगाते हैं; जैसेइल्म, उम्र, लॉर्ड। इन चिह्नों का प्रचार सार्वदेशिक नहीं है और किसी भी भाषा में विदेशी उच्चारण पूर्ण रूप से प्रकट करना कठिन भी होता है।

व्यंजन

43. स्पर्श व्यंजनों के पाँच वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में पाँच-पाँच व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है; जैसे

क-वर्गक, ख, ग, घ, ङ।

च-वर्गच, छ, ज, झ, ञ।

ट-वर्गट, ठ, ड, ढ, ण।

त-वर्गत, थ, द, ध, न।

प-वर्गप, फ, ब, भ, म।

44. बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के दो भेद हैं

(1) अल्पप्राण और (2) महाप्राण।

जिन व्यंजनों में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उनको महाप्राण और शेष व्यंजनों को अल्पप्राण कहते हैं; स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म महाप्राण है; जैसेख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, ष, स, ह।

शेष व्यंजन अल्पप्राण हैं।

सब स्वर अल्पप्राण हैं।

(सू.अल्पप्राण अक्षरों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। ख, घ, छ आदि व्यंजनों के उच्चारण में उनके पूर्ववर्ती व्यंजनों के साथ हकार की ध्वनि मिली हुई सुनाई पड़ती है, अर्थात् ख = क् + ह, छ = च् + ह। उर्दू, अँगरेजी आदि भाषाओं में महाप्राण अक्षर ह मिलाकर बनाए गए हैं।)

45. हिंदी में ड और ढ के दो-दो उच्चारण होते हैं(1) मूर्धन्य (2) द्विस्पृष्ट।

(1) मूर्धन्य उच्चारण आगे लिखे स्थानों में होता है

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(क) शब्द के आदि में; जैसेडाक, डमरू, डग, ढम, ढिग, ढंग, ढोल, इत्यादि।

(ख) द्वित्व में, जैसेअड्डा, लड्डू, खड्ढा।

(ग) ह्रस्व स्वर के पश्चात् अनुनासिक व्यंजन के संयोग में; जैसेडंडा, पिंडी, चंडू, मंडप इत्यादि।

(2) द्विस्पृष्ट उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उलटाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। द्विस्पृष्ट उच्चारण बहुधा नीचे लिखे स्थानों में होता है

(क) शब्द के मध्य अथवा अंत में; जैसेसड़क, पकड़ना, आड़, गढ़, चढ़ाना इत्यादि।

(ख) दीर्घ स्वर के पश्चात् अनुनासिक व्यंजन के संयोग में दोनों उच्चारण बहुधा विकल्प से होते हैं; जैसेमूँडना, मूँड़ना, खाँड, खाँड़, मेढा, मेढ़ा इत्यादि।

46. ङ, ञ, ण, न, म का उच्चारण अपने-अपने स्थान और नासिका से किया जाता है। विशिष्ट स्थान से श्वास उत्पन्न कर उसे नाक के द्वारा निकालने से इन अक्षरों का उच्चारण होता है। केवल स्पर्श व्यंजनों के एक-एक वर्ग के लिए एक-एक अनुनासिक व्यंजन है, अंतस्थ और ऊष्म के साथ अनुनासिक व्यंजन का कार्य अनुस्वार से निकलता है। अनुनासिक व्यंजनों के बदले में विकल्प से अनुस्वार आता है; जैसेअङ्ग=अंग, कण्ठ=कंठ, चञ्चल=चंचल इत्यादि।

47. अनुस्वार के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन अथवा ह हो तो उसका उच्चारण दंततालव्य अर्थात् व के समान होता है; परंतु श, ष, स के साथ उसका उच्चारण बहुधा न् के समान होता है; जैसेसंवाद, संरक्षा, सिंह, अंश, हंस इत्यादि।

48. अनुस्वार (ं) और अनुनासिक (ँ) के उच्चारण में अंतर है, यद्यपि लिपि में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार ही का उपयोग किया जाता है (देखो 39वाँ अंक)। अनुस्वार दूसरे स्वरों अथवा व्यंजनों के समान एक अलग ध्वनि है; परंतु अनुनासिक स्वर की ध्वनि केवल नासिक्य है। अनुस्वार के उच्चारण में (देखो 46वाँ अंक) श्वास केवल नाक से निकलता है; पर अनुनासिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक ही साथ निकाला जाता है। अनुस्वार, तीव्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है, परंतु, दोनों के उच्चारण के लिए पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता होती है; जैसेरंग, रँग, कंबल, कुँवर, वेदांत, दाँत, हंस, हँसना इत्यादि।

49. संस्कृत शब्दों में अंत्य अनुस्वार का उच्चारण म् के समान होता है; जैसेवरं, स्वयं, एवं।

50. हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है; इसलिए अनुस्वार का अनुनासिक उच्चारण जानने के लिए कुछ नियम आगे दिए जाते हैं

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(1) ठेठ हिंदी शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है, उसका उच्चारण अनुनासिक होता है; जैसेमैं, में, गेहूं, जूं, क्यों।

(2) पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आनेवाले अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक होता है; जैसेकरूं, लड़कों, लड़कियां, हूं, हैं इत्यादि।

(3) दीर्घ स्वर के पश्चात् आनेवाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है; जैसेआंख, पांच, ईंधन; ऊंट, सांभर, सौंपना इत्यादि।

50. (क)लिखने में बहुधा अनुनासिक अ, आ, उ और ऊ में ही चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके कारण अक्षर के ऊपरी भाग में कोई मात्रा नहीं लगती; जैसेअँधेरा, हँसना, आँख, दाँत, ऊँचाई, कुँवर, ऊँट, करूँ इत्यादि। जब इ और ए अकेले आते हैं; तब उनमें चंद्रबिंदु और जब व्यंजन में मिलते हैं, तब चंद्रबिंदु के बदले में अनुस्वार ही लगाया जाता है; जैसेइँदारा, सिंचाई, संज्ञाएँ, ढेंकी इत्यादि।

(सू.जहाँ उच्चारण में भ्रम होने की सम्भावना हो वहाँ अनुस्वार और चंद्रबिंदु पृथक् लिखे जायँ; जैसेअँधेर (अन्धेर), अँधेरा, हंस (हन्स), हँस इत्यादि।)

51. **विसर्ग** (:) कंठ्य वर्ण है। इसके उच्चारण में ह के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुँह से एकदम छोड़ते हैं। अनुस्वार वा अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात् होता है। यह हकार की अपेक्षा कुछ धीमा बोला जाता है; जैसेदुःख, अंतःकरण, छिः, हः इत्यादि।

(सू.किसी-किसी वैयाकरण के मतानुसार विसर्ग का उच्चारण केवल हृदय में होता है, और मुख के अवयवों से उसका कोई संबंध नहीं रहता।)

52. संयुक्त व्यंजन के पूर्व ह्रस्व स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता है, जैसेसत्य, अड्डा, पत्थर इत्यादि। हिंदी में म्ह, न्ह, आदि का उच्चारण इसके विरुद्ध होता है, जैसेतुम्हारा, उन्हें, कुल्हाड़ी, सह्यो।

53. दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता; इसलिए उनके संयोग में पूर्व वर्ण अल्पप्राण ही रहता है; जैसेरक्खा, अच्छा, पत्थर इत्यादि।

54. उर्दू के प्रभाव से ज और फ का एक-एक और उच्चारण होता है। ज का दूसरा उच्चारण दंततालव्य और फ का दंतोष्ठ्य है। इन उच्चारणों के लिए अक्षरों के नीचे एक-एक बिंदी लगाते हैं, जैसेज़रूरत, फ़ुरसत इत्यादि। ज और फ से अँगरेजी के भी कुछ अक्षरों का उच्चारण प्रकट होता है, जैसेस्वेज, फीस इत्यादि।

55. हिंदी में ज्ञ का उच्चारण बहुधा 'ग्यँ' के सदृश होता है। महाराष्ट्री लोग इसका उच्चारण द्न्यँ के समान करते हैं। पर इसका शुद्ध उच्चारण प्रायः 'ज्यँ' के समान है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

चौथा अध्याय

स्वराघात

56. शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर (धक्का) लगता है, उसे स्वराघात कहते हैं। हिंदी में अपूर्णोच्चरित अ (दे. 40वाँ अंक) जिस अक्षर में आता है, उसके पूर्ववर्ती अक्षर के स्वर का उच्चारण कुछ लंबा होता है; जैसे'घर' शब्द में अंत्य 'अ' का उच्चारण अपूर्ण होता है, इसलिए उसके पूर्ववर्ती 'घ' के स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ करना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त व्यंजन के पहले के अक्षर पर (दे. 52 अंक) जोर पड़ता है; जैसे'पत्थर' शब्द में 'त्' और 'थ' के संयोग के कारण 'प' का उच्चारण आघात के साथ होता है। स्वराघात संबंधी कुछ नियम नीचे दिए जाते हैं

(क) यदि शब्द के अंत में अपूर्णोच्चरित अ आवे तो उपांत्य अक्षर पर जोर पड़ता है, जैसेघर, झाड़, सड़क इत्यादि।

(ख) यदि शब्द के मध्य भाग में अपूर्णोच्चरित अ आवे तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर आघात होता है; जैसेअनबन, बोलकर, दिन भर।

(ग) संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसेहल्ला, आज्ञा, चिंता इत्यादि।

(घ) विसर्गयुक्त अक्षर का उच्चारण झटके के साथ होता है; जैसेदुःख, अंतःकरण।

(च) यौगिक शब्दों में मूल अवयवों के अक्षरों का जोर जैसा का तैसा रहता है; जैसेगुणवान, जलमय, प्रेमसागर इत्यादि।

(छ) शब्द के आरंभ का अ कभी अपूर्णोच्चरित नहीं होता, जैसेघर, सड़क, कपड़ा, तलवार इत्यादि।

57. संस्कृत (वा हिंदी) शब्दों में इ, उ, वा, ऋ पूववर्ती स्वर का उच्चारण कुछ लम्बा होता हैजैसे हरि, साधु, समुदाय, धातु, पितृ, मातृ इत्यादि।

58. यदि शब्द के एक ही रूप से कई अर्थ निकलते हैं तो इन अर्थों का अंतर केवल स्वराघात से जाना जाता हैजैसे 'बढ़ा' शब्द विधिकाल और सामान्य भूतकाल, दोनों में आता है, इसलिए विधिकाल के अर्थ में 'बढ़ा' के अंत्य 'आ' पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार 'की' संबंधकारक की स्त्रीलिंग विभक्ति और सामान्य भूतकाल का स्त्रीलिंग एकवचन रूप है; इसलिए क्रिया के अर्थ में 'की' का उच्चारण आघात के साथ होता है।

(सू.हिंदी में संस्कृत के समान स्वराघात सूचित करने के लिए चिह्नों का उपयोग नहीं होता।)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

देवनागरी वर्णमाला का कोष्टक

	अघोष			घोष							
स्थान	स्पर्श		ऊष्म	ऊष्म	स्पर्श					स्वर	
	अल्पप्राण	महाप्राण	महाप्राण	महाप्राण	अल्पप्राण	महाप्राण	अल्पप्राण + (अनुनासिक)	अंतस्थ	ह्रस्व	दीर्घ	संयुक्त
कंठ	क	ख		ह	ग	घ	ङ		अ	आ	
तालु	च	छ	श		ज	झ	ञ	य	इ	ई	ए ऐ
मूर्धा	ट	ठ	ष		ड	ढ	ण	र	ऋ	ॠ	
दंत	त	थ	स		द	ध	न	ल			
ओष्ठ	प	फ			ब	भ	म	व	उ	ऊ	ओ औ
ड़, ढ़=द्विस्पृष्ट; ज=दंततालव्य फ=दंतोष्ठ्य।						स्थान + नासिका	1 दंत + ओष्ठ				2 कंठ+तालु 2 कंठ+ओष्ठ

पाँचवाँ अध्याय
संधि

59. दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि और संयोग में (दे. 18वाँ अंक) यह अंतर है कि संयोग में अक्षर जैसे के तैसे रहते हैं, परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है।

(सू.संधि का विषय संस्कृत व्याकरण से संबंध रखता है। संस्कृत भाषा में पदसिद्धि, समास और वाक्यों में संधि का प्रयोजन पड़ता है, परंतु हिंदी में संधि के नियमों से मिले हुए संस्कृत के जो सामासिक शब्द आते हैं, केवल उन्हीं के संबंध से इस विषय के निरूपण की आवश्यकता होती है।)

60. संधि तीन प्रकार की है(1) स्वर संधि, (2) व्यंजन संधि और (3) विसर्ग संधि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(1) दो स्वरों के पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसेराम + अवतार = राम् + अ + अवतार = राम् + अ + वतार = रामावतार।

(2) जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो उनकी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं; जैसेजगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

(3) विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं; जैसेतपः + वन = तपोवन, निः + अंतर = निरंतर।

स्वर संधि

61. यदि दो सवर्ण (सजातीय) स्वर पास-पास आवें तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर होता है, जैसे

(क) अ और आ की संधि

अ + अ = आकल्प + अंत = कल्पांत। परम + अर्थ = परमार्थ।
अ + आ = आरत्न + आकर = रत्नाकर। कुश + आसन = कुशासन।
आ + अ = आरेखा + अंश = रेखांश। विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास।
आ + आ = आमहा + आशय = महाशय। वार्ता + आलाप = वार्तालाप।

(ख) इ और ई की संधि

इ + इ = ईगिरि + इंद्र = गिरींद्र,। अभि + इष्ट = अभीष्ट।
इ + ई = ईकवि + ईश्वर = कवीश्वर। कपि + ईश = कपीश।
ई + ई = ईसती + ईश = सतीश। जानकी + ईश = जानकीश।
ई + इ = ईमही + इंद्र = महींद्र। देवी + इच्छा = देवीच्छा।

(ग) उ, ऊ की संधि

उ + उ = ऊभानु + उदय = भानूदय। विधु + उदय = विधूदय।
उ + ऊ = ऊसिंधु + ऊर्मि = सिंधूर्मि। लघु + ऊर्मि = लघूर्मि।
ऊ + ऊ = ऊभू + ऊर्द्ध = भूर्द्ध। भू + ऊर्जित = भूर्जित।
ऊ + उ = ऊवधू + उत्सव = वधूत्सव। भू + उद्धार = भूद्धार।

(घ) ऋ, ॠ की संधि

(घ) ऋ, के संबंध में संस्कृत व्याकरण में बहुधा मातृ + ऋण = मातृण, यह उदाहरण दिया जाता है; पर इस उदाहरण में भी विकल्प से 'मातृण' रूप होता है। इससे प्रकट है कि दीर्घ ॠ की आवश्यकता नहीं है।

62. यदि अ वा आ के आगे इ वा ई रहे तो दोनों मिलकर ए; उ वा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ; और ऋ रहे तो अर् हो जाता है। इस विकार को गुण कहते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

उदाहरण

अ + इ = एदेव + इंद्र = देवेंद्र।
अ + ई = एसुर + ईश = सुरेश।
आ + इ = एमहा + इंद्र = महेंद्र।
आ + ई = एरमा + ईश = रमेश।
अ + उ = ओचंद्र + उदय = चंद्रोदय।
अ + ऊ = ओसमुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि।
आ + उ = ओमहा + उत्सव = महोत्सव।
आ + ऊ = ओमहा + ऊरु = महोरु।
अ + ऋ = अर्सप्त + ऋषि = सप्तर्षि।
आ + ऋ = अर्महा + ऋषि = महर्षि।

अपवाद स्व + ईर = स्वैर; अक्ष + ऊहिनी = अक्षौहिणी, प्र + ऊढ़ = प्रौढ़; सुख + ऋत = सुखार्त; दश + ऋण = दशार्ण इत्यादि।

63. अकार व आकार के आगे ए वा ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ और ओ वा औ रहे तो दोनों मिलकर औ होता है। इस विकार को वृद्धि कहते हैं। यथा

अ + ए = ऐएक + एक = एकैक।
अ + ऐ = ऐमत + ऐक्य = मतैक्य।
आ + ए = ऐसदा + एव = सदैव।
आ + ऐ = ऐमहा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य।
अ + ओ = औजल + ओघ = जलौघ।
आ + ओ = औमहा + ओज = महौज।
अ + औ = औपरम + औषध = परमौषध।
आ + औ = औमहा + औदार्य = महौदार्य।

अपवादअ अथवा आ के आगे ओष्ठ शब्द आवे तो विकल्प से ओ अथवा औ होता है; जैसेबिंब + ओष्ठ = बिंबोष्ठ; वा बिंबौष्ठ; अधर + ओष्ठ = अधरोष्ठ वा अधरौष्ठ।

64. ह्रस्व वा दीर्घ इकार, उकार वा ऋकार के आगे कोई असवर्ण (विजातीय) स्वर आवे तो इ ई के बदले य्, उ ऊ के बदले व् और ऋ के बदले र् होता है। इस विकार को यण् कहते हैं। जैसे

(क) इ + अ = यदि + अपि = यद्यपि।
इ + आ = याइति + आदि = इत्यादि।
इ + उ = युप्रति + उपकार = प्रत्युपकार।
इ + ऊ = यूनि + ऊन = न्यून।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

इ + ए = येप्रति + एक = प्रत्येक।
ई + अ = यनदी + अर्पण = नद्यर्पण।
ई + आ = यादेवी + आगम = देव्यागम।
ई + उ = युसखी + उचित = सख्युचित।
ई + ऊ = यूनदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि।
ई + ऐ = यैदेवी + ऐश्वर्य = देव्यैश्वर्य।
(क) उ + अ = वमनु + अंतर = मन्वंतर।
उ + आ = वासु + आगत = स्वागत।
ऊ + इ = विअनू + इत = अन्वित।
ऊ + ए = वेअनु + एषण = अन्वेषण।
(ख) ऋ + अ = रपितृ + अनुमति = पित्रनुमति।
ऋ + आ = रामातृ + आनंद = मात्रानंद।

65. ए, ऐ, ओ वा औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अय्, आय्, अव् वा आव होता है; जैसे

ने + अन = न् + ए + अ + न = न् + अय् + अन = नयन।
गै + अन = ग् + ऐ + अ + न = ग् + आय् + अ + न् = गायन।
गो + ईश = ग् + ओ + ईश = ग् + अव् + इ् + श = गवीश।
नौ + इक = न् + औ + इ + क = न् + आव् + इ + क = नाविक।

66. ए वा ओ के आगे अ आवे तो अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान में लुप्त आकार (ऽ) का चिह्न कर देते हैं; जैसे

ते + अपि = तेऽपि (राम.);
सो + अनुमान = सोऽनुमान (हिं. ग्रंथ),
यो + असि = योऽसि (राम.)।
(सू.हिंदी में इस संधि का प्रचार नहीं है।)

व्यंजन संधि

67. क्, च्, ट्, प् के आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो तो उसके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है; जैसे

दिक् + गज = दिग्गज; वाक् + ईश = वागीश।
षट् + रिपु = षड्रिपु; षट् + आनन = षडानन।
अप् + ज = अब्ज; अच् + अंत = अजंत।

68. किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है; जैसे

वाक् + मय = वाङ्मय; षट् + मास = षण्मास।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अप् + मय = अम्मय; जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

69. त के आगे कोई स्वर ग, घ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, व रहे तो त् के स्थान में द् होगा; जैसे

सत् + आनंद = सदानंद; जगत् + ईश = जगदीश।

उत् + गम = उद्गम; सत् + धर्म = सद्धर्म।

भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति, तत् + रूप = तद्रूप।

70. त् वा द् के आगे च वा छ हो तो त् वा द् के स्थान में च होता है; ज झ हो तो ज्; ट वा ठ हो तो ट्; ड वा ढ हो तो ड्; और ल हो तो ल् हो जाता है।

उत् + चारण = उच्चारण; शरत् + चन्द्र = शरच्चंद्र।

महत् + छत्र = महच्छत्र; सत् + जन = सज्जन।

विपद् + जाल = विपज्जाल; तत् + लीन = तल्लीन।

71. त् वा द् के आगे श हो तो त् वा द् के बदले च् और श के बदले छ होता है और त् वा द् के आगे ह हो तो त् वा द् के स्थान में द् और ह के स्थान में ध होता है; जैसे

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र; उत् + हार = उद्धार।

72. छ के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले च्छ होता है; जैसे

आ + छादन = आच्छादन; परि + छेद = परिच्छेद।

73. म् के आगे स्पर्श वर्ण हो तो म् के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है; जैसे

सम् + कल्प = संकल्प वा सङ्कल्प।

किम् + चित् = किंचित् वा किञ्चित्।

सम् + तोष = संतोष वा सन्तोष।

सम् + पूर्ण = संपूर्ण वा सम्पूर्ण।

74. म् के आगे अंतस्थ वा ऊष्म वर्ण हो तो म् अनुस्वार में बदल जाता है; जैसे

किम् + वा = किंवा; सम् + हार = संहार।

सम् + योग = संयोग; सम् + वाद = संवाद।

अपवादसम् + राज् = सम्राज् (ट्)।

75. ऋ, र वा ष के आगे न हो और इनके बीच में चाहे स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार, य, व, ह आवे तो न का ण हो जाता है; जैसे

भर् + अन = भरण; भूष् + अन = भूषण।

प्र + मान = प्रमाण, राम + अयन = रामायण।

तृष् + ना = तृष्णा; ऋ + न = ऋण।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

76. यदि किसी शब्द के आद्य स के पूर्व अ, आ को छोड़ कोई स्वर आवे तो स के स्थान पर ष होता है; जैसे

अभि + सेक = अभिषेक; नि + सिद्ध = निषिद्ध।

वि + सम = विषम; सु + सुप्ति = सुषुप्ति।

(अ) जिस संस्कृत धातु में पहले स हो और उसके पश्चात् ऋ वा र् उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर ष नहीं होता; जैसे

वि + स्मरण (स्मृधातु) = विस्मरण।

अनु + सरण (सृधातु) = अनुसरण।

वि + सर्ज (सृजधातु) = विसर्ग।

77. यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अंत में न् हो तो उसका लोप होता है; जैसे

राजन् + आज्ञा = राजाज्ञा, हस्तिन् + दंत = हस्तिदंत।

प्राणिन् + मात्र = प्राणिमात्र, धनिन् + त्व = धनित्व।

(अ) अहन् शब्द के आगे कोई भी वर्ण आवे तो अंत्य न् के बदले र् होता है; पर रात्रि, रूप शब्द के आने से न का उ होता है; और संधि के नियमानुसार अ + उ मिलकर ओ हो जाता है; जैसे

अहन् + गण = अहर्गण, अहन् + मुख = अहर्मुख।

अहन् + रात्र = अहोरात्र, अहन् + रूप = अहोरूप।

विसर्ग संधि

78. यदि विसर्ग के आगे च वा छ हो तो विसर्ग का श् हो जाता है, ट वा ठ हो तो ष्; और त वा थ हो तो स् होता है, जैसे

निः + चल = निश्चल, धनुः + टंकार = धनुष्टंकार।

निः + छिद्र = निश्छिद्र, मनः + ताप = मनस्ताप।

79. विसर्ग के पश्चात् श, ष, वा स आवे तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है, अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है; जैसे

दुः + शासन = दुःशासन वा दुश्शासन।

निः + संदेह = निःसंदेह वा निस्संदेह।

80. विसर्ग के आगे क, ख, वा प, फ आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, जैसे

रजः + कण = रजःकण, पय + पान = पयःपान (हि.पयपान)।

(अ) यदि विसर्ग के पूर्व इ वा उ हो तो क, ख वा प, फ के पहले विसर्ग के बदले ष् होता है, जैसे

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

निः + कपट = निष्कपट, दुः + कर्म = दुष्कर्म।

निः + फल = निष्फल, दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति।

अपवाददुः + ख = दुःख, निः + पक्ष = निःपक्ष वा निष्पक्ष।

(आ) कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले स आता है, जैसे

नमः + कार = नमस्कार, पुरः + कार = पुरस्कार।

भाः + कर = भास्कर, भाः + पति = भास्पति।

81. यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे घोष व्यंजन हो तो अ और विसर्ग (अः) के बदले ओ हो जाता है, जैसे

अधः + गति = अधोगति, मनः + योग = मनोयोग।

तेजः + राशि = तेजोराशि, वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध।

(सू.वनोवास और मनोकामना शब्द अशुद्ध हैं।)

(ख) यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे भी अ हो तो ओ के पश्चात् दूसरे अ का लोप हो जाता है, और उसके बदले लुप्त अकार का चिह्न ऽ कर देते हैं (दे. 66वाँ अंक); जैसे

प्रथम + अध्याय = प्रथमोऽध्याय।

मनः + अनुसार = मनोऽनुसार।

82. यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और आगे कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान में र् होता है; जैसे

निः + आशा = निराशा; दुः + उपयोग = दुरुपयोग।

निः + गुण = निर्गुण; बहि + मुख = बहिर्मुख।

(च) यदि र के आगे र हो तो र् का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है; जैसे

निः + रस = नीरस; निः + रोग = नीरोग

पुनर् + रचना = पुनारचना (हि.पुनर्रचना)।

83. यदि अकार के आगे विसर्ग हो और उसके आगे अ को छोड़कर कोई और स्वर हो, तो विसर्ग का लोप जाता है और पास आए हुए स्वरों की फिर संधि नहीं होती; जैसे

अतः + एव = अतएव।

84. अंत्य स् के बदले विसर्ग हो जाता है; इसलिए विसर्ग संबंधी पूर्वोक्त नियम स् के विषय में भी लगता है। ऊपर दिए हुए विसर्ग के उदाहरणों में ही कहीं-कहीं मूल स् हैं; जैसे

अधस् + गति = अधः + गति = अधोगति।

निस् + गुण = निः + गुण = निर्गुण।

तेजस् + पुंज = तेजः + पुंज = तेजोपुंज।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

यशस् + दा = यशः + दा = यशोदा।

85. अंत्य र् के बदले भी विसर्ग होता है। यदि र् के आगे अघोष वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता (वे. 79वाँ अंक); और उनके आगे घोष वर्ण आवे तो र् ज्यों का त्यों रहता है (दे. 82वाँ अंक); जैसे

प्रातर + काल = प्रातःकाल।

अंतर + करण = अंतःकरण।

अंतर + पुर = अंःतपुर।

पुनर + उक्ति = पुनरुक्ति।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दूसरा भाग

शब्दसाधन

पहला परिच्छेद

शब्द भेद

पहला अध्याय

शब्दविचार

86. शब्दसाधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं, जिसमें शब्दों के भेद (तथा उनके प्रयोग), रूपांतर और व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है।

87. एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसेलड़का, जा, छोटा, में, धीरे, परंतु इत्यादि।

(अ) शब्द अक्षरों से बनते हैं। 'न' और 'थ' के मेल के 'नथ' और 'थन' शब्द बनते हैं और यदि इनमें 'आ का योग कर दिया जाय तो 'नाथ', 'थान', 'नथा', 'थाना' आदि शब्द बन जायँगे।

(आ) सृष्टि के सम्पूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों और उनके सब प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग होता है। एक शब्द से (एक समय में) प्रायः एक ही भावना प्रकट होती है; इसलिए कोई भी पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए एक से अधिक शब्दों का काम पड़ता है। 'आज तुझे क्या सूझी है?'यह एक पूर्ण विचार अर्थात् वाक्य है और इसमें पाँच शब्द हैंआज, तुझे, क्या, सूझी, है। इनमें से प्रत्येक शब्द एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है और उससे कोई एक भावना प्रकट होती है।

(इ) ल, ड़, का अलग-अलग शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी प्राणी, पदार्थ, धर्म वा उनके परस्पर संबंध का कोई बोध नहीं होता।

'ल, ड़, का अक्षर कहाते हैं'इस वाक्य में ल, ड़, का, अक्षरों का प्रयोग शब्दों के समान हुआ है; परंतु इनसे इन अक्षरों के सिवा और कोई भावना प्रकट नहीं होती। इन्हें केवल एक विशेष (पर तुच्छ) अर्थ में शब्द कह सकते हैं। पर साधारण अर्थ में इनकी गणना शब्दों में नहीं हो सकती। ऐसे ही विशेष अर्थ में निरर्थक ध्वनि भी शब्द कही जाती है; जैसेलड़का 'बा' कहता है। पागल 'अल्लबल्ल' बकता था।

(ई) शब्द के लक्षण में 'स्वतंत्र' शब्द रखने का कारण यह है कि भाषा में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो स्वयं सार्थक नहीं होतीं, पर जब वे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं तब सार्थक होती हैं। ऐसी परतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं; जैसेता,

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

तन, वाला, ने, का इत्यादि। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे **उपसर्ग** कहते हैं और जो शब्दांश शब्द के पीछे जोड़ा जाता है; वह प्रत्यय कहलाता है; जैसे'अशुद्धता' शब्द में 'अ' उपसर्ग और 'ता' प्रत्यय है। मुख्य शब्द 'शुद्ध' है।

सू.(अ) हिंदी में 'शब्द' का अर्थ बहुत ही संदिग्ध है। 'अब तो तुम्हारी चाही बात हुईइस वाक्य में तुम्हारी' भी शब्द कहलाता है, और जिस 'तुम' से यह शब्द बना है, वह 'तुम' भी शब्द कहलाता है। इसी प्रकार 'मन' और 'चाही' दो अलग-अलग शब्द हैं और दोनों मिलकर 'मनचाही' एक शब्द बना है। इन उदाहरणों में 'शब्द' का प्रयोग अलग-अलग अर्थों में हुआ है, इसलिए शब्द का ठीक अर्थ जानना आवश्यक है। जिन प्रत्ययों के पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं लगते, उन्हें चरम प्रत्यय कहते हैं, और चरम प्रत्यय लगने के पहले शब्द का जो मूल रूप होता है यथार्थ में वही शब्द है। उदाहरण के लिए 'दीनता से' शब्द को लो। इसमें मूल शब्द अर्थात् प्रकृति 'दीन' है और प्रकृति में 'तत्' और 'से' दो प्रत्यय लगे हैं। 'ता' प्रत्यय के पश्चात् 'से' प्रत्यय आता है; परंतु 'से' के पश्चात् कोई दूसरा प्रत्यय नहीं लग सकता, इसलिए 'से' के पहले, 'दीनता' मूल रूप है और इसको शब्द कहेंगे। चरम प्रत्यय लगने से शब्द का जो रूपांतर होता है, वही इसकी यथार्थ विकृति है, और इसे पद कहते हैं। व्याकरण में शब्द और पद का अंतर बड़े महत्त्व का है और शब्दसाधन में इन्हीं शब्दों और पदों का विचार किया जाता है।

(अ)व्याकरण में शब्द और वस्तु [1] के अंतर पर ध्यान रखना आवश्यक है। यद्यपि व्याकरण का प्रधान विषय शब्द है, तथापि कभी-कभी यह भेद बताना कठिन हो जाता है कि हम केवल शब्दों का विचार कर रहे हैं अथवा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के विषय में कह रहे हैं। मान लो कि हम सृष्टि में एक घटना देखते हैं और तत्संबंधी अपना विचार वाक्यों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं'माली फल तोड़ता है।' इस घटना में तोड़ने की क्रिया करनेवाला (कर्ता) माली है; परंतु वाक्य में 'माली' (शब्द) को कर्ता कहते हैं यद्यपि 'माली' (शब्द) कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसी प्रकार तोड़ना क्रिया का फल फूल (वस्तु) पर पड़ता है; परंतु व्याकरण के अनुसार वह फल 'फूल' (शब्द) पर अवलंबित माना जाता है। व्याकरण में वस्तु और उसके वाचक शब्द के संबंध का विचार शब्दों के रूप, अर्थ, प्रयोग और उनके परस्पर संबंध से किया जाता है।

88. परस्पर संबंध रखनेवाले दो या अधिक शब्दों को, जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती, **वाक्यांश** कहते हैं; जैसे'घर का घर', 'सच बोलना', 'दूर से आया हुआ' इत्यादि।

89. एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्दसमूह **वाक्य** कहलाता है, जैसे'लड़के फूल बीन रहे हैं', 'विद्या से नम्रता प्राप्त होती है' इत्यादि।

---

1. वस्तु शब्द से यहाँ प्राणी, पदार्थ, धर्म और उनके परस्पर संबंध का (व्यापक) अर्थ लेना चाहिए।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दूसरा अध्याय
शब्दों का वर्गीकरण

90. किसी वस्तु के विषय में मनुष्य की भावनाएँ जितने प्रकार की होती हैं, उन्हें सूचित करने के लिए शब्दों के उतने ही भेद होते हैं और उनके उतने ही रूपांतर भी होते हैं।

मान लो कि हम पानी के विषय में विचार करते हैं, तो हम 'पानी' या उसके और किसी समानार्थक शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर यदि हम पानी के संबंध में कुछ कहना चाहें तो हमें 'गिरा' या कोई दूसरा शब्द कहना पड़ेगा। 'पानी' और 'गिरा' दो अलग-अलग प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि उनका प्रयोग अलग-अलग है। 'पानी' शब्द एक पदार्थ का नाम सूचित करता है और 'गिरा' शब्द से हम उस पदार्थ के विषय में कुछ **विधान** करते हैं। व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करनेवाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और उस पदार्थ के विषय में विधान करनेवाले शब्द को **क्रिया** कहते हैं। 'पानी' शब्द **संज्ञा** और 'गिरा' शब्द **क्रिया** है।

'पानी' शब्द के साथ हम दूसरे शब्द लगाकर एक दूसरा ही विचार प्रकट कर सकते हैं; जैसे'मैला पानी बहा'। इस वाक्य में 'पानी' शब्द तो पदार्थ का नाम है और 'बहा' शब्द पानी के विषय में विधान करता है, परंतु 'मैला' शब्द न तो किसी पदार्थ का नाम सूचित करता है और न किसी पदार्थ के विषय में विधान ही करता है। 'मैला' शब्द पानी की विशेषता बताता है, इसलिए वह एक अलग ही जाति का शब्द है। पदार्थ की विशेषता बतलानेवाले शब्द को व्याकरण में **विशेषण** कहते हैं। 'मैला' शब्द विशेषण है। 'मैला पानी अभी बहा'इस वाक्य में 'अभी' शब्द न संज्ञा है, न क्रिया और न विशेषण, वह 'बहा' क्रिया की विशेषता बतलाता है, इसलिए वह एक दूसरी ही जाति का शब्द है और उसे **क्रिया-विशेषण** कहते हैं। इसी तरह वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के और भी भेद होते हैं।

91. प्रयोग के अनुसार शब्दों की भिन्न-भिन्न जातियों को **शब्दभेद** कहते हैं। शब्दों की भिन्न-भिन्न जातियाँ बताना उनका **वर्गीकरण** कहलाता है।

अपने विचार प्रकट करने के लिए हमें भिन्न-भिन्न भावनाओं के अनुसार एक शब्द को बहुधा कई रूपों में कहना पड़ता है।

मान लो कि हमें 'घोड़ा' शब्द का प्रयोग करके उसके वाच्य प्राणी की **संख्या** का बोध कराना है तो हम यह घुमाव की बात न कहेंगे कि **घोड़ा** नाम के दो या अधिक जानवर, किंतु 'घोड़ा' शब्द के अंत्य 'आ' के बदले 'ए' करके 'घोड़े' शब्द का प्रयोग करेंगे। 'पानी गिरा' इस वाक्य में यदि हम 'गिरा' शब्द से किसी और

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

काल (समय) का बोध कराना चाहें तो हमें गिरा के बदले 'गिरेगा' या 'गिरता है' कहना पड़ेगा। इसी प्रकार और और शब्दों के भी **रूपांतर** होते हैं।

शब्द के अर्थ में हेर-फेर करने के लिए उस (शब्द) के रूप में जो हेर-फेर होता है, उसे **रूपांतर** कहते हैं

92. एक पदार्थ के नाम के संबंध से बहुधा दूसरे पदार्थों के नाम रखे जाते हैं, इसलिए एक शब्द से कई नए शब्द बनते हैं; जैसे'दूध से दूधवाला', 'दुधार', 'दुधिया' इत्यादि। कभी-कभी दो या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है; जैसेगंगाजल, चौकोन, रामपुर, त्रिकालदर्शी इत्यादि।

एक शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं।

93. वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद होते हैं

(1) वस्तुओं के नाम बतानेवाले शब्द.....संज्ञा।

(2) वस्तुओं के विषय में विधान करनेवाले शब्द.....क्रिया।

(3) वस्तुओं की विशेषता बतानेवाले शब्द.....विशेषण।

(4) विधान करनेवाले शब्दों की विशेषता बतानेवाले शब्द.....क्रियाविशेषण।

(5) संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द.....सर्वनाम।

(6) क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करनेवाले शब्द.....संबंधसूचक।

(7) दो शब्दों वा वाक्यों को मिलानेवाले। शब्द.....समुच्चयबोधक।

(8) केवल मनोविकार सूचित करनेवाले शब्द.....विस्मयादिबोधक।

(क) नीचे लिखे वाक्यों में आठों शब्दभेदों के उदाहरण दिए जाते हैं

'अरे! सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो!'

'अरे';विस्मयादिबोधक है। यह शब्द केवल मनोविकार सूचित करता है। (यदि हम इस शब्द को वाक्य से निकाल दें तो वाक्य के अर्थ में कुछ भी अंतर न पड़ेगा।)

सूरजसंज्ञा है; क्योंकि यह शब्द एक वस्तु का नाम सूचित करता है।

डूब गयाक्रिया है; क्योंकि इस शब्द से हम सूरज के विषय में विधान करते हैं।

औरसमुच्चयबोधक है। यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है।

(1) सूरज डूब गया।

(2) तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो।

तुमसर्वनाम है; क्योंकि वह नाम के बदले आया है।

अभीक्रियाविशेषण है और 'फिर रहे हो' क्रिया की विशेषता बतलाता है।

इसीविशेषण है; क्योंकि वह गाँव की विशेषता है।

गाँवसंज्ञा है।

केशब्दांश (प्रत्यय) है, क्योंकि वह 'गाँव' शब्द के साथ आकर सार्थक होता है।

पाससंबंधसूचक है। यह शब्द 'गाँव' का संबंध 'फिर रहे हो' क्रिया से मिलाता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

फिर रहे होक्रिया है।

94. रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं(1) विकारी, (2) अविकारी।

(1) जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है, उसे **विकारी** शब्द कहते हैं। जैसे लड़कालड़के, लड़कों, लड़की इत्यादि।

देखदेखना, देखा, देखूँ, देखकर इत्यादि।

(2) जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता, उसे **अविकारी** शब्द या **अव्यय** कहते हैं; जैसेपरंतु, अचानक, बिना, बहुधा, साथ इत्यादि।

95. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, और क्रिया-विशेषण, संबंधसूचक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द वा अव्यय हैं।

(टि.हिंदी के अनेक व्याकरणों में संस्कृत की चाल पर शब्दों के तीन भेद माने गए हैं(1) संज्ञा, (2) क्रिया, (3) अव्यय। संस्कृत में प्रातिपदिक [1], धातु और अव्यय के नाम से शब्दों के तीन भेद माने गए हैं, और ये भेद शब्दों के रूपांतर के आधार पर किए गए हैं। व्याकरण में मुख्यतः रूपांतर ही का विचार किया जाता है; परंतु जहाँ शब्दों के केवल रूपों से उनका परस्पर संबंध प्रकट नहीं होता वहाँ उनके प्रयोग वा अर्थ का भी विचार किया जाता है : संस्कृत रूपांतरशील भाषा है; इसलिए उसमें शब्दों का प्रयोग वा अर्थ बहुधा उनके रूपों ही से जाना जाता है। यही कारण है कि संस्कृत के शब्दों के उतने भेद नहीं माने गए, जितने अँगरेजी में और उसके अनुसार हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में माने जाते हैं। हिंदी के शब्द के रूप से उसका अर्थ वा प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता; क्योंकि वह संस्कृत के समान पूर्णतया रूपांतरशील भाषा नहीं है। हिंदी के कभी-कभी बिना रूपांतर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न शब्दभेदों में होता है; जैसेवे लड़के साथ खेलते हैं (क्रियाविशेषण)। लड़का बाप के साथ गया (संबंधसूचक)। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता (संज्ञा)। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिंदी में संस्कृत के समान केवल रूप के आधार पर शब्दभेद मानने से उनका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सकता। हिंदी में कोई-कोई वैयाकरण शब्दों के केवल पाँच भेद मानते हैंसंज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। वे लोग अव्ययों के भेद नहीं मानते और उनमें भी विस्मयादिबोधक को शामिल नहीं करते। जो लोग शब्दों के केवल तीन भेद (संज्ञा, क्रिया और अव्यय) मानते हैं, उनमें से कोई-कोई भेदों के उपभेद मानकर शब्दभेदों की संख्या तीन से अधिक कर देते हैं। किसी-किसी के मत में उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्द हैं और वे इनकी गणना अव्ययों में करते हैं। इस प्रकार शब्दभेदों की संख्या में बहुत मतभेद हैं।)

1. विभक्ति (प्रत्यय) लगने के पूर्व संज्ञा, सर्वनाम वा विशेषण का मूल रूप।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अँगरेजी में भी (जिसके अनुसार हिंदी में आठ शब्दभेद मानने की चाल पड़ी है) इसके विषय में वैयाकरण एकमत नहीं। उन लोगों में किसी ने दो, किसी ने आठ और किसी ने नौ तक भेद माने हैं। इस मतभेद का कारण यह है कि ये वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर नहीं किए गए। कुछ विद्वानों ने इन शब्द भेदों को तर्कसम्मत आधार देने की चेष्टा की है, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है

(1) भावनात्मक शब्द

(1) वाक्य का उद्देश्य होनेवाले शब्द.....संज्ञा।
(2) विधेय होनेवाले शब्द.....क्रिया।
(3) संज्ञा का धर्म बतानेवाले शब्द.....विशेषण।
(4) क्रिया का धर्म बतानेवाले शब्द.....क्रियाविशेषण।

(2) संबंधात्मक शब्द

(5) संज्ञा का संबंध वाक्य से बतानेवाले शब्द..... संबंधसूचक।
(6) वाक्य का संबंध वाक्य से बतानेवाले शब्द..... समुच्चयबोधक।
(7) अप्रधान (परंतु उपयोगी) शब्दभेद..... सर्वनाम।
(8) अव्याकरणीय उद्‌गार.....विस्मयादिबोधक।

(शब्दों के जो आठ भेद अँगरेजी भाषा के वैयाकरणों ने किए हैं, वे निरे अनुमानमूलक नहीं हैं। भाषा में उन अर्थों के शब्दों की आवश्यकता होती है और प्रायः प्रत्येक उन्नत भाषा में आप ही आप उनकी उत्पत्ति होती है। भाषाशास्त्रियों में यह सिद्धांत सर्वसम्मत है कि किसी भी भाषा में शब्दों के आठ भेद होते हैं। यद्यपि इन भेदों में तर्कसम्मत वर्गीकरण के नियमों का पूरा पालन नहीं हो सकता और इनके लक्षण पूर्णतया निर्दोष नहीं हो सकते, तथापि व्याकरण के ज्ञान के लिए इन्हें जानने की आवश्यकता होती है। व्याकरण के द्वारा विदेशी भाषा सीखने में इन भेदों के ज्ञान से बड़ी सहायता मिलती है। वर्गीकरण का उद्देश्य यही है कि किसी भी विषय की बात जानने में स्मरणशक्ति को सहायता मिले। इसीलिए विशेष धर्मों के आधार पर पदार्थों के वर्ग किए जाते हैं।

किसी-किसी का मत है कि हिंदी में अँगरेजी व्याकरण की 'छूत' न घुसनी चाहिए। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हिंदी से संस्कृत का संबंध नहीं टूट सकता, उसी प्रकार अँगरेजी से उसका वर्तमान संबंध टूटना, इष्ट होने पर भी, शक्य नहीं। अँगरेज लोगों ने अपने सूक्ष्म विचार और दीर्घ उद्योग से ज्ञान की

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

प्रत्येक शाखा में जो समुन्नति की है, उसे हम लोग सहज ही में नहीं भुला सकते। यदि संस्कृत में शब्दों के आठ भेद नहीं माने गए हैं, तो हिंदी में उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से मानने में कोई हानि नहीं, किंतु लाभ ही है।

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब हम संस्कृत के अनुसार शब्दभेद नहीं मानते तब फिर संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर यह है कि ये शब्द हिंदी में प्रचलित हैं और हम लोगों को इनका हिंदी अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए बिना किसी विशेष कारण के प्रचलित शब्दों का त्याग उचित नहीं। किसी-किसी पुस्तक में 'संज्ञा' के लिए 'नाम' और 'सर्वनाम' के लिए 'संज्ञाप्रतिनिधि' शब्द आए हैं और कोई-कोई लोग 'अव्यय' के लिए 'निपात' शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु प्रचलित शब्दों को इस प्रकार बदलने से गड़बड़ के सिवा कोई लाभ नहीं। इस पुस्तक में अधिकांश पारिभाषिक शब्द 'भाषाभास्कर' से लिए गए हैं, क्योंकि निर्दोष न होने पर भी वह पुस्तक बहुत दिनों से प्रचलित है और उसके पारिभाषिक शब्द हम लोगों के लिए नए नहीं हैं।)

96व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं(1) रूढ़, (2) यौगिक।

(1) **रूढ़** उन शब्दों को कहते हैं, जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने; जैसेनाक, कान, पीला, झट, पर इत्यादि।

(2) जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें **यौगिक** शब्द कहते हैं; जैसे कतरनी, पीलापन, दूधवाला, झटपट, घुड़साल इत्यादि।

(सू.यौगिक शब्दों में ही **सामासिक** शब्दों का समावेश होता है।)

अर्थ के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद **योगरूढ़** कहाता है, जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है; जैसेलम्बोदर, गिरिधारी, जलद, पंकज इत्यादि। 'पंकज' शब्द के खंडों (पंक+ज) का अर्थ 'कीचड़ से उत्पन्न' है, पर उससे केवल कमल का विशेष अर्थ लिया जाता है।

(सू.हिंदी व्याकरण की कई पुस्तकों में ये सब भेद केवल संज्ञाओं के माने गए हैं और उनमें उपसर्गयुक्त संज्ञाओं के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। हिंदी में यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं और उनमें संज्ञाओं के सिवा दूसरे शब्दभेद भी आते हैं (दे. 198वाँ अंक)।

इस विषय का सविस्तृत विवेचन दूसरे भाग के आरंभ में शब्दसाधन के व्युत्पत्ति प्रकरण में किया जायगा।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पहला खंड

विकारी शब्द

पहला अध्याय

संज्ञा

97. संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो, जैसेघर, आकाश, गंगा, देवता, अक्षर, बल, जादू इत्यादि।

(क) इस लक्षण में 'वस्तु' शब्द का उपयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया गया है। वह केवल प्राणी और पदार्थ ही का वाचक नहीं है, किंतु उनके धर्मों का भी वाचक है। साधारण भाषा में 'वस्तु' शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं होता, परंतु शास्त्रीय ग्रंथों में व्यवहृत शब्दों का अर्थ कुछ घटा-बढ़ाकर निश्चित कर लेना चाहिए जिससे उसमें कोई संदेह न रहे।

(टि.व्याकरण में दिए हुए सब लक्षण तर्कसम्मत रीति से किए हुए नहीं जान पड़ते; इसलिए यहाँ तर्कसम्मत लक्षणों के विषय में संक्षेपतः कुछ कहने की आवश्यकता है। किसी भी पद का लक्षण कहने में दो बातें बतानी पड़ती हैं(1) जिस जाति में उस पद का समावेश होता है, वह **जाति;** और (2) लक्ष्य पद का असाधारण धर्म, अर्थात् लक्ष्य पद के अर्थ को उस जाति की अन्य उपजातियों के अर्थ से अलग करने वाला **धर्म**। किसी शब्द का अर्थ समझाने के कई उपाय हो सकते हैं, पर उन सबको लक्षण नहीं कह सकते। जिस लक्षण में लक्ष्य पद स्पष्ट अथवा गुप्त रीति से आता है वह शुद्ध लक्षण नहीं है। इसी प्रकार एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के द्वारा बताना (अर्थात् उसका पर्यायवाची शब्द कहना) भी उस शब्द का लक्षण नहीं। यदि हम संज्ञा का न्यायोक्त लक्षण कहना चाहें तो हमें उसकी जाति और असाधारण धर्म बताना चाहिए। जिस अधिक व्यापक वर्ग में संज्ञा का समावेश होता है, वही उसकी **जाति** है, और उस जाति की दूसरी उपजातियों से संज्ञा के अर्थ में जो भिन्नता है, वही उसका **असाधारण** धर्म है। संज्ञा का समावेश विकारी शब्दों में है; इसीलिए 'विकारी शब्द' संज्ञा की जाति है और 'प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित करना' उसका असाधारण धर्म है। जो विकारी शब्द की उपजातियों, अर्थात् सर्वनाम, विशेषण आदि में नहीं पाया जाता। इसलिए ऊपर कही हुई संज्ञा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

की परिभाषा, न्यायदृष्टि से स्वीकरणीय है। लक्षण में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष न होने चाहिए। जब लक्ष्य पद के असाधारण धर्म के बदले किसी ऐसे धर्म का उल्लेख किया जाता है जो उसकी जाति के सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, तब लक्षण में अव्याप्ति दोष होता है, जैसेयदि मनुष्य के लक्षण में यह कहा जाए कि 'मनुष्य वह विवेकी प्राणी है, जो व्यक्त भाषा बोलता है' तो इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है, क्योंकि व्यक्त भाषा बोलने का धर्म गूँगे मनुष्यों में नहीं पाया जाता। इसके विरुद्ध, जब लक्ष्य पद का धर्म उसकी जाति से भिन्न जातियों के व्यक्तियों में भी घटित होता है, तब लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होता है; जैसेवन का लक्षण करने में यह कहना अतिव्याप्ति दोष है कि 'वन स्थल का वह भाग है, जो सघन वृक्षों से ढका रहता है' क्योंकि सघन वृक्षों से ढके रहने का धर्म पर्वत और बगीचे में भी पाया जाता है।

हिंदी व्याकरणों में दिए गए, संज्ञा के लक्षणों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं

(1) संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। (भा.त.बो.)

(2) संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। (भा.भा.)

(3) पदार्थ मात्र को संज्ञा कहते हैं। (भा.त.दी.)

(4) वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं। (हिं.भा.व्या.)।

ये लक्षण देखने में सहज जान पड़ते हैं और छोटे-छोटे विद्यार्थियों के बोध के लिए तर्कसम्मत लक्षणों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं, परंतु ये ठीक शुद्ध या निर्दोष लक्षण नहीं हैं। इनसे केवल यही जाना जाता है कि 'संज्ञा' का पर्यायवाची शब्द 'नाम' है अथवा नाम का पर्यायवाची शब्द 'संज्ञा' है। इसके सिवा इन लक्षणों में कल्पित सृष्टि का कोई उल्लेख नहीं है। बैताल पच्चीसी, शुकबहत्तरी, हितोपदेश आदि कल्पित विषयों की पुस्तकों में तथा कल्पित नाटकों और उपन्यासों में जिस सृष्टि का वर्णन रहता है उस सृष्टि के प्राणियों, पदार्थों और धर्मों के नाम भी व्याकरण के संज्ञा वर्ग में आ सकते हैं। इस दृष्टि से ऊपर लिखे लक्षणों में अव्याप्ति दोष भी है।)

(ख) 'संज्ञा' शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं होता, किंतु वस्तु के नाम के लिए होता है। जिस कागज पर यह पुस्तक छपी है, वह कागज संज्ञा नहीं हैः किंतु पदार्थ है, पर 'कागज' शब्द जिसके द्वारा हम उस पदार्थ का नाम सूचित करते हैं, संज्ञा है।

98. संज्ञा दो प्रकार की होती है(1) पदार्थ वाचक, (2) भाववाचक।

99. जिस संज्ञा से किसी पदार्थ वा पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसेराम, राजा, घोड़ा, कागज, काशी, सभा, भीड़ इत्यादि।

(सू.इन लक्षणों में 'पदार्थ' शब्द का प्रयोग जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए किया गया है।)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

100. पदार्थवाचक **संज्ञा** के दो भेद हैं(1) व्यक्तिवाचक और (2) जातिवाचक।

101. जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ वा पदार्थों के एक ही समूह का बोध होता है उसे **व्यक्तिवाचक** संज्ञा कहते हैं; जैसेराम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिणी इत्यादि।

'राम' कहने से केवल एक ही व्यक्ति (अकेले मनुष्य) का बोध होता है; प्रत्येक मनुष्य को 'राम' नहीं कह सकते। यदि हम 'राम' को देवता मानें तो भी 'राम' एक ही देवता का नाम है। उसी प्रकार 'काशी' कहने से इस नाम के एक ही नगर का बोध होता है। यदि 'काशी' किसी स्त्री का नाम हो तो भी इसी नाम से उस एक ही स्त्री का बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जिस प्राणी वा पदार्थ का नाम हो, वह उस एक ही प्राणी वा पदार्थ को छोड़कर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। नदियों में 'गंगा' एक ही व्यक्ति (अकेली नदी) का नाम है; यह नाम किसी दूसरी नदी का नहीं हो सकता। संसार में एक ही राम, एक ही काशी और एक ही गंगा है। 'महामंडल' लोगों के एक ही समूह (सभा) का नाम है, इस नाम से कोई दूसरा समूह सूचित नहीं होता। इसी प्रकार 'हितकारिणी' कहने से एक अकेले समूह (व्यक्ति) का बोध होता है। इसलिए राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिणी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ बहुधा अर्थहीन होती हैं। इनके प्रयोग से जिस व्यक्ति का बोध होता है, उसका प्रायः कोई भी धर्म इनसे सूचित नहीं होता। नर्मदा नाम से एक ही नदी का अथवा एक ही स्त्री का या और किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो सकता है, पर इस नाम के व्यक्ति का प्रायः कोई भी धर्म इस शब्द से सूचित नहीं होता। 'नर्मदा' शब्द आदि में अर्थवान् 'मोक्ष देनेवाली' रहा हो, तथापि व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका वह अर्थ अप्रचलित हो गया और अब वह नाम पहचानने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति की पहचान या सूचना के लिए केवल एक संकेत है और यह संकेत इच्छानुसार बदला जा सकता है। यदि किसी घर में मालिक और नौकर का नाम एक ही हो तो बहुत करके नौकर अपना नाम बदलने को राजी को जायगा। एक ही नाम के कई मनुष्यों की एक दूसरे से भिन्नता सूचित करने के लिए प्रत्येक नाम के साथ बहुधा कोई संज्ञा या विशेषण लगा देते हैं; जैसेबाबू, देवदत्त इत्यादि। यदि एक ही मनुष्य के दो नाम हों तो व्यवहारी वा सरकारी कागज-पत्रों में उसे दोनों लिखने पड़ते हैं, जिसमें उसे अपने किसी एक नाम की आड़ में धोखा देने का अवसर न मिले; जैसेमोहन उर्फ बिहारी; बलदेव उर्फ रामचंद्र इत्यादि।

कुछ संज्ञाएँ व्यक्तिवाचक होने पर भी अर्थवान् हैं; जैसेईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, परब्रह्म, प्रकृति इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

102. जिस संज्ञा से किसी जाति के सम्पूर्ण पदार्थों वा उनके समूहों का बोध होता है, उसे **जातिवाचक संज्ञा** कहते हैं; जैसेमनुष्य, घर, पहाड़, नदी, सभा इत्यादि।

हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरि और आबू एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि वे अलग-अलग व्यक्ति हैं; परंतु वे एक मुख्य धर्म में समान हैं, अर्थात् वे धरती के बहुत ऊँचे भाग हैं। इस साधर्म्य के कारण उनकी गिनती एक ही जाति में होती है और इस जाति का नाम 'पहाड़' है। हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरि, आबू और इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियों के लिए 'पहाड़' नाम आता है। 'हिमालय' कहने से (इस नाम के) केवल एक ही पहाड़ का बोध होता है, पर 'पहाड़' कहने से हिमालय, नीलगिरि, विंध्याचल, आबू और इस जाति के दूसरे सब पदार्थ सूचित होते हैं। इसलिए पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियों के लिए 'नदी' नाम का प्रयोग किया जाता है; इसलिए नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है : लोगों के समूह का नाम 'सभा' है। ऐसे समूह कई हैं; जैसे'नागरीप्रचारिणी', 'कान्यकुब्ज', 'महाजन', 'हितकारिणी' इत्यादि। इन सब समूहों को सूचित करने के लिए 'सभा' शब्द का प्रयोग है, इसलिए 'सभा' जातिवाचक संज्ञा है।

जातिवाचक संज्ञाएँ अर्थवान् होती हैं। यदि हम किसी स्थान का नाम 'प्रयाग' के बदले 'इलाहाबाद' रख दें तो लोग उसे इसी नाम से पुकारने लगेंगे, परंतु यदि हम शहर को 'नदी' कहें तो कोई हमारी बात न समझेगा। 'प्रयाग' और 'इलाहाबाद' में केवल नाम का अंतर है, परंतु शहर और 'नदी' शब्दों में अर्थ का अंतर है। प्रयाग शब्द से उसके वाच्य पदार्थ का कोई भी धर्म सूचित नहीं होता; परंतु शहर शब्द से हमारे मन में बड़े-बड़े घरों के समूह की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 'सभा' शब्द सुनने से हमें उसका अर्थज्ञान (मनुष्यों के समूह का बोध) सहज ही हो जाता है; परंतु 'हितकारिणी' कहने से वैसा कोई धर्म प्रकट नहीं होता।

(सू.यद्यपि पहचान के लिए मनुष्यों और स्थानों को विशेष नाम देना आवश्यक है, तथापि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक प्राणी या पदार्थ को कोई विशेष नाम दिया जाय। स्याही से लिखने के काम में आनेवाले प्रत्येक पदार्थ को हम 'कलम' शब्द से सूचित कर सकते हैं; इसलिए 'कलम' नाम से प्रत्येक अकेले पदार्थ को अलग-अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रत्येक अकेले पदार्थ (जैसेप्रत्येक सूई) का एक अलग विशेष नाम रखा जाय तो भाषा बहुत ही जटिल हो जायगी। इसलिए अधिकांश पदार्थों का बोध जातिवाचक संज्ञाओं से हो जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल भूल या गड़बड़ मिटाने के विचार से किया जाता है।)

103. जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जानेवाले किसी धर्म का बोध होता है उसे **भाववाचक** संज्ञा कहते हैं; जैसेलम्बाई, चतुराई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में उष्णता, सोने में भारीपन, मनुष्य में विवेक और पशु में अविवेक रहता है। जब हम कहते हैं कि अमुक पदार्थ पानी है, तब हमारे मन में उसके एक वा अधिक धर्मों की भावना रहती है और इन्हीं धर्मों की भावना से हम उस पदार्थ को पानी के बदले कोई दूसरा पदार्थ नहीं समझते। पदार्थ माने कुछ विशेष धर्मों के मेल से बनी हुई एक मूर्ति है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ के सभी धर्मों का ज्ञान होना कठिन है परंतु जिस पदार्थ को वह जानता है, उसके एक न एक धर्म का परिचय उसे अवश्य रहता है। कोई-कोई धर्म एक से अधिक पदार्थों में भी पाए जाते हैं; जैसे लंबाई, चौड़ाई, मुटाई, वजन, आकार इत्यादि।

पदार्थ का धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता अर्थात् हम यह नहीं कह सकते कि यह घोड़ा है और वह उसका बल या रूप है। तो भी हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा परस्पर संबंध रखनेवाली भावनाओं को अलग कर सकते हैं। हम घोड़े के और-और धर्मों की भावना न करके केवल उसके बल की भावना मन में ला सकते हैं और आवश्यकता होने पर भावना को किसी दूसरे प्राणी (जैसे हाथी) के बल की भावना के साथ मिला सकते हैं।

जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञाएँ अर्थवान् होती हैं, उसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएँ भी अर्थवान् होती हैं, क्योंकि उनके समान इनसे भी धर्म का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है।

'धर्म', 'गुण' और 'भाव' प्रायः पर्यायवाचक शब्द हैं। 'भाव' शब्द का उपयोग (व्याकरण के) नीचे लिखे अर्थों में होता है

(क) धर्म-गुण के अर्थ में; जैसेठंडाई, शीतलता, धीरज, मिठास, बल, बुद्धि, क्रोध आदि।

(ख) अवस्थानींद, रोग, उजाला, अँधेरा, पीड़ा, दरिद्रता, सफाई इत्यादि।

(ग) व्यापारचढ़ाई, बहाव, दान, भजन, बोलचाल, दौड़, पढ़ना इत्यादि।

104. भाववाचक संज्ञाएँ बहुधा तीन प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं

(क) जातिवाचक संज्ञा सेजैसेबुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई, राज्य, मौन इत्यादि।

(ख) विशेषण से; जैसेगरमी, सरदी, कठोरता, मिठास, बड़प्पन, चतुराई, धैर्य इत्यादि।

(ग) क्रिया से; जैसेघबराहट, सजावट, चढ़ाई, बहाव, मार, दौड़, चलन इत्यादि।

105. जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिए किया जाता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है; जैसे'कहु रावण, रावण जग केते। (रामा.) 'राम तीन हैं।' 'यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है।' 'कलियुग के भीम।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पहले उदाहरण में पहला 'रावण' शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूसरा 'रावण' शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तीसरे उदाहरण में 'लक्ष्मी' संज्ञा जातिवाचक है; क्योंकि उससे विष्णु की स्त्री का बोध नहीं होता, किंतु लक्ष्मी के समान एक गुणवती स्त्री का बोध होता है। इसी प्रकार 'राम' और 'भीम' भी जातिवाचक संज्ञाएँ हैं। 'गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतंत्र हो गया था।' (रस.)। इस वाक्य में 'गुप्तों' शब्द से अनेक व्यक्तियों का बोध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के विशेष धर्म का बोध नहीं होता, किंतु कुछ व्यक्तियों के एक विशेष समूह का बोध होता है।

106. कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समान होता है; जैसेपुरी = जगन्नाथ, देवी = दुर्गा, दाऊ = बलदेव, संवत् = विक्रमी संवत् इत्यादि। इसी वर्ग में वे शब्द शामिल हैं, जो मुख्य नामों के बदले उपनाम के रूप में आते हैं; जैसेसितारेहिंद = राजा शिवप्रसाद, भारतेंदु = बाबू हरिश्चंद्र, गुसाईं जी = गोस्वामी तुलसीदास, दक्षिण = दक्षिणी हिंदुस्तान इत्यादि।

बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएँ, जैसेगणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि मूल में जातिवाचक संज्ञाएँ हैं; परंतु अब इनका प्रयोग जातिवाचक अर्थ में नहीं किंतु व्यक्तिवाचक अर्थ में होता है।

107. कभी-कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है; जैसे'उसके आगे सब रूपवती स्त्रियाँ निरादर हैं' (शकु.)। इस वाक्य में 'निरादर' शब्द से 'निरादरयोग्य स्त्री' का बोध होता है। 'ये सब कैसे अच्छे पहिरावे हैं' (सर.)। यहाँ 'पहिरावे' का अर्थ 'पहिनने के वस्त्र' हैं।

संज्ञा के स्थान में आनेवाले शब्द

108. सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान में होता है, जैसे **'मैं** (सारथी) रास खींचता हूँ।' (शकु.)। **'यह** (शकुंतला) वन में पड़ी मिली थी।' (शकु.)।

109. विशेषण कभी-कभी संज्ञा के स्थान में आता है; जैसे'इसके बड़ों का यह संकल्प है' (शकु.)। 'छोटे बड़े न ह्वै सकें' (सत.)।

110. कोई-कोई क्रियाविशेषण संज्ञाओं के समान उपयोग में आते हैं; जैसे जिसका **भीतर बाहर** एक सा हो' (सत्य.)। **'हाँ में हाँ** मिलाना'। **'यहाँ** की भूमि अच्छी है' (भाषा.)।

111. कभी-कभी विस्मयादिबोधक शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है; जैसे'वहाँ **हाय हाय** मची है।' 'उनकी बड़ी **वाह वाह** हुई।'

112. कोई भी शब्द वा अक्षर केवल उसी शब्द वा अक्षर के अर्थ में संज्ञा के समान उपयोग में आ सकता है; जैसे'मैं' सर्वनाम है। तुम्हारे लेख में कई बार **'फिर'** आया है। **'का'** में **'आ'** की मात्रा मिली है। **'क्ष'** संयुक्त अक्षर है (दे. अंक 87 इ)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(टी.संज्ञा के भेदों के विषय में हिंदी वैयाकरणों का एकमत नहीं है। अधिकांश हिंदी व्याकरणों में संज्ञा के पाँच भेद माने गए हैंजातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और सर्वनाम। ये भेद कुछ तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार और कुछ अँगरेजी व्याकरण के अनुसार हैं तथा कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार हैं। संस्कृत के 'प्रातिपदिक' नामक शब्दभेद में संज्ञा, गुणवाचक (विशेषण) और सर्वनाम का समावेश होता है; क्योंकि उस भाषा में इन तीनों शब्दभेदों का रूपांतर प्रायः एक ही से प्रत्ययों के प्रयोग द्वारा होता है। कदाचित् इसी आधार पर हिंदी वैयाकरण तीनों शब्दभेदों को संज्ञा मानते हैं। दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों ही से वस्तुओं का प्रत्यक्ष वा परोक्ष बोध होता है। सर्वनाम और विशेषण को संज्ञा के अंतर्गत मानना चाहिए अथवा उससे भिन्न अलग-अलग वर्गों में रखना चाहिए, इस विषय का विवेचन आगे चलकर सर्वनाम और विशेषण संबंधी अध्यायों में किया जाएगा। यहाँ केवल संज्ञा के उपभेदों पर विचार किया जाता है।

संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं हैं। ये उपभेद अँगरेजी व्याकरण में, दो अलग-अलग आधारों पर अर्थ के अनुसार किए गए हैं। पहले आधार में इस बात का विचार किया गया है कि संपूर्ण संज्ञाओं से या तो वस्तुओं का बोध होता है या धर्मों का, इस दृष्टि से संज्ञाओं के दो भेद माने गए हैं(1) पदार्थवाचक, (2) भाववाचक। दूसरे आधार में केवल पदार्थवाचक संज्ञाओं के अर्थ का विचार किया गया है कि उनसे या तो व्यक्ति (अकेले पदार्थ) का बोध होता है या जाति (अनेक पदार्थों) का और इस दृष्टि से पदार्थवाचक संज्ञाओं के दो भेद किए गए हैं(1) व्यक्तिवाचक, (2) जातिवाचक। दोनों आधारों को मिलाकर संज्ञा के तीन भेद होते हैं(1) व्यक्तिवाचक, (2) जातिवाचक और (3) भाववाचक। (सर्वनाम और विशेषण को छोड़कर) संज्ञाओं के ये तीन भेद हिंदी के कई व्याकरणों में पाए जाते हैं, परंतु उनमें इस वर्गीकरण के किसी भी आधार का उल्लेख नहीं मिलता। हिंदी के सबसे पुराने (आदम साहब के लिखे हुए एक छोटे से) व्याकरण में संज्ञा का एक और भेद **'क्रियावाचक'** के नाम से दिया गया है। हमने क्रियावाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के लक्षण में क्रियावाचक संज्ञा भी आ जाती है। भाषा भास्कर में यह संज्ञा क्रिया का साधारण रूप वा 'क्रियार्थक संज्ञा' कही गई है। उसमें यह भी लिखा है कि यह धातु से बनती है (दे. अंक 188 अ)। यह भेद व्युत्पत्ति के अनुसार है और यदि इस प्रकार एक ही समय एक से अधिक आधारों पर वर्गीकरण किया जाय तो कई संकीर्ण विभाग हो जायँगे।

यहाँ अब मुख्य विचार यह है कि जब संज्ञा के ऊपर कहे हुए तीन भेद संस्कृत में नहीं हैं, तब उन्हें हिंदी में मानने की क्या आवश्यकता है? यथार्थ में अर्थ के

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अनुसार शब्दों के भेद करना तर्कशास्त्र का विषय है, इसलिए व्याकरण में इन भेदों को केवल उनकी आवश्यकता होने पर मानना चाहिए। हिंदी में इन भेदों का काम रूपांतर और व्युत्पत्ति में पड़ता है, इसलिए ये भेद संस्कृत में न होने पर भी हिंदी में आवश्यक हैं। संस्कृत में भी परोक्ष रूप से भाववाचक संज्ञा मानी गई है। केशवराम भट्ट कृत 'हिंदी व्याकरण' में संज्ञा के भेदों में (संस्कृत की चाल पर) भाववाचक संज्ञा का नाम नहीं है, पर लिंगनिर्णय में यह नाम आया है। जब व्याकरण में संज्ञा के इस भेद का काम पड़ता है, तब इसको स्वीकार करने में क्या हानि है?

किसी-किसी हिंदी व्याकरण में संज्ञा के समुदायवाचक और द्रव्यवाचक[1] नाम के और दो भेद माने गए हैं पर अँगरेजी के समान हिंदी में इनकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके सिवा समुदायवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है।

दूसरा अध्याय
सर्वनाम

113. सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसेमैं (बोलनेवाला), तू (सुननेवाला), यह (निकटवर्ती वस्तु), वह (दूरवर्ती वस्तु) इत्यादि।

(टि.हिंदी के प्रायः सभी वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं। संस्कृत में 'सर्व' (प्रातिपदिक) के समान जिन नामों (संज्ञाओं) का रूपांतर होता है उनका एक अलग वर्ग मानकर उसका नाम 'सर्वनाम' रखा गया है। 'सर्वनाम' शब्द एक और अर्थ में भी आ सकता है। वह यह है कि सर्व (सब) नामों (संज्ञाओं) के बदले में जो शब्द आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्द से यही (पिछला) अर्थ लिया जाता है और इसी के अनुसार वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का भेद मानते हैं। यथार्थ में सर्वनाम एक प्रकार का नाम अर्थात् संज्ञा ही है। जिस प्रकार संज्ञाओं के उपभेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हैं, उसी प्रकार सर्वनाम भी एक उपभेद हो सकता है, पर सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणता है, जो संज्ञा में नहीं पाई जाती। संज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता है, जिसका वह

1. जो पदार्थ केवल ढेर के रूप में नापा-तौला जाता है, उसे द्रव्य कहते हैं; जैसे अनाज, दूध, घी, शक्कर, सोना इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(संज्ञा) नाम है; परंतु सर्वनाम से, पूर्वापर संबंध के अनुसार, किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। 'लड़का' शब्द से लड़के ही का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं हो सकता; परंतु 'वह' कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार, लड़का घर, सड़क, हाथी, घोड़ा आदि किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। 'मैं' बोलनेवाले के नाम के बदले आता है, इसलिए जब बोलनेवाला मोहन है, तब 'मैं' का अर्थ मोहन है, परंतु जब बोलनेवाला खरहा है (जैसा बहुधा कथा कहानियों में होता है) तब 'मैं' का अर्थ खरहा होता है। सर्वनाम की इसी विलक्षणता के कारण उसे हिंदी में एक अलग शब्दभेद मानते हैं। 'भाषातत्त्वदीपिका' में भी सर्वनाम संज्ञा से भिन्न माना गया है; परंतु उसमें सर्वनाम का जो लक्षण दिया गया है, वह निर्दोष नहीं है। 'नाम को एक बार कहकर फिर उसकी जगह जो शब्द आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं।' यह लक्षण 'मैं', 'तू', 'कौन' आदि सर्वनामों में घटित नहीं होता; इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष है; और कहीं-कहीं यह संज्ञाओं में भी घटित हो सकता है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष भी है। एक ही संज्ञा का उपयोग बार-बार करने से भाषा की हीनता सूचित होती है, इसलिए एक संज्ञा के बदले उसी अर्थ की दूसरी संज्ञा का उपयोग करने की चाल है। यह बात छंद के विचार से कविता में बहुधा होती है; जैसेमनुष्य के बदले 'मानव', 'नर' आदि शब्द लिखे जाते हैं। सर्वनाम के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार इन सब पर्यावाची शब्दों को भी सर्वनाम कहना पड़ेगा। यद्यपि सर्वनाम के कारण संज्ञा को बार-बार नहीं दुहराना पड़ता है, तथापि सर्वनाम का यह उपयोग उसका असाधारण धर्म नहीं है।

भाषाचंद्रोदय में 'सर्वनाम' के लिए 'संज्ञाप्रतिनिधि' शब्द का उपयोग किया गया है और संज्ञाप्रतिनिधि के कई भेदों में एक का नाम 'सर्वनाम' रखा गया है। सर्वनाम के भेदों की मीमांसा इस अध्याय के अंत में की जायगी; परंतु 'संज्ञाप्रतिनिधि' शब्द के विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि हिंदी में 'सर्वनाम' शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि उसे बदलने से कोई लाभ नहीं है।

114. हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैंमैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या।

115. प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के छह भेद हैं

(1) पुरुषवाचकमैं, तू, आप (आदरसूचक)।

(2) निजवाचकआप।

(3) निश्चयवाचकयह, वह, सो।

(4) संबंधवाचकजो।

(5) प्रश्नवाचककौन, क्या।

(6) अनिश्चयवाचककोई, कुछ।

116. वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के तीन भाग किए जाते

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

हैंपहला, स्वयं वक्ता वा लेखक; दूसरा श्रोता, किंवा पाठक और तीसरा, कथा विषय अर्थात् वक्ता और श्रोता को छोड़कर और सब। सृष्टि के इन सब रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं और ये क्रमशः उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहलाते हैं। इन तीनों पुरुषों में उत्तम और मध्यम पुरुष ही प्रधान हैं। क्योंकि इनका अर्थ निश्चित रहता है। अन्य पुरुष का अर्थ अनिश्चित होने के कारण उसमें बाकी की सृष्टि के अर्थ का समावेश होता है। उत्तम पुरुष 'मैं' और मध्यम पुरुष 'तू' को छोड़कर शेष सर्वनाम और सब संज्ञाएँ अन्य पुरुष में आती हैं। इस अनिश्चित वस्तुसमूह को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए 'वह' सर्वनाम को अन्य पुरुष के उदाहरण के लिए ले लेते हैं।

सर्वनामों के तीनों पुरुषों के उदाहरण ये हैंउत्तम पुरुषमैं; मध्यम पुरुष तू, आप (आदरसूचक); अन्य पुरुषयह, वह, आप (आदरसूचक) सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। (सब संज्ञाएँ अन्य पुरुष हैं।) सब पुरुष-वाचक-आप (निजवाचक)।

(सू.(1) भाषा भास्कर और दूसरे हिंदी व्याकरणों में 'आप' शब्द 'आदरसूचक' नाम से एक अलग वर्ग में गिना गया है, परंतु व्युत्पत्ति के अनुसार, (सं.आत्मन्, प्रा.अप्प) 'आप', यथार्थ में, निजवाचक है और आदरसूचकता उसका एक विशेष प्रयोग है। आदरसूचक 'आप' मध्यम और अन्य पुरुष सर्वनामों के लिए आता है, इसलिए उनकी गिनती पुरुषवाचक सर्वनामों में ही होनी चाहिए। निजवाचक 'आप' अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग पुरुषों के बदले आ सकता है; इसलिए ऊपर सर्वनामों के वर्गीकरण में यही निजवाचक 'आप' 'सर्व-पुरुष-वाचक' कहा गया है। निजवाचक 'आप' के समानार्थक 'स्वयं और स्वतः' हैं; इनका प्रयोग बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता है (दे. अंक125 ऋ)।

(2) 'मैं', 'तू' और आप (म. पु.) को छोड़कर सर्वनामों के जो और भेद हैं, वे सब अन्य पुरुष सर्वनामों के ही भेद हैं। मैं, तू और आप (म. पु.) सर्वनामों के दूसरे भेदों में नहीं आते, इसलिए ये ही तीन सर्वनाम विशेषण पुरुषवाचक हैं। वैसे तो प्रायः सभी सर्वनाम पुरुषवाचक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनसे व्याकरण के पुरुषों का बोध होता है, परंतु दूसरे सर्वनामों में उत्तम और मध्यम नहीं होते, इसलिए उत्तम और मध्यम पुरुष ही प्रधान पुरुषवाचक हैं और बाकी सर्वनाम अप्रधान पुरुषवाचक हैं। सर्वनामों के अर्थ और प्रयोग का विचार करने में सुभीते के लिए कहीं-कहीं उनके रूपांतरों (लिंग, वचन, कारक) का (जो दूसरे प्रकरण का विषय है) उल्लेख करना आवश्यक है।

117. मैंउ. पु. (एकवचन)।

(अ) जब वक्ता या लेखक केवल अपने ही संबंध में कुछ विधान करता है तब वह इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसेभाषाबद्ध करब मैं सोई। (राम.)। जो मैं ही कृतार्थ नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? (गुटका)। 'यह थैली मुझे मिली।'

(आ) अपने से बड़े लोगों के साथ बोलने में अथवा देवता से प्रार्थना करने

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

में, जैसे'सारथीअब मैंने भी तपोवन के चिन्ह (चिह्न) देखे' (शकु.)। 'हरि. पितः, मैं सावधान हूँ' (सत्य.)।

(इ) स्त्री अपने लिए बहुधा 'मैं' का ही प्रयोग करती है; जैसेशकुंतलामैं सच्ची क्या कहूँ' (शकु.)। 'रा.अरी! आज मैंने ऐसे बुरे-बुरे सपने देखे कि जब से सो के उठी हूँ, कलेजा काँप रहा है' (सत्य.)। (दे. अंक11 ऊ)।

118. हमउ. पु. (बहुवचन)।

इस बहुवचन का अर्थ संज्ञा के बहुवचन से भिन्न है। 'लड़के' शब्द एक से अधिक लड़कों का सूचक है; परंतु 'हम' शब्द एक से अधिक 'मैं' (बोलनेवालों) का सूचक नहीं है, क्योंकि एक साथ गाने या प्रार्थना करने के सिवा (अथवा सबकी ओर से लिखे हुए लेख में हस्ताक्षर करने के सिवा) एक से अधिक लोग मिलकर प्रायः कभी नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में **'हम'** का ठीक **अर्थ** यही है कि वक्ता अपने साथियों की ओर से प्रतिनिधि होकर अपने तथा अपने साथियों के विचार एक साथ प्रकट करता है।

(अ) संपादक और ग्रंथकार लोग अपने लिए बहुधा उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करते हैं; जैसे'हमने एक ही बात को दो-दो, तीन-तीन तरह से लिखा है।' (स्वा.)। 'हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं' (इति.)।

(आ) बड़े-बड़े अधिकारी और राजा महाराजा; जैसे'इसलिए अब हम इश्तहार देते हैं (इति.)। 'नाम.यही तो हम भी कहते हैं' (सत्य.)। 'दुष्यंततुम्हारे देखने ही से हमारा सत्कार हो गया।' (शकु.)।

(इ) अपने कुटुम्ब, देश अथवा मनुष्य जाति के संबंध में; जैसे'हम योग पाकर भी उसे उपयोग में लाते नहीं' (भारत.)। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे' (शकु.)। 'हवा के बिना हम पल भर भी नहीं जी सकते।'

(ई) कभी-कभी अभिमान अथवा क्रोध में, जैसे'वि.हम आधी दक्षिणा लेके क्या करें' (सत्य.)। 'मांडव्यइस मृगयाशील राजा की मित्रता से हम तो बड़े दुखी हैं' (शकु.)।

(सू.हिंदी में 'मैं' और 'हम' के प्रयोग का बहुत सा अंतर आधुनिक है। देहाती लोग बहुधा 'हम' ही बोलते हैं, 'मैं' नहीं बोलते। प्रेमसागर और रामचरित मानस में 'हम' के सब प्रयोग नहीं मिलते। अँगरेजी में 'मैं' के बदले 'हम' का उपयोग करना भूल समझा जाता है, परंतु हिंदी में बहुधा 'मैं' के बदले **'हम'** आता है।

'मैं' और 'हम' के प्रयोग में इतनी अस्थिरता है कि एक बार जिसके लिए 'मैं' आता है, उसी के लिए उसी अर्थ में फिर 'हम' का उपयोग होता है; जैसे'नाराम राम! भला, आपके आने से हम क्यों जायँगे। मैं तो जाने ही को था कि इतने में आप आ गए (सत्य.)। दुष्यंतअच्छा, हमारा संदेशा यथार्थ भुगता दीजो। मैं तपस्वियों की रक्षा को जाता हूँ (शकु.)। यह न होना चाहिए।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(उ) कभी-कभी एक ही वाक्य में 'मैं' और 'हम' एक ही पुरुष के लिए क्रमशः व्यक्ति और प्रतिनिधि के अर्थ में आते हैं; जैसे'कुंभलीकमुझे क्या दोष है, यह तो हमारा कुलधर्म है' (शकु.)। मैं चाहता हूँ कि आगे को ऐसी सूरत न हो और हम सब एकचित्त होकर रहें (परी.)।

(ऊ) स्त्री अपने ही लिए 'हम' का उपयोग बहुधा कम करती है (दे. अंक117 इ.) पर स्त्रीलिंग 'हम' के साथ कभी-कभी पुंल्लिंग क्रिया आती है; जैसेगौतमीलो, अब निधड़क बातचीत करो' **हम जाते** हैं।' (शकु.)। 'रानीमहाराज, अब **हम** महल में **जाते हैं**' (कर्पूर)।

(ओ) साधु संत अपने लिए 'मैं' वा 'हम' का प्रयोग न करके अपने लिए बहुधा 'अपने राम' बोलते हैं; जैसेअब **अपने राम** जानेवाले हैं।

(औ) 'हम' से बहुत्व का बोध कराने के लिए उसके साथ बहुधा 'लोग' शब्द लगा देते हैं; जैसे : 'ह.आर्य, **हमलोग** तो क्षत्रिय हैं, हम दो बात कहाँ से जाने?' (सत्य.)।

119. तू-मध्यम पुरुष (एकवचन) (ग्राम्य-तैं)।

'तू' शब्द से निरादर वा हलकापन प्रकट होता है; इसलिए हिंदी में बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी 'तुम' का प्रयोग करते हैं। 'तू' का प्रयोग बहुधा नीचे लिखे अर्थों में होता है

(अ) देवता के लिए जैसेदेव, तू दयालु, दीन हौं; तू दानी, हौं भिखारी' (विनय.)।

'दीनबंधु' (तू) मुझ डूबते हुए को बचा' (गुटका.)

(आ)छोटे लड़के अथवा चेले के लिए (प्यार में); 'एक तपस्विनीअरे हठीले बालक, तू इस वन के पशुओं को क्यों सताता है?' (शकु.)। 'उ.तो तू चल, आगे-आगे भीड़ हटाता चल' (सत्य.)।

(इ) परम मित्र के लिए; जैसे'अनसूयासखी तू क्या कहती है' (शकु.)। 'दुष्यंतसखा, तुझसे भी तो माता कहकर बोली हैं।'

(सू.छोटी अवस्था के भाई बहन आपस में 'तू' का प्रयोग करते हैं। कहीं छोटे लड़के प्यार में माँ से 'तू' कहते हैं)

(ई) अवस्था और अधिकार में अपने से छोटे के लिए (परिचय में); जैसे'रानी-मालती, यह रक्षाबंधन तू सँभाल के अपने पास रख' (सत्य.)। 'दुष्यंत(द्वारपाल से) पर्वतायन, तू अपने काम में असावधानी मत करियो' (शकु.)।

(उ) तिरस्कार अथवा क्रोध में किसी से, जैसे जरासंध श्रीकृष्णचंद्र से अति अभिमान कर कहने लगा, अरेतू मेरे सोंही से भाग जा, मैं तुझे क्या मारूँ!' (प्रेम.)।

'वि.बोल, अभी तैने मुझे पहचाना कि नहीं?' (सत्य.)।

120. तुममध्यमपुरुष (बहुवचन)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

यद्यपि 'हम' के समान 'तुम' **बहुवचन** है, तथापि शिष्टाचार के अनुरोध से इसका प्रयोग एक ही मनुष्य से बोलने में होता है। बहुत्व के लिए **'तुम'** के साथ बहुधा 'लोग' शब्द लगा देते हैंजैसे'मित्र, **तुम** बड़े निठुर हो' (परी.)। **'तुम लोग अभी** तक कहाँ थे?'

(अ) तिरस्कार और क्रोध को छोड़कर शेष अर्थों में 'तू' के बदले बहुधा 'तुम' का उपयोग होता है; जैसे'दुष्यंतहे रैवतक, तुम सेनापति को बुलाओ' (शकु.)। 'आशुतोष तुम अवढर दानी।' (राम.)। 'उ.पुत्री, कहो तुम कौन-कौन सेवा करोगी' (सत्य.)।

(आ) 'हम' के साथ 'तुम' के बदले 'तू' आता है; जैसे'दोनों प्यादेतो तू हमारा मित्र है। **हम तुम** साथ ही साथ हाट को चलें (शकु.)।

(इ) आदर के लिए 'तुम' के बदले 'आप' आता है (दे. अंक123)।

121. **वह** अन्य पुरुष (एकवचन)।

(यह, जो, कोई, कौन इत्यादि सब सर्वनाम (और सब संज्ञाएँ) अन्य पुरुष हैं। यहाँ अन्य पुरुष के उदाहरण के लिए केवल 'वह' लिया गया है।

हिंदी में आदर के लिए बहुधा बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। आदर का विचार छोड़कर 'वह' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है

(अ) किसी एक प्राणी, पदार्थ वा धर्म के विषय में बोलने के लिए, जैसेना. निस्संदेह हरिश्चंद्र महाशय हैं। **उसके** आशय बहुत उदार हैं' (सत्य.)। 'जैसी दुर्दशा **उसकी** हुई, वह सबको विदित है' (गुटका.)।

(आ) बड़े दरजे के आदमी के विषय में तिरस्कार दिखाने के लिए, जैसे' **वह** (श्रीकृष्ण) तो **गँवार** ग्वाल है' (प्रेम)। 'इ.राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला था सो उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की' (सत्य.)।

(इ) आदर और बहुत्व के लिए (दे. अंक122)।

122. वेअन्य पुरुष (बहुवचन)।

कोई-कोई इसे 'वह' लिखते हैं। कवायद उर्दू में इसका रूप 'वे' लिखा है जिससे यह अनुमान नहीं होता कि इसका प्रयोग उर्दू की नकल है। पुस्तकों में भी बहुधा 'वे' पाया जाता है। इसलिए बहुवचन का शुद्ध रूप 'वे' है, 'वह' नहीं।

(अ) एक से अधिक प्राणियों, पदार्थों वा धर्मों के विषय में बोलने के लिए 'वे' (वा 'वह') आता है, जैसे'लड़की तो रघुवंशियों के भी होती हैं; पर वे जिलाते कदापि नहीं' (गुटका.)। 'ऐसी बातें **वे** हैं' (स्वा.)। '**वह** सौदागर की सब दूकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं' (परी.)।

(आ) एक ही व्यक्ति के विषय में आदर प्रकट करने के लिए, जैसेवे (कालिदास) असामान्य वैयाकरण थे' (रघु.)। 'क्या अच्छा होता जो वह इस काम को कर जाते' (रत्ना.)। 'जो बातें मुनि के पीछे हुईं सो उनसे कह दी'? (शकु.)।

(सू.ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति आदर प्रकट करने के संबंध में हिंदी में बड़ा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

गड़बड़ है। श्रीधर भाषाकोष में कई कवियों के संक्षिप्त चरित दिए गए हैं, उनमें कबीर के लिए एकवचन का और शेष के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। राजा शिवप्रसाद ने इतिहासतिमिर नाशक में राम शंकराचार्य और टॉड साहब के लिए बहुवचन प्रयोग किया है और बुद्ध, अकबर, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के लिए एकवचन लिखा है। इन उदाहरणों से कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। तथापि यह बात जान पड़ती है कि आदर के लिए पात्र की जाति, गुण, पद और शील का विचार अवश्य किया जाता है। ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति आजकल पहले की अपेक्षा अधिक आदर दिखाया जाता है; और यह आदर बुद्धि विदेशी ऐतिहासिक पुरुषों के लिए भी कई अंशों में पायी जाती है। आदर का प्रश्न छोड़कर, ऐतिहासिक पुरुषों के लिए एकवचन ही का प्रयोग करना चाहिए।

123. **अ म** ('तुम' वा 'वे' के बदले)मध्यम वा अन्य पुरुष (बहुवचन)।

यह पुरुषवाचक 'आप' प्रयोग में निजवाचक 'आप' (दे. अंक125) से भिन्न है। इसका प्रयोग मध्यम और अन्य पुरुष बहुवचन में आदर के लिए होता है।[1] प्राचीन कविता में आदरसूचक 'आप' का प्रयोग बहुत कम पाया जाता है।

(अ) अपने से बड़े दरजेवाले मनुष्य के लिए 'तुम' के बदले 'आप' का प्रयोग शिष्ट और आवश्यक समझा जाता है; जैसे'स.भला, **आपने** इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है?' (सत्य.)। 'तपस्वीहे पुरुकुलदीपक **आपको** यही उचित है।' (शकु.)। 'आए **आपु** भली करी' (संत.)।

(आ) बराबरवाले अपने से कुछ छोटे दरजे के मनुष्य के लिए 'तुम' के बदले बहुधा 'आप' कहने की प्रथा है; जैसे'इं.भला, आप उदार या महाशय किसे कहते हैं?' (सत्य.)। 'जब आप पूरी बात ही न सुनें तो मैं क्या जवाब दूँ' (परी.)।

(इ) आदर के साथ बहुत्व के बोध के लिए 'आप' के साथ बहुधा 'लोग' लगा देते हैं, जैसे'ह.आप लोग मेरे सिर आँखों पर हैं' (सत्य.)। 'इस विषय में आप लोगों की क्या राय है'?

(ई) 'आप' शब्द की अपेक्षा अधिक आदर सूचित करने के लिए बड़े पदाधिकारियों के प्रति श्रीमान्, महाराज, सरकार, हुजूर आदि शब्दों का प्रयोग होता है; जैसे'सार.मैं रास खींचता हूँ; महाराज उतर लें' (शकु.) 'मुझे **श्रीमान्** के दर्शनों की लालसा थी सो आज पूरी हुई।' 'जो हुजूर की राय सो मेरी राय।' स्त्रियों के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित करने के लिए **श्रीमती,** 'देवी' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है; जैसे'तब से **श्रीमती** के शिक्षा-क्रम में विघ्न पड़ने लगा' (हिं. को.)।

(सू.जहाँ 'आप' का प्रयोग होना चाहिए वहाँ 'तुम' या हुजूर' कहना और जहाँ 'तुम' कहना चाहिए, वहाँ **'आप'** या 'तू' कहना अनुचित है; क्योंकि इससे श्रोता

1. संस्कृत में आदरसूचक 'आप' के अर्थ में 'भवान्' शब्द आता है; और उसका प्रयोग केवल अन्य पुरुष एकवचन में होता है; जैसे'भवान् अपि अवैति' (आप भी जानते हैं)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का अपमान होता है। एक ही प्रसंग में 'आप' और 'तुम', 'महाराज' और 'आप' कहना असंगत है; जैसे'जिस बात की चिंता **महाराज** को है सो कभी न हुई होगी; क्योंकि तपोवन के विघ्न तो केवल **आपके** धनुष की टंकार ही से मिट जाते हैं।' (शकु.)। '**आपने** बड़े प्यार से कहा कि आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। उसने तुम्हें विदेशी जान तुम्हारे हाथ से जल न पीया।' तथा.)

(उ) आदर की पराकाष्ठा सूचित करने के लिए वक्ता या लेखक अपने लिए दास, सेवक, फिदवी (कचहरी की भाषा में), 'कमतरीन' (उर्दू) आदि शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करता है; जैसे'सि.कहिए यह **दास** आपके कौन काम आ सकता है?' (मुद्रा.)। 'हुजूर से, **फिदवी** की यह अर्ज है।'

(ऊ) मध्यम पुरुष 'आप' के साथ अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया आती है, परंतु कहीं-कहीं परिचय, बराबरी अथवा लघुता के विचार से मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग होता है; जैसे'ह. **आप** मोल **लोगे**?' (सत्य.)। ऐसे समय में **आप** साथ न **दोगे** तो और कौन देगा?' (परी.)। 'दो ब्राह्मणआप अगलों की रीति पर **चलते हो**।' (शकु.)। यह प्रयोग शिष्ट नहीं है।

(ओ) अन्य पुरुष में आदर के लिए 'वे' के बदले कभी-कभी 'आप' आता है। अन्य पुरुष 'आप' के साथ क्रिया सदा अन्य पुरुष बहुवचन में रहती है। उदाहरण 'श्रीमती का गत मास इंदौर में देहांत हो गया। **आप** कई वर्षों से बीमार थीं।' (वो)

124. अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे लिखे पाँच भेद हैं

(1) निजवाचकआप।

(2) निश्चयवाचकयह, वह, सो।

(3) अनिश्चयवाचककोई, कुछ।

(4) संबंधवाचकजो।

(5) प्रश्नवाचककौन, क्या।

125. **आप** (निजवाचक)।

प्रयोग में निजवाचक 'आप' पुरुषवाचक (आदरसूचक) 'आप' से भिन्न है। पुरुषवाचक 'आप' एक का वाचक होकर भी नित्य बहुवचन में आता है; पर निजवाचक 'आप' एक ही रूप से दोनों वचनों में आता है। पुरुषवाचक 'आप' केवल मध्यम और अन्य पुरुष में आता है; परंतु निजवाचक 'आप' का प्रयोग तीनों पुरुष में होता है। आदरसूचक 'आप' वाक्य में अकेला आता है, किंतु निजवाचक 'आप' दूसरे सर्वनामों के संबंध से आता है। 'आप' के दोनों प्रयोगों में रूपांतर का भी भेद है। दे. अंक324-325)।

निजवाचक 'आप' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है

(अ) किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए; जैसेमैं **आप** वहीं से आया हूँ' (परी.)। 'बनते कभी हम **आप** योगी' (भारत.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(आ) दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे'श्रीकृष्ण जी ने ब्राह्मण को विदा किया और **आप** चलने का विचार करने लगे' (प्रेम.)। 'वह **अपने** को सुधार रहा है।'

(इ) अवधारण के अर्थ में 'आप' के साथ कभी-कभी ही जोड़ देते हैं, जैसे नटीमैं तो **आप ही** आती थी' (सत्य.)। 'देत चाप **आपहि** चढ़ि गयऊ' (राम.)। 'वह अपने पात्र के संपूर्ण गुण अपने ही में भरे हुए अनुमान करने लगता है।' (सर.)।

(ई) कभी-कभी 'आप' के साथ उसका रूप अपना जोड़ देते हैं, जैसे'किसी दिन मैं न **आप** अपने को भूल जाऊँ (शकु.)।' 'क्या वह **अपने आप** झुका है?' (तथा) 'राजपूत वीर **अपने आपको** भूल गए।'

(उ) 'आप शब्द कभी-कभी वाक्य में अकेला आता है और अन्य पुरुष का बोधक होता है; जैसेआपने कुछ उपार्जन किया ही नहीं, जो था वह नाश हो गया (सत्य.)। 'होम करन लागे मुनि झारी। **आप** रहे मख की रखवारी।'

(ऊ) सर्वसाधारण के अर्थ में भी **'आप'** आता है, जैसे **'आप** भला तो जग भला' (कहा.)। '**अपने** से बड़े का आदर करना उचित है!'

(ऋ) 'आप' के बदले या उसके साथ बहुधा 'खुद' (उर्दू) 'स्वयं' वा 'स्वतः' (संस्कृत) का प्रयोग होता है। स्वयं, स्वतः और खुद हिंदी में अव्यय हैं और इनका प्रयोग बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता है। आदरसूचक 'आप' के साथ द्विरुक्ति के निवारण के लिए इनमें से किसी एक का प्रयोग करना आवश्यक है; जैसे'आप खुद यह बात समझ सकते हैं।' 'हम आज अपने आपको भी हैं स्वयं भूले हुए' (भारत.)। 'सुल्तान स्वतः वहाँ गए थे' (हित.)। हर आदमी खुद अपने ही को प्रचलित रीति-रस्मों का कारण बतलावे' (स्वा.)।

(ए) कभी-कभी 'आप' के साथ निज (विशेषण) संज्ञा के समान आता है, पर इसका प्रयोग केवल संबंधकारक में होता है। जैसे'हम तुम्हें एक अपने निज के काम में भेजा चाहते हैं' (मुद्रा.)।

(ऐ) 'आप शब्द से बना **आपस**' 'परस्पर' के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकारण कारक में होता है, जैसे'एक दूसरे की राय **आपस** में नहीं मिलती' (स्वा.)। '**आपस** की फूट बुरी होती है।'

(ओ) 'आप ही', 'अपने आप', 'आपसे आप' और 'आप ही आप' का अर्थ 'मन से वा स्वभाव से' होता है और इनका प्रयोग क्रियाविशेषण वाक्यांशों के समान होता है; जैसे'ये मानवी यंत्र **आप ही आप** घर बनाने लगे।' (स्वा.)। 'इं.(**आप ही आप**) नारद जी सारी पृथ्वी पर इधर-उधर फिरा करते हैं' (सत्य.)। 'मेरा दिल **आप से आप** उमड़ा आता है' (परी.)।

126. जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तीन हैंयह, वह, सो।

127. **यह**एकवचन।

इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है

(अ) पास की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए; जैसे' **यह** किसका पराक्रमी बालक है?' (शकु.)। '**यह** कोई नया नियम नहीं है' (स्वा.)।

(आ) पहले कही हुई संज्ञा या संज्ञावाक्यांशों के बदले; जैसे'माधवीलता तो मेरी बहिन है, **इसे** क्यों न सींचती' (शकु.)। 'भला सत्य धर्म पालना क्या हँसी-खेल है? यह आप ऐसे महात्माओं ही का काम है' (सत्य.)।

(इ) पहले कहे हुए वाक्य के स्थान में, जैसे'सिंह को मार मणि ले कोई जंतु एक अति डरावनी आड़ी गुफा में गया; **यह** सब हम अपनी आँखों देख आए' (प्रेम)। 'मुझको आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता। इसके सिवाय मुझे इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा करनी चाहिए थी' (परी.)।

(ई) पीछे आनेवाले वाक्य के स्थान में; जैसे'उन्होंने अब यह चाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही नियत किया करे' (स्वा.)। 'मुझे **इससे** बड़ा आनंद है कि भारतेंदु जी की सबसे पहले छेड़ी हुई यह पुस्तक आज पूरी हो गई' (रत्ना.)।

(सू.ऊपर के दूसरे वाक्य में जो 'यह' शब्द आया है, वह यहाँ सर्वनाम नहीं, किंतु विशेषण है; क्योंकि वह 'पुस्तक' संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनामों के विशेषणीभूत प्रयोगों का विचार आगे **(तीसरे अध्याय में)** किया जायगा।

(उ) कभी कभी संज्ञा या संज्ञावाक्यांश कहकर तुरंत ही उसके बदले निश्चय के अर्थ में 'यह' का प्रयोग होता है; जैसे'राम यह व्यक्तिवाचक **संज्ञा** है।' 'अधिकार पाकर कष्ट देना, यह बड़ों को शोभा नहीं देता' (सत्य)। 'शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना, यह भी धर्म के विरुद्ध है' (इति.)।

(सू.इस प्रकार की (मराठी प्रभावित) रचना का प्रचार घट रहा है।)

(ऊ) कभी-कभी यह क्रियाविशेषण के समान आता है और उसका अर्थ अभी वा अब होता है, जैसे'लीजिए महाराज यह मैं चला' (मुद्रा.)। 'यह तो आप मुझको लज्जित करते हैं' (परी.)।

(ओ) आदर और बहुत्व के लिए (दे. अंक128)।

128. येबहुवचन।

'ये' 'यह' का बहुवचन है। कोई-कोई लेखक बहुवचन में भी 'यह' लिखते हैं (दे. अंक122)। 'ये' (और कभी-कभी 'यह') का प्रयोग आदर के लिए भी होता है, जैसे'ये भी तो उसी का गुण गाते हैं' (सत्य.)। ये तेरे तप के फल कदापि नहीं; इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगाया है' (गुटका.)। 'ये वे ही हैं जिनसे इंद्र और बावन अवतार उत्पन्न हुए' (शकु.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) 'ये' के बदले आदर के लिए 'आप' का प्रयोग केवल बोलने में होता है और इसके लिए आदरपात्र की ओर हाथ बढ़ाकर संकेत करते हैं।

129. वह (एकवचन), वे (बहुवचन)।

हिंदी में कोई विशेष अन्य पुरुष सर्वनाम नहीं है। उसके बदले दूरवर्ती निश्चयवाचक 'वह' आता है। इस सर्वनाम के प्रयोग अन्य पुरुष के विवेचन में बता दिए गए हैं। (दे. अंक121-122)। इससे दूर की वस्तु का बोध होता है।

(अ) 'यह और 'ये' तथा 'वह' और 'वे' के प्रयोग में बहुधा स्थिरता नहीं पाई जाती। एक बार आदर वा बहुत्व के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करके लेखक लोग फिर उसी अर्थ में उस शब्द का दूसरा रूप लाते हैं; जैसे'यह टिड्डी दल की तरह इतने दाग कहाँ से आए? ये दाग वे दुर्वचन हैं जो तेरे मुख से निकला किए हैं। वह सब लाल-लाल फल मेरे दान से लगे हैं' (गुटका.)। 'ये सब बातें **हरिश्चंद्र** में सहज हैं।' 'अरे यह कौन देवता बड़े प्रसन्न होकर श्मशान पर एकत्र हो रहे हैं' (सत्य.)।

(सू.हमारी समझ में पहला रूप केवल आदर के लिए और दूसरा रूप बहुत्व के लिए लाना ठीक है।)

(आ) पहले कही हुई वस्तुओं में से पहली के लिए 'वह' और पिछली के लिए 'यह' आता है; जैसे'महात्मा और दुरात्मा में इतना ही भेद है कि **उनके मन, वचन** और कर्म एक रहते हैं, **इनके** भिन्न-भिन्न' (सत्य.)।

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय।
वह खाये बौरात हैं यह पाये बौराय॥ *(सत्य.)*

(इ) जिस वस्तु के संबंध में एक बार 'यह' आता है उसी के लिए कभी-कभी लेखक लोग असावधानी से तुरंत ही 'वह' लाते हैं; जैसे'भला महाराज, जब यह ऐसे दानी हैं तो **उनकी** लक्ष्मी कैसे स्थिर है?' (सत्य.)। जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था तब तो उनमें फल-फूल भी नहीं था।' (गुटका.)

(सू.सर्वनाम के प्रयोग में ऐसी अस्थिरता से आशय समझने में कठिनाई होती है और यह प्रयोग दूषित भी है।)

(ई) 'यह' के समान (दे. अंक127 ऊ) 'वह' भी कभी-कभी क्रियाविशेषण की नाईं प्रयुक्त होता है और उस समय उसका अर्थ 'वहाँ' वा 'इतना' होता है, जैसे'नौकर; वह जा रहा है।' 'लोगों ने चोर को वह मारा कि बेचारा अधमरा हो गया।'

130. **से** (दोनों वचन)।

यह **सर्वनाम बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम 'जो'** के साथ आता है (दे. अंक134)। और इसका अर्थ **संज्ञा** के वचन के अनुसार 'वह' वा 'वे' होता है; 'जैसे' **जिस** बात की चिंता महाराज को है सो (वह) कभी न हुई होगी।' 'जिन पौधों को तू सींच चुकी है **सो** (वे) तो इसी ग्रीष्म ऋतु से फूलेंगे' (शकु.)। 'आप जो न करो **सो** थोड़ा है' (मुद्रा.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) 'वह' वा 'वे' के समान 'सो' अलग वाक्य में नहीं आता और न उसका प्रयोग 'जो' के पहले होता है; परंतु कविता में बहुधा इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है; जैसे

'सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाय'। *(सत.)*

'सो सुनि भयउ भूप उर सोचू।' *(राम.)*

(आ) 'सो' कभी-कभी समुच्चयबोधक के समान उपयोग में आता है और उसका अर्थ 'इसलिए' या 'तब' होता है। जैसे'तैने भी उसका नाम कभी नहीं लिया सो क्या तू भी उसे मेरी भाँति भूल गया?' (शकु.)। 'मलयकेतु हम लोगों से लड़ने के लिए उद्यत हो रहा है; **सो** यह लड़ाई के उद्योग का समय है' (मुद्रा.)।

131. जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता, उसे **अनिश्चयवाचक** सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैंकोई और कुछ। 'कोई' और 'कुछ' में साधारण अंतर यह है कि 'कोई' पुरुष के लिए और 'कुछ' पदार्थ वा धर्म के लिए आता है।

132. **कोई** (दोनों वचन)

इसका प्रयोग एकवचन में बहुधा नीचे लिखे अर्थों में होता है

(अ) किसी अज्ञात पुरुष या बड़े जंतु के लिए; जैसे'ऐसा न हो कि **कोई** आ जाए' (सत्य.)। 'दरवाजे पर **कोई** खड़ा है।' 'नाली में **कोई** बोलता है।'

(आ) बहुत से ज्ञात पुरुषों में किसी अनिश्चित पुरुष के लिए; जैसे'है रे! कोई यहाँ?' (शकु.)।

रघुवंशिन महँ जहँ **कोउ** होई।

तेहि समाज अस कहहि न **कोई**॥ *(राम.)*

(इ) निषेधवाचक वाक्य में **'कोई'** का अर्थ 'सब' होता है, जैसे'बड़ा पद मिलने से **कोई** बड़ा नहीं होता' (सत्य.)। 'तू किसी को मत सता।'

(ई) **'कोई'** के साथ 'सब' और 'हर' (विशेषण) आते हैं। **'सब कोउ'** का अर्थ 'सब लोग' और **'हर कोई'** का अर्थ हर आदमी होता है। उदाहरण **'सब कोउ** कहत राम सुठि साधू' (राम.)। 'यह काम **हर कोई** नहीं कर सकता।'

(उ) अधिक अनिश्चय में 'कोई' के साथ 'एक' जोड़ देते हैं; जैसे **'कोई एक'** यह बात कहता था।'

(ऊ) किसी ज्ञात पुरुष को छोड़ दूसरे अज्ञात पुरुष का बोध कराने के लिए 'कोई' के साथ 'और' या 'दूसरा' लगा देते हैं, जैसेयह भेद **कोई और** न जाने।' **'कोई दूसरा** होता तो मैं उसे न छोड़ता।'

(ओ) आदर और बहुत्व के लिए भी **'कोई'** आता है। पिछले अर्थ में बहुधा 'कोई' की द्विरुक्ति होती है; जैसे'मेरे घर कोई आए हैं।' **कोई-कोई** पोप के अनुयायियों ही को नहीं देख सकते।' (स्वा.)। **'किसी-किसी** की राय में विदेशी शब्दों का उपयोग मूर्खता है' (सर.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(ए) अवधारण के लिए 'कोई-कोई' के बीच में 'न' लगा दिया जाता है; जैसेयह काम **कोई न कोई** अवश्य करेगा।

(ऐ) **'कोई-कोई'** इन दुहरे शब्दों में विचित्रता सूचित होती है; जैसे **'कोई** कहती थी यह उचक्का है, **कोई** कहती थी एक पक्का है' (गुटका.)। **'कोई** कुछ कहता है, **कोई** कुछ।' इसी अर्थ में **'इक इक'** आता है, जैसे

'इक प्रविशहिं इक निर्गमहिं भीर भूप दरबार।' *(राम.)*

(ओ) संख्यावाचक विशेषण के पहले 'कोई' परिमाणवाचक क्रियाविशेषण के समान आता है और उसका अर्थ 'लगभग' होता है; जैसे'इसमें कोई 400 पृष्ठ हैं' (सर.)।

133. **कुछ** (एकवचन)।

दूसरे सर्वनामों के समान 'कुछ' का रूपांतर नहीं होता। इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है। जब इसका प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, तब यह नीचे लिखे अर्थों में आता है

(अ) किसी अज्ञात पदार्थ वा धर्म के लिए; जैसेमेरे मन में आती है कि इससे **कुछ** पूछूँ' (शकु.)। 'घी में **कुछ** मिला है।'

(आ) छोटे जंतु या पदार्थ के लिए; जैसे'पानी में **कुछ** है।'

(इ) कभी-कभी **'कुछ'** परिमाणवाचक क्रियाविशेषण के समान आता है। इस अर्थ में कभी-कभी उसकी द्विरुक्ति भी होती है। उदाहरणतेरे शरीर का ताप कुछ घटा कि नहीं?' (शकु.)। 'उसने उसके **कुछ** खिलाफ कार्रवाई की है' (स्वा.)। 'लड़की **कुछ** छोटी है।' दोनों की आकृति **कुछ-कुछ** मिलती है।

(ई) आश्चर्य, आनंद वा तिरस्कार के अर्थ में भी **'कुछ'** क्रियाविशेषण होता है; जैसे'हिंदी कुछ संस्कृत तो है नहीं' (सर.)। 'हम लोग **कुछ** लड़ते नहीं हैं।' 'मेरा हाल **कुछ** न पूछो।'

(उ) अवधारण के लिए **'कुछ न कुछ'** आता है; जैसे **'आर्य** जाति ने दिशाओं के नाम कुछ न कुछ रख लिया होगा' (सर.)।

(ऊ) किसी ज्ञात पदार्थ वा धर्म को छोड़कर दूसरे अज्ञात पदार्थ वा धर्म का बोध कराने के लिए **'कुछ'** के साथ **'और'** आता है; जैसेतेरे मन **'कुछ'** और ही है' (शकु.)।

(ऋ) भिन्नता या विपरीतता सूचित करने के लिए **'कुछ का कुछ'** आता है, जैसे'आपने **कुछ का कुछ** समझ लिया।' 'जिनसे ये **कुछ के कुछ** हो गए' (इति.)।

(ॠ) 'कुछ' के साथ 'सब' और 'बहुत' आते हैं। 'सब कुछ' का अर्थ 'सब पदार्थ वा धर्म' है, और 'बहुत कुछ' का अर्थ 'बहुत से पदार्थ वा धर्म' अथवा 'अधिकता' से है। उदाहरण'हम समझते **सब कुछ** हैं' (सत्य.)। 'लड़का **बहुत कुछ** दौड़ता है। 'यों भी **बहुत कुछ** ही रहेगा' (सत्य.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(ए) 'कुछ कुछ' ये दुहरे शब्द विचित्रता सूचित करते हैं; जैसे' **एक कुछ** कहता और दूसरा **कुछ**' (इति.)। '**कुछ** तेरा गुरु जानता है, **कुछ** मेरे से लोग जानते हैं।' **(मुद्रा)।**

(ऐ) 'कुछ-कुछ' कभी-कभी समुच्चयबोधक के समान आकर दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे'छापे की भूलें **कुछ** प्रेस की असावधानी से और कुछ लेखकों के आलस से होती हैं' (सर.)। '**कुछ** तुम समझे, **कुछ** हम समझे' (कहा.)। '**कुछ** हम खुले, **कुछ** वह **खुले।**'

(ओ) 'कुछ-कुछ' से कभी-कभी 'अयोग्यता' का **अर्थ** पाया जाता है; जैसे' **कुछ** तुमने कमाया, **कुछ** तुम्हारा भाई कमावेगा।'

134. **जो** (दोनों वचन)।

हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम एक ही है; इसलिए न्यायशास्त्र के अनुसार इसका लक्षण नहीं बताया जा सकता। भाषाभास्कर को छोड़कर प्रायः सभी व्याकरणों में संबंधवाचक सर्वनाम का लक्षण नहीं दिया गया। भाषाभास्कर में जो लक्षण[1] है वह भी स्पष्ट नहीं है। लक्षण के अभाव के यहाँ इस सर्वनाम के केवल प्रयोग लिखे जाते हैं।

(अ) **'जो'** के साथ **'सो'** वा **'वह'** का नित्य संबंध रहता है। 'सो' वा 'वह' निश्चयवाचक सर्वनाम है; परंतु संबंधवाचक सर्वनाम के साथ आने पर इसे **नित्यसंबंधी** सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आता है, उसका संबंध एक दूसरे वाक्य से रहता है जिसमें **नित्यसंबंधी** सर्वनाम आता है; जैसे'जो बोले सो घी को जाय' (कहा.)। '**जो** हरिश्चंद्र ने किया वह तो अब कोई भी भारतवासी न करेगा' (सत्य.)।

(आ) संबंधवाचक और **नित्यसंबंधी** सर्वनाम एक ही संज्ञा के बदले आते हैं। जब इस संज्ञा का प्रयोग होता है, तब यह बहुधा पहले वाक्य में आता है और संबंधवाचक सर्वनाम दूसरे वाक्य में आता है; जैसेयह शिक्षा उन अध्यापकों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, जो अपने ज्ञान की बिक्री करते हैं' (हिं. ग्रा.)। 'यह नारी कौन है **जिसका** रूप वस्त्रों में झलक रहा है' (शकु.)।

(इ) जिस संज्ञा के बदले संबंधवाचक और नित्यसंबंधी सर्वनाम आते हैं, उसके अर्थ की स्पष्टता के लिए बहुधा दोनों सर्वनामों में से किसी एक का प्रयोग विशेषणों के समान करके उसके पश्चात् पूर्वोक्त संज्ञा को लाते हैं; जैसे'क्या आप फिर उस परदे को डाला चाहते हैं, जो सत्य ने मेरे सामने से हटाया?' (गुटका.)। 'श्रीकृष्ण ने उन लकीरों को गिना **जो** उसने खैंची थीं' (प्रेम.)। '**जिस** हरिश्चंद्र ने उदय से अस्त तक की पृथ्वी के लिए धर्म न छोड़ा **उसका धर्म** आध गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ' (सत्य.)।

---

1. 'संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, जो कही हुई संज्ञा से कुछ वर्णन मिलाता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(ई) नित्यसंबंधी 'सो' की अपेक्षा 'वह' का प्रचार अधिक है। कभी-कभी उसके बदले 'यह', 'ऐसा', 'सब' और 'कौन' आते हैं; जैसे' **जिस** शकुंतला ने तुम्हारे बिना सींचे कभी जल भी नहीं पिया, **उसको** तुम पति के घर जाने की आज्ञा दो' (शकु.) 'संसार में **ऐसी** कोई चीज न थी, **जो** उस राजा के लिए अलभ्य होती' (रघु.)। 'वह **कौन सा** उपाय है, **जिससे** यह पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे?' (गुटका.)। '**सब** लोग **जो** यह तमाशा देख रहे थे, अचरज करने लगे।'

(उ) कभी-कभी संबंधवाचक सर्वनाम अकेला पहले वाक्य में आता है और उसकी संज्ञा दूसरे वाक्य में बहुधा 'ऐसा' वा 'वह' के साथ आती है, जैसे' **जिसने** कभी कोई पापकर्म नहीं किया था **ऐसे** राजा रघु ने यह उत्तर दिया' (रघु.)।

'प्रभु **जो** दीन्ह **सो** वर मैं पावा।' (राम.)

(ऊ) 'जो' कभी-कभी एक वाक्य के बदले (बहुधा उसके पीछे) समुच्चयबोधक के समान आता है; जैसे' **आ वेग वेग** चली आ, **जिससे** सब एक संग क्षेम-कुशल से **कुटी** में पहुँचे' (शकु.)। 'लोहे के बदले उसमें सोना काम में आवे, **जिससे** भगवान् भी उसे देखकर **प्रसन्न** हो जावें' (गुटका.)।

(ऋ) आदर और बहुत्व के लिए भी 'जो' आता है; जैसे'यह चारों कवित्त श्री बाबू गोपालचंद्र के बनाए हैं, जो कविता में अपना नाम गिरधरदास रखते थे।' (सत्य.) 'यहाँ तो वे ही बड़े हैं जो दूसरे को दोष लगाना पढ़े हैं' (शकु.)।

(ए) '**जो** के साथ कभी-कभी आगे या पीछे, फारसी का संबंधवाचक सर्वनाम 'कि' आता है (पर अब उसका प्रचार घट रहा है); जैसे'किसी समय राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानी हो गया है कि **जिसकी** कीर्ति संसार में अब तक छाय रही है' (प्रेम.)। 'कौन-कौन से समय के फेरफार इन्हें झेलने पड़े कि **जिनसे** वे कुछ के कुछ हो गए' (इति.)। 'अशोक ने उन दुखियों और घायलों को पूर्ण सहायता पहुँचाई, **जो** कि युद्ध में घायल हुए थे।' 'कलिंग उसी प्रकार नष्ट हो गया, **जिस प्रकार** कि एक पतिंगा जल जाता है' (निबंध)।

(ऐ) समूह के अर्थ में संबंधवाचक और नित्यसंबंधी सर्वनाम से बहुधा दोनों की अथवा एक की द्विरुक्ति होती है; जैसे'त्यों हरिचंद जू जो जो कह्यो **सो** कियो चुप ह्वै करि कोटि उपाई' (सुंदरी.)। 'कन्या के विवाह में हमें **जो जो** वस्तु चाहिए **सो सो** सब इकट्ठी करो।'

(ओ) कभी-कभी संबंधवाचक वा नित्यसंबंधी सर्वनाम का लोप होता है; जैसे'हुआ सो हुआ' (शकु.)। 'जो पानी पीता है आपको असीस देता है' (गुटका.)। कभी-कभी दूसरे वाक्य ही का लोप होता है; जैसे **'जो आज्ञा।' जो हो।'** (सूयह प्रयोग कभी-कभी संयोजक क्रियाविशेषणों के साथ भी होता है। दे. अंक213।)

(औ) 'जो कभी-कभी समुच्चयबोधक के समान आता है और उसका अर्थ 'यदि' वा 'कि' होता है; जैसे'क्या हुआ **जो** अब की लड़ाई में हारे' (प्रेम.)। 'हर

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

किसी की सामर्थ नहीं **जो** उसका सामना करे।' (तथा) '**जो** सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई' (गुटका.)।

(क) 'जो के साथ अनिश्यचवाचक सर्वनाम भी जोड़े जाते हैं। 'कोई' और 'कुछ' के अर्थों में जो अंतर है, वही 'जो कोई' और 'जो कुछ' के अर्थों में भी है; जैसे **'जो कोई** नल को घर में घुसने देगा, जान से हाथ धोएगा' (गुटका.)। 'महाराज, **जो** कुछ कहो बहुत समझ-बूझकर कहियो।' (शकु.)।

135. प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है; उन्हें **प्रश्नवाचक सर्वनाम** कहते हैं। ये दो हैंकौन और क्या।

136. 'कौन' और 'क्या' के प्रयोगों में साधारण अंतर वही है, जो 'कोई' और 'कुछ' के प्रयोगों में है (दे. अंक132-133)। 'कौन' प्राणियों के लिए और विशेषकर मनुष्यों के लिए और 'क्या' क्षुद्र प्राणी, पदार्थ वा धर्म के लिए आता है; जैसे'हे महाराज, आप कौन हैं?' (गुटका.) 'यह आशीर्वाद किसने दिया था?' (शकु.)। 'तुम **क्या** कर सकते हो?' '**क्या** समझते हो?' (सत्य.)। '**क्या** है?' '**क्या** हुआ?'

137. 'कौन' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है

(अ) निर्धारण के अर्थ में 'कौन' प्राणी, पदार्थ और धर्म तीनों के लिए आता है; जैसे

'ह.तो हम एक नियम पर बिकेंगे।'

'ध.वह **कौन**?' (सत्य.)।

'इसमें पाप **कौन** है पुण्य **कौन है**' (गुटका.)। '**यह कौन है,** जो मेरे अंचल को नहीं छोड़ता?' (शकु.)।

इसी अर्थ में कौन के साथ बहुधा 'सा' प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे'मेरे ध्यान में नहीं आता कि महारानी शकुंतला **कौन सी** है' (शकु.)। 'तुम्हारा घर **कौन सा** है?'

(आ) तिरस्कार के लिए, जैसे'रोकनेवाली तुम कौन हो' (शकु.)। ' **कौन** जाने!' 'स्वर्ग! **कौन** कहे आपने अपने सत्यबल से ब्रह्म पद पाया।'

(इ) आश्चर्य अथवा दुख में; जैसे'इनमें क्रोध की बात कौन सी है।' 'अरे! हमारी बात का यह उत्तर **कौन** देता है?' (सत्य.)। 'अरे! आज मुझे किसने लूट लिया!' (तथा)

(ई) 'कौन' कभी-कभी 'कब' के अर्थ में क्रियाविशेषण होता है, जैसेआपको सत्संग कौन दुर्लभ है' (सत्य.)।

(उ) वस्तुओं की भिन्नता, असंख्यता और तत्संबंधी आश्चर्य दिखाने के लिए 'कौन' की द्विरुक्ति होती है; जैसे'सभा में **कौन-कौन** आए थे?' 'मैं किस किसको बुलाऊँ!' 'तूने पुण्यकर्म **कौन-कौन** से किए हैं?' (गुटका.)।

138. '**क्या** नीचे लिखे अर्थों में आता है

(अ) किसी वस्तु का लक्षण जानने के लिए; जैसे'मनुष्य क्या है?' 'आत्मा क्या है?' 'धर्म **क्या** है'।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.इसी अर्थ में कौन का रूप **'किसे'** या **'किसको'** 'कहना' क्रिया के साथ आता है; जैसे'नदी किसे कहते हैं?')

(आ) किसी वस्तु के लिए तिरस्कार वा अनादर सूचित करने में, जैसेक्या हुआ जो अबकी लड़ाई में हारे?' (प्रेम.)। 'भला हम दास लेके **क्या** करेंगे?' (सत्य.)। 'धन तो **क्या** इस काम में, तन भी लगाना चाहिए!' 'क्या जाने।'

(इ) आश्चर्य में; जैसे'ऊषा **क्या** देखती है कि चहुँ ओर बिजली चमकने लगी!' (प्रेम.)। **'क्या** हुआ'। वाह! **क्या** कहना है!'

(सू.इसी अर्थ में **'क्या'** बहुधा क्रियाविशेषण के समान आता है; जैसेघुड़दौड़ क्या है, उड़ आए हैं' (शकु.)। **'क्या** अच्छी बात है!' 'वह आदमी **क्या** राक्षस' है?

(ई) धमकी में; जैसे'तुम यह **क्या** करते हो!' 'तुम यहाँ **क्या** बैठे हो?'

(उ) किसी वस्तु की दशा बताने में; जैसे'हम कौन थे **क्या** हो गए हैं और **क्या** होंगे अभी' (भारत.)।

(ऊ) कभी-कभी 'क्या' का प्रयोग विस्मयादिबोधक के समान होता है

(1) प्रश्न करने के लिए, जैसे'क्या गाड़ी चली गई?'

(2) आश्चर्य सूचित करने के लिए, जैसे'क्या तुमको चिह्न दिखाई नहीं देते!' (शकु.)।

(ऋ) आवश्यकता के अर्थ में भी **'क्या'** क्रियाविशेषण होता है, जैसेहिंसक जीव मुझे **क्या** मारेंगे?' (रघु.)। 'उसके मारने से परलोक **क्या** बिगड़ेगा?' (गुटका.)।

(ॠ) निश्चय कराने में भी **'क्या'** क्रियाविशेषण के समान आता है, जैसे'सरोजिनीमाँ! मैं यह **क्या** बैठी हूँ?' (सरो.)। 'सिपाही वहाँ **क्या जा** रहा है?' इन वाक्यों में क्या का अर्थ 'अवश्य' वा 'निस्सन्देह है।

(ए) बहुत्व वा आश्चर्य में 'क्या' की द्विरुक्ति होती है, जैसे'विष देनेवाले लोगों ने क्या-क्या किया?' (मुद्रा.)। 'मैं **क्या-क्या** कहूँ?'

(ऐ) **क्या क्या,** इन दुहरे शब्दों का प्रयोग समुच्चयबोधक के समान होता है, जैसे **क्या** मनुष्य और क्या जीव-जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं का भला करने में गँवाया' (गुटका.)। (दे. अंक244)

139. दशांतर सूचित करने के लिए, 'क्या से क्या' वाक्यांश आता है; जैसे'हम आज क्या से क्या हुए!' (भारत.)

140. पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों में अवधारण के लिए, 'ही', हीं वा 'ई' प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसेमैं = मैंही, तू = तूही, हम =हमीं, तुम = तुम्हीं, आप = आपही, वह = वही, सो = सोई, यह = यही, वे = वेही, ये = येही। (क) अनिश्चयवाचक सर्वनामों में 'भी' अव्यय जोड़ा जाता है; जैसे'कोई भी', 'कुछ भी।'

(टि.हिंदी के भिन्न-भिन्न व्याकरणों में सर्वनामों की संख्या और वर्गीकरण

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

के संबंध में बहुत कुछ मतभेद है। हिंदी के जो व्याकरण (एथरिंगटन, कैलाग, ग्रीब्ज आदि) अँगरेज विद्वानों ने लिखे हैं और जिनकी सहायता प्रायः सभी हिंदी व्याकरणों में पाई जाती है, उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी भाषा के संबंध में केवल वही लोग प्रमाण माने जा सकते हैं जिनकी वह भाषा है, चाहे उन्होंने अपनी भाषा का व्याकरण विदेशियों की सहायता से सीखा हो। इसके सिवा यह व्याकरण हिंदी में लिखा गया है; इसलिए हमें केवल हिंदी में लिखे हुए व्याकरणों पर विचार करना चाहिए, यद्यपि इनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके लेखकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। पहले हम इन व्याकरणों में दी हुई सर्वनामों की संख्या का विचार करेंगे।)

सर्वनामों की संख्या 'भाषाप्रभाकर' में आठ, 'हिंदी व्याकरण' में सात और 'हिंदी बालबोध व्याकरण' में कोई सत्रह है। ये तीनों व्याकरण औरों से पीछे के हैं, इसलिए हमें समालोचना के निमित्त इन्हीं की बातों पर विचार करना है। अधिक पुस्तकों के गुण-दोष दिखाने के लिए इस पुस्तक में स्थान की संकीर्णता है।

(1) भाषाप्रभाकरमैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन।

(2) हिंदी व्याकरणमैं, तू, आप, यह, वह, जो, कौन।

(3) हिंदी बालबोध व्याकरणमैं, तू, वह, जो, सो, कौन, क्या, यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, दोनों, एक दूसरा, कई एक आप।

'भाषाप्रभाकर' में 'क्या', 'कुछ' और 'आप' अलग-अलग सर्वनाम नहीं माने गए हैं, यद्यपि सर्वनामों के वर्णन में इनका अर्थ दिया गया है। इनमें भी आपका केवल 'आदरसूचक' प्रयोग बताया गया है। फिर आगे अव्ययों में 'क्या' और 'कुछ का उल्लेख किया गया है, परंतु वहाँ भी इनके संबंध में कोई बात स्पष्टता से नहीं लिखी गई। ऐसी अवस्था में समालोचना करना वृथा है।

'हिंदी व्याकरण' में 'सो', 'कोई', 'क्या' और 'कुछ' सर्वनाम नहीं माने गए हैं। पर लेखक ने पुस्तक में सर्वनाम का जो लक्षण[1] दिया है उसमें इन शब्दों का अंतर्भाव होता है, और उन्होंने स्वयं एक स्थान में (पृ. 81) 'कोई को सर्वनाम के समान लिखा है; फिर न जाने क्यों यह शब्द भी सर्वनामों की सूची में नहीं रखा गया? 'क्या' और 'कुछ' के विषय में अव्यय होने की संभावना है, पर 'सो' और 'कोई' के विषय में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि इनके रूप और प्रयोग 'वह' 'जो' 'कौन' के नमूने पर होते हैं। जान पड़ता है कि मराठी में 'कोण' शब्द प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों होने के कारण लेखक ने 'कोई' को 'कौन' के अंतर्गत माना है, परंतु हिंदी में 'कौन' और 'कोई' के रूप और प्रयोग अलग-अलग हैं। लेखक ने कोई 150 अव्ययों की सूची में 'कुछ', 'क्या' और 'सो' लिखे हैं, पर

1. 'सर्वनाम उसे कहते हैं जो नाम के बदले में आया हो।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

इन बहुत से शब्दों में केवल दो या तीन के प्रयोग बताए गए हैं, और उनमें भी 'कुछ', 'क्या' और 'सो' का नाम तक नहीं है। बिना किसी वर्गीकरण के (चाहे वह पूर्णतया न्यायसंगत न हो) केवल वर्णमाला के क्रम से 150 अव्ययों की सूची दे देने से उनका स्मरण कैसे रह सकता है और उनके प्रयोग का क्या ज्ञान हो सकता है? यदि किसी शब्द को केवल 'अव्यय' कहने से काम चल सकता है, तो फिर विकारी शब्दों के जो भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो लेखक ने माने हैं, उनकी भी क्या आवश्यकता है?

'हिंदी बालबोध व्याकरण' में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। लेखक ने 'कोई' और 'कुछ' के साथ 'सब' को अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना है और 'एक', 'दूसरा', 'दोनों', 'एक दूसरा', 'कई एक' आदि को विषयवाचक सर्वनामों में लिखा है। ये सब शब्द यथार्थ में विशेषण हैं, क्योंकि इनके रूप और प्रयोग विशेषणों के समान होते हैं। 'एक लड़का', 'दस लड़के', और 'सब लड़के', इन वाक्यांशों में संज्ञा के अर्थ के संबंध में 'एक', 'दस' और 'सब' का प्रयोग व्याकरण में एक ही सा हैअर्थात् तीनों शब्द 'लड़का' संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। इसलिए यदि 'दस' विशेषण है, तो 'सब' भी विशेषण है। हाँ, कभी-कभी विशेष्य के लोप होने पर ऊपर लिखे शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है; पर प्रयोग की भिन्नता और भी कई शब्द भेदों में पाई जाती है। हमने इन सब शब्दों को विशेषण मानकर एक अलग ही वर्ग में रखा है। जिन शब्दों को बालबोध व्याकरण के कर्ता ने निश्चयवाचक सर्वनाम माना है, वे सर्वनाम माने जाने पर भी निश्चयात्मक नहीं हैं। उदाहरण के लिए 'एक' और 'दूसरा' शब्द लीजिए। इनका प्रयोग 'कोई' के समान होता है, जो अनिश्चयवाचक है, तब वह अवश्य निश्चयवाचक विशेषण (जो सर्वनाम) होता है, परंतु समालोचित पुस्तक में इन सर्वनामों के प्रयोगों के उदाहरण नहीं हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक ने किस अर्थ में इन्हें निश्चयवाचक माना है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऊपर कही हुई तीनों पुस्तकों में जो कई शब्द सर्वनामों की सूची में दिए गए हैं, अथवा छोड़ दिए गए हैं, उनके लिए कोई प्रबल कारण नहीं है। अब सर्वनामों के वर्गीकरण का कुछ विचार करना चाहिए।

'भाषाप्रभाकर' और 'हिंदी बालबोध व्याकरण' में सर्वनामों के पाँच भेद माने गए हैं, पर दोनों में निजवाचक सर्वनाम न अलग माना गया है और न किसी भेद के अंतर्गत लिखा गया है। यद्यपि सर्वनामों के विवेचन में इसका कुछ उल्लेख हुआ है, तथापि वहाँ भी 'आदरसूचक' के अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं बताया गया। हम इस अध्याय में बता चुके हैं कि हिंदी में 'आप' एक अलग सर्वनाम है, जो मूल में निजवाचक है और उसका एक प्रयोग आदर के लिए होता है। दोनों पुस्तकों में 'सो' संबंधवाचक लिखा गया है; पर यह सर्वनाम 'वह' का पर्यायवाची होने के कारण यथार्थ में निश्चयवाचक है और कभी-कभी यह संबंधवाचक 'जो' के बिना भी आता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

'हिंदी व्याकरण' में संस्कृत की देखादेखी सर्वनामों के भेद ही नहीं किए गए हैं। पर एक-दो स्थानों में (दे. पृ. 90-91) 'निजवाचक आप' शब्द का उपयोग हुआ है, जिससे सर्वनामों के किसी न किसी वर्गीकरण की आवश्यकता जान पड़ती है। न जाने लेखक ने इनका वर्गीकरण क्यों नहीं आवश्यक समझा?

141. 'यह', 'वह', 'सो', 'जो', और 'कौन' के रूप 'इस' 'उस', 'तिस', 'जिस', और 'किस' के अंत्य 'स' के स्थान में 'तना' आदेश करने से परिणामवाचक विशेषण और 'इ' को 'ऐ' तथा 'उ' को 'वै' करके 'सा' आदेश करने से गुणवाचक विशेषण बनते हैं। दूसरे सार्वनामिक विशेषणों के समान ये शब्द प्रयोग में कभी सर्वनाम और कभी विशेषण होते हैं। कभी-कभी वे क्रियाविशेषण भी होते हैं। इसके प्रयोग आगे विशेषण के अध्याय में लिखे जायँगे।

नीचे के कोठे में इनकी व्युत्पत्ति समझाई जाती है

सर्वनाम	रूप	परिमाणवाचक विशेषण	गुणवाचक विशेषण
यह	इस	इतना	ऐसा
वह	उस	उतना	वैसा
सो	तिस	तितना	तैसा
जो	जिस	जितना	जैसा
कौन	किस	कितना	कैसा

सर्वनामों की व्युत्पत्ति

142. हिंदी के सब सर्वनाम प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे

संस्कृत	प्राकृत	हिंदी
अहम्	अम्ह	मैं, हम
त्वम	तुम्ह	तू, तुम
एषः	एअ	यह, ये
सः	सो	सो, वह, वे
यः	जो	जो
कः	को	कौन
किम्	किम्	क्या
कोऽपि	कोवि	कोई
आत्मन्	अप्प	आप
किंचित्	किंचि	कुछ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

तीसरा अध्याय
विशेषण

143. जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं, जैसेबड़ा, काला; दयालु, भारी, एक, दो, सब। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे **विशेष्य** कहते हैं, जैसे'काला घोड़ा' वाक्यांश में 'घोड़ा' संज्ञा 'काला' विशेष्य है। 'बड़ा घर' में 'घर' विशेष्य है।

(टि.'हिंदी व्याकरण' में संज्ञा के तीन भेद किए गए हैंनाम, सर्वनाम और विशेषण। दूसरे व्याकरणों में भी विशेषण संज्ञा का एक उपभेद माना गया है। इसलिए यहाँ यह प्रश्न है कि विशेषण एक प्रकार की संज्ञा है अथवा एक अलग शब्दभेद है। इस शंका का समाधान यह है कि सर्वनाम के समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा ही है; क्योंकि विशेषण भी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम है। पर इसको अलग शब्दभेद मानने का यह कारण है कि इसका उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता और इससे संज्ञा का केवल धर्म सूचित होता है; 'काला' कहने से घोड़ा, कपड़ा, दाग, आदि किसी भी वस्तु के धर्म की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है; परंतु उस धर्म का नाम 'काला' नहीं है; किंतु 'कालापन' है। जब विशेषण अकेला आता है, तब उससे पदार्थ का बोध होता है और उसे संज्ञा कहते हैं। उस समय उसमें संज्ञा के समान विकार भी होते हैं; जैसेइसके बड़ों का यह संकल्प है' (शकु.)। 'भले भलाई पै लहहिं' (राम.)!

सब विशेषण विकारी शब्द नहीं हैं; परंतु विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान हो सकता है, और उस समय इनमें रूपांतर होता है। इसलिए विशेषण को **'विकारी शब्द'** कहना उचित है। इसके सिवा कोई-कोई लेखक संस्कृत की चाल पर विशेष्य के अनुसार विशेषण का भी रूपांतर करते हैं, जैसे' **मूर्तिमती** यह सुंदरता है।' (क.क.)। 'पुरवासिनी स्त्रियाँ' (रघु.)।

विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता हैइस उक्ति का अर्थ यह है कि विशेषणरहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है, उनकी संख्या विशेषण के योग से कम हो जाती है। 'घोड़ा' शब्द से जितने प्राणियों का बोध होता है, उतने प्राणियों का बोध 'काला घोड़ा' शब्द से नहीं होता। 'घोड़ा' शब्द जितना व्यापक है, उतना 'काला घोड़ा' शब्द नहीं है। 'घोड़ा' शब्द की व्याप्ति (विस्तार) 'काला' शब्द से मर्यादित (संकुचित) होती है, अर्थात् 'घोड़ा' शब्द अधिक प्राणियों का बोधक है और 'काला घोड़ा' शब्द उससे कम प्राणियों का बोधक है।

'हिंदी बालबोध व्याकरण' में विशेषण का यह लक्षण दिया हुआ है'संज्ञावाचक शब्द के गुणों को जतानेवाले शब्दों को **गुणवाचक** शब्द कहते हैं।' इस परिभाषा में अव्याप्ति दोष है; क्योंकि कोई-कोई विशेषण केवल संख्या और कोई-कोई केवल दशा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

प्रकट करते हैं, फिर 'गुण' शब्द से इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी आ सकता है; क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी 'गुण' जतानेवाली है। इसके सिवा इस लक्षण में 'संज्ञा' के लिए व्यर्थ ही 'संज्ञावाचक शब्द' और 'विशेषण' के लिए 'गुणवाचक' तथा 'गुणवाचक शब्द' लाया गया है। जान पड़ता है कि लेखक ने 'संज्ञा' शब्द का प्रयोग मराठी के अनुकरण पर, नाम के अर्थ में किया है।)

144. व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है वह उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता है; जैसेपतिव्रता सीता, प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर इत्यादि। इन उदाहरणों में विशेषण संज्ञा के अर्थ स्पष्ट करते हैं। 'पतिव्रता सीता' वही व्यक्ति है, जो 'सीता' है। इसी प्रकार 'भोज' और 'प्रतापी भोज' एक ही व्यक्ति के नाम हैं। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो शब्द आते हैं वे **समानाधिकरण** कहाते हैं (दे. अंक560)। ऊपर के वाक्यों में 'पतिव्रता', 'प्रतापी' और 'दयालु' समानाधिकरण विशेषण हैं।

145. जातिवाचक संज्ञा के साथ उसका साधारण धर्म सूचित करनेवाला विशेषण **समानाधिकरण** होता है; जैसेमूक पशु, अबोध बच्चा, काल कौआ, ठंढी बर्फ इत्यादि। इन उदाहरणों में विशेषणों के कारण संज्ञा की व्यापकता कम नहीं होती।

146. विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है(1) संज्ञा के साथ, (2) क्रिया के साथ। पहले प्रयोग को **विशेष्य विशेषण** और दूसरे को **विधेय विशेषण** कहते हैं। विशेष्य विशेषण, विशेष्य के पूर्व और विधेय विशेषण, क्रिया के पहले आता है; जैसे' **ऐसी सुडौल** चीज कहीं नहीं बन सकती।' (परी.)। 'हमें तो संसार **सूना** देख पड़ता है' (सत्य.)। 'यह बात **सच** है।'

(क) विधेयविशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे'यह ब्राह्मण **चपल** है।' इस वाक्य में 'यह' शब्द के कारण 'ब्राह्मण' संज्ञा की व्यापकता घटती है; परंतु 'चपल' शब्द उस व्यापकता को और कम नहीं करता। उसमें ब्राह्मण के विषय में केवल एक बातचपलताजानी जाती है।

147. विशेषण के मुख्य तीन भेद किए जाते हैं(1) सार्वनामिक विशेषण, (2) गुणवाचक विशेषण और (3) संख्यावाचक विशेषण।

(सू.यह वर्गीकरण न्यायदृष्टि से नहीं; किंतु उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों से बनते हैं; इसलिए दूसरे विशेषणों से उनका एक अलग वर्ग मानना उचित है। फिर व्यवहार में गुण और संख्या भिन्न-भिन्न धर्म हैं, इसलिए इन दोनों के विचार से विशेषण के और दो भेदगुणवाचक और संख्यावाचक किए गए हैं।)

(1) सार्वनामिक विशेषण

148. पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। जब ये शब्द अकेले आते हैं; तब सर्वनाम होते

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

हैं और जब इनके साथ संज्ञा आती हैं तब ये विशेषण होते हैं, जैसे'नौकर आया; वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में 'वह' सर्वनाम है, क्योंकि वह नौकर संज्ञा के बदले आया है, 'वह नौकर नहीं आया'यहाँ 'वह' विशेषण है क्योंकि 'वह' 'नौकर' संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है; अर्थात् उसका निश्चय बताता है। इसी तरह 'किसी को बुलाओ' और 'किसी ब्राह्मण को बुलाओ'इन वाक्यों में किसी क्रमशः सर्वनाम और विशेषण हैं।

149. पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम (से, तू, आप) संज्ञा के साथ आकर उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करते; जैसे'मैं मोहनलाल इकरार करता हूँ।' इस वाक्य में मैं' शब्द विशेषण के समान मोहनलाल संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, किंतु यहाँ 'मोहनलाल' शब्द 'मैं' के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आया है। कोई-कोई यहाँ मैं को विशेषण कहेंगे, परंतु यहाँ मुख्य विधान 'मैं' के विषय में है क्रिया भी उसी के अनुसार है। जो विशेषण विशेष्य के साथ आता है, उस विशेषण के विषय में विधान नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ 'मैं' और 'मोहनलाल' समानाधिकरण शब्द हैं; विशेषण और विशेष्य नहीं हैं। इसी तरह 'लड़का आप आया था'इस वाक्य में 'आप' शब्द विशेषण नहीं है; किंतु 'लड़का' संज्ञा का समानाधिकरण शब्द है।

150. सार्वनामिक विशेषण व्युत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं

(1) **मूल सर्वनाम,** जो बिना किसी रूपांतर के **संज्ञा** के साथ आते हैंजैसे **वह, घर, वह** लड़का, **कोई** नौकर, कुछ काम इत्यादि (दे. अंक114)।

(2) **यौगिक सर्वनाम** (दे. अंक141), जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं और संज्ञा के साथ आते हैं; जैसे **ऐसा** आदमी, **कैसा** घर, **उतना** काम, **जैसा** देश **वैसा** भेष इत्यादि।

151. मूल सार्वनामिक विशेषणों का अर्थ बहुधा सर्वनामों ही के समान होता है; परंतु कहीं-कहीं उनमें कुछ विशेषता पाई जाती है।

(अ) **'वह' 'एक'** के साथ आकर अनिश्चयवाचक होता है; जैसे' **वह एक** मनिहारिन आ गई थी।' (सत्य.)।

(सू.गद्य में 'सा' का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान नहीं होता।)

(आ) 'कौन' और 'कोई' प्राणी, पदार्थ वा धर्म के नाम के साथ आते हैं; जैसे **कौन** मनुष्य? **कौन** जानवर? **कौन** कपड़ा? **कौन** बात? **कोई** मनुष्य। **कोई** जानवर। **कोई** कपड़ा। **कोई** बात। इत्यादि।

(इ) आश्चर्य में 'क्या' प्राणी, पदार्थ वा धर्म तीनों के नाम के साथ आता है; जैसे'तुम भी क्या आदमी हो!' 'यह **क्या** लड़की है?' **क्या** बात है!' इत्यादि।

(ई) प्रश्न में 'क्या' बहुधा भाववाचक संज्ञाओं के साथ आता है; जैसे **क्या** काम? **क्या** नाम? **क्या** दशा? **क्या** सहायता? इत्यादि।

(उ) 'कुछ' संख्या, परिमाण और अनिश्चय की बोधक है। संख्या और परिमाण के प्रयोग आगे लिखे जायँगे। (दे. अंक184-185)। अनिश्चय के अर्थ में 'कुछ',

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

'क्या' के समान बहुधा भाववाचक संज्ञाओं के साथ आता है; जैसेकुछ बात, कुछ डर, कुछ विचार, कुछ उपाय इत्यादि।

152. यौगिक सार्वनामिक विशेषणों के साथ जब विशेष्य नहीं रहता तब उनका प्रयोग प्रायः संज्ञाओं के समान होता है; जैसे' **जैसा** करोगे **वैसा** पाओगे।' '**जैसे** को **तैसा** मिले।' '**इतने** से काम न होगा।'

(अ) 'ऐसा' और 'इतना' का प्रयोग कभी-कभी **'यह'** के समान वाक्य के बदले में होता है; जैसे **ऐसा कब** हो सकता है कि मुझे भी दोष लगे' (गुटका.)। '**तुम ऐसा** क्यों कहते हो कि मैं वहाँ नहीं जा सकता?' 'वह **इतना** कर सकता है कि तुम्हें छुट्टी मिल जाय'।

(आ) 'ऐसा-वैसा' तिरस्कार के अर्थ में आता है; जैसे'मैं **ऐसे-वैसे** को कुछ नहीं समझता।' 'राजा दिलीप कुछ **ऐसा-वैसा** न था' (रघु.)। '**ऐसी-वैसी** कोई चीज नहीं खानी चाहिए।'

153. (1) यौगिक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषणों के साथ उनके नित्य संबंधी विशेषण आते हैं; जैसे **'जैसा देश वैसा भेष।' जितना चादर देखो उतना पैर फैलाओ।**

(अ) कभी-कभी किसी एक विशेषण के विशेष्य का लोप होता है; जैसे **'जितना** मैंने दान दिया, **उतना** तो कभी किसी के ध्यान में न आया होगा' (गुटका.)। **'जैसी** बात आप कहते हैं; **वैसी** कोई न कहेगा।' 'हमारे ऐसे पदाधिकारियों को शत्रु **उतना** संताप नहीं देते, **जितना** दूसरों की संपत्ति और कीर्ति।'

(आ) दोनों विशेषणों की द्विरुक्ति से उत्तरोत्तर घटती-बढ़ती का बोध होता है; जैसे **जितना जितना** नाम बढ़ता है, **उतना उतना** मान बढ़ता है।' **जैसा जैसा** काम करोगे **वैसा वैसा** दाम मिलेगा।'

(इ) कभी कभी 'जैसा' और 'ऐसा' का उपयोग 'समान' (संबंधसूचक) के सदृश होता है; जैसे'प्रवाह उन्हें तालाब का **जैसा** रूप दे देता हैं (सर.)। यह आप ऐसे महात्माओं का काम है।'

(ई) 'जैसे का तैसा'यह विशेषण वाक्यांश 'पूर्ववत्' के अर्थ में आता है, जैसे; 'वे **जैसे** के **तैसे** बने रहे।'

(2) यौगिक प्रश्नवाचक (सार्वनामिक) विशेषण (कैसा और कितना) नीचे लिखे अर्थों में आते हैं।

(अ) आश्चर्य में; जैसे'मनुष्य **कितना** धन देगा और याचक **कितना** लेंगे' (सत्य.)। 'विद्या पाने पर **कैसा** आनंद होता है।'

(आ) 'ही' (भी) के साथ अनिश्चय के अर्थ में; जैसे'स्त्री **कैसी** ही सुशीलता से रहे, फिर **भी** लोग चबाव करते हैं' (शकु.)।

(वह) **'कितना भी** दे, पर संतोष नहीं होता' (सत्य.)।

154. परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण बहुवचन में संख्यावाचक होते हैं;

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

जैसे **इतने** गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं' (सत्य.)। 'मेरे **जितने** प्रजाजन हैं उनमें से किसी को अकाल मृत्यु नहीं आती' (रघु.)।

(अ) 'कितने ही' का प्रयोग 'कई' के अर्थ में होता है; जैसे'पृथ्वी के **कितने** ही अंश धीरे-धीरे उठते जाते हैं' (सर.)। 'कितने' के साथ कभी-कभी 'एक' जोड़ा जाता है, जैसे' **कितने एक** दिन पीछे फिर जरासंध उतनी ही सेना ले चढ़ आया' (प्रेम.)।

155. यौगिक सार्वनामिक विशेषण कभी-कभी क्रियाविशेषण होते हैं, जैसे'तू मरने से **इतना** क्यों डरता है?' 'वैदिक लोग **कितना** भी अच्छा लिखें, तो भी उनके अक्षर अच्छे नहीं होते' (मुद्रा.)। 'मुनि ऐसे क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा मिले शाप देने को तैयार होंगे' (सत्य.)। 'मृगछौने कैसे निधड़क चर रहे हैं!' (शकु.)।

(अ) 'इतने में' क्रियाविशेषण वाक्यांश है, और उसका अर्थ 'इस समय में' होता है; जैसे' **इतने में** ऐसा हुआ।'

156. 'निज' और 'पराया' भी सार्वनामिक विशेषण हैं; क्योंकि इनका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है; ये दोनों अर्थ में एक दूसरे के उलटे हैं। 'निज' का अर्थ 'अपना' और 'पराया' का अर्थ 'दूसरे का', है; जैसे **निज** देश, **निज** भाषा, **पराया** घर, **पराया** माल इत्यादि।

(2) गुणवाचक विशेषण

157. गुणवाचक विशेषणों की संख्या और सब विशेषणों की अपेक्षा अधिक रहती है। इनके कुछ मुख्य अर्थ नीचे दिए जाते हैं

काल नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ इत्यादि।

स्थान लंबा, चौड़ा, ऊँचा, नीचा, गहरा, सीधा, सँकरा, तिरछा, भीतरी, बाहरी, ऊजड़, स्थानीय इत्यादि।

आकार गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पोला, सुंदर, नुकीला इत्यादि।

रंग लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैगनी, सुनहरी, चमकीला, धुँधला, फीका इत्यादि।

दशा दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी इत्यादि।

गुण भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत इत्यादि।

158. गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अर्थ में 'सा' प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे **'बड़ा सा पेड़', ऊँची सी** दीवार', 'यह चाँदी **खोटी सी** दिखती है', 'उसका सिर कुछ **भारी सा** हो गया।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.सा = प्राकृत सरिसो, संस्कृत सदृशः।)

159. 'नाम' (वा 'नामक'), 'संबंधी' और 'रूपी' संज्ञाओं के साथ मिलकर विशेषण होते हैं; जैसे' **बाहुक नाम** सारथी', **'परंतप नामक राजा'**, **'घर संबंधी काम'**, **'तृष्णारूपी नदी'** इत्यादि।

160. 'सरीखा' **संज्ञा** और सर्वनाम के साथ संबंधसूचक होकर आता है; जैसे'हरिश्चंद्र सरीखा दानी', 'मुझ सरीखे लोग।' इसका प्रयोग कुछ कम हो चला है।

161. 'समान' (सदृश) और 'तुल्य' (बराबर) का प्रयोग कभी-कभी संबंधसूचक के समान होता है; जैसे'उसका थन घड़े के **समान** बड़ा था' (रघु.)। 'लड़का आदमी के **बराबर** दौड़ा।'

(अ) 'योग्य' (लायक) संबंधसूचक के समान आकर भी बहुधा विशेषण ही रहता है; जैसे'मेरे **योग्य** कामकाज लिखिएगा।'

162. गुणवाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबंधकारक आता है; जैसे'घरू झगड़ा' = घर का **झगड़ा। 'जंगली** जानवर' = जंगल का जानवर। 'बनारसी साड़ी' = बनारस की साड़ी।

163. जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। (दे. अंक151); जैसे **'बड़ों' ने सच कहा है'** (सत्य.)। **'दीनों को मत सताओ' सहज** में, ठंढे में।

(अ) कभी-कभी विशेषण अकेला आता है और उसका लुप्त विशेष्य अनुमान से समझ लिया जाता है; जैसे **'महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी।' 'बापुरे बटोही पर कड़ी बीती' (ठेठ)। जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली' (भारत.)।**

(3) संख्यावाचक विशेषण

164. संख्यावाचक विशेषण के मुख्य तीन भेद हैं(1) निश्चित संख्यावाचक, (2) अनिश्चित संख्यावाचक और (3) परिमाणबोधक।

(1) निश्चित संख्यावाचक विशेषण

165. निश्चित संख्यावाचक विशेषणों से वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है; जैसे**एक** लड़का, **पच्चीस** रुपये, **दसवाँ** भाग, **दूना** मोल, **पाँचों** इंद्रियाँ, **हर** आदमी इत्यादि।

166. निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के पाँच भेद हैं(1) गुणवाचक, (2) क्रमवाचक, (3) आवृत्तिवाचक, (4) समुदायवाचक और (5) प्रत्येकबोधक।

167. **गुणवाचक** विशेषणों के दो भेद हैं

(अ) पूर्णांकबोधक; जैसेएक, दो, चार, सौ, हजार।

(आ) अपूर्णांकबोधक; जैसेपाव, आध, पौन, सवा।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) पूर्णांकबोधक विशेषण

168. पूर्णांकबोधक विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं(1) शब्दों में, (2) अकों में। बड़ी-बड़ी संख्याएँ अंकों में लिखी जाती हैं; परंतु छोटी-छोटी संख्याएँ और अनिश्चित बड़ी संखाएँ बहुधा शब्दों में लिखी जाती हैं; तिथि और संवत् को अंकों में ही लिखते हैं। उदाहरण'सन् 1600 में एक तोले भर सोने की दस तोले चाँदी मिलती थी। सन् 1700 में अर्थात् **सौ** बरस बाद तोले भर सोने की **चौदह** तोले मिलने लगा' (इति.)। **सात वर्ष के अंदर 12 करोड़ रुपये सात** जंगी जहाजों और छह जंगी क्रूजर्स के बनाने में और खर्च किए जायँगे' (सर.)।

169. पूर्णांकबोधक विशेषणों के नाम और अंक नीचे दिए जाते हैं

एक	1	छब्बीस	26	इक्यावन	51	छिहत्तर	76
दो	2	सत्ताईस	27	बावन	52	सतहत्तर	77
तीन	3	अट्ठाईस	28	तिरपन	53	अठहत्तर	78
चार	4	उन्तीस	29	चौवन	54	उन्यासी	79
पाँच	5	तीस	30	पचपन	55	अस्सी	80
छः	6	इकतीस	31	छप्पन	56	इक्यासी	81
सात	7	बत्तीस	32	सत्तावन	57	बयासी	82
आठ	8	तैंतीस	33	अट्ठावन	58	तिरासी	83
नौ	9	चौंतीस	34	उनसठ	59	चौरासी	84
दस	10	पैंतीस	35	साठ	60	पचासी	85
ग्यारह	11	छत्तीस	36	इकसठ	61	छियासी	86
बारह	12	सैंतीस	37	बासठ	62	सत्तासी	87
तेरह	13	अड़तीस	38	तिरसठ	63	अट्ठासी	88
चौदह	14	उन्तालीस	39	चौंसठ	64	नवासी	89
पंद्रह	15	चालीस	40	पैंसठ	65	नब्बे	90
सोलह	16	इकतालीस	41	छाछठ	66	इक्यानबे	91
सत्रह	17	बयालीस	42	सड़सठ	67	बानबे	92
अठारह	18	तैंतालीस	43	अड़सठ	68	तिरानबे	93
उन्नीस	19	चौवालीस	44	उनहत्तर	69	चौरानबे	94
बीस	20	पैंतालीस	45	सत्तर	70	पंचानबे	95
इक्कीस	21	छियालीस	46	इकहत्तर	71	छियानबे	96
बाईस	22	सैंतालीस	47	बहत्तर	72	सत्तानबे	97
तेईस	23	अड़तालीस	48	तिहत्तर	73	अट्ठानबे	98
चौबीस	24	उनचास	49	चौहत्तर	74	निन्नानबे	99
पच्चीस	25	पचास	50	पचहत्तर	75	सौ	100

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

170. दहाई की संख्याओं में एक से लेकर आठ तक अंकों का उच्चारण दहाइयों के पहले होता है; जैसे**'चौ-दह', 'चौ-बीस', 'पैं-तीस', पैं-तालीस'** इत्यादि।

[क] दहाई की संख्या सूचित करने में इकाई और दहाई के अंकों का उच्चारण कुछ बदल जाता है, जैसे

एक = इक।	दस = रह।
दो = बा, ब।	बीस = ईस।
तीन = ते, तिर, ति।	तीस = तीस।
चार = चौ, चौं।	चालीस = तालीस।
पाँच = पंद, पच	पचास = वन, पन।
पैं, पंच।	साठ = सठ।
छः = सो, छ।	सत्तर = हत्तर।
सात = सत, सैं, सड़।	अस्सी = आसी।
आठ = अठ, अड़।	नब्बे = नवे।

171. बीस से लेकर अस्सी तक प्रत्येक दहाई के नाम के पहले की संख्या सूचित करने के लिए उस दहाई के नाम से पहले 'उन' शब्द का उपयोग होता है; जैसे'उन्नीस', 'उन्तीस', 'उनसठ' इत्यादि। यह शब्द संस्कृत के 'ऊन' शब्द का अपभ्रंश है। 'नवासी' और 'निन्नानबे' में क्रमशः 'नव' और 'निम्ना' जोड़े जाते हैं। संस्कृत में इन संख्याओं के रूप 'नवाशीति' और 'नवनवति' हैं।

172. सौ के ऊपर की संख्या जताने के लिए एक से अधिक शब्दों का उपयोग किया जाता है; जैसे125 = 'एक सौ पच्चीस', 275 = 'दो सौ पचहत्तर' इत्यादि।

(अ) सौ और दो सौ के बीच की संख्याएँ प्रकट करने के लिए कभी छोटी संख्या को पहले कह कर फिर बड़ी संख्या बोलते हैं। इकाई के साथ 'ओतर' (संउत्तर = अधिक) और दहाई के साथ 'आ' जोड़ा जाता है; जैसे'अठोतर सौ' = 178, 'चालीस सौ' = 140 इत्यादि। इनका प्रयोग बहुधा गणित और पहाड़ों में होता है।

173. नीचे लिखी संख्याओं के लिए अलग-अलग नाम हैं

1000 = हजार (सं. सहस्र)।

100 हजार = लाख।

100 लाख = करोड़।

100 करोड़ = अरब।

100 अरब = खरब।

(अ) खरब से उत्तरोत्तर सौ-सौ गुनी संख्याओं के लिए क्रमशः नील, पद्म, शंख आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन संख्याओं में बहुधा असंख्यता का बोध होता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(आ) अपूर्णांकबोधक विशेषण

174. अपूर्णांकबोधक विशेषण से पूर्णसंख्या के किसी भाग का बोध होता है; जैसेपाव = चौथाई भाग, पौन = तीन भाग, सवा = एक पूर्णांक चौथाई भाग, अढ़ाई = दो पूर्णांक और आधा इत्यादि।

(अ) दूसरे पूर्णांकबोधक शब्द अंश (सं.), भाग वा हिस्सा (फा.) शब्द के उपयोग से सूचित होते हैं; जैसेतृतीयांश वा तीसरा हिस्सा वा तीसरा भाग, दो पंचमांश (पाँच भागों में से दो भाग) इत्यादि। तीसरे हिस्से को 'तिहाई' और चौथे हिस्से को 'चौथाई' भी कहते हैं।

175. अपूर्णांकबोधक विशेषणों के नाम और अंक नीचे लिखे जाते हैं

पाव = 1, ¼	सवा = 1।, 1¼
आधा = ॥, ½	डेढ़ = 1॥, 1½
'पौन' = ।॥, ¾	पौने दो = 1 ।॥, 1¾
अढ़ाई या ढाई = 2॥, 2½	साढ़े तीन = 3॥, 3½

(अ) एक से अधिक संख्याओं के साथ पाव और पौन सूचित करने के लिए पूर्णांकबोधक शब्द के पहले क्रमशः 'सवा' (सं. सपाद) और 'पौने' (सं. पादोन) शब्दों का उपयोग किया जाता है; जैसे'सवा दो' = 2 ¼, 'पौने तीन' = 2¾।

(आ) तीन और उसके ऊपर की संख्याओं में आधे की अधिकता सूचित करने के लिए 'साढ़े' (सं.साधी) का उपयोग होता है; जैसे'साढ़े चार' = 4 ¼, 'साढ़े दस' = 10½ इत्यादि।

(सं.'पौने' और 'साढ़े' शब्द कभी अकेले नहीं आते। 'सवा' अकेला 1 ¼ के लिए आता है।

176. सौ, हजार, लाख इत्यादि संख्याओं में भी अपूर्णांकबोधक शब्द जोड़े जाते हैं; जैसे'सवा सौ' = 125, 'ढाई सौ' = 250, 'साढ़े तीन हजार' = 3500, 'पौने पाँच लाख' = 475000 इत्यादि।

177. अपूर्णांकबोधक शब्द मापतौल वाचक संज्ञाओं के साथ भी आते हैं, जैसे'सवासेर', 'डेढ़ गज', 'पौने तीन कोस' इत्यादि।

178. कभी-कभी अपूर्णांकबोधक संज्ञा आनों के हिसाब से भी सूचित की जाती है; जैसे'इस साल चौदह आने फसल हुई है।' 'इस व्यापार में मेरा चार आने हिस्सा है।' इत्यादि।

179. गणनावाचक विशेषणों के प्रयोग में नीचे लिखी विशेषताएँ हैं

(अ) पूर्णांकबोधक विशेषण के साथ 'एक' लगाने से 'लगभग' का अर्थ पाया जाता है, जैसे' **दस एक** आदमी', '**चालीस एक** गायें' इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

'सौ एक' का अर्थ 'सौ के लगभग' है, परंतु 'एक सौ एक' का अर्थ 'सौ और एक' है।

अनिश्चय अथवा अनादर के अर्थ में 'ठो जोड़ा जाता है, जैसेदो ठो रोटियाँ, पचास ठो आदमी।

(सू.कविता में 'एक' के बदले बहुधा 'क' जोड़ा जाता है, जैसेचली छ सातक हाथ, दिन द्वैक तें (सत.)।

(आ) एक के अनिश्चय के लिए उसके साथ आद या आध लगाते हैं; जैसेएक **आद** टोपी, एक **आध** कवित्त।

एक और आद (आध) में बहुधा संधि भी हो जाती है, जैसे **एकाद**, एकाध।

(इ) अनिश्चय के लिए कोई भी दो पूर्णांकबोधक विशेषण साथ-साथ आते हैं; जैसे ' **दो चार** दिन में' '**दस बीस** रुपये', '**सौ दो सौ** आदमी' इत्यादि।

'डेढ़ दो', 'अढ़ाई तीन' आदि भी बोलते हैं। 'उन्नीस बीस' कहने से कुछ कमी समझी जाती है; जैसे'बीमारी अब **उन्नीस बीस** है' 'तीन पाँच' का अर्थ **'लड़ाई'** है और 'तीन तेरह' का अर्थ 'तितर बितर' है।

(ई) 'बीस', 'पचास', 'सैकड़ा', 'हजार', 'लाख' और 'करोड़' में ओ जोड़ने से अनिश्चय का बोध होता है; जैसे'बीसों आदमी','पचासों घर', 'सैकड़ों रुपये', 'हजारों बरस', 'करोड़ों पंडित' इत्यादि।

(सू.एक लेखक हिंदी 'करोड़' शब्द के साथ 'ओं' के बदले फारसी का 'हा' प्रत्यय जोड़कर 'करोड़हा' लिखते हैं, जो अशुद्ध है।)

180. क्रमवाचक विशेषण से किसी वस्तु की क्रमानुसार गणना का बोध होता है, जैसेपहला, दूसरा, पाँचवाँ इत्यादि।

(अ) क्रमवाचक विशेषण पूर्णांकबोधक विशेषणों से बनते हैं। पहले चार क्रमवाचक विशेषण नियमरहित हैं; जैसे

एक = पहला	तीन = तीसरा
दो = दूसरा	चार = चौथा

(आ) पाँच से लेकर आगे के शब्दों में 'वाँ' जोड़ने से क्रमवाचक विशेषण बनते हैं; जैसे

पाँच = पाँचवाँ	दस = दसवाँ
छ = (छठवाँ) छठा	पंद्रह = पंद्रहवाँ
आठ = आठवाँ	पचास = पचासवाँ

(इ) सौ से ऊपर की संख्याओं में पिछले शब्द के अंत में वाँ लगाते हैं; जैसेएक सौ तीनवाँ इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(ई) कभी-कभी संस्कृत क्रमवाचक विशेषणों का भी उपयोग होता है; जैसेप्रथम (पहला), द्वितीय (दूसरा), तृतीय (तीसरा), चतुर्थ (चौथा), पंचम (पाँचवाँ), षष्ठ (छठा), दशम (दसवाँ), 'षष्ठम' अशुद्ध है।

(उ) तिथियों के नामों में हिंदी शब्दों के सिवा कभी-कभी संस्कृत शब्दों का भी उपयोग होता है; जैसेहिंदीदूज (दोज), तीज, चौथ, पाँचें, छठ, इत्यादि। संस्कृतद्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इत्यादि।

181. आवृत्तिवाचक विशेषण से जाना जाता है कि उसके विशेष्य का वाच्य पदार्थ कै गुना है; जैसेदुगुना, चौगुना, दस गुना, सौगुना इत्यादि।

(अ) पूर्णांकबोधक विशेषण के आगे 'गुना' शब्द लगाने से आवृत्तिवाचक के विशेषण बनते हैं। 'गुना' शब्द लगाने के पहले दो से लेकर आठ तक संख्याओं के शब्दों में आद्य स्वर का कुछ विकार होता है; जैसे

दो = दुगुना वा दूना	छह =छगुना
तीन = तिगुना	सात = सतगुना
चार = चौगुना	आठ = अठगुना
पाँच = पचगुना	नौ = नौगुना

(आ) परत वा प्रकार के अर्थ में 'हरा' जोड़ा जाता है; जैसेइकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा इत्यादि।

(इ) कभी-कभी संस्कृत के आवृत्तिवाचक विशेषण का भी उपयोग होता है; जैसेद्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण इत्यादि।

(ई) पहाड़ों में आवृत्तिवाचक और अपूर्ण संख्याबोधक विशेषणों के रूपों में कुछ अंतर हो जाता है; जैसे

दूनदूने, दूनी।	सवासवाम।
तिगुनातिया, तिरिक।	डेढ़डेवढ़े
चौगुनाचौक।	अढ़ाईअढ़ाम।
पंचगुनापंचे।	
छगुनाछक।	
सतगुनासत्ते।	
अठगुनाअट्ठे।	
नौगुनानवाँ, नवें।	
दसगुनादहाम।	

(सू.इन शब्दों का उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है।)

182. समुदायवाचक विशेषणों से किसी पूर्णांकबोधक संख्या के समुदाय का

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

बोध होता है; जैसेदोनों हाथ, चारों पाँव, आठों लड़के, चालीसों चोर इत्यादि।

(अ) पूर्णांकबोधक विशेषणों के आगे, 'ओं' जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं; जैसेचारचारों, दसदसों, सोलहसोलहों इत्यादि। छह का रूप 'छओं' होता है।

(आ) 'दो' से 'दोनों' बनता है। 'एक' का समुदायवाचक रूप 'अकेला' है। 'दोनों' का प्रयोग बहुधा सर्वनाम के समान होता है; जैसे'दुविधा में **दोनों** गए, **माया** मिली न राम।' **'अकेला'** कभी-कभी क्रियाविशेषण के समान आता है; जैसे'विपिन **अकेलि** फिरहु केहि हेतू' (राम.)।

(सूचना'ओ' प्रत्यय अनिश्चय में भी आता है (दे. अंक179 ई)।

(इ) कभी-कभी अवधारण के लिए समुदायवाचक विशेषण की द्विरुक्ति भी होती है, जैसे **'पाँचों के पाँचों'** आदमी चले गए। **'दोनों के दोनों'** लड़के मूर्ख निकले।

(ई) समुदाय के अर्थ में कुछ संज्ञाएँ भी आती हैं; जैसे

जोड़ा, जोड़ी = दो,	गंडा = चार या पाँच
दहाई = दस	गाही = पाँच।
कौड़ी, बीसा, बीसी = बीस।	चालीसा = चालीस।
बत्तीसी = बत्तीस।	सैकड़ा = सौ।
छक्का = छह।	दर्जन (अं.) = बारह।

(अ) युग्म (दो), पंचक (पाँच), अष्टक (आठ) आदि। संस्कृत समुदायवाचक संज्ञाएँ भी प्रचार में हैं।

183. प्रत्येकबोधक विशेषण में कई वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता है; जैसे'हर घड़ी', 'हर एक आदमी', 'प्रत्येक जन्म', ' **प्रत्येक** बालक', **'हर आठवें** दिन' इत्यादि।

'हर' उर्दू शब्द है। 'हर' के बदले कभी-कभी उर्दू 'फी' आता है, जैसेकीमत फी जिल्द।

(अ) गणनावाचक विशेषणों की द्विरुक्ति से भी यही अर्थ निकलता है; जैसे **'एक एक** लड़के को **आधा आधा** फल मिला।' 'दवा **दो दो** घंटे के बाद **दी जावे।'**

(आ) अपूर्णांकबोधक विशेषणों में मुख्य शब्द की द्विरुक्ति होती है; जैसे**'सवा सवा गज', 'ढाई ढाई** सौ रुपये', 'पौने **दो दो** मन', 'साढ़े **पाँच पाँच** हजार' इत्यादि।

(2) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

184. जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसेएक दूसरा, (अन्य, और) सब

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सर्व, सकल, समस्त, कुछ), बहुत (अनेक, कई, नाना), अधिक (ज्यादा); कम, कुछ आदि (इत्यादि, वगैरह), अमुक (फलाना)।

अनिश्चित संख्या के अर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। और-और विशेषणों के समान ये विशेषण भी (बिना विशेष्य के) संज्ञा के समान उपयोग में आते हैं; इनमें से कोई-कोई परिमाणबोधक विशेषण भी होते हैं।

(1) 'एक' पूर्णांकबोधक विशेषण है; परंतु इसका प्रयोग बहुधा अनिश्चित के लिए होता है।

(अ) 'एक' से कभी-कभी 'कोई' का अर्थ पाया जाता है; जैसे' **एक दिन ऐसा हुआ।'** 'हमने एक बात सुनी है।'

(आ) जब 'एक' संज्ञा के समान आता है, तब उसका प्रयोग कभी-कभी बहुवचन के अर्थ में होता है और दूसरे वाक्य में उसकी द्विरुक्ति भी होती है; जैसे'एक रोता है' और 'एक हँसता है।' '**इक** प्रविशहि **इक** निर्गमहि' (राम.)।

(इ) 'एक' कभी-कभी 'केवल' के अर्थ में क्रियाविशेषण होता है; जैसे'एक आधा सेर आटा चाहिए।' '**एक** तुम्हारे ही दुःख से हम दुखी हैं।'

(ई) 'एक' के साथ सा प्रत्यय लगाने से 'समान' का अर्थ पाया जाता है; जैसेदोनों का रूप **एक सा** है।

(उ) अनिश्चय के अर्थ में 'एक' कुछ सर्वनामों और विशेषणों में जोड़ा जाता है; जैसेकोई एक, कुछ एक, दस एक, कितने एक इत्यादि।

(ऊ) **'एक एक'** कभी कभी 'यह वह' के अर्थ में निश्चयवाचक के समान आता है; जैसे

'पुनि बंदौ शारद सुर सरिता।
युगल पुनीत मनोहर चरिता॥
मज्जन पान पाप हर एका।
कहत सुनत इक हर अविवेका॥'

(राम.)

(2) 'दूसरा' 'दो' का क्रमवाचक विशेषण है। यह 'प्रकृत प्राणी' या पदार्थ से 'भिन्न' के अर्थ में आता है; जैसे'यह **दूसरी** बात है।' 'द्वार **दूसरे** दीनता उचित न तुलसी तोर।' (तु. स.)। 'दूसरा' के पर्यायवाची 'अन्य' और 'और' है; जैसे **अन्य पदार्थ,** और जाति।

(अ) कभी कभी 'दूसरा' 'एक' के साथ विभिन्नता (तुलना) के अर्थ में (संज्ञा के समान) आता है, जैसे' **एक** जलता मांस मारे तृष्णा के मुँह में रख लेता है...और दूसरा उसी को फिर झट से खा जाता है' (सत्य.)।

(आ) 'एक-एक' के समान 'एक दूसरा' अथवा 'पहला दूसरा' पहले कही हुई

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दो वस्तुओं का क्रमानुसार निश्चय सूचित करता है, जैसेप्रतिष्ठा के लिए दो विद्याएँ हैं, एक शस्त्र विद्या और **दूसरी** शास्त्र विद्या। **पहली** बुढ़ापे में हँसी कराती है, परंतु **दूसरी** का सदा आदर होता है।

(इ) 'एक-दूसरा' यौगिक शब्द है और इसका प्रयोग 'आपस' के **अर्थ** में होता है, यह **बहुधा** सर्वनाम के समान (संज्ञा के बदले में) आता है, जैसे'लड़के एक दूसरे से लड़ते हैं।'

(ई) 'और' कभी कभी 'अधिक संख्या' के अर्थ में भी आता है, जैसे' **मैं और आम** लूँगा।'

(उ) 'और का और' विशेषण वाक्यांश है और उसका अर्थ 'भिन्न' होता है, जैसे'उसने **और का और** काम कर दिया।'

(ऊ) 'और' समुच्चयबोधक भी होता है, जैसे'हवा चली और पानी गिरा।' (दे. अंक243)

(ओ) 'कोई', 'कुछ', 'कौन' और 'क्या' के साथ भी 'और' आता है, जैसे'असल चोर कोई और है।' 'मैं और कुछ कहूँगा।' 'तुम्हारे साथ और कौन है?' 'मारने के सिवा और क्या होगा।'

(3) 'सब' पूरी संख्या सूचित करता है, परंतु अनिश्चित रूप से। 'सब' में पाँच भी शामिल है और पचास भी। इसका प्रयोग बहुधा बहुवचन संज्ञा के साथ होता है; जैसे' **सब लड़के।' 'सब कपड़े।' 'सब भीड़।' 'सब प्रकार।'**

(अ) संज्ञारूप में इसका प्रयोग **'संपूर्ण** वा प्राणी पदार्थ' के अर्थ में आता है; जैसे'सब यही बात कहते हैं। **सब** के दाता राम।' 'आत्मा सब में व्याप्त है।' 'मैं **सब** जानता हूँ।'

(आ) 'सब' के साथ 'कोई' और 'कुछ' आते हैं। '**सब** कोई' और '**सब** कुछ' के अर्थ का अंतर 'कोई' और 'कुछ' (सर्वनामों) के ही समान है, जैसे' **सब कोई** अपनी बड़ाई चाहते हैं' (शकु.)। 'हम समझते **सब कुछ** हैं' (सत्य.)।

(इ) 'सब का सब विशेषण वाक्यांश है, और इसका प्रयोग 'समस्तता' के अर्थ में होता है, **सब के सब लड़के लौट आए।**

(ई) 'सब' के पर्यायवाची 'सर्व', 'सकल', 'समस्त' और उर्दू 'कुल' हैं। इन शब्दों का उपयोग बहुधा विशेषण ही के समान होता है।

(4) 'बहुत' थोड़ा का उलटा है। जैसे'मुसलमान थे **बहुत** और हिन्दू थे थोड़े' (सर.)।

(अ) **'बहुत'** के साथ 'से' और **'सारे'** जोड़ने से कुछ अधिक संख्या का बोध होता है, जैसे' **बहुत** से लोग ऐसा समझते हैं।' '**बहुत सारे** लड़के'। यह पिछला प्रयोग प्रांतीय है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(आ) 'बहुत' के साथ 'कुछ' भी आता है। 'बहुत कुछ' का अर्थ प्रायः 'बहुत से' के समान होता है, जैसे'बहुत **कुछ** आदमी आए थे।'

(इ) 'अनेक' (अन् + एक) 'एक' का उलटा है। इसका प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए होता है। 'अनेक' 'कई' प्रायः समानार्थी हैं। उदाहरण' **अनेक** जन्म', '**कई** रंग' इत्यादि। 'अनेक' में विविधता के अर्थ में बहुधा 'ओ' जोड़ देते हैं, जैसे **'अनेकों रोग', 'अनेकों मनुष्य'** इत्यादि।

(ई) 'कई' के साथ बहुधा 'एक' आता है। 'कई एक' का अर्थ प्रायः 'कई प्रकार का' है और उसका पर्यायवाची 'नाना' है; जैसे'कई एक ब्राह्मण' **'नाना वृक्ष'** इत्यादि।

(5) 'अधिक' और 'ज्यादा' 'तुलना' में आते हैं, जैसे'अधिक रुपया' 'ज्यादा दिन' इत्यादि।

(6) 'कम' 'ज्यादा' का उलटा है और इसी के समान तुलना में आता है; जैसे'यह कपड़ा कम-दामों में बेचते हैं।'

(7) 'कुछ' अनिश्चयवाचक सर्वनाम होने के सिवा (दे. अंक 133, 151उ) संख्या का भी द्योतक है। यह 'बहुत' का उलटा है; जैसे' **कुछ** लोग', '**कुछ** फल', '**कुछ** तारे' इत्यादि।

(8) 'आदि' का अर्थ 'और ऐसे ही दूसरे' हैं। इसका प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों के समान होता है; जैसे'आप मेरी दैवी, मानुषी **आदि सभी आपत्तियों के नाश** करने वाले हैं' (रघु.)। 'विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता आदि गुण जिसमें सहज हों' (सत्य.)' 'इस युक्ति से उसको टोपी, रूमाल, घड़ी, **आदि** का **बहुधा फायदा** हो जाता था' (परी.)। 'आदि' के पर्यायवाचक 'इत्यादि' और 'वगैरह' हैं। 'वगैरह' उर्दू (अरबी) शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है। 'इत्यादि' का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात् होता है; जैसे'क्या हुआ, क्या देखा इत्यादि।' (भाषासार.) ''पठन, मनन, घोषणा **इत्यादि** सब शब्द यही गवाही देते हैं।' (इति.)।

(सू. 'आदि', 'इत्यादि' और 'वगैरह' शब्दों का उपयोग बार-बार करने से लेखक की असावधानी और अर्थ का अनिश्चय सूचित होता है। एक उदाहरण के पश्चात् आदि और एक से अधिक के बाद इत्यादि लाना चाहिए; जैसेघर आदि की व्यवस्था, कपड़े, भोजन **इत्यादि** का प्रबंध।)

(9) 'अमुक' का प्रयोग कोई 'एक' (दे. अंक132उ) के अर्थ में होता है; जैसे'आदमी यह नहीं कहते कि **अमुक** बात **अमुक** राय या **अमुक** सम्मति निर्दोष है' (स्वा.)। 'अमुक' का पर्यायवाची 'फलाना' (उर्दूफलाँ) है।

(10) 'कै' का अर्थ प्रश्नवाचक विशेषण 'कितने' के समान है। इसका प्रयोग संज्ञा की नाईं क्वचित् होता है; जैसे'कै लड़के', 'कै आम' इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(3) परिमाणबोधक विशेषण

185. परिमाणबोधक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है; जैसेऔर, सब, सारा, समूचा अधिक (ज्यादा), बहुत, बहुतेरा, कुछ (अल्प, किंचित्, जरा), कम, थोड़ा, पूरा, अधूरा, यथेष्ट इत्यादि।

(अ) इन शब्दों से केवल अनिश्चित परिणाम का बोध होता है, जैसे **और** घी लाओ', '**सब** धान', '**सारा** कुटुंब', '**बहुतेरा** काम', '**थोड़ी** बात' इत्यादि।

(आ) ये विशेषण एकवचन संज्ञा के साथ परिमाणबोधक और बहुवचन संज्ञा के साथ अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, जैसे

परिमाणबोधक	**अनिश्चित संख्यावाचक**
बहुत दूध	बहुत आदमी
सब जंगल	सब पेड़
सारा देश	सारे देश
बहुतेरा काम	बहुतेरे उपाय
पूरा आनंद	पूरे टुकड़े

'अल्प' 'किंचित्' और 'जरा' केवल परिमाणवाचक है।

(इ) निश्चित परिमाण बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण के साथ परिमाणबोधक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे **'दो सेर** घी**'**, **'चार गज** मलमल**'**, **'दस हाथ** जगह' इत्यादि।

(ई) परिमाणबोधक संज्ञाओं में 'ओं' जोड़ने से उनका प्रयोग अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषणों के समान होता है, जैसे**ढेरों** इलायची, **मनों** घी, **गाड़ियों** फल इत्यादि।

(उ) एक परिमाण सूचित करने के लिए परिमाणबोधक संज्ञा के साथ **'भर'** प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे

एक **गज** कपड़ा = गज **भर** कपड़ा।

एक तोला सोना = तोले **भर** सोना।

एक हाथ जगह = हाथ **भर** जगह।

(ऊ) कोई कोई परिमाणबोधक विशेषण एक दूसरे से मिलकर आते हैं, जैसे **बहुत सारा** काम', '**बहुत कुछ** आशा'।

'थोड़ा बहुत लाभ**'**, '**कम ज्यादा** आमदनी'।

(ओ) 'बहुत', **'थोड़ा'**, 'जरा', 'अधिक' (ज्यादा) के साथ निश्चय के अर्थ में 'सा' प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे **बहुत सा** लाभ', '**थोड़ी सी** विद्या' '**जरा सी** बात', '**अधिक सा** बल'।

(औ) कोई कोई परिमाणवाचक विशेषण क्रियाविशेषण भी होते हैं, जैसे'नल

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

ने दमयंती को **बहुत** समझाया' (गुटका.)। 'यह बात तो कुछ ऐसी बड़ी न थी' (शकु.)। 'जिनको और सारे पदार्थों की अपेक्षा यश ही **अधिक** प्यारा है' (रघु.)। 'लकीर और सीधी करो।' 'यह सोना थोड़ा खोटा है।' 'थोड़े' का अर्थ प्रायः नहीं के बराबर होता है जैसेहम लड़ते 'थोड़े' हैं।'

संख्यावाचक विशेषणों की व्युत्पत्ति

186. हिंदी के सब संख्यावाचक विशेषण प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं, जैसे

सं.	प्रा.	हिं.	सं.	प्रा.	हिं.
एक	एक्क	एक	विंशति	बीसई	बीस
द्वि	दुवे	दो	त्रिंशत्	तीसआ	तीस
त्रि	तिण्णि	तीन	चत्वारिंशत्	चत्तालीसा	चालीस
चतुर	चत्तारि	चार	पञ्चाशत्	पण्णासा	पचास
पञ्चम्	पञ्च	पाँच	षष्टि	सट्ठि	साठ
षट्	छ	छः	सप्तति	सत्तरी	सत्तर
सप्तम	सत्त	सात	अशीति	असीई	अस्सी
अष्टम्	अट्ठ	आठ	नवति	नउए	नब्बे
नवम्	नव	नौ	शत	सअ	सौ
दशम्	दस	दस	सहस्र	सह	सहस्र
प्रथम	पठमो	पहलो	चतुर्थ	चउत्थे	चौथा
द्वितीय	दुइअ	दूसरा	पञ्चम	पंचमौ	पाँचवाँ
तृतीय	तइअ	तीसरा	षष्ठ	छट्ठौ	छठाँ

(टी.हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में विशेषणों के भेद और उपभेद नहीं किए गए। इसका कारण कदाचित् वर्गीकरण के न्यायसंगत आधार का अभाव हो। विशेषणों के वर्गीकरण का कारण हम इस अध्याय के आरंभ में (दे. अंक147सू.) लिख आए हैं। इनका वर्गीकरण केवल 'भाषातत्त्व-दीपिका' में पाया जाता है, इसलिए हम अपने किए हुए भेदों का मिलान इसी पुस्तक में दिए गए भेदों से करते हैं। इस पुस्तक में 'संख्याविशेषण' के पाँच भेद किए गए हैं(1) संख्यावाचक, (2) समूहवाचक, (3) क्रमवाचक (4) आवृत्तिवाचक और (5) संख्यांशवाचक। इनमें 'संख्या विशेषण' और 'संख्यावाचक', एक ही अर्थ के दो नाम हैं, जो क्रमशः जाति और उसकी उपजाति को दिए गए हैं। इसमें नामों की गड़बड़ के सिवा कोई लाभ नहीं है। फिर 'संख्यावाचक' नाम का जो एक भेद है उसका समावेश 'संख्यावाचक' में हो जाता है, क्योंकि दोनों भेदों के प्रयोग समान हैं। जिस प्रकार एक, दो, तीन आदि शब्द वस्तुओं की संख्या

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

सूचित करते हैं, उसी प्रकार, आधा, पौन, सवा आदि भी संख्या सूचित करने वाले हैं। इसके सिवा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 'भाषा-तत्त्व-दीपिका' में स्वीकार ही नहीं किया गया है। उसके कुछ उदाहरण इस पुस्तक में 'सामान्य सर्वनाम' के नाम से आए हैं, परंतु उनके विशेषणीभूत प्रयोग का कहीं उल्लेख ही नहीं है। प्रत्येकबोधक विशेषण के विषय में भी 'भाषा-तत्त्व-दीपिका' में कुछ नहीं कहा गया है। हमने संख्यावाचक विशेषण के सब मिलाकर सात भेद नीचे लिखे अनुसार किए हैं

संख्यावाचक

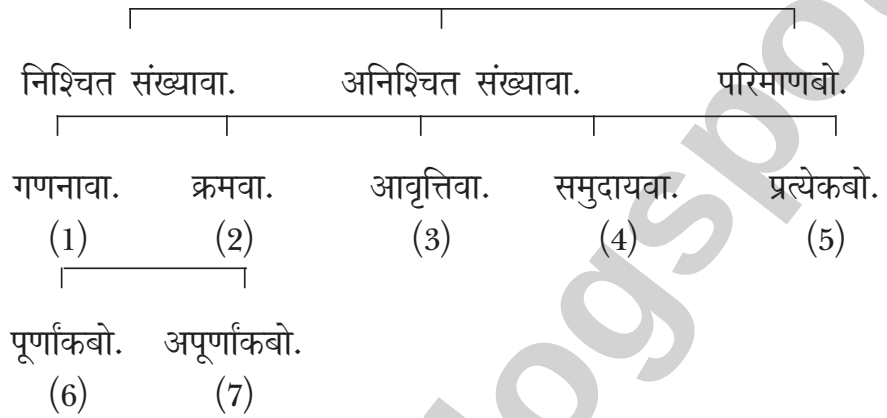

(यह वर्गीकरण भी बिलकुल निर्दोष नहीं है, परंतु इसमें प्रायः सभी संख्यावाचक विशेषण आ गए हैं; और रूप तथा अर्थ में एक वर्ग दूसरे से बहुत मिलता है।)

चौथा अध्याय

क्रिया

187. जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं; जैसे'हरिण **भागा**', 'राजा नगर में **आए**', 'मैं **जाऊँगा**', 'घास हरी **होती है**'। पहले वाक्य में हरिण के विषय में 'भागा' शब्द के द्वारा विधान किया गया है इसलिए 'भागा' शब्द क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में 'आए', तीसरे वाक्य में 'जाऊँगा' और चौथे वाक्य में 'होती है' शब्द से विधान किया गया है; इसलिए 'आए', 'जाऊँगा' और 'होती है' शब्द क्रिया है।

188. जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे धातु कहते हैं; जैसे'भागा' क्रिया में 'आ' प्रत्यय है, जो 'भाग' मूल शब्द में लगा है; इसलिए 'भागा'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

क्रिया का धातु 'भाग' है। इसी तरह 'आए' क्रिया का धातु 'आ', 'जाऊँगा' क्रिया का धातु 'जा' और 'होती है' क्रिया का धातु 'हो' है।

(अ) धातु के अंत में 'ना' जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे **क्रिया का साधारण रूप** कहते हैं, जैसे'भाग-ना, आ-ना, जा-ना, हो-ना' इत्यादि। कोई कोई भूल से इसी साधारण रूप को धातु कहते हैं। कोश में भाग, आ, जा, हो इत्यादि धातुओं के बदले क्रिया के साधारण रूप, भागना, आना, जाना, होना इत्यादि लिखने की चाल है।

(आ) क्रिया का साधारण रूप क्रिया नहीं है; क्योंकि उसके उपयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान नहीं कर सकते है। विधिकाल के रूप को छोड़कर क्रिया के साधारण रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता। कोई कोई इसे **क्रियार्थक संज्ञा** कहते हैं; यह क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। उदाहरण'**पढ़ना** एक गुण है।' 'मैं **पढ़ना** सीखता हूँ।' 'छुट्टी में अपना पाठ **पढ़ना**।' अंतिम वाक्य में 'पढ़ना' क्रिया (विधिकाल में) है।

(इ) कई एक धातुओं का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के समान होता है; जैसे'हम **नाच** नहीं देखते।' 'आज घोड़ों की **दौड़** हुई।' 'तुम्हारी **जाँच** ठीक नहीं निकली।'

(ई) किसी वस्तु के विषय में विधान करनेवाले शब्दों को **क्रिया** इसलिए कहते हैं कि अधिकांश धातु जिनसे ये शब्द बनते हैं, क्रियावाचक हैं; जैसेपढ़, लिख, उठ, बैठ, चल, फेंक, काट इत्यादि; कोई कोई धातु स्थितिदर्शक हैं; जैसेसो, गिर, मर, हो इत्यादि और कोई कोई विकारदर्शक हैं; जैसेबन, दिख, निकल इत्यादि।

(टी.क्रिया के जो लक्षण हिंदी व्याकरणों में दिए गए हैं, उनमें से प्रायः सभी लक्षणों में क्रिया के अर्थ का विचार किया गया है; जैसे'क्रिया काम को कहते हैं। अर्थात् जिस शब्द से करने अथवा होने का अर्थ किसी काल, पुरुष और वचन के साथ पाया जाय।' (भाषाप्रभाकर)। व्याकरण में शब्दों के लक्षण और वर्गीकरण के लिए उनके रूप और प्रयोग के साथ कभी कभी अर्थ का भी विचार किया जाता है; परंतु केवल अर्थ के अनुसार लक्षण करने से विवेचन में गड़बड़ी होती है। यदि क्रिया के लक्षण में केवल 'करना' या 'होना' का विचार किया जाय तो 'जाना', 'जाता हुआ', 'जानेवाला' आदि शब्दों को भी 'क्रिया' कहना पड़ेगा। भाषाप्रभाकर में दिए हुए लक्षण में जो काल, पुरुष और वचन की विशेषता बताई गई है, वह क्रिया का असाधारण धर्म नहीं है और वह लक्षण एक प्रकार का वर्णन है।

क्रिया का जो लक्षण यहाँ लिखा गया है उस पर भी यह आक्षेप हो सकता है कि कोई कोई क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतींजैसे'राजा दयालु है।' 'पक्षी घोंसले बनाते हैं।' इन उदाहरणों में 'है' और 'बनाते हैं' क्रियाएँ अकेली विधान नहीं कर सकतीं। इनके साथ क्रमशः 'दयालु' और 'घोंसले' शब्द रखने की आवश्यकता हुई है। इस आक्षेप का उत्तर यह है कि इन वाक्यों में 'है' और 'बनाते हैं' विधान करने वाले मुख्य शब्द हैं और उनके बिना काम नहीं चल सकता चाहे उनके साथ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

कोई शब्द रहे या न रहे। क्रिया के साथ किसी दूसरे शब्द का रहना या न रहना उसके अर्थ की विशेषता है।)

189. धातु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं(1) सकर्मक और (2) अकर्मक।

190. जिस धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, उसे **सकर्मक** धातु कहते हैं; जैसे'सिपाही चोर को पकड़ता है।' 'नौकर चिट्ठी **लाया**।' पहले वाक्य में 'पकड़ता है', क्रिया के व्यापार का फल 'सिपाही' कर्ता से निकलकर 'चोर' पर पड़ता है; इसलिए 'पकड़ता है' क्रिया (अथवा 'पकड़' धातु) सकर्मक है; दूसरे वाक्य में 'लाया' क्रिया (अथवा 'ला' धातु) सकर्मक है, क्योंकि उसका फल 'नौकर' कर्ता से निकलकर 'चिट्ठी' कर्म पर पड़ता है।

(अ) कर्ता का अर्थ 'करनेवाला' है। क्रिया के व्यापार को करनेवाला (प्राणी वा पदार्थ) 'कर्ता' कहलाता है। जिस शब्द से इस करनेवाले का बोध होता है, उसे भी (व्याकरण में) 'कर्ता' कहते हैं, पर यथार्थ में शब्द कर्ता नहीं हो सकता। शब्द को **कर्ताकारक** अथवा **कर्तृपद** कहना चाहिए। जिन क्रियाओं से स्थिति वा विषय का बोध होता है उनका कर्ता वह पदार्थ है जिसकी स्थिति वा विकार के विषय में विधान किया जाता है, जैसे'स्त्री चतुर है।' ' **मंत्री** राजा हो गया।'

(आ) धातु से सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर जिस वस्तु पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं; जैसे'सिपाही **चोर** को पकड़ता है।' 'नौकर **चिट्ठी** लाया।' पहले वाक्य में पकड़ता है' क्रिया का फल कर्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है, इसलिए 'चोर' कर्म है। दूसरे वाक्य में 'लाया' क्रिया का फल चिट्ठी पर पड़ता है; इसलिए 'चिट्ठी' कर्म है। 'सकर्मक' का अर्थ है 'कर्म के सहित' और कर्म के साथ आने ही से क्रिया 'सकर्मक' कहलाती है।

191. जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार और उसका फल कर्ता ही पर पड़े उसे **अकर्मक** धातु कहते हैं; जैसे'गाड़ी **चली**।' 'लड़का **सोता** है।' पहले वाक्य में 'चली' क्रिया का व्यापार और उसका फल **'गाड़ी'** कर्ता ही पर पड़ता है; इसलिए 'चली' क्रिया अकर्मक है। दूसरे वाक्य में 'सोता है' क्रिया भी अकर्मक है, क्योंकि उसका व्यापार और फल 'लड़का' कर्ता ही पर पड़ता है। 'अकर्मक' शब्द का अर्थ 'कर्मरहित' और कर्म के न होने से क्रिया 'अकर्मक' कहाती है।

(अ) 'लड़का **अपने** को सुधार रहा हैइस वाक्य में यद्यपि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता ही पर पड़ता है, तथापि 'सुधार रहा है' क्रिया सकर्मक है; क्योंकि इस क्रिया के कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति के वाचक होने पर भी अलग अलग शब्द हैं। इस वाक्य में 'लड़का' कर्ता और 'अपने को' कर्म है, यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के वाचक हैं।

192. कोई कोई धातु प्रयोग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं; जैसेखुजलाना, भरना, लजाना, भूलना, बदलना, ऐंठना, ललचाना, घबराना

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

इत्यादि। उदाहरण'मेरे हाथ **खुजलाते** हैं।' (अ.) (शकु.)। 'उसका बदन **खुजलाकर** उसकी सेवा करने में उसने कोई कसर नहीं की।' (स.)। (रघु.)। 'खेल तमाशे की चीजें देखकर भोले भाले आदमियों का जी **ललचाता** है' (अ)। (परी.)। 'ब्राइट अपने असबाब की खरीदारी के लिए **मदनमोहन को ललचाता है** (स.)। तथा 'बूँद-बूँद करके **तालाब** भरता है' (अ.)। (कहा.)। 'प्यारी ने **आँखें भर** के कहा' (स.)। (शकु.) इनको उभयविध धातु कहते हैं।

193. जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है, तब उसका कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती; जैसे'ईश्वर की कृपा से बहरा **सुनता** है और गूँगा **बोलता** है।' 'इस पाठशाला में कितने लड़के पढ़ते हैं?'

194. कुछ अकर्मक धातु ऐसे हैं, जिनका आशय कभी कभी अकेले कर्ता से पूर्णतया प्रकट नहीं होता। कर्ता के विषय में पूर्ण विधान होने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संज्ञा या विशेषण आता है। इन क्रियाओं को **अपूर्ण अकर्मक क्रिया** कहते हैं और जो शब्द इनका आशय पूरा करने के लिए आते हैं उन्हें पूर्ति कहते हैं। 'होता', 'रहना', 'बनना', 'दिखाना', 'निकलना', 'ठहरना' इत्यादि अपूर्ण क्रियाएँ हैं। उदाहरण'लड़का चतुर है।' 'साधु **चोर** निकला।' 'नौकर **बीमार** रहा। 'आप मेरे **मित्र** ठहरे।' 'यह मनुष्य **विदेशी** दिखता है।' इन वाक्यों में 'चतुर', 'चोर', 'बीमार' आदि शब्द पूर्ति हैं।

(अ) पदार्थों के स्वाभाविक धर्म और प्रकृति के नियमों को प्रकट करने के लिए बहुधा 'है' या 'होता है' क्रिया के साथ संज्ञा या विशेषण का उपयोग किया जाता है; जैसे'सोना भारी **धातु** है।' 'घोड़ा **चौपाया** है।' 'चाँदी **सफेद** होती है।' 'हाथी के कान बड़े होते हैं।'

(आ) अपूर्ण क्रियाओं से साधारण अर्थ में पूरा आशय भी पाया जाता है; जैसे'ईश्वर हैं', 'सबेरा **हुआ**', 'सूरज **निकला**', 'गाड़ी दिखाई देती है' इत्यादि।

(इ) सकर्मक क्रियाएँ भी एक प्रकार की अपूर्ण क्रियाएँ हैं; क्योंकि उनसे कर्म के बिना पूरा आशय नहीं पाया जाता। तथापि अपूर्ण अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में यह अंतर है कि अपूर्ण क्रिया की पूर्ति से उसके कर्ता ही की स्थिति वा विकार सूचित होता है और सकर्मक क्रिया की पूर्ति (कर्म) कर्ता से भिन्न होती है; जैसे' **मन्त्री राजा** बन गया', '**मन्त्री ने राजा** को बुलाया।' सकर्मक क्रिया की पूर्ति (कर्म) को बहुधा पूरक कहते हैं।

195. देना, बतलाना, कहना, सुनाना और इन्हीं अर्थों के दूसरे कई सकर्मक धातुओं के साथ दो-दो **कर्म** रहते हैं। एक **कर्म** से बहुधा पदार्थ का बोध होता है और उसे **मुख्य कर्म** कहते हैं, और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणिवाचक होता है, **गौण कर्म** कहलाता है; जैसे'गुरु ने **शिष्य** को (गौण कर्म) **पोथी** (मुख्य कर्म) दी।' 'मैं तुम्हें **उपाय** बतलाता हूँ' इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) गौण कर्म कभी लुप्त रहता है; जैसे'राजा ने **दान** दिया।' 'पंडित **कथा** सुनाते हैं।'

196. कभी कभी करना, बनाना, समझना, पाना, मानना आदि सकर्मक धातुओं का आशय कर्म के रहते भी पूरा नहीं होता, इसलिए उनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूर्ति के रूप में आता है; जैसे'अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना **दीवान** बनाया है।' 'मैंने चोर को **साधु** समझा।' इन क्रियाओं को **अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ** कहते हैं और इनकी पूर्ति **कर्मपूर्ति** कहलाती है। इससे भिन्न अकर्मक अपूर्ण क्रिया की पूर्ति को **उद्देश्यपूर्ति** कहते हैं।

(अ) साधारण अर्थ में सकर्मक अपूर्ण क्रियाओं को भी **पूर्ति** की आवश्यकता नहीं होती; जैसे'कुम्हार घड़ा **बनाता** है।' 'लड़के पाठ **समझते** हैं।'

197. किसी किसी अकर्मक और किसी किसी सकर्मक धातु के साथ उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा **कर्म** के समान प्रयुक्त होती है; जैसे'लड़का अच्छी चाल चलता है।' सिपाही **कई लड़ाइयाँ** लड़ा।' 'लड़कियाँ खेल खेल रही हैं।' 'पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं।' 'किसान ने चोर को बड़ी मार मारी' इस कर्म को **सजातीय** कर्म और क्रिया को **सजातीय क्रिया** कहते हैं।

यौगिक धातु

198. व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं के दो भेद होते हैं(1) मूल धातु और (2) यौगिक धातु।

199. **मूल धातु** वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों; जैसेकरना, बैठना, चलना, लेना।

200. जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं, वे **यौगिक** धातु कहलाते हैं, जैसे'चलना' से 'चलाना', 'रंग' से 'रँगना', 'चिकना' के 'चिकनाना' इत्यादि।(अ) संयुक्त धातु यौगिक धातुओं का एक भेद है।

(सू.जो धातु हिंदी में मूल धातु माने जाते हैं उनमें बहुत से प्राकृत के द्वारा संस्कृत धातुओं से बने हैं; जैसेसं.कृ., प्रा.कर, हिं.कर। सं.भू, प्रा.हो. हि.हो। संस्कृत 'अथवा' प्राकृत के धातु चाहे यौगिक हों चाहे मूल, परंतु उनसे निकले हुए हिंदी धातु मूल ही माने जाते हैं, क्योंकि व्याकरण में दूसरी भाषा में आए हुए शब्दों की मूल व्युत्पत्ति का विचार नहीं किया जाता। यह विषय कोष का है। हिंदी ही के शब्दों से अथवा हिंदी प्रत्ययों के योग से जो धातु बनते हैं उन्हीं को, हिंदी में, यौगिक मानते हैं।)

201. यौगिक धातु तीन प्रकार से बनते हैं(1) धातु में प्रत्यय जोड़ने से **सकर्मक** तथा **प्रेरणार्थक धातु** बनते हैं, (2) दूसरे शब्दभेदों में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं और (3) एक धातु में एक या दो धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.यद्यपि यौगिक धातुओं का विवेचन व्युपत्ति का विषय है तथापि सुभीते के लिए हम प्रेरणार्थक धातुओं का और नामधातुओं का विचार इसी अध्याय में और संयुक्त धातुओं का विचार क्रिया के रूपांतर प्रकरण में करेंगे।)

प्रेरणार्थक धातु

202. मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, उसे **प्रेरणार्थक धातु** कहते हैं; जैसे'बाप लड़के से चिट्ठी **लिखवाता** है।' इस वाक्य में मूल धातु 'लिख' का विकृत रूप 'लिखवा' है, जिससे जाना जाता है कि लड़का लिखने का व्यापार बाप की प्रेरणा से करता है; इसलिए **'लिखवा'** प्रेरणार्थक धातु है और 'बाप' प्रेरक कर्ता तथा 'लड़का' प्रेरित कर्ता है। 'मालिक नौकर से गाड़ी **चलवाता** है।' इस वाक्य में **'चलवाता** है' प्रेरणार्थक क्रिया, 'मालिक' प्रेरक कर्ता और 'नौकर' प्रेरित कर्ता है।

203. आना, जाना, सकना, होना, रुचना, पाना आदि धातुओं से अन्य प्रकार के धातु नहीं बनते। शेष सब धातुओं से दो दो प्रकार के प्रेरणार्थक धातु बनते हैं जिनके पहले रूप बहुधा सकर्मक क्रिया ही के अर्थ में आते हैं और दूसरे रूप में यथार्थ प्रेरणा समझी जाती है, जैसे' **गिरता** है', 'कारीगर घर **गिराता** है।' 'कारीगर नौकर से घर **गिरवाता** है।' 'लोग कथा **सुनते** हैं।' 'पंडित लोगों को **कथा सुनाते हैं**।' 'पंडित शिष्य से श्रोताओं को कथा **सुनवाते** हैं।'

(अ) सब प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं, जैसे **दबी** बिल्ली चूहों से कान **कटाती** है।' 'लड़के ने कपड़ा **सिलवाया।'** पीना, खाना, देखना, समझना, देना, सुनना आदि क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप द्विकर्मक होते हैं, जैसे'प्यासे को पानी **पिलाओ**।' 'बाप ने लड़के को कहानी **सुनाई**।' 'बच्चे को रोटी **खिलवाओ**।'

204. प्रेरणार्थक क्रियाओं के बनाने के नियम नीचे दिए जाते हैं

1. मूल धातु के अंत में 'आ' जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और 'वा' जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है, जैसे

मू. धा.	प. प्रे.	दू. प्रे.
उठ्ना	उठाना	उठवाना
औटना	औटाना	औटवाना
गिरना	गिराना	गिरवाना
चलना	चलाना	चलवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
फैलना	फैलाना	फैलवाना
सुनना	सुनाना	सुनवाना

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) दो अक्षरों के धातु में 'ऐ' वा 'औ' को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे

मू. धा.	**प. प्रे.**	**दू. प्रे.**
ओढ़ना	उढ़ाना	उढ़वाना
जागना	जगाना	जगवाना
जीतना	जिताना	जितवाना
डूबना	डुबाना	डुबवाना
बोलना	बुलाना	बुलवाना
भींगना	भिंगाना	भिंगवाना
लेटना	लिटाना	लिटवाना

(1) 'डूबना' का रूप 'डुबोना' और 'भींगना' का रूप 'भिगोना' भी होता है।

(2) प्रेरणार्थक रूपों में बोलना का अर्थ बदल जाता है।

(अ) तीन अक्षर के धातु में पहले प्रेरणार्थक के दूसरे अक्षर का 'अ' अनुच्चारित रहता है; जैसे

मू. धा.	**प. प्रे.**	**दू. प्रे.**
चमकना	चमकाना	चमकवाना
पिघलना	पिघलाना	पिघलवाना
बदलना	बदलाना	बदलवाना
समझना	समझाना	समझवाना

2. एकाक्षरी धातु के अंत में 'ला' और 'लवा' लगाते हैं और दीर्घ स्वर ह्रस्व कर देते हैं; जैसे

खाना	खिलाना	खिलवाना
छूना	छुलाना	छुलवाना
देना	दिलाना	दिलवाना
धोना	धुलाना	धुलवाना
पीना	पिलाना	पिलवाना
सीना	सिलाना	सिलवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना
जीना	जिलाना	जिलवाना

(अ) 'खाना' में आद्य स्वर 'इ' हो जाता है। इसका एक प्रेरणार्थक 'खवाना' भी है। 'खिलाना' अपने अर्थ के अनुसार 'खिलना' (फूलना) का भी सकर्मक रूप हो सकता है।

(आ) कुछ सकर्मक धातुओं से केवल दूसरे प्रेरणार्थक रूप (1अ नियम के अनुसार) बनते हैं; जैसेगानागवाना, खेनाखिवाना, खोनाखोवाना, बोनाबोआना, लेनालिवाना इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

3. कुछ धातुओं के प्रेरणार्थक रूप 'ला' अथवा 'आ' लगाने से बनते हैं परंतु दूसरे प्रेरणार्थक में 'वा' लगाया जाता है; जैसे

कहना	कहाना वा कहलाना	कहवाना
दिखना	दिखाना वा दिखलाना	दिखवाना
सीखना	सिखाना वा सिखलाना	सिखवाना
सूखना	सुखाना वा सुखलाना	सुखवाना
बैठना	बिठाना वा बिठलाना	बिठवाना

(अ) 'कहना' के पहले प्रेरणार्थक रूप अपूर्ण अकर्मक भी होते हैं; जैसे'ऐसे ही सज्जन ग्रंथकार कहलाते हैं।' 'विभक्ति' सहित शब्द पद **कहाता** है।'

(आ) 'कहलाना' के अनुकरण पर दिखाना या दिखलाना को कुछ लेखक अकर्मक क्रिया के समान उपयोग में लाते हैं; जैसे'बिना तुम्हारे यहाँ न कोई रक्षक अपना **दिखलाता**' (क. क.)। यह प्रयोग अशुद्ध है।

(इ) 'कहवाना' का रूप कहलवाना भी होता है।

(ई) 'बैठना' के कई प्रेरणार्थक रूप होते हैंजैसेबैठाना, बैठालना, बिठालना, बैठवाना।

205. कुछ धातुओं से बने हुए दोनों प्रेरणार्थक रूप एकार्थी होते हैं; जैसे

कटनाकटाना वा कटवाना
खुलनाखुलाना वा खुलवाना
गड़नागड़ाना वा गड़वाना
देनादिलाना व दिलवाना
बँधनाबँधाना वा बँधवाना
रखनारखाना वा रखवाना
सिलनासिलाना वा सिलवाना

206. कोई कोई धातु स्वरूप में प्रेरणार्थक हैं, पर यथार्थ में वे मूल अकर्मक (वा सकर्मक) हैं; जैसेकुम्हलाना, घबराना, मचलाना, इठलाना इत्यादि।

(क) कुछ प्रेरणार्थक धातुओं के मूल रूप प्रचार में नहीं हैं; जैसे'जताना (वा जतलाना) फुसलाना, गँवाना इत्यादि।

207. अकर्मक धातुओं से नीचे लिखे नियमों के अनुसार सकर्मक धातु बनते हैं

1. धातु में आद्य स्वर को दीर्घ करने से; जैसे

कटनाकाटना	पिसनापीसना
दबनादाबना	लुटनालूटना
बँधनाबाँधना	मरनामारना
पिटनापीटना	पटनापाटना

(अ) 'सिलना' का सकर्मक रूप 'सीना' होता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

2. तीन अक्षरों में धातु में दूसरे अक्षर का स्वर दीर्घ होता है; जैसे

निकलनानिकालना	उखड़नाउखाड़ना
सम्हलनासम्हालना	बिगड़नाबिगाड़ना

3. किसी किसी धातु के आद्य इ वा उ को गुण करने से; जैसे

फिरनाफेरना	खुलनाखोलना
दिखनादेखना	घुलनाघोलना
छिदनाछेदना	मुड़नामोड़ना

4. कई धातुओं के अंत्य ट के स्थान में ड़ हो जाता है; जैसे

जुटनाजोड़ना	टूटनातोड़ना
छूटनाछोड़ना	फटनाफाड़ना
फूटनाफोड़ना	

(आ) 'बिकना' का सकर्मक 'बेचना' और 'रहना' का 'रखना' होता है।

208. कुछ धातुओं का सकर्मक और पहला प्रेरणार्थक रूप अलग-अलग होता है, और दोनों में अर्थ का अंतर रहता है; जैसे'गड़ना' का सकर्मक रूप गाड़ना, और पहला प्रेरणार्थक 'गड़ाना' है। गड़ाना का अर्थ 'धरती के भीतर रखना' है। 'गाड़ना' का अर्थ 'चुभाना' भी है। ऐसे ही 'दाबना' और 'दबाना' में अंतर है।

नामधातु

209. धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं। ये संज्ञा व विशेषण के अंत में 'ना' जोड़ने से बनते हैं।

(अ) संस्कृत शब्दों से; जैसे

उद्धारउद्धारना, स्वीकारस्वीकारना (व्यापार में 'सकारना'), धिक्कार-धिकारना, अनुराग-अनुरागना इत्यादि। इस प्रकार के शब्द कभी-कभी कविता में आते हैं और ये शिष्टसम्मति से ही बनाए जाते हैं।

(आ) अरबी, फारसी शब्दों से; जैसे

गुजरगुजरना	खरीदखरीदना
बदलबदलना	दागदागना
खर्चखर्चना	आजमाआजमाना
फर्माफर्माना	

इस प्रकार के शब्द अनुकरण से नए नहीं बनाए जा सकते।

(इ) हिंदी शब्दों से (शब्द के अंत में 'आ' करके और आद्य 'आ' को ह्रस्व करके); जैसे

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दुखदुखाना	बातबतियाना, बताना
चिकनाचिकनाना	हाथहथियाना
अपनाअपनाना	पानीपनियाना
लाठीलठियाना	रिसरिसाना
बिलगबिलगाना	

इस प्रकार के शब्दों का प्रचार अधिक नहीं है। इसके बदले बहुधा संयुक्त क्रियाओं का उपयोग होता है; जैसेदुखानादुख देना, बतियानाबात करना, अलगानाअलग करना इत्यादि।

210. किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाए जाते हैं, उन्हें अनुकरणधातु कहते हैं। ये धातु ध्वनिसूचक शब्द के अंत में 'आ' करके 'ना' जोड़ने से बनते हैं; जैसे

बड़बड़बड़बड़ाना	खटखट-खटखटाना
थरथरथरथराना	टर्रटर्राना
मचमचमचमचाना	भनभनभनभनाना

(अ) नामधातु और अनुकरण धातु अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। ये धातु शिष्टसम्मति के बिना नहीं बनाए जाते।

संयुक्त धातु

(सू.संयुक्त धातु कुछ कृदंतों (धातु से बने हुए शब्दों) की सहायता से बनाए जाते हैं, इसलिए इसका विवेचन क्रिया के रूपांतर प्रकरण में किया जायगा।)

(टी.हिंदी व्याकरणों में प्रेरणार्थक धातुओं के संबंध में गड़बड़ी है। 'हिंदी व्याकरण' में स्वरांत धातुओं से सकर्मक बनाने का जो सर्वव्यापी नियम दिया है, उनमें कई अपवाद हैं; 'बोआना', 'खोआना', 'गँवाना', 'लिखवाना' इत्यादि। लेखक ने इनका विचार ही नहीं किया। फिर उसमें केवल 'धुलना', 'चलना' और 'दबाना' से दो दो सकर्मक रूप माने गए हैं; पर हिंदी में इस प्रकार के धातु अनेक हैं; जैसेकटना, खुलना, गड़ना, लुटना, पिसना इत्यादि। यद्यपि इन धातुओं के दो दो सकर्मक रूप कहे जाते हैं, पर यथार्थ में एक रूप सकर्मक और दूसरा प्रेरणार्थक है; जैसेघुलनाघोलना, घुलाना, कटनाकाटना; कटाना; पिसनापिसना इत्यादि। 'भाषाभास्कर' में इन दुहरे रूपों का नाम तक नहीं है। 'बालबोध व्याकरण' में कई एक प्रेरणार्थक क्रियाओं के जो रूप दिए गए हैं, वे हिंदी में प्रचलित नहीं हैं; जैसे'सोलाना' (सुलाना), 'बोलवाना' (बुलवाना), 'बैठलाना' (बिठवाना) इत्यादि। 'भाषा चंद्रोदय' में प्रेरणार्थक धातुओं को त्रिकर्मक लिखा है; पर उनका जो एक उदाहरण दिया गया है, उसमें लेखक ने यह बात नहीं समझाई और न उसमें एक से अधिक कर्म ही पाए जाते हैं, जैसे'देवदत्त यज्ञदत्त से पोथी लिखवाता है।')

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दूसरा खंड

अव्यय

पहला अध्याय

क्रिया विशेषण

211. जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है, उसे क्रियाविशेषण कहते हैं, जैसेयहाँ, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम इत्यादि।

(सू.'विशेषता' शब्द से स्थान, काल, रीति और परिमाण का अभिप्राय है)

(1) क्रियाविशेषण को अव्यय (अविकारी) कहने में दो शंकाएँ हो सकती हैं

(क) कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग क्रियाविशेषण के समान होता है, जैसे'अंत में', 'इतने पर', 'ध्यान से', 'रात को' इत्यादि। (ख) कई एक क्रियाविशेषणों में विभक्तियों के द्वारा रूपांतर होता है, जैसे'यहाँ का', 'कब से', 'आगे का', 'किधर से' इत्यादि।

इनमें से पहली शंका का उत्तर यह है कि यदि कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग क्रियाविशेषण के समान होता है, तो इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि क्रियाविशेषण अव्यय नहीं होते। फिर विभक्त्यंत शब्दों के आगे कोई दूसरा विकार भी नहीं होता इससे इनको भी अव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है। संस्कृत में भी कुछ विभक्त्यंत शब्द (जैसेसत्यम्, सुखेन, बलात्) क्रियाविशेषण के समान उपयोग में आते हैं और अव्यय माने जाते हैं। हिंदी में भी कोई एक शब्द (जैसेआगे, पीछे, सामने, सबेरे इत्यादि) जिन्हें क्रियाविशेषण और अव्यय मानने में किसी को शंका नहीं होती। यथार्थ में विभक्त्यंत संज्ञाएँ हैं, परंतु उनके प्रत्ययों का लोप हो गया है। दूसरी शंका का समाधान यह है कि जिन क्रियाविशेषणों में विभक्ति का योग होता है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। उनमें कुछ तो सर्वनामों से बने हैं और कुछ संज्ञाएँ हैं, जो अधिकरण की विभक्ति का लोप हो जाने से क्रियाविशेषण के समान उपयोग में आती हैं। फिर उनमें भी केवल संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण की एकवचन विभक्तियों का ही योग होता है, जैसेइधर से उधर को, इधर का यहाँ पर इत्यादि। इसलिए इन उदाहरणों को अपवाद मानकर क्रियाविशेषणों को अव्यय मानने में कोई दोष नहीं है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(2) जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रियाविशेषण कहते हैं, उसी प्रकार विशेषण और क्रियाविशेषण की विशेषता बतानेवाले शब्दों को भी क्रियाविशेषण कहते हैं। ये शब्द बहुधा परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हैं और कभी कभी क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं। क्रियाविशेषण के लक्षण में विशेषण और दूसरे क्रियाविशेषण की विशेषता बताने का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया कि यह बात सब क्रियाविशेषणों में नहीं पाई जाती और परिमाणवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या दूसरे क्रियाविशेषणों की अपेक्षा बहुत कम है। कहीं-कहीं रीतिवाचक क्रियाविशेषण भी विशेषण और दूसरे क्रियाविशेषण की विशेषता बताते हैं, परंतु वे परोक्ष रूप से परिमाणवाचक ही हैं, जैसे **'ऐसा** सुंदर बालक' = **'इतना** सुंदर बालक।' 'गाड़ी ऐसे धीरे चलती है' = गाड़ी **इतने** धीरे चलती है।'

212. क्रियाविशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो सकता है(1) प्रयोग, (2) रूप और (3) अर्थ।

(टी.क्रियाविशेषणों का ठीक-ठीक विवेचन करने के लिए उनका वर्गीकरण एक से अधिक आधारों पर करना आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में बहुत से क्रियाविशेषण यौगिक हैं और केवल रूप से उनकी पहचान नहीं हो सकती, जैसेअच्छा, मन से, इतना, केवल धीरे इत्यादि। फिर कई एक शब्द कभी क्रियाविशेषण और कभी दूसरे प्रकार के होते हैं, जैसे'आगे हमने जान लिया'। (शंकु.)। 'मानियों के आगे प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं हैं।' (सत्य.)। 'राजा ने ब्राह्मण को आगे से लिया।' इन उदाहरणों, में 'आगे' शब्द क्रियाविशेषण, संबंधसूचक और संज्ञा है।)

213. प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं **(1) साधारण, (2) संयोजन और (3) अनुबद्ध।**

(1) जिन क्रियाविशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है, उन्हें साधारण क्रियाविशेषण कहते हैं, जैसे'हाय? अब मैं क्या करूँ।' 'बेटा, जल्दी आओ। 'अरे! वह साँप कहाँ गया?' (सत्य.)।

(2) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है, उन्हें संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे'जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं जी के क्या करूँगी।' (सत्य.)। 'जहाँ अभी समुद्र है, वहाँ पर किसी समय जंगल था।' (सर.)

(सू.संयोजक क्रियाविशेषणजब, जहाँ, जैसेज्यों, जितना संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' से बनते हैं और उसी के अनुसार दो उपवाक्यों को मिलाते हैं। (दे. अंक-134)

(3) अनुबद्ध क्रियाविशेषण वे हैं, जिनका प्रयोग अवधारण के लिए किसी भी शब्दभेद के साथ हो सकता है, जैसे'यह तो किसी ने धोखा ही दिया है।' (मुद्रा.)। 'मैंने उसे देखा तक नहीं।' 'आपके आने भर की देरी है।' अब मैं भी तुम्हारी सखी का वृत्तांत पूछता हूँ।' (शकु.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

214. रूप के अनुसार क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं (1) **मूल,** (2) **यौगिक और** (3) **स्थानीय।**

215. जो क्रियाविशेषण दूसरे शब्द से नहीं बनते, वे **मूल** क्रियाविशेषण कहलाते हैं, जैसेठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं इत्यादि।

216. जो क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय वा शब्द जोड़ने से बनते हैं, उन्हें **यौगिक** क्रियाविशेषण कहते हैं। वे नीचे लिखे शब्दभेदों से बनते हैं

(अ) संज्ञा से; जैसेसबेरे, क्रमशः आगे, रात को, प्रेमपूर्वक, दिन भर, रात तक इत्यादि।

(आ) सर्वनाम से; जैसेयहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, तिसपर इत्यादि।

(इ) विशेषण से; जैसेधीरे, चुपके, भूल से, इतने में, सहज से, पहले, दूसरे ऐसे-वैसे इत्यादि।

(ई) धातु से; जैसेआते, करते, देखते हुए, चाहे, लिये, मानो, बैठे हुए इत्यादि।

(उ) अव्यय से; जैसेयहाँ तक, कब का, ऊपर को, झट से, वहाँ पर इत्यादि।

(ऊ) क्रियाविशेषणों के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा 'ई वा 'ही' लगाते हैं, जैसेअबअभी, यहाँयहीं, आतेआते ही, पहलेपहले ही इत्यादि।

217. संयुक्त क्रियाविशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं

(अ) संज्ञाओं की द्विरुक्ति से; घर-घर, घड़ी-घड़ी, बीचोबीच, हाथोहाथ इत्यादि।

(आ) दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, रात दिन, साँझ सबेरे, घर बाहर, देश विदेश इत्यादि।

(इ) विशेषण की द्विरुक्ति से, जैसेएकाएक, ठीक-ठीक, साफ-साफ इत्यादि।

(ई) क्रियाविशेषणों की द्विरुक्ति से, जैसेधीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ, कब-कब, कहाँ-कहाँ, बकते-बकते, बैठे-बैठे, पहले-पहल इत्यादि।

(उ) दो भिन्न भिन्न क्रियाविशेषणों के मेल से, जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, जब तक, जब कभी, कल परसों, तले ऊपर, आस पास, आमने सामने इत्यादि।

(ऊ) दो समान अथवा असमान क्रियाविशेषण के बीच में, 'न' रखने से; जैसेकभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ इत्यादि।

(ऋ) अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से; जैसेगटगट, तड़ातड़, सटासट, धड़ाधड़ इत्यादि।

(ए) संज्ञा और विशेषण के मेल से; जैसेएक साथ, एक बार, दो बार, हर घड़ी, जबरदस्ती, लगातार इत्यादि।

(ऐ) अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से; जैसेप्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, संदेह, बेफायदा, आजन्म इत्यादि।

(ओ) पूर्वकालिक कृदंत (करके) और विशेषण के मेल से; जैसेमुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक-एक करके इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

218. दूसरे शब्दभेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रियाविशेषण के समान उपयोग में आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रियाविशेषण कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष स्थान ही में क्रियाविशेषण होते हैं; जैसे

(अ) संज्ञा'तुम मेरी मदद **पत्थर** करोगे!' 'वह अपना **सिर** पढ़ेगा!'

(आ) सर्वनाम'लीजिए महाराज, मैं यह चला।' (मुद्रा.)। 'कोतवाल जी तो वे आते हैं।' (शकु.)। 'हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे!' (रघु.)। 'तुम्हें यह बात कौन कठिन है।' इत्यादि।

(इ) विशेषण'स्त्री **सुंदर सीता** है।' 'मनुष्य **उदास बैठा** है।' 'लड़का **कैसा** कूदा!' 'सब लोग **सोए** पड़े थे।' 'चोर **पकड़ा हुआ** आया।' 'हमने **इतना** पुकारा।' (सत्य.)। इत्यादि।

(ई) पूर्वकालिक कृदंत'तुम **दौड़कर** चलते हो!' 'लड़का **उठकर** भागा।' इत्यादि।

219. हिंदी में कई एक संस्कृत और कुछ उर्दू क्रियाविशेषण भी आते हैं। ये शब्द तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के होते हैं।

(1) संस्कृत क्रिया विशेषण

तत्समअकस्मात्, अन्यत्र, कदाचित्, प्रायः, बहुधा, पुनः वृथा, व्यर्थ, वस्तुतः, संप्रति, शनैः, सहसा, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, साक्षात् इत्यादि।

तद्भवआज (सं.अद्य), कल(सं.कल्प), परसों (सं.परश्व), बारंबार (सं.बार-बार), आगे (सं.अग्रे), साथ (सं.सार्धम्), सामने (सं.सम्मुखम्), सतत (सं.सततम्) इत्यादि।

(2) उर्दू क्रियाविशेषण

तत्समशायद, जरूर, बिलकुल, अकसर, फौरन, बाला बाला इत्यादि।

तद्भवहमेशा। (फा.हमेशह्), सही (अ.सहीह्) , नगीच (फा.नजदीक), जल्दी (फा.जल्द), खूब (फा.खूब), आखिर (अ.आखिर) इत्यादि।

220. अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषणों के नीचे लिखे चार भेद होते हैं

(1) स्थानवाचक, (2) कालवाचक, (3) परिणामवाचक और (4) रीतिवाचक।

221. स्थानवाचक क्रियाविशेषण के दो भेद हैं(1) स्थितिवाचक और (2) दिशावाचक।

(1) स्थितिवाचकयहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, साथ, बाहर, भीतर, पास (निकट, समीप), सर्वत्र, अन्यत्र इत्यादि।

(2) दिशावाचकइधर, उधर, किधर, जिधर, तिधर, दूर, परे, अलग, बाएँ, आरपार, इस तरफ, उस जगह, चारों ओर इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

222. कालवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं(1) समयवाचक, (2) अवधिवाचक, (3) पौनःपुन्यवाचक।

(1) **समयवाचक**आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, अब, जब, कब, तब, अभी, कभी, फिर, तुरंत, सबेरे, पहले, पीछे, प्रथम, निदान, आखिर, इतने में इत्यादि।

(2) **अवधिवाचक**आजकल, नित्य, सदा, सतत (कविता में) निरंतर, अब तक, कभी-कभी, कभी न कभी, अब भी, लगातार, दिन भर, कब का, इतनी देर इत्यादि।

(3) **पौन : पुन्यवाचक**बार-बार (बारम्बार), बहुधा (अकसर), प्रतिदिन (हररोज), घड़ी, कई बार, पहलेफिर, एकदूसरेतीसरेइत्यादि, हरबार, हरदफे इत्यादि।

223. **परिमाणवाचक क्रियाविशेषण** से अनिश्चित संख्या वा परिमाण का बोध होता है। इनके ये भेद हैं

(अ) **अधिकताबोधक**बहुत, अति, बड़ा, भारी, बहुतायत से, बिलकुल, सर्वथा, निरा, खूब, पूर्णतया, निपट, अत्यंत, अतिशय इत्यादि।

(आ) **न्यूनताबोधक**कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा किंचित् इत्यादि।

(इ) **पर्याप्तिवाचक**केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु, इति इत्यादि।

(ई) **तुलनावाचक**अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, और इत्यादि।

(उ) **श्रेणीवाचक**थोड़ा-थोड़ा, क्रम-क्रम से, बारी-बारी से, तिल-तिल, एक-एक करके, यथाक्रम इत्यादि।

224. **रीतिवाचक** क्रियाविशेषणों की संख्या गुणवाचक विशेषणों के समान अनंत है। क्रियाविशेषणों के न्यायसम्मत वर्गीकरण में कठिनाई होने के कारण इस वर्ग में उन सब क्रियाविशेषणों का समावेश किया जाता है, जिनका अंतर्भाव पहले कहे हुए वर्गों में नहीं हुआ है। रीतिवाचक क्रियाविशेषण नीचे लिखे हुए अर्थों में आते हैं

(अ) **प्रकार**ऐसे, वैसे, कैसे, जैसेतैसे, मानों, यथा, तथा, धीरे, अचानक, सहसा, अनायास, वृथा, सहज, साक्षात्, सेत्, सेतमेंत, योंही, हौले, पैदल, जैसेतैसे, स्वयं, स्वतः, परस्पर, आप ही आप, एक साथ, एकाएक, मन से, ध्यानपूर्वक, संदेह, सुखेन, रीत्यनुसार, क्योंकर, यथाशक्ति, हँसकर, फटाफट, तड़ातड़, फट से, उलटा, येन केन प्रकारेण, अकस्मात्, किंबहुना, प्रत्युत।

(आ) निश्चयअवश्य, सही, सचमुच, निःसन्देह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, मुख्य करके, यथार्थ में, वस्तुतः, दरअसल।

(इ) अनिश्चयकदाचित् (शायद), बहुत करके, यथासंभव।

(ई) स्वीकारहाँ, जी, ठीक, सच।

(उ) कारणइसलिए, क्यों, काहे को।

(ऊ) निषेधन, नहीं, मत।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(ऋ) अवधारणतो, हो, भी, मात्र, भर, तक, सा।

225. यौगिक क्रियाविशेषण दूसरे शब्द में नीचे लिखे शब्द अथवा प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं

(1) संस्कृत क्रियाविशेषण

पूर्वकध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक इत्यादि।
वश विधिवश, भयवश।
इन(आ)सुखेन, येनकेन, प्रकारेण, मनसावाचाकर्मणा।
याकृपया, विशेषतया।
अनुसाररीत्यनुसार, शक्त्यनुसार।
तःस्वभावतः, वस्तुतः, स्वतः।
दासर्वदा, सदा, यदा, कदा।
धाबहुधा, शतधा, नवधा।
शःक्रमशः, अक्षरशः।
त्रएकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र।
थासर्वथा, अन्यथा।
वत्पूर्ववत्, तद्वत्।
चित्कदाचित्, किंचित्, क्वचित्।
मात्रपलमात्र, नाममात्र, लेशमात्र।

(2) हिंदी क्रियाविशेषण

ता तेदौड़ता, करता, बोलता, चलते, आते, मारते।
आ, एबैठा, भागा, लिए, उठाए, बैठे, चढ़े।
कोइधर को, दिन को, रात को, अंत को।
सेधर्म से, मन से, प्रेम से, इधर से, तब से।
मेंसंक्षेप में, इतने में, अंत में।
कासबेरे का, कब का।
तकआज तक, यहाँ तक, रात तक, घर तक।
कर, करकेदौड़कर, उठाकर, देख करके, धर्म करके, भक्ति करके, क्योंकर।
भररात भर, पल भर, दिन भर।

(अ) नीचे लिखे प्रत्ययों और शब्दों से सार्वनामिक क्रियाविशेषण बनते हैं

एऐसे, कैसे, जैसेवैसे, थोड़े।
यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ।
धरइधर, उधर, जिधर, तिधर।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

योंयों, त्यों, ज्यों क्यों।
लिएइसलिए, जिसलिए, किसलिए।
बअब, तब कब, जब।

(3) उर्दू क्रियाविशेषण

अनजबरन, फौरन, मसलन इत्यादि।

226. सामासिक क्रियाविशेषण अर्थात् अव्ययीभाव समासों का कुछ विचार व्युत्पत्ति प्रकरण में किया जायगा। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं

(1) संस्कृत अव्ययीभाव समास

प्रतिप्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष।
यथायथाशक्ति, यथाक्रम, यथासंभव।
निःनिःसंदेह, निर्भय, निःशंक।
यावत्यावज्जीवन।
आआजन्म, आमरण।
सम्समक्ष, सम्मुख।
ससदेह, सपरिवार।
अ, अनअकारण, अनायास।
विव्यर्थ, विशेष।

(2) हिंदी अव्ययीभाव समास

अनअनजाने, अनपूछे।
निनिधड़क, निडर।

(3) उर्दू अव्ययीभाव समास

हरहररोज, हरसाल, हरवक्त।
दरदरअसल, दरहकीकत।
बबर्जिस, बदस्तूर।
बेबेकार, बेफायदा, बेशक, बेतरह, बेहद।

(4) निश्चित अव्ययीभाव समास

हरहरघड़ी, हरदिन, हरजगह।
बेबेकाम, बेसुर।

227. कुछ क्रियाविशेषणों के विशेष अर्थों और प्रयोगों के उदाहरण आगे दिए जाते हैं

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अब, अभीयद्यपि इनका अर्थ वर्तमान काल का है, तो भी ये 'तब' और 'तभी' के समान बहुधा भूत और भविष्यत्कालों में भी आते हैं; जैसे'अब एक नई घटना हुई।' 'वे अब वहाँ जायँगे।' 'अभी पौ भी नहीं फटी थी कि सेना ने नगर घेर लिया।' 'हम अभी जायँगे।'

परसों, कलइनका प्रयोग भूत और भविष्य दोनों में होता है। इसकी पहचान क्रिया के रूप से होती है; जैसे'लड़का कल आया और **परसों** जायगा।'

आगे, पीछे, पास, दूरये और इनके समानार्थी स्थानवाचक क्रियाविशेषण कालवाचक भी हैं; जैसे **'आगे राम अनुज पुनि पाछे।'** (राम.)। 'गाँव **पास** है या दूर?' (स्थान.)। 'दिवाली **पास आ** गई।' 'विवाह का समय अभी दूर है' (स्थान.)। 'आगे' कालवाचक अर्थ कभी 'पीछे' के साथ बदल जाता है; जैसे'ये सब बातें जान पड़ेंगी आगे।' (सर.)। (पीछे)।

तब, फिर इनका प्रयोग बहुधा भूत और भविष्यत् कालों में होता है। भाषा-रचना में 'तब' की द्विरुक्ति मिटाने के लिए उसके बदले बहुधा 'फिर' की योजना करते हैं; जैसे'तब (मैंने) समझा कि इनके भीतर कोई अभागा बंद है।' **'फिर** जो कुछ हुआ, सो आप जानते ही हैं' (विचित्र.)। कभी-कभी **'तब'** और **'फिर'** एक ही अर्थ में साथ आते हैं; जैसे' **तब** फिर आप क्या करेंगे?' कहीं-कहीं **'तब'** का प्रयोग पूर्वकालिक कृदंत (दे. अंक 380) के पश्चात् यों ही कर दिया जाता है जैसे'सबेरे स्नान और पूजन करके तब भोजन करना चाहिए।'

कभी इससे अनिश्चित काल का बोध होता है; जैसे'हमसे कभी मिलना।' 'कभी' और 'कदापि' का प्रयोग बहुधा निषेधवाचक शब्दों के साथ होता है; जैसे 'ऐसा काम कभी मत करना।' मैं वहाँ **कदापि** न जाऊँगा।' दो या अधिक वाक्यों में **'कभी'** से क्रमागत काल का बोध होता है; जैसे **'कभी** नाव गाड़ी पर, **कभी** गाड़ी नाव पर।' 'कभी मुट्ठी भर चना, **कभी** यह भी मना।' 'कभी', का प्रयोग आश्चर्य या तिरस्कार में भी होता है; **जैसे** 'तुमने कभी कलकत्ता देखा था!'

कहाँदो अलग-अलग वाक्यों में 'कहाँ' से बड़ा अंतर सूचित होता है; जैसे **'कहँ** कुंभज **कहँ** सिंधु अपारा।' (राम.)। 'कहाँ राजा भोज कहाँ **गंगा** तेली।'

कहीं अनिश्चित स्थान के **अर्थ** के सिवा यह 'अत्यंत' और 'कदाचित्' के अर्थ में भी पाता है; जैसे'पर मुझसे वह कहीं सुखी है।' (हिंदी ग्रंथ.)। 'सखी ने ब्याह की बात **कहीं** हँसी से न कही हो।' (शकु.)। अलग-अलग वाक्यों में 'कहीं' से 'विरोध' सूचित होता है; जैसे **कहीं** धूप **कहीं** छाया।' **'कहीं** शरीर आधा जल है, **कहीं** बिलकुल कच्चा है!' (सत्य.)। आश्चर्य में 'कहीं' का प्रयोग 'कभी' के समान होता है; **'कहीं** डूबे तिरे हैं!' पत्थर भी कहीं पसीजता है!'

परेइसका प्रयोग बहुधा तिरस्कार में होता है; जैसे **'परे हो!' 'परे हट।'**

इधर उधर, यहाँ वहाँइन दुहरे क्रियाविशेषणों से विचित्रता का बोध होता

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

है; जैसे **इधर** तो तपस्वियों का काम, **उधर** बड़ों की आज्ञा।' (शकु.)। 'सुत सनेह **इत** वचन उत संकट परेउ नरेश।' (राम.)। 'तुम **यहाँ** यह भी कहते हो, **वहाँ,** वह भी कहते हो।'

यों ही, ऐसे ही, वैसे ही इनका अर्थ 'अकारण' अथवा 'सेंतमेंत है; जैसे'यह पुस्तक मुझे **वैसे ही** मिली'। 'लड़का **यों ही** फिरा करता है।' 'वह **ऐसे ही** रोता है।

जब तकयह बहुधा निषेधवाचक वाक्य में आता है; जैसेजब तक मैं न आऊँ, तुम यहीं रहना।'

तब तकइसका अर्थ भी कभी-कभी 'इतने में' होता है; जैसे'ये दुख तो थे ही तब तक एक नया घाव और हुआ।' (शकु.)।

जहाँइसका अर्थ कभी-कभी 'जब होता है; जैसे'जहँ अस दशा जड़न की बरनी। को कहि सकै सचेतन करनी' (राम.)।

जहाँ तकइसका अर्थ बहुधा परिणामवाचक होता है; जैसे'जहाँ तक हो सके टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दी जावें।'

'जहाँ तक' और 'कहाँ तक' भी परिणामवाचक होता है; जैसेकरूँ कहाँ तक वर्णन उसकी अतुल दया का भाव।' (एकांत.) 'एक साल व्यापार में टोटा पड़ा, यहाँ तक कि उनका घर-द्वार सब जाता रहा। 'यहाँ तक' बहुधा 'कि' के साथ ही आता है।

'कब काइसका अर्थ 'बहुत समय से' है। इसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है; जैसे **'माँ कब की** पुकार रही है।' (सत्य.)। **'कब को** टेरत दीन रटि' (सत.)।

क्योंकरइसका अर्थ 'कैसे' होता है; जैसे'यह काम **क्योंकर** होगा?' ये गढ़े **क्योंकर** पड़ गए!' (गुटका.)।

इसलिएयह कभी क्रियाविशेषण और कभी समुच्चयबोधक होता है; जैसे 'वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है।' (क्र. वि.)' तू दुर्दशा में है; इसलिए मैं तुझे दान दिया चाहता हूँ।' (स. बो.)।

न, नहीं, मत'न' स्वतंत्र शब्द है, इसलिए यह शब्द और प्रत्यय के बीच में नहीं आ सकता। 'देशोपालंभ' नामक कविता में कवि के सामान्य भविष्यत् के प्रत्यय के पहले 'न' लगा दिया है; जैसे'लावो न ये वचन जो मन में हमारा।' यह प्रयोग दूषित है। जिन क्रियाओं के साथ 'न' और 'नहीं' दोनों आ सकते हैं, वहाँ 'न' से केवल निषेध और 'नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता है; जैसे'वह न आया।' 'वह नहीं आया।' 'मैं न जाऊँगा।' 'मैं **नहीं** जाऊँगा।' 'न' प्रश्नवाचक अव्यय भी है; जैसे **'सब** करेगा न?' (सत्य.)। 'न' कभी-कभी निश्चय के अर्थ में आता है; जैसे'मैं तुझे अभी देखता हूँ न।' (सत्य.)। न-न समुच्चय बोधक होते हैं; जैसे'न उन्हें नींद आती थी न भूख-प्यास लगती थी।' (प्रेम.)। प्रश्न के उत्तर

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

में 'नहीं' आता है; जैसे' तुमने उसे रुपया दिया था?' नहीं।' कविता में बहुधा 'नहीं' के बदले 'न' का प्रयोग कर देते हैं; पर यह भूल है; जैसे'लिखा मुझे न आता है।' (सर.)। 'मत का उपयोग निषेधात्मक आज्ञा में होता है; जैसे'अब मत' बको।' (दे. अंक599)। पुरानी कविता में बहुधा 'मत' के बदले 'न' आता है; जैसेदीरघ साँस न लेहि दुख, सुख साईंहि न भूल।' (सत.)।

केवलयह अर्थ के अुनसार कभी विशेषण, कभी क्रियाविशेषण और कभी समुच्चयबोधक होता है; जैसे'रामहि प्रेम पियारा'। (राम.)। 'लड़का **केवल** चिल्लाता है'। **'केवल** एक तुम्हारी आशा प्राणों को अटकाती है' (क.क.)।

बहुधा, प्रायःये शब्द सर्वव्यापक विधानों को परिमित करने के लिए आते हैं।' 'बहुधा' से जितनी परिमित होती है, उसकी अपेक्षा 'प्रायः' से कम होती है; जैसेवे सब **बहुधा** बलवान शत्रुओं से सब तरफ घिरे रहते थे।' (स्वा.) 'इनमें प्रायः सब श्लोक चंडकौशिक से उद्धृत किए गए हैं' (सत्य.)।

ते इससे निश्चय और आग्रह सूचित होता है। यह किसी भी शब्दभेद के साथ आ सकता है; जैसे 'तुम वहाँ गए **तो** थे।' 'किताब तुम्हारे पास तो थी।' इसके साथ 'नहीं' और 'भी' आते हैं; और ये संयुक्त शब्द ('नहीं', तो भी') समुच्चयबोधक होते हैं। (दे. अंक243-244)। 'यदि' के साथ दूसरे वाक्य में आकर 'तो' समुच्चयबोधक होता है; जैसे **'यदि** ठंड न लगे **तो** यह हवा बहुत दूर चली जाती है।'

हीयह भी 'तो' के समान किसी भी शब्दभेद के साथ आकर निश्चय सूचित करता है। कहीं-कहीं यह पहले शब्द के साथ संयोग के द्वारा मिल जाता है; जैसे अब+ही=अभी, कब+ही=कभी, तुम+ही=तुम्हीं, सब+ही=सभी, किस+ही=किसी, उदा.'एक ही दिन', 'दिन ही में, 'दिन में ही', 'पास ही', 'आ ही गया', 'जाता ही था।' न, तो और ही समान शब्दों के बीच भी आते हैं; जैसेएक न एक', कोई न कोई', 'कभी न कभी' 'बात ही बात में', 'पास-ही-पास', 'आते ही आते', 'लड़का गया तो गया ही गया', 'दाग तो दाग पर ये गढ़े क्योंकर पड़ गए?' (गुटका.) 'ही' सामान्य भविष्यत् काल के प्रत्यय के पहले भी लगा दिया जाता है; जैसेहम अपना धर्म तो प्राण रहे तक निबाहैं-ही-गे' (नील.)।

मात्र, भर, तकये शब्द कभी-कभी संज्ञाओं के साथ प्रत्ययों के रूप में आकर उन्हें क्रियाविशेषण वाक्यांश बना देते हैं। (दे. अंक224)। इस प्रयोग के कारण कोई इनकी गिनती संबंधसूचकों में करता है। कभी-कभी इनका प्रयोग दूसरे ही अर्थों में होता है

(अ) 'मात्र' संज्ञा और विशेषण के साथ 'ही' (केवल) के अर्थ में आता है; जैसे'एक लज्जा **मात्र** बची है।' (सत्य.)। 'राम **मात्र** लघु नाम हमारा।' (राम.)। 'एक साधन **मात्र** आपका शरीर ही अब अवशिष्ट है।' (रघु.)। कभी-कभी 'मात्र' का अर्थ 'सब' होता है, जैसे'शिव जी ने साधन **मात्र** को कील दिया है।' (सत्य.)। 'हिंदी भाषाभाषी **मात्र** उनके चिर **कृतज्ञ** भी रहेंगे' (विभक्ति)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(आ) 'भर' परिमाणवाचक संज्ञाओं के साथ आकर विशेषण होता है, जैसे 'सेर भर घी', 'मुट्ठी **भर** अनाज', 'कटोरे भर खून!' इत्यादि। **कभी-कभी** यह मात्र के समान 'सब' के अर्थ में होता है; जैसे'मेरी अमलदारी भर में जहाँ-जहाँ सड़क है।' (गुटका.)। 'कोई उसके राज्य भर में भूखा न सोता।' (तथा) कहीं-कहीं इसका अर्थ 'केवल' होता है; जैसे'मेरे पास कपड़ा **भर** है।' 'उतना **भर** मैं उसे फिर देऊँगा।' 'नौकर लड़के के साथ **भर** रहा है।'

(इ) 'तक' अधिकता के अर्थ में आता है; जैसे'कितनी ही पुस्तकों का अनुवाद तो अँगरेजी **तक** में हो गया है।' 'बंगदेश में कमिश्नर **तक** अपनी भाषा में पुस्तक रचना करते हैं।' (सर.)। इस अर्थ में यह प्रत्यय बहुधा 'भी' (समुच्चयबोधक) का पर्यायवाचक होता है। कभी-कभी यह 'सीमा' के अर्थ में आता है; जैसे'उस काम के दस रुपये **तक** मिल सकते हैं।' 'बालक से लेकर **वृद्ध तक** यह बात जानते हैं।' 'बम्बई **तक** के सौदागर यहाँ आते हैं।' निषेधार्थक वाक्यों में 'तक' का अर्थ बहुधा 'ही' होता है, जैसे'मैंने उसे देखा **तक** नहीं।' 'ये लोग हिंदी में चिट्ठी **तक** नहीं लिखते।'

भीयह शब्द अर्थ में 'ही' के विरुद्ध है और 'तक' के समान अधिकता के अर्थ में आता है, 'यह **भी** देखा, वह **भी** देखा।' (कहा.)। दो वाक्यों या शब्दों के बीच में और रहने पर इससे अवधारण का बोध होता है; जैसे'मैंने उसे देखा और बुलाया भी।' कहीं-कहीं **'भी'** अवधारणबोधक होता है; जैसे'इस काम को कोई **भी** कर सकता है।' 'पत्थर **भी** कहीं पसीजता है।' कहीं-कहीं इससे आग्रह का बोध होता है; जैसे'उठो **भी**।' 'तुम वहाँ जाओगी भी।'

स पूर्वोक्त अव्ययों के समान यह शब्द भी कभी प्रत्यय, कभी संबंधवाचक और कभी क्रियाविशेषण होकर आता है। यह किसी भी विकारी शब्द के साथ लगा दिया जाता है, जैसेफूल सा शरीर, मुझ सा दुखिया, कौन **सा** मनुष्य, स्त्रियों का **सा** बोल, अपना **सा** कुटिल हृदय, मृग **सा** चंचल। गुणवाचक विशेषणों के साथ यह हीनता सूचित करता है, जैसेकाला सा कपड़ा, ऊँची **सी** दीवार, अच्छा **सा** नौकर इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषणों के साथ यह अवधारणबोधक होता है; जैसेबहुत सा धन, थोड़े **से** कपड़े, जरा **सी** बात इत्यादि। इस प्रत्यय का रूप (सा-से-सी) विशेष्य के लिंगवचनानुसार बदलता है। कभी-कभी वह संज्ञा के साथ केवल हीनता सूचित करता है, जैसे'बन में बिथा **सी** छाई जाती है।' (शकु.)। 'एक जोत **सी** उतरी चली आती है।' (गुटका.)। 'जलकण इतने अधिक उड़ते हैं कि धुआँ **सा** दिखाई देता है।'

अथ, इतिये अव्यय क्रमशः पुस्तक वा उसके खंड अथवा कथा के आरंभ और अंत में आते हैं। **'अथ** कथा **आरंभ।'** (प्रेम) **'इति'** प्रस्तावना।' (सत्य.) 'अथ' का प्रयोग आजकल घट रहा है, परंतु पुस्तकों के अंत में बहुधा 'इति' (अथवा 'सम्पूर्ण', 'समाप्त' व संस्कृत 'समाप्तम्') लिखा जाता है। 'इत्यादि' शब्द में 'इति और 'आदि'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का संयोग है। 'इति' कभी संज्ञा के समान आता है और उसके साथ **बहुधा** 'श्री' जोड़ देते हैं; जैसे'इस काम की इतिश्री हो गई।' रामचरितमानस में एक जगह 'इति' का प्रयोग संस्कृत की चाल पर स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक के समान हुआ है; जैसे'सोहमस्मि इति वृत्त अखंडा।'

228. **अब** कुछ संयुक्त और द्विरुक्त क्रियाविशेषणों के अर्थों और प्रयोगों के विषय में लिखा जाता है।

कभी-कभीअर्थात् बीच-बीच में कुछ-कुछ दिनों में; जैसे'कभी-कभी इस दुखिया की भी सुध निज मन में लाना।' (सर.)।

कब-कबइनके प्रयोग से 'बहुत कम' की ध्वनि पाई जाती है; जैसे'आप यहाँ **कब-कब** आते हैं?'

जब-जबतब-तब, जिस-जिस समय, उस-उस समय।

जब-तबएक न एक दिन; जैसे **जब-तब** वीर विनासा।' (सत.)।

अब-तबइनका प्रयोग बहुधा **संज्ञा** वा विशेषण के समान होता है; जैसे **अब-तब** करना=टालना। **अब-तब** होना=मरनहार होना।

कभी भीइनसे 'कभी' की अपेक्षा अधिक निश्चय पाया जाता है; जैसे'यह काम आप **कभी भी** कर सकते हैं।'

कभी न कभीकभी तो, कभी भी, प्रायः पर्यायवाचक हैं।

जैसे जैसे तैसे तैसे, त्यों त्यों त्यों त्यों, ये उत्तरोत्तर बढ़ती-घटती सूचित करते है; जैसेज्यों-ज्यों भीजै कामरी त्यों-त्यों भारी होय।'

ज्यों का त्योंपूर्व दशा में; इस वाक्यांश का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और 'का' प्रत्यय लिंग वचनानुसार बदलता है; जैसे'किला अभी तक **ज्यों का त्यों** खड़ा है।'

जहाँ का तहाँपूर्व स्थान में; जैसे'पुस्तक **जहाँ** की **तहाँ** रखी है।' **इसमें विशेष्य के** अनुसार विकास होता है।

जहाँ तहाँसर्वत्र, **जहँ तहँ** मैं देखौं दोउ भाई।' (राम.)।

जैसे तैसे, ज्यों त्यों करके किसी न किसी प्रकार से। उदाहरणजैसे-तैसे यह काम पूरा हुआ। ज्यों त्यों करके रात काटो!' इसी अर्थ में 'कैसा भी करके' और संस्कृत 'येन केन प्रकारेण' आते हैं।

वैसे तोदूसरे 'विचार से' अथवा 'स्वभाव से'। उदाहरणवैसे तो सभी मनुष्य भाई-भाई हैं।' **'वैसे तो** राजा भी प्रजासेवक है।' 'सूर्यकांत मणि का स्वभाव है कि वैसे तो छूने में ठंडी लगती है।' (शकु.)।

आप ही, आप ही आप, अपने आप, आपसे आप इनका अर्थ 'मन से' वा 'अपने ही बल से' होता है। (दे. अंक 125 ओ)।

होते-होतेक्रम क्रम से; जैसे'काम होते होते होगा।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

बैठे-बैठेबिना परिश्रम के; जैसे'लड़का **बैठे बैठे** खाता है।'
खड़े-खड़ेतुरन्त; जैसे'यह रुपया **खड़े-खड़े** वसूल हो सकता है।'
काल पाकरकुछ समय में; जैसे'वह **काकबि**

ल पाके अशुद्ध हो गया।' (इति.)।

क्यों नहींइस वाक्यांश का प्रयोग 'हाँ' के अर्थ में होता है; परंतु इससे कुछ तिरस्कार पाया जाता है। उदाहरण'क्या तुम वहाँ जाओगे? क्यों नहीं।'

सच पूछिए तोयह एक वाक्य ही क्रियाविशेषण के समान आता है। इसका अर्थ है 'सचमुच।' उदाहरण **'सच पूछिए तो** मुझे वह स्थान उदास दिखाई पड़ा।'

(टी.पहले कहा जा चुका है कि क्रियाविशेषण का न्यायसंगत वर्गीकरण करना कठिन है; क्योंकि कई शब्दों (जैसेही, तो, केवल, हाँ, नहीं इत्यादि) के विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियाविशेषण ही है। पहले इस बात का भी उल्लेख हो चुका है कि कोई कोई वैयाकरण अव्यय के भेद नहीं मानते; परंतु उन्हें भी कई एक अव्ययों का प्रयोग वा अर्थ अलग-अलग बताने की आवश्यकता होती है। क्रियाविशेषणों का यथासाध्य व्यवस्थित विवेचन करने के लिए हमने उनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया है। कुछ क्रियाविशेषण वाक्य में स्वतंत्रतापूर्वक आते हैं और कुछ दूसरे वाक्य वा शब्द की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए प्रयोग के अनुसार उनका वर्गीकरण करने की आवश्यकता हुई। प्रयोग के अनुसार जो तीन भेद किए गए हैं उनमें से अनुबद्ध क्रियाविशेषणों के संबंध में यह शंका हो सकती है कि जब इनमें से कुछ शब्द एक बार (यौगिक क्रियाविशेषण में) प्रत्यय माने गए हैं, तब फिर उनको अलग से क्रियाविशेषण मानने का क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो ये शब्द बहुधा संज्ञा के साथ आकर क्रिया वा दूसरे शब्द से उनका संबंध जोड़ते हैं; जैसेरात भर, क्षण मात्र, नगर तक इत्यादि और दूसरे ये क्रिया वा विशेषण अथवा क्रियाविशेषण के साथ आकर उसी की विशेषता बताते हैं; जैसेएक मात्र उपाय, बड़ा ही सुंदर, जाओ तो, आते ही, लड़का चलता तक नहीं इत्यादि। इस दूसरे प्रयोग के कारण ये शब्द क्रियाविशेषण माने गए हैं। यह दुहरा प्रयोग आगे, पीछे, साथ, ऊपर, पहले इत्यादि कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाविशेषणों में भी पाया जाता है जिसके कारण इनकी गणना संबंध सूचकों में भी होती है। जैसे'घर के आगे', 'समय के पहले', 'पिता के साथ' इत्यादि। कोई-कोई इन अव्ययों का एक अलग भेद ('अवधारणबोधक' के नाम से) मानते हैं; और कोई-कोई इनको केवल संबंधसूचकों में गिनते हैं। हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में इन शब्दों को व्यवस्थित ही नहीं किया गया है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

रूप के अनुसार क्रियाविशेषणों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए है कि हिंदी के यौगिक क्रियाविशेषणों की संख्या अधिक है जो बहुधा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वा क्रियाविशेषण के अंत में विभक्तियों के लगाने से बनते हैं; जैसेइतने में, सहज में, मन से, रात को, यहाँ पर, जिसमें इत्यादि। यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि घर में, जंगल से, कितने में, पेड़ पर आदि विभक्त्यंत शब्दों को भी क्रियाविशेषण क्यों न कहें? इसका उत्तर यह है कि यदि क्रियाविशेषण में विभक्ति का योग होने से उसके प्रयोग में कुछ अंतर नहीं पड़ता तो उसे क्रियाविशेषण मानने में कोई बाधा नहीं है। उदाहरणार्थ 'यहाँ' क्रियाविशेषण है; और विभक्ति के योग से इसका रूप 'यहाँ से' अथवा 'यहाँ पर' होता है। ये दोनों विभक्त्यंत क्रियाविशेषण किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं; इसलिए इन्हें क्रियाविशेषण ही मानना उचित है। इनमें विभक्ति का योग होने पर भी इनका प्रयोग कर्ता या कर्मकारक में नहीं होता, जिसके कारण इनकी गणना संज्ञा या सर्वनाम में नहीं हो सकती। यौगिक क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं; जैसेध्यानपूर्वक, क्रमशः, नाममात्र, संक्षेपतः, इसलिए जिन विभक्तियों से इन प्रत्ययों का अर्थ पाया जाता है, उन्हीं विभक्तियों के योग से बने हुए शब्दों को क्रियाविशेषण मानना चाहिए, औरों को नहीं; जैसेध्यान से, कम से, नाम के लिए, संक्षेप में इत्यादि। फिर कई एक विभक्त्यंत शब्द क्रियाविशेषणों के पर्यायवाचक भी होते हैं; जैसेनिदान =अंत में, क्यों=काहे को, काहे से, कैसे=किस रीति से, सबेरे=भोर को इत्यादि। इस प्रकार के विभक्त्यंत शब्द भी क्रियाविशेषण माने जा सकते हैं। इन विभक्त्यंत शब्दों को क्रियाविशेषण न कहकर कारक कहने में भी कोई हानि नहीं है। पर 'जंगल में' पद को केवल वाक्यपृथक्करण की दृष्टि से क्रियाविशेषण के समान, विधेयवर्धक कह सकते हैं तो भी व्याकरण की दृष्टि से वह क्रियाविशेषण नहीं है, क्योंकि वह किसी मूल क्रियाविशेषण का अर्थ सूचित नहीं करता। विभक्त्यंत वा संबंधसूचकांत शब्दों को कोई-कोई वैयाकरण क्रियाविशेषण वाक्यांश कहते हैं।

हिंदी में कई एक संस्कृत और कुछ उर्दू विभक्त्यंत शब्द भी क्रियाविशेषण के समान प्रयोग में आते हैं, जैसेसुखेन, कृपया, विशेषतया, हठात्, जबरन इत्यादि। इन शब्दों को क्रियाविशेषण ही मानना चाहिए; क्योंकि इनकी विभक्तियाँ हिंदी में अपरिचित होने के कारण हिंदी व्याकरण से इन शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं हो सकती। हिंदी में जो सामासिक क्रियाविशेषण आते हैं, उसके अव्यय होने में कोई संदेह नहीं है क्योंकि उनके पश्चात् विभक्ति का योग नहीं होता और उनका प्रयोग बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता है; जैसेयथाशक्ति, यथासाध्य, निःसंशय, निधड़क, दरहकीकत, घरोंघर, हाथोंहाथ इत्यादि।

क्रियाविशेषणों का तीसरा वर्गीकरण अर्थ के अनुसार किया गया है। क्रिया के संबंध से काल और स्थान की सूचना बड़े ही महत्त्व की होती है। किसी भी घटना

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का वर्णन काल और स्थान के ज्ञान के बिना अधूरा ही रहता है। फिर जिस प्रकार विशेषणों के दो भेदगुणवाचक और संख्यावाचकमानने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार क्रिया के विशेषणों के भी ये दो भेद मानना आवश्यक है; क्योंकि व्यवहार में गुण और संख्या का अंतर सदैव माना जाता है। इस तरह अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषणों के चार भेदकालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक माने गए हैं। परिमाणवाचक क्रियाविशेषण बहुधा विशेषण और दूसरे क्रियाविशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, जिससे क्रियाविशेषणों के लक्षण में विशेषण और क्रियाविशेषण की विशेषता का उल्लेख करना आवश्यक समझा जाता है। कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक शब्दों की संख्या रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की अपेक्षा बहुत थोड़ी है, इसलिए उनको छोड़कर शेष शब्द के बिना अधिक सोच-विचार के पहले वर्ग में रख दिए जा सकते हैं। इन चारों के उपभेद भी अर्थ की सूक्ष्मता बताने के लिए यथास्थान बताए गए हैं।

अंत में 'हाँ', 'नहीं' और 'क्या' के संबंध में कुछ लिखना आवश्यक जान पड़ता है। इनका प्रयोग प्रश्न करने के संबंध में किया जाता है। प्रश्न करने के लिए 'क्या', स्वीकार के लिए 'हाँ' और निषेध के लिए नहीं' आता है, जैसे'क्या तुम बाहर चलोगे?' 'हाँ' या 'नहीं'। इन शब्दों को कोई विस्मयादिबोधक अव्यय मानते हैं परंतु इनमें दोनों शब्दाभेदों के लक्षण पूरे-पूरे घटित नहीं होते। 'नहीं' का प्रयोग विधेय के साथ क्रियाविशेषण के समान होता है, और 'हाँ' शब्द 'सच', 'ठीक' और 'अवश्य' के पर्याय में आता है, इसलिए इन दोनों (हाँ और नहीं) को हमने क्रियाविशेषण के वर्ग में रखा है। 'क्या' सम्बोधन के अर्थ में आता है, इसलिए इसकी गणना विस्मयादिबोधकों में की गई है।

दूसरा अध्याय
संबंधसूचक

229. जो अव्यय संज्ञा (अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले शब्द) के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंधसूचक कहते हैं; जैसे'धन के बिना किसी का काम नहीं चलता' नौकर गाँव तक गया', 'रात भर जागना अच्छा नहीं होता'; इन वाक्यों में 'बिना', 'तक', 'भर' संबंधसूचक हैं। 'बिना' शब्द 'धन' संज्ञा का संबंध 'चलता' क्रिया से मिलाता है। 'तक' 'गाँव' का संबंध 'गया' से मिलाता है; और 'भर' रात का संबंध 'जागता' क्रियार्थक संज्ञा के साथ जोड़ता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.विभक्तियों और थोड़े से अव्ययों को छोड़ हिंदी में मूल संबंधसूचक कोई नहीं है, जिससे कोई-कोई वैयाकरण (हिंदी में) वह शब्दभेद ही नहीं मानते। 'संबंधसूचक' शब्दभेद के विषय में इस अध्याय के अंत में विचार किया जायगा। यहाँ केवल इतना लिखा जाता है कि जिन अव्ययों को सुभीते के लिए संबंधसूचक मानते हैं, उनमें से अधिकांश संज्ञाएँ हैं, जो अपनी विभक्तियों का लोप हो जाने से अव्यय के समान प्रयोग में आती हैं।)

230. कोई-कोई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रियाविशेषण भी होते हैं और संबंधसूचक भी। जब वे स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं; परंतु जब उनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, तब संबंधसूचक कहलाते हैं; जैसे

नौकर यहाँ रहता है। (क्रियाविशेषण)।

नौकर मालिक के यहाँ रहता है। (संबंधसूचक)।

वह काम पहले करना चाहिए। (क्रि.वि.)।

यह काम जाने से पहले करना चाहिए। (सं. सू.)।

231. प्रयोग के अनुसार संबंधसूचक दो प्रकार के होते हैं(1) संबद्ध, (2) अनुबद्ध।

232. (क) सम्बद्ध संबंधसूचक संज्ञाओं की विभक्तियों के पीछे आते हैं, जैसे धन के बिना, नर की नाईं, पूजा से पहले इत्यादि।

(सू.संबंधसूचक अव्ययों के पूर्व विभक्तियों के आने के कारण यह जान पड़ता है कि संस्कृत में भी कुछ अव्यय संज्ञाओं की अलग-अलग विभक्तियों के पीछे आते हैं, जैसेदीन प्रति (दीन के प्रति); यत्नंयत्नेन-यत्नात् बिना (यत्न के बिना) रामेण सह (राम के साथ), वृक्षस्योपरि (वृक्ष के ऊपर) इत्यादि। इन अलग-अलग विभक्तियों के बदले हिंदी में बहुधा संबंधकारक की विभक्तियाँ भी आती हैं।)

(ख) अनुबद्ध संबंधसूचक संज्ञा के विकृत रूप (दे.308) के साथ आते हैं; जैसेकिनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत, लड़के सरीखा इत्यादि।

(ग) ने, को, से, का, के, की, में (कारक चिह्न) अनुबद्ध संबंधसूचक हैं परंतु नीचे दिए गए कारणों से इन्हें संबंधसूचकों में नहीं मानते

(अ) इनमें से प्रायः सभी संस्कृत के विभक्ति प्रत्ययों के अपभ्रंश हैं। इसलिए हिंदी में भी ये प्रत्यय माने जाते हैं।

(आ) ये स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थहीन हैं, परंतु दूसरे संबंधसूचक बहुधा स्वतंत्र शब्द होने के कारण सार्थक हैं।

(इ) इनको संबंधसूचक मानने से संज्ञाओं की प्रचलित कारकरचना की रीति में हेरफेर करना पड़ेगा, जिससे विवेचन में अव्यवस्था उत्पन्न होगी।

233. संबद्ध संबंधसूचकों के पहले बहुधा 'के' विभक्ति आती है; जैसेधन

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

के लिए, भूख के मारे, स्वामी के विरुद्ध, उनके पास इत्यादि।

(अ) नीचे लिए अव्ययों के पहले (स्त्रीलिंग के कारण) 'की' आती हैअपेक्षा और, जगह, नाईं, खातिर, तरह, तरफ, मारफत, बदौलत इत्यादि।

(सू.जब 'ओर' (तरफ) के साथ संख्यावाचक विशेषण आता है, तब 'की' के बदले 'के' प्रयोग होता है; जैसे'नगर के चारों ओर (तरफ)।' के बदले 'के' का प्रयोग होता है; जैसे'नगर के चारों ओर (तरफ)।'

(आ) आकारांत संबंधसूचकों का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है और उनके साथ यथायोग्य का, के, की अथवा विकृत रूप आता है; जैसे प्रवाह उन्हें तालाब का जैसा रूप दे देता है।' (सर.)। 'बिजली की सी चमक, 'सिंह के से गुण।' (भारत)। 'हरिश्चंद्र ऐसा पति।' (सत्य.)। 'भोज सरीखे राजा।' (इति.)।

234. आगे, पीछे, तले, बिना आदि कई एक संबंधसूचक कभी-कभी बिना विभक्ति के आते हैं; जैसेपाँव तले, पीठ पीछे, कुछ आगे, शकुंतला बिना। (शकु.)।

(अ) कविता में बहुधा पूर्वोक्त विभक्तियों का लोप होता है; जैसे'मातु समीप कहत सकुचाहीं।' (राम.)। सभा मध्य (क. क.)। पिता पास (सर.)। तेज सम्मुख (भारत.)।

(आ) सा, ऐसा और जैसा के पहले जब विभक्ति नहीं आती, तब उनके अर्थ में बहुधा अंतर पड़ जाता है; जैसे'रामचंद्र से पुत्र' और 'रामचंद्र के से पुत्र।' पहले वाक्यांश में 'से' रामचंद्र' और 'पुत्र' का एकार्थ सूचित करता है; पर दूसरे वाक्यांश में उससे दोनों का भिन्नार्थ सूचित होता है।

(सू.इन सादृश्यवाचक संबंधसूचकों का विशेष विचार इसी अध्याय के अंत में किया जायगा)।

235. 'परे और 'रहित' के पहले 'से' आता है। 'पहले', 'पीछे', 'आगे', और 'बाहर' के साथ 'से' विकल्प से लाया जाता है। जैसेसमय से (वा समय के) पहले, सेना के (वा सेना से) पीछे, जाति से (वा जाति के) बाहर इत्यादि।

236. 'मारे', 'बिना' और 'सिवा' कभी-कभी संज्ञा के पहले आते हैं; जैसे मारे भूख के, सिवा भक्तों के, बिना हवा के इत्यादि। 'बिना', 'अनुसार' और पीछे बहुधा भूतकालिक कृदंत के विकृत रूप में आगे (बिना विभक्ति के) आते हैं; जैसे ब्राह्मण का ऋण दिए बिना।' (सत्य.)। 'नीचे लिखे अनुसार'। 'रोशनी हुए पीछे' (परी.)।

(सू.संबंधसूचक को संज्ञा के पहले लिखना उर्दू रचना की रीति है, जिसका अनुकरण कोई-कोई उर्दू प्रेमी करते हैं; जैसेयह काम साथ होशियारी के करो। हिंदी में यह रचना कम होती है।)

237. 'योग्य' (लायक) और 'बमूजिब' बहुधा क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं; जैसे'जो पदार्थ देखने योग्य हैं।' (शकु.)। 'याद रखने लायक।' (सर.)। 'लिखने बमूजिब।' (इति.)।

(सू.'इस', 'उस', 'जिस', और 'किस' के साथ 'लिए' का प्रयोग संज्ञा के

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

समान होता है; जैसेइसलिए, किसलिए आदि। ये संयुक्त शब्द बहुधा क्रियाविशेषण वा समुच्चयबोधक के समान आते हैं। ऐसा ही प्रयोग उर्दू 'वास्ते' का होता है।

238. अर्थ के अनुसार संबंधसूचकों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई व्याकरण संबंधी नियम सिद्ध नहीं। यहाँ केवल स्मरण की सहायता के लिए इनका वर्गीकरण दिया जाता है

कालवाचक

आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात् उपरांत, लगभग।

स्थानवाचक

आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, रूबरू, पास, निकट, समीप, नजदीक (नगीच), यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, भीतर।

दिशावाचक

ओर, तरफ, पार, आरपार, आसपास, प्रति।

साधनवाचक

द्वारा, जरिए, हाथ, मारफत, बल, करके, जबानी, सहारे।

हेतुवाचक

लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, (कविता में), खातिर, कारण, सबब, मारे।

विषयवाचक

बाबत, निस्बत, विषय, नाम (नामक), लेखे, जान, भरोसे, मद्धे।

व्यतिरेकवाचक

सिवा (सिवाय), अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित।

विनिमयवाचक

पलटे, बदले, जगह, एवज।

सादृश्यवाचक

समान, सम (कविता में), तरह, भाँति, नाईं, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, सदृश, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखादेखी, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, बमूजिब, मुताबिक।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

विरोधवाचक

विरुद्ध, खिलाफ, उलटा, विपरीत।

सहचारवाचक

संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश।

संग्रहवाचक

तक, लौं, पर्यंत, सुद्धाँ, भर, मात्र।

तुलनावाचक

अपेक्षा, बनिस्बत, आगे, सामने।

(सू.ऊपर की सूची में जिन शब्दों को कालवाचक संबंधसूचक लिखा है, वे किसी-किसी प्रसंग में स्थानवाचक अथवा दिशावाचक भी होते हैं। इसी प्रकार और भी कई एक संबंधसूचक अर्थ के अनुसार एक से अधिक वर्गों में आ सकते हैं।)

239. व्युत्पत्ति के अनुसार संबंधसूचक दो प्रकार के हैं(1) मूल और (2) यौगिक।

हिंदी में मूल संबंधसूचक बहुत कम हैं; जैसेबिना, पर्यंत, नाईं, पूर्वक, इत्यादि।

यौगिकसंबंधसूचक दूसरे शब्दभेदों से बने हैं; जैसे

(1) संज्ञा से-पलटे, वास्ते, ओर, अपेक्षा, नाम, लेखे विषय, मारफत इत्यादि।

(2) विशेषण सेतुल्य, समान, उलटा, जबानी, सरीखा, योग्य, जैसाऐसा इत्यादि।

(3) क्रियाविशेषण सेऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे इत्यादि।

(4) क्रिया सेलिए, मारे, करके, जान।

(सू.अव्यय के रूप में 'लिए' को बहुधा 'लिये' लिखते हैं।)

240. हिंदी में कई एक संबंधसूचक उर्दू भाषा से और कई एक संस्कृत से आए हैं। इनमें बहुत से शब्द हिंदी के संबंधसूचकों के पर्यायवाची हैं। कितने एक संस्कृत संबंधसूचकों का विचार हिंदी के गद्य काल से आरंभ हुआ है। तीनों भाषाओं के कई एक पर्यायवाची संबंधसूचकों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं

हिंदी	उर्दू	संस्कृत
सामने	रूबरू	समक्ष, सम्मुख
पास	नजदीक	निकट, समीप
मारे	सबब, बदौलत	कारण
पीछे	बाद	पश्चात् अनंतर, उपरांत
तक	ता (क्वचित्)	पर्यंत
से	बनिस्बत	अपेक्षा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

नाईं	तरह	भाँति
उलटा	खिलाफ	विरुद्ध, विपरीत
लिए	वास्ते, खातिर	निमित्त, हेतु
से	जरिए	द्वारा
मद्धे	बाबत, निस्बत	विषय
×	बगैर	बिना
पलटे	बदले, एवज	×
×	सिवा, अलावा	अतिरिक्त

241. नीचे और कुछ संबंधसूचक अव्ययों के अर्थ और प्रयोग लिखे जाते हैं

आगे, पीछे, भीतर, भर, तक और इनके पर्यायवाची शब्द अर्थ के अनुसार कभी कालवाचक और कभी स्थानवाचक होते हैं; जैसेघर के आगे, विवाह के आगे, दिन भर, गाँव भर, इत्यादि। (दे. अंक226)।

आगे, पीछे, पहले, परे, ऊपर, नीचे और इनमें से किसी-किसी पर्यायवाची शब्दों के पूर्व जब 'से' विभक्ति आती है, तब इनसे तुलना का बोध होता है; जैसे'कछुआ खरहे से आगे निकल गया।' 'गाड़ी समय **से** पहले आई।' 'वह जाति में मुझ **से** नीचे है।

आगेयह संबंधसूचक नीचे लिखे अर्थों में भी आता है

(अ) तुलना मेंउसके **आगे** सब स्त्री निरादर हैं। (शकु.)।

(आ) विचार मेंमानियों के **आगे** प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं है। (सत्य.)।

(इ) विद्यमानता मेंकाले के **आगे** चिराग नहीं जलता। (कहा.)।

(सू.प्रायः इन्हीं अर्थों में 'सामने' का प्रयोग होता है।)

पीछेइससे प्रत्येकता का भी बोध होता है; जैसे'थान पीछे एक रुपया मिला।'

ऊपर, नीचेइनसे पद की छुटाई-बड़ाई भी सूचित होती है; जैसे'सबसे ऊपर एक सरदार रहता है और उनके नीचे कई जमादार काम करते हैं।'

निकटइसका प्रयोग विचार के अर्थ में होता है; जैसे'उनके निकट भूत और भविष्यत् दोनों वर्तमान से हैं।' (गुटका.)।

पासइससे अधिकार भी सूचित होता है; जैसे'मेरे पास एक घड़ी है।'

यहाँदिल्ली वाले बहुधा इसे हाँ लिखते हैं; जैसे'तुम्हारे हाँ कुछ रकम जमा की गई है।' (परी.)। राजा शिवप्रसद इसे यहाँ लिखते हैं; जैसे'और भी हिंदुओं को अपने यहाँ बुलाता है।' (इति.)। 'परीक्षागुरु' में भी कई जगह 'यहाँ' आया है। यह शब्द यथार्थ में 'यहाँ' (क्रियाविशेषण) है; परंतु बोलने में कदाचित् कहीं-कहीं 'हाँ' हो जाता है। 'यहाँ' का अर्थ 'पास' के समान अधिकार का भी है। कभी-कभी 'पास' और 'यहाँ' का अर्थ लोप हो जाता है और केवल 'के' (संबंधकारक) से इनका

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अर्थ सूचित होता है; जैसे'इस महाजन के बहुत धन है।' 'उनके एक लड़का है।' 'मेरे कोई बहिन न हुई।' (गुटका.)।

सिवाकोई-कोई इसे अपभ्रंश रूप में 'सिवाय' लिखते हैं। 'प्लाट्स साहब के 'हिंदुस्तानी व्याकरण' में दोनों रूप दिए गए हैं। साधारण अर्थ के सिवा इसका प्रयोग कई एक अपूर्ण उक्तियों की पूर्ति के लिए भी होता है; जैसेइन भाटों की बनाई वंशावली की कदर इससे बखूबी मालूम हो जाती है।' 'सिवाय इसके जो कभी कोई ग्रंथ लिखा भी गया, (तो) छापे की विद्या मालूम न होने के कारण वह काल पाके अशुद्ध हो गया।' (इति.)। निषेधवाचक वाक्य में इसका अर्थ 'छोड़कर' या 'बिना' होता है; जैसे'उनके सिवाय और कोई भी यहाँ नहीं आया।' (गुटका.)।

साथयह कभी-कभी 'सिवा' के अर्थ में आता है; जैसे'इन बातों से सूचित होता है कि कालिदास ईसवी सन् के तीसरे शतक के पहले के नहीं। इसके साथ ही यह भी सूचित होता है कि वे ईसवी सन् में पाँवचें शतक के भी नहीं।' (रघु.)।

अनुसार, अनुरूप, अनुकूल ये शब्द स्वरादि होने के कारण पूर्ववर्ती संस्कृत शब्दों के साथ संधि के नियमों से मिल जाते हैं और इनके पूर्व 'के' का लोप हो जाता है; जैसेआज्ञानुसार, इच्छानुसार, धर्मानुकूल। इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त संबंधसूचक मानना चाहिए और इनके पूर्व समास के लिंग के अुसार संस्कृत कारक की विभक्ति लगानी चाहिए; जैसे'सभा के अनुसार।' (भाषासार.)। कोई-कोई लेखक स्त्रीलिंग संज्ञा के पूर्व 'की' लिखते हैं; जैसे'आपकी आज्ञानुसार यह वर माँगता हूँ।' (सत्य)। अनुरूप अनुकूल और प्रायः समानार्थी हैं।

सदृश, समान, तुल्य, योग्य ये शब्द विशेषण हैं और संबंधसूचक के समान आकर भी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं; जैसे'मुकुट योग्य सिर पर तृण क्यों रक्खा है!' (सत्य.)। 'यह रेखा उस रेखा के तुल्य है।' 'मेरी दशा ऐसे ही वृक्षों के सदृश हो रही है।' (रघु.)।

सरीखा इसके लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार बदलते हैं और इसके पूर्व बहुधा विभक्ति नहीं आती, जैसेमुझ **'सरीखे** लोग।' (सत्य.)। यह 'सदृश' आदि का पर्यायवाची है और पूर्व शब्द के साथ मिलकर विशेषण का काम देता है। (दे. अंक159)।

ऐसा, जैसा, सा ये 'सरीखा' के पर्यायवाची हैं। आजकल 'सरीखा' के बदले 'जैसा' का प्रचार बढ़ रहा है। 'सरीखा' के समान 'जैसा', 'ऐसा' और 'सा' का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। इनका प्रयोग भी विशेषण और संबंधसूचक दोनों के समान होता है।

ऐसा इसका प्रयोग बहुधा संज्ञा के विकृत रूप के साथ होता है। (दे. अंक232ख)। 'ऐसा का प्रचार पहले की अपेक्षा कुछ कम है। भारतेंदु जी के समय की पुस्तकों में इसके उदाहरण मिलते हैं; जैसे'आचार्यजी पागल ऐसे हो गए हैं।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सरो.)। 'विशेष करके आप ऐसे।' (सत्य.)। 'कश्मीर ऐसे एक आद इलाके का।' (इति.)। कोई-कोई इसका एक प्रांतिक रूप 'कैसा' लिखते हैं; जैसे'अग्नि कैसी लाल-लाल जीभ निकाल।' (प्रणयि.)।

जैसा इसका प्रचार आजकल के ग्रंथों में अधिकता से होता है। यह विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रयोगों में आता है; जैसे'पहले शतक में कालिदास के ग्रंथों की जैसी परिमार्जित संस्कृत का प्रचार ही न था।' (रघु.)। 'बीजगणित जैसे क्लिष्ट विषय को समझाने की चेष्टा की गई है।' (सर.) इन दोनों प्रयोागें में यह अंतर है कि पहले वाक्य में 'जैसी', 'ग्रंथों' और 'संस्कृत' का संबंध सूचित नहीं करता, किंतु 'की' के पश्चात् लुप्त 'संस्कृत' शब्द का संबंध दूसरे 'संस्कृत' शब्द से सूचित करता है। दूसरे वाक्य में 'बीजगणित' का संबंध 'विषय' के साथ सूचित होता है, इसीलिए वहाँ संबंधकारक की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण आगे दिए हुए उदाहरण में भी 'के' नहीं आया हैशिवकुमार शास्त्री जैसे धुरंधर महामहोपाध्याय।' (शिव.)।

स इस शब्द का कुछ विचार क्रियाविशेषण के अध्याय में किया गया है। (दे. अंक226)। इसका प्रयोग 'वैसा' के समान दो प्रकार से होता है और दोनों प्रयोगों में वैसा ही अर्थभेद पाया जाता है; जैसे'डील पहाड़ सा और बल हाथी का सा है' (शकु.)। इस वाक्य में डील को पहाड़ की उपमा दी गई है, इसलिए 'सा के पहले का' नहीं आया, परंतु दूसरा 'सा' अपने पूर्व लुप्त 'बल' का संबंध पहले कहे हुए 'बल' से मिलता है, इसलिए इस 'सा' के पहले 'का' लाने की आवश्यकता हुई है। 'हाथी सा बल' कहना असंगत होता है। मुद्राराक्षस में 'मेरे से लोग' आया है, परंतु इसमें समता कहनेवाले से की गई है न कि उसकी संबंधिनी किसी वस्तु से, इसलिए शुद्ध प्रयोग **'मुझ से लोग'** होना चाहिए। कोई-कोई इसे केवल प्रत्यय मानते हैं, परंतु प्रत्यय का प्रयोग विभक्ति के पश्चात् नहीं होता। जब यह संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति के बिना आता है तब इसे प्रत्यय कह सकते हैं और 'सा' शब्द को विशेषण मान सकते हैं; जैसेफूल सा शरीर, चमेली से अंग पर इत्यादि।

भर, तक मात्र इनका भी विचार क्रियाविशेषण के अध्याय में हो चुका है। जब इनका प्रयोग संबंधसूचक के समान होता है, तब ये बहुधा कालवाचक, स्थानवाचक वा परिणामवाचक शब्दों के साथ आकर उनका संबंध क्रिया से वा दूसरे शब्दों से मिलाते हैं और इनके परे कारक की विभक्ति नहीं आती; जैसे'वह रात भर जागता है।' लड़का नगर तक गया।' इसमें तिल मात्र संदेह नहीं है।' 'तक' के अर्थ में कभी-कभी संस्कृत का पर्यंत शब्द आता है; जैसे'उसने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया।' और 'तरु' के योग से संज्ञा का विकृत रूप आता है; पर 'मात्र' के साथ उसका मूल रूप ही प्रयुक्त होता है; जैसे'चौमासे भर' (इति.)। 'समुद्र के तटों तक' (रघु.)। 'पुस्तक का नाम 'कटोरा भर खून' है; पर 'कटोरा भर' शब्द अशुद्ध है। यह 'कटोरे भर' होना चाहिए। 'मात्र' शब्द का प्रयोग केवल कुछ संस्कृत शब्दों के साथ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(संबंधसूचक के समान) होता है। जैसेक्षण मात्र यहाँ ठहरो; पलमात्र; लेशमात्र इत्यादि। 'भर और मात्र' बहुधा बहुवचन संज्ञा के साथ नहीं आते जब 'तक' 'भर' और 'मात्र' का प्रयोग क्रियाविशेषण के समान होता है, तब इनके पश्चात् विभक्तियाँ आती हैं; जैसे'उसके राज भर में' (गुटका.)। 'छोटे-बड़े लाटों तक के नाम आप चिट्ठियाँ भेजते हैं' (शिव.)। 'अब हिंदुओं के खाने मात्र से काम' (भा. दु.)।

बिना यह कभी-कभी कृदंत अव्यय के साथ आकर क्रियाविशेषण होता है; जैसे'बिना किसी कार्य का कारण जाने हुए' (सर.)। 'बिना अंतिम परिणाम सोचे हुए' (इति.)। कभी-कभी यह संबंधकारक की विशेषता बताता है; जैसे'आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भाँति अचानक आ गिरी' (शिव.)। इन प्रयोगों में 'बिना' बहुधा संबंधी शब्द के पहले आता है।

उल्टा यह शब्द यथार्थ में विशेषण है, पर कभी-कभी इसका प्रयोग 'का' विभक्ति के आगे संबंधसूचक के समान होता है; जैसेटापू का उलटा झील है। विरोध के अर्थ में बहुधा 'विरुद्ध', 'खिलाफ' आदि आते हैं।

कर, करके यह संबंधसूचक बहुधा 'द्वारा', 'समान' वा 'नामक' के अर्थ में आता है; जैसे'मन, वचन कर्म करके यदि किसी जीव की हिंसा न करे।' अग जग नाथ मनुज करि जाना' (राम.)। 'संसार के स्वामी (भगवान्) मनुष्य करके जाना' (पीयूष.)। 'तुम हरि को पुत्र कर मत मानो' (प्रेम.) 'पंडित जी शास्त्री करके प्रसिद्ध हैं।' 'बछरा करि हम जान्यो याही' (ब्रज.)।

अपेक्षा, बनिस्बत् पहला शब्द संस्कृत संज्ञा है और दूसरा शब्द उर्दू संज्ञा 'निस्बत' में 'ब' उपसर्ग लगाने से बना है। एक के तुलना के पूर्व 'को' और दूसरे के पूर्व 'के' आता है। इनका प्रयोग तुलना में होता है और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिस वस्तु की हीनता बतानी हो, उसके वाचक शब्द के आगे 'अपेक्षा' या 'बनिस्बत' लगाते हैं; जैसे **उनकी अपेक्षा** और प्रकार के मनुष्य कम हैं' (जीविका.)। आर्यों के बनिस्बत ऐसी-ऐसी असभ्य जाति के लोग रहते थे (इति.)। 'परीक्षा गुरु' में 'बनिस्बत' के बदले 'निस्बत' आया है; जैसे'उसकी **निस्बत** उदारता की ज्यादा कदर करते हैं' यथार्थ में 'निस्बत' 'विषय' के अर्थ में आता है; जैसे'चंदे की निस्बत आपकी क्या राय है।' कभी-कभी 'अपेक्षा' का भी अर्थ 'निस्बत' के समान 'विषय' होता है; जैसे'सब धंधेवालों की **अपेक्षा** ही ऐसा ही ख्याल करना चाहिए' (जीविका.)।

पुरानी कविता में **'लौं'** 'समान' के अर्थ में भी आया है; जैसे'जानत कछु जलथंभ विधि दुर्जोधन लौ लाल' (सत.)।

(टी.पहले कहा गया है कि हिंदी के अधिकांश वैयाकरण अव्ययों के भेद नहीं मानते। अव्ययों के और भेद तो उनके अर्थ और प्रयोग के कारण बहुत करके निश्चित हैं, चाहे उनको मानें या न मानें; परंतु संबंधसूचक को एक अलग शब्दभेद मानने से कई बाधाएँ हैं। हिंदी में कई एक संज्ञाओं, विशेषणों और क्रियाविशेषणों

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

को केवल संबंधसूचक मानते हैं; परंतु इनका एक अलग वर्ग न मानकर एक विशेष प्रयोग मानने से भी काम चल सकता है; जैसा कि संस्कृत में उपरि, बिना, पृथक्, पुरः, अग्रे आदि अव्ययों के संबंध में होता है; जैसे'गृहस्योपरि', 'रामेण बिना।' दूसरी कठिनाई यह है कि जिस अर्थ में कोई-कोई संबंधसूचक आते हैं, उसी अर्थ में कारक प्रत्यय अर्थात् विभक्तियाँ भी आती हैं; जैसेघर में, घर में भीतर, तलवार से, तलवार के द्वारा, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर। तब इन विभक्तियों को भी संबंधसूचक क्यों न मानें? इनके सिवा एक और अड़चन यह है कि कई एक शब्दों; जैसेतक, भर, सुद्धां, रहित, पूर्वक, मात्र, सा आदि के विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रत्यय हैं अथवा संबंधसूचक। हिंदी की वर्तमान लिखावट से इसका निर्णय करना और भी कठिन है। उदाहरणार्थ, कोई 'तक' को पूर्व शब्द से मिलाकर और कोई अलग लिखते हैं। ऐसी अवस्था में संबंधसूचक का निर्दोष लक्षण बताना सहज नहीं है।

संबंधसूचक के पश्चात् विभक्ति का लोप हो जाता है और विभक्ति के पश्चात् कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आता; इसलिए जो शब्द विभक्ति के पश्चात् आते हैं उनको प्रत्यय नहीं कह सकते और जिन शब्दों के पश्चात् विभक्ति आती है, वे संबंधसूचक नहीं कहे जा सकते। उदाहरणार्थ'हाथी का सा बल' में 'सा' प्रत्यय नहीं, किंतु संबंधसूचक है; और 'संसार भर के ग्रंथ' में 'भर' संबंधसूचक नहीं, किंतु प्रत्यय अथवा क्रियाविशेषण है। इसी दृष्टि से केवल उन्हीं को संबंधसूचक मानना चाहिए, जिनके पश्चात् कभी विभक्ति नहीं आती और जिनका प्रयोग संज्ञा के बिना कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार के शब्द केवल 'नाईं', 'प्रति', 'पर्यंत', 'पूर्वक', 'सहित' और 'रहित' हैं। इनमें से अंत के पाँच शब्दों के पूर्व कभी-कभी संबंधकारक की विभक्ति नहीं आती। उस समय इन्हें प्रत्यय कह सकते हैं। तब केवल एक 'नाईं' शब्द ही संबंधसूचक कहा जा सकता है, पर वह भी प्रायः अप्रचलित है। फिर, तक, भर, मात्र और सुद्धां के पश्चात् कभी कभी विभक्तियाँ आती हैं; इसलिए और-और शब्दभेदों के समान ये केवल **स्थानीय** रूप से संबंधसूचक हो सकते हैं। ये शब्द कभी संबंधसूचक, कभी प्रत्यय और कभी दूसरे शब्द भी होते हैं। (इनके भिन्न-भिन्न प्रयोगों का उल्लेख क्रियाविशेषण के अध्यायों तथा इसी अध्याय में किया जा चुका है।) इससे जाना जाता है कि हिंदी में मूल संबंधसूचकों की संख्या नहीं के बराबर है, परंतु भिन्न-भिन्न शब्दों के प्रयोग में संबंधसूचक के समान होते हैं, इसलिए इसको एक अलग शब्दभेद मानने की आवश्यकता है। भाषा में बहुधा कोई भी शब्द आवश्यकता के अनुसार संबंधसूचक बना लिया जाता है और जब वह अप्रचलित हो जाता है तब उसके बदले दूसरा शब्द उपयोग में आने लगता है। हिंदी के 'अतिरिक्त', 'अपेक्षा', 'विषय', 'विरुद्ध' आदि संबंधसूचक पुरानी पुस्तकों में नहीं मिलते और पुरानी पुस्तकों के 'तईं', 'छूट', 'लौ', 'सती' आदि आजकल अप्रचलित हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.संबंधसूचकों और विभक्तियों का विशेष अंतर कारक प्रकरण में बताया जायगा।)

तीसरा अध्याय
समुच्चयबोधक

242. जो अव्यय (क्रिया की विशेषता न बतलाकर) एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है, उसे समुच्चयबोधक कहते हैं; जैसेऔर, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए।

'हवा चली और पानी गिरा'यहाँ 'और' समुच्चयबोधक है, क्योंकि वह पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से मिलाता है। कभी-कभी समुच्चयबोधक से जोड़े जानेवाले वाक्य पूर्णतया स्पष्ट नहीं रहते; जैसे'कृष्ण और बलराम गए।' इस प्रकार के वाक्य देखने में एक ही जान पड़ते हैं, परंतु दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही होने के कारण संक्षेप के लिए उसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है। ये दोनों वाक्य स्पष्ट रूप से यों लिखे जायँगे'कृष्ण गए और बलराम गए।' इसलिए यहाँ 'और', दो वाक्यों को मिलाता है। 'यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो' (इति.)। इस उदाहरण में 'यदि' और 'तो' वाक्य को जोड़ते हैं।

(अ) कभी-कभी कोई-कोई समुच्चयबोधक वाक्य में शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसे'दो और दो चार होते हैं।' यहाँ 'दो चार होते हैं और दो चार होते हैं', ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, अर्थात् 'और' समुच्चयबोधक दो संक्षिप्त वाक्यों को नहीं मिलाता, किंतु दो शब्दों को मिलाता है। तथापि ऐसा प्रयोग सब समुच्चयबोधकों में नहीं पाया जाता और 'क्योंकि', 'यदि', 'तो', 'यद्यपि', 'तो भी' आदि कई समुच्चयबोधक केवल वाक्यों ही को जोड़ते हैं।

(टी.समुच्चयबोधक का लक्षण भिन्न-भिन्न व्याकरणों में भिन्न-भिन्न प्रकार का पाया जाता है। यहाँ हम केवल 'हि.बा.बो. व्याकरण' में दिए गए लक्षण पर विचार करते हैं। वह लक्षण यह है'जो शब्द दो पदों, वाक्यों के अंशों के मध्य में आकर प्रत्येक पद वा वाक्यांश के भिन्न-भिन्न क्रिया सहित अन्वय का संयोग या विभाग करते हैं, उनको समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं; जैसे'राम और लक्ष्मण आए।' इस लक्षण में सबसे पहला दोष यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें शब्दों की योजना से यह नहीं जान पड़ता कि 'भिन्न-भिन्न' शब्द 'क्रिया' का विशेषण है, अथवा 'अन्वय' का। फिर समुच्चयबोधक सदैव दो वाक्यों के मध्य ही में नहीं आता,

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

वरन् कभी-कभी प्रत्येक जुड़े हुए वाक्य में आदि में भी आता है; जैसे'यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो।' इसके सिवा पदों वा वाक्यांशों को सभी समुच्चयबोधक नहीं जोड़ते। इस तरह से इस लक्षण में अस्पष्टता, अव्याप्ति और शब्दजाल का दोष पाया जाता है। लेखक ने यह लक्षण 'भाषाभास्कर' से जैसा का तैसा लेकर उसमें इधर-उधर कुछ शाब्दिक परिवर्तन कर दिया है, परंतु भूल के दोष जैसे के तैसे बने रहे। 'भाषाप्रभाकर' में भी 'भाषाभास्कर' ही का लक्षण दिया गया है और उसमें भी प्रायः ये ही दोष हैं।

हमारे किए हुए समुच्चयबोधक के लक्षण में जो वाक्यांश'क्रिया की विशेषता न बतलाकर'आया है उसका कारण यह है कि वाक्यों को जिस प्रकार समुच्चयबोधक जोड़ते हैं, उसी प्रकार उन्हें दूसरे शब्द भी जोड़ते हैं। संबंधवाचक और नित्यसंबंधी सर्वनामों के द्वारा भी दो वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे'जो गरजते हैं वह बरसते नहीं' (कहा.)। इस उदाहरण में 'जो' और 'वह' दो वाक्यों का संबंध मिलाते हैं। इसी तरह 'जैसा तैसा', 'जितना उतना' संबंधवाचक विशेषण तथा जब तब, जहाँ-तहाँ, जैसे-तैसे आदि संबंधवाचक क्रियाविशेषण भी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाते हैं। इस पुस्तक में दिए हुए समुच्चयबोधक के लक्षण से इन तीनों प्रकार के शब्दों का निराकरण होता है। संबंधवाचक सर्वनाम और विशेषणों को समुच्चयबोधक इसलिए नहीं कहते कि वे अव्यय नहीं हैं, और संबंधवाचक क्रियाविशेषण को समुच्चयबोधक न मानने का कारण यह है कि उसका मुख्य धर्म क्रिया की विशेषता बताना है। इन तीनों प्रकार के शब्दों पर समुच्चयबोधक की अतिव्याप्ति बचाने के लिए ही उक्त लक्षण में 'अव्यय' शब्द और 'क्रिया की विशेषता न बतलाकर' वाक्यांश लाया गया है।)

243. समुच्चयबोधक अव्ययों के मुख्य दो भेद हैं(1) समानाधिकरण, (2) व्याधिकरण।

244. जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। इनके चार उपभेद हैं(अ) संयोजकऔर, व, एवं, तथा, भी। इनके द्वारा दो वा अधिक मुख्य वाक्यों का संग्रह होता है; जैसे'बिल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं।'

वयह उर्दू शब्द 'और' का पर्यायवाचक है। इसका प्रयोग बहुधा शिष्ट लेखक नहीं करते, क्योंकि वाक्यों के बीच में इसका उच्चारण कठिनाई से होता है। उर्दू प्रेमी राजा साहब ने भी इसका प्रयोग नहीं किया है। इस 'व' में और संस्कृत 'व' में जिसका अर्थ 'व' का उलटा है, बहुधा गड़बड़ और भ्रम भी हो जाता है। अधिकांश में इसका प्रयोग उर्दू सामाजिक शब्दों में होता है, परंतु उनमें भी यह उच्चारण की सुगमता के लिए संधि के अनुसार पूर्व शब्द में मिला दिया जाता हैं, जैसे नामोनिशान,

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

आबोहवा, जानोमाल। इस प्रकार के शब्दों को भी लेखक, हिंदी समास के अनुसार, बहुधा 'आबहवा', 'जानमाल', 'नामनिशान' इत्यादि बोलते और लिखते हैं, जैसे'बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) का **नामनिशान** न बाकी रहने दिया' (इति.)।

तथा यह संस्कृत संबंधवाचक क्रियाविशेषण 'यथा' (जैसे) का नित्यसंबंधी है और इसका अर्थ 'वैसे' है। इस अर्थ में इसका प्रयोग कभी-कभी कविता में होता है; जैसे'रह गई अतिविस्मित सी **तथा**। चकित चंचल चारु मृगी यथा।' गद्य में इसका प्रयोग बहुधा 'और' के अर्थ में होता है; जैसे'पहले-पहल वहाँ भी अनेक क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते थे' (सर.)। इसका अधिकतर प्रयोग 'और' शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने के लिए होता है; जैसे'इस बात की पुष्टि में चैटर्जी महाशय ने रघुवंश के तेरहवें सर्ग का एक पद्य और रघुवंश तथा कुमारसंभव में व्यवहृत 'संघात' शब्द भी दिया है' (रघु.)।

और इस शब्द के सर्वनाम, विशेषण और क्रियाविशेषण होने के उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं (दे. अंक184, 186, 223 ई.)। समुच्चयबोधक होने पर इसका प्रयोग साधारण अर्थ के सिवा नीचे लिखे विशेष अर्थों में भी होता है (प्लाट्स कृत 'हिंदुस्तानी व्याकरण')।

(अ) दो क्रियाओं की समकालीन घटना; जैसेतुम उठे और खराबी आई।'

(आ) दो विषयों का नित्य संबंध, जैसे'मैं हूँ और तुम हो' (=मैं तुम्हारा साथ न छोड़ूँगा)।

(इ) धमकी वा तिरस्कार; जैसे'फिर मैं हूँ और तुम हो' (=मैं तुमको खूब समझूँगा) :

शब्दों के बीच में बहुधा 'और' का लोप हो जाता है; जैसे'भले-बुरे की पहचान', 'सुख-दुख का देनेवाला', 'चलो, देखो, मेरे हाथ-पाँव नहीं चलते'। यथार्थ में ये सब उदाहरण द्वंद्व समास के हैं।

एवं 'तथा' के समान इसका भी अर्थ 'वैसे' वा 'ऐसे' होता है, परंतु उच्च हिंदी में यह केवल 'और' पर्याय में आता है; जैसे'लोग उपमाएँ देखकर विस्मित एवं मुग्ध हो जाते हैं' (सत्य.)।

कि यह पहले वाक्य से कुछ सादृश्य मिलाने के लिए आता है; जैसे''कुछ माहात्म्य ही पर नहीं, गंगा जी का जल भी ऐसा ही उत्तम और मनोहर है'' (सत्य.)। कभी-कभी यह दूसरे वाक्य के बिना, केवल पहली कथा से संबद्ध मिलता है, जैसे 'अब मैं भी तुम्हारी सखी का वृत्तांत पूछता हूँ' (शकु.)। दो वाक्यों वा शब्दों के बीच 'और' रहने पर इससे केवल अवधारण का बोध होता है; जैसे'मैंने उसे देखा और बुलाया भी।' कहीं-कहीं 'भी' अवधारण बोधक प्रत्यय 'ही' के समान अर्थ देता है; जैसे'एक भी आदमी नहीं मिला।' 'इस काम को कोई भी कर सकता है।' कभी-कभी 'भी' से आश्चर्य वा संदेह सूचित होता है; जैसे'तुम वहाँ गए भी थे!' 'पत्थर भी

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

कहीं पसीजता है!' कभी-कभी इससे आग्रह का भी बोध होता है; जैसे'उठो भी, तुम वहाँ जाओगे भी।' इन पिछले अर्थों में 'भी' बहुधा 'ही' के समान क्रिया-विशेषण होता है।

(ई) **विभाजक** या, वा, अथवा, किंवा, कि, या-या, चाहे-चाहे, क्या-क्या, न-न, न कि, नहीं तो।

इन अव्ययों से दो या अधिक वाक्यों वा शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों का त्याग होता है।

या, वा अथवा, किंवा ये चारों शब्द प्रायः पर्यायवाची हैं। इनमें से 'या' उर्दू और शेष तीन संस्कृत हैं। 'अथवा' और किंवा' में दूसरे अव्ययों के साथ 'वा' मिला, है। पहले तीन शब्दों का एक साथ प्रयोग द्विरुक्ति के निवारण के लिए होता है; जैसे 'किसी पुस्तक की अथवा किसी ग्रंथकार या प्रकाशक की एक से अधिक पुस्तकों की प्रशंसा में किसी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया' (सर.)। 'या' और 'वा' कभी-कभी पर्यायवाची शब्दों को मिलाते हैं; जैसेधर्मनिष्ठा या धार्मिक विश्वास' (स्वा.)। इस प्रकार के शब्द कभी-कभी कोष्ठक में ही रख दिए जाते हैं; जैसे'श्रुति (वेद) में' (रघु.)। लेखक गण कभी भूल से 'या' के बदले 'और' तथा 'और' के बदले 'या' लिख देते हैं; जैसेमुर्दे जलाए और गाड़े भी जाते थे और कभी जलाके गाड़ते थे' (इति.)। यहाँ दोनों **'और'** के स्थान में **'या'**, **'वा'** और 'अथवा' में से कोई भी दो अलग-अलग शब्द होने चाहिए। 'किंवा' का प्रयोग बहुधा कविता में होता है; जैसे'नृप अभिमान मोह बस किंवा' (राम.)। 'वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के' (भारत.)।

कि यह (विभाजक) 'कि' उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक 'कि' से भिन्न है (दे. अंक244 आ, ई)। इसका अर्थ 'या' के समान है परंतु इसका प्रयोग बहुधा कविता ही में होता है; जैसे'रखिहहिं भवन कि लैहहिं साथा' (राम.)। कज्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है, कि श्याम घनमंडल में दामिनी की धारा है' (क. क.)। 'कि' कभी-कभी दो शब्दों को भी मिलाता है; जैसे'यद्यपि कृपण कि अपव्ययी ही हैं धनीमानी यहाँ' (भारत.)। परंतु ऐसा प्रयोग क्वचित् होता है।

या ये शब्द जोड़े से आते हैं और अकेले 'या' की अपेक्षा विभाग का अधिक निश्चय सूचित करते हैं, जैसे'या तो इस पेड़ में फाँसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा में कूद पड़ूँगी' (सत्य.)। कभी-कभी 'कहाँ-कहाँ' के समान इनसे 'महत् अंतर' सूचित होता है; जैसे'या वह रौनक थी या सुनसान हो गया।' कविता में 'या या' के अर्थ में 'कि कि' आते हैं; जैसे की तनु प्रान कि केवल प्राना' (राम.)।

कानूनी हिंदी में पहले 'या' के बदले 'आया' लिखते हैं; जैसे' **आया** मर्द या औरत।' 'आया' भी उर्दू शब्द है।

प्रायः इसी अर्थ में 'चाहे चाहे' आते हैं; जैसे'चाहे सुमेरु को राई करै रचिराई

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

को **चाहे** सुमेरु बनावै' (पद्मा.)। ये शब्द 'चाहना' क्रिया से बने हुए अव्यय हैं।

क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम समुच्चयबोधक के समान उपयोग में आते हैं। कोई इन्हें **संयोजक** और कोई **विभाजक** मानते हैं। इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि ये वाक्य में दो वा अधिक शब्दों का विभाग बताकर उन सबका इकट्ठा उल्लेख करते हैं; जैसे **'क्या** मनुष्य और क्या जीव-जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं का भला कराने में गँवाया' (गुटका.)। **'क्या** स्त्री **क्या** पुरुष, **सब ही** के मन में आनंद छाय रहा था' (प्रेम.)।

न ये दुहरे क्रियाविशेषण समुच्चयबोधक होकर आते हैं। इनसे दो वा अधिक शब्दों में से प्रत्येक का त्याग सूचित होता है; जैसे'न उन्हें नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी' (प्रेम.)। कभी-कभी इनसे अशक्यता का बोध होता है; जैसे'न ये अपने प्रबंधों से छुट्टी पावेंगे न कहीं जायँगे' (सत्य.)। 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी' (कहा.)। कभी-कभी इनका प्रयोग कार्य कारण सूचित करने में होता है; जैसे'न तुम आते न यह उपद्रव खड़ा होता।'

नकि यह 'न' और 'कि' से मिलकर बना है। इससे बहुधा दो बातों में से दूसरी का निषेध सूचित होता है; जैसे'अँगरेज लोग व्यापार के लिए आए थे न कि देश जीतने के लिए।'

नहींतो यह भी संयुक्त क्रियाविशेषण है और समुच्चयबोधक के समान उपयोग में आता है। इससे किसी बात के त्याग का फल सूचित होता है; जैसे'उसने मुँह पर घूँघट सा डाल दिया है; नहीं तो राजा की आँखें कब उस पर ठहर सकती थीं। (गुटका.)।

(उ) **विरोधदर्शक** पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन्, बल्कि।

ये अव्यय दो वाक्यों में पहले का निषेध वा परिमिति सूचित करते हैं।

प 'पर' ठेठ हिंदी शब्द है; 'परंतु' तथा 'किंतु' संस्कृत शब्द है और 'लेकिन' तथा 'मगर' उर्दू हैं। 'पर', परंतु और 'लेकिन' पर्यायवाची हैं। 'मगर' भी इनका पर्यायवाची है, परंतु इनका प्रयोग हिंदी में क्वचित् होता है। 'प्रेमसागर' में केवल 'पर' का प्रयोग पाया जाता है; जैसे'झूठ सच को तो भगवान् जाने पर मेरे मन में एक बात आई है।'

किंतु, वरन् ये शब्द भी प्रायः पर्यायवाची हैं और इनका प्रयोग बहुधा निषेधवाचक वाक्यों के पश्चात् होता है; जैसेकामनाओं के प्रबल होने से आदमी दुराचार नहीं करते, किंतु अंतःकरण के निर्बल हो जाने से वैसा करते हैं' (स्वा.)। 'मैं केवल सपेरा नहीं हूँ किंतु भाषा का कवि भी हूँ' (मुद्रा.)। 'इस संदेह का इतने काल बीतने पर यथोचित् समाधान करना कठिन है, वरन् बड़े बड़े विद्वानों की मति भी इसमें विरुद्ध है' (इति.)। 'वरन्' बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दूसरी को प्रधानता देने के लिए भी आता है; जैसे'पारस' देशवाले भी आर्य थे, वरन् इसी कारण उस देश

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

को अब भी ईरान कहते हैं' (इति.)। 'वरन्' के पर्यायवाची 'वरंच' (संस्कृत) और 'बल्कि' (उर्दू) हैं।

(ऊ) **परिणामदर्शक** इसलिए, सो, अतः, अतएव।

इन अव्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है; जैसेअब भोर होने लगा था, इसलिए दोनों जन अपनी-अपनी ठौरों से उठे (ठेठ.)। इस उदाहरण में 'दोनों जन अपनी-अपनी ठौरों से उठे' यह वाक्य परिणाम सूचित करता है **और** 'अब भोर होने लगा था, यह कारण बतलाता है; इस कारण 'इसलिए' परिणामदर्शक समुच्चयबोधक है। यह शब्द मूल समुच्चयबोधक नहीं है, किंतु 'इस' और 'लिए' के मेल से बना है, और समुच्चयबोधक तथा कभी कभी क्रियाविशेषण के समान उपयोग में आता है। (दे.अंक-237 (सू.)।) 'इसलिए' के बदले कभी-कभी 'इससे', 'इस वास्ते' वा 'इस कारण' भी आता है।

(सू.(1) 'इसलिए' के और अर्थ आगे लिखे जायँगे। (2) अवधारण में 'इसलिए' का रूप 'इसीलिए' हो जाता है।)

अतएव, अतः ये संस्कृत शब्द 'इसलिए' के पर्यायवाचक हैं और इनका प्रयोग उच्च हिंदी में होता है।

से यह निश्चयवाचक सर्वनाम (दे. अंक130) 'इसीलिए' के अर्थ में आता है, परंतु कभी-कभी इसका अर्थ 'तब' वा 'परंतु' भी होता है। जैसे'मैं घर से बहुधा दूर निकल गया था; सो मैं बड़े खेद से नीचे उतरा।' 'कंस ने अवश्य यशोदा की कन्या के प्राण लिए थे, सो वह असुर था' (गुटका.)।

(सू.कानूनी हिंदी में 'इसलिए' के बदले 'लिहाजा' लिखा जाता है।)

(टी.समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों से मिले हुए साधारण वाक्यों को कोई-कोई लेखक अलग-अलग लिखते हैं; जैसेभारतवासियों को अपनी दशा की परवा नहीं है। पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा खयाल है' (शिव.)। 'उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। अतएव पढ़ाना चाहिए' (सर.)। इस प्रकार की रचना अनुकरणीय नहीं।)

245. जिन अव्ययों के योग से एक वाक्य में एक वा अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें **व्यधिकरण** समुच्चयबोधक कहते हैं। इनके चार उपभेद हैं

(अ) कारणवाचक क्योंकि, जो कि, इसलिए।

इन अव्ययों से आरंभ होनेवाले वाक्य पूर्ववाक्य का समर्थन करते हैंअर्थात् पूर्ववाक्य के अर्थ का कारण उत्तरवाक्य के अर्थ से सूचित होता हैः जैसे'इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था, क्योंकि मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता' (रत्ना.)। इस उदाहरण में उत्तरवाक्य पूर्ववाक्य का कारण सूचित करता है। यदि इस वाक्य को उलटकर ऐसा कहे कि 'मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता, 'इसलिए' (अतः, अतएव) इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था' तो पूर्ववाक्य के कारण और

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

उत्तरवाक्य में उसका परिणाम सूचित होता है, और 'इसलिए' शब्द परिणामबोधक है।

(टी.यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब 'इसलिए' को समानाधिकरण समुच्चयबोधक मानते हैं, तब 'क्योंकि' को इस वर्ग में क्यों नहीं गिनते? इस विषय में वैयाकरणों का एकमत नहीं है। कोई-कोई दोनों अव्ययों को समानाधिकरण और कोई-कोई उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक मानते हैं। इसके विरुद्ध किसी-किसी के मत का स्पष्टीकरण अगले उदाहरण से होगा'गर्म हवा ऊपर उठती है, क्योंकि वह साधारण हवा से हलकी होती है। इस वाक्य में वक्ता का मुख्य अभिप्राय यह बात बताना है कि 'गर्म हवा ऊपर उठती है' इसलिए वह दूसरी बात का उल्लेख केवल पहली बात के समर्थन में करता है। यदि इसी बात को यों कहें कि 'गर्म हवा साधारण हवा से हलकी होती है; इसलिए वह ऊपर उठती है', तो जान पड़ेगा कि यहाँ वक्ता का अभिप्राय दोनों बातें प्रधानतापूर्वक बताने का है। इसके लिए वह दोनों वाक्यों को इस तरह भी कह सकता है कि 'गर्म हवा साधारण हवा से हलकी होती है और वह ऊपर उठती है।' इस दृष्टि से 'क्योंकि' **व्यधिकरण** समुच्चयबोधक है; अर्थात् उससे आरंभ होनेवाला वाक्य आश्रित होता है और 'इसलिए' समानाधिकरण समुच्चयबोधक हैअर्थात् वह मुख्य वाक्यों को मिलाता है।)

'क्योंकि' के बदले कभी-कभी 'कारण' शब्द आता है। यह समुच्चयबोधक का काम देता है। 'काहे से कि' समुच्चयबोधक वाक्यांश है।

कभी-कभी कारण के अर्थ में परिणामबोधक 'इसलिए' आता है और तब उसके साथ बहुधा 'कि' रहता है; जैसे

दुष्यंतक्यों माढव्य, तुम लाठी को क्यों बुरा कहा चाहते हो?

माढव्य **इसलिए** कि मेरा अंग तो टेढ़ा है, और वह सीधी बनी है' (शकु.)।

कभी-कभी पूर्व वाक्य में 'इसलिए' क्रियाविशेषण के समान आता है और उत्तर वाक्य 'कि' समुच्चयबोधक से आरंभ होता है; जैसे'कोई बात केवल इसलिए मान्य नहीं है कि वह बहुत काल से मानी जाती है' (सर.)। '(मैंने) इसलिए रोका था कि इस यंत्र में बड़ी शक्ति है' (शकु.)। 'कुआं, इसलिए कि वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह पर शिखर की नाईं खड़ा रहा (भाषासार.)

जो कि यह उर्दू 'चूँकि' के बदले कानूनी भाषा में कारण सूचित करने के लिए आता है; जैसे'जो कि यह अमर करीन मस्लहत है...इसलिए नीचे लिखे मुताबिक हुक्म होता है (ऐक्ट.)।

इस उदाहरण में पूर्व वाक्य आश्रित है, क्योंकि उसके साथ कारणवाचक समुच्चयबोधक आता है। दूसरे स्थानों में पूर्ववाक्य के साथ बहुधा कारणवाचक अव्यय नहीं आता और वहाँ वह वाक्य मुख्य समझा जाता है। वैयाकरणों का मत है कि पहले कारण और पीछे परिणाम कहने से कारणवाचक वाक्य आश्रित और परिणामबोधक वाक्य स्वतंत्र रहता है।

(आ) उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि, इसलिए कि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

इन अव्ययों के पश्चात् आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य वा हेतु सूचित करता है। उद्देश्यवाचक वाक्य बहुधा दूसरे (मुख्य) वाक्य के पश्चात् आता है, पर कभी-कभी वह उसके पूर्व भी आता है। उदाहरण'हम तुम्हें वृंदावन भेजा चाहते हैं कि तुम उनका समाधान कर आओ' (प्रेम.)। 'किया क्या जाय जो देहातियों की प्राणरक्षा हो' (सर.)। 'लोग अक्सर अपना हक पक्का करने के लिए दस्तावेजों की रजिस्ट्री करा लेते हैं, ताकि उनके दावे में किसी प्रकार का शक न रहे' (चौ. पु.)। 'मछुआ मछली मारने के लिए हर घड़ी मिहनत करता है इसलिए कि उसकी मछली का अच्छा मोल मिले' (जीविका.)।

जब उद्देश्यवाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुच्चयबोधक नहीं रहता, परंतु मुख्य वाक्य 'इसलिए' से आरंभ होता है; जैसे 'तपोवनवासियों के कार्य में विघ्न न हो, इसलिए रथ को यहीं रखिए' (शकु.)। कभी-कभी मुख्य वाक्य 'इसलिए' के साथ पहले आता है और उद्देश्यवाचक वाक्य 'कि' से आरंभ होता है; जैसे'इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है, कि उनकी शंका दूर हो जावे।'

'जो' के बदले कभी-कभी जिसमें वा जिसमें आता है, जैसे'वेग वेग चली आ जिसमें सब एक संग क्षेम कुशल से कुटी में पहुँचे (शकु.)। यह 'विस्तार इसलिए किया गया है, जिससे पढ़नेवाले कालिदास का भाव अच्छी तरह समझ जायँ' (रघु.)।

(सू.'ताकि' को छोड़कर शेष उद्देश्यवाचक समुच्चयबोधक दूसरे अर्थों में भी आते हैं। 'जो' और 'कि' के अन्य अर्थों का विचार आगे होगा। कहीं-कहीं 'जो' और 'कि' पर्यायवाची होते हैं; जैसे'बाबा से समझाकर कहो जो मुझे ग्वालों के संग पठाय दें।' (प्रेम.)। इस उदाहरण में 'जो' के बदले 'कि' उद्देश्यवाचक का प्रयोग हो सकता है। 'ताकि' और 'कि' उर्दू शब्द हैं और 'जो' हिंदी है। 'इसलिए' की व्युत्पत्ति पहले लिखी जा चुकी है (दे. अंक243 ई.)।

(इ) **संकेतवाचक** जोतो, यदितो, यद्यपितथापि (तो भी), चाहेपरंतु, कि।

इसमें से 'कि' को छोड़कर शेष शब्द, संबंधवाचक और नित्यसंबंधी सर्वनामों के समान, जोड़े से आते हैं। इन शब्दों के द्वारा जुड़नेवाले वाक्यों में से एक में 'जो', 'यदि', 'यद्यपि', या 'चाहे' आता है और दूसरे वाक्य में क्रमशः 'तो' 'तथापि' (तो भी) अथवा 'परंतु' आता है। जिस वाक्य में 'जो', 'यदि', 'यद्यपि' या 'चाहे' का प्रयोग होता है, उसे पूर्व वाक्य और दूसरे को उत्तर वाक्य कहते हैं। इन अव्ययों को 'संकेतवाचक' कहने का कारण यह है कि पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है, उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है।

जोतो जब पूर्व वाक्य में कही हुई शर्त पर उत्तर वाक्य की घटना निर्भर होती है, तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसी अर्थ में 'यदि तो' आते हैं। 'जो' साधारण भाषा में और 'यदि' शिष्ट अथवा पुस्तकीय भाषा में आता है। उदाहरण 'जो तू अपने मन से सच्ची है, तो पतिघर में दासी होकर भी रहना अच्छा है।' (शकु.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

यदि ईश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण हो तो बड़ी अच्छी बात है।' (सत्य.)। कभी-कभी 'जो' से आतंक पाया जाता है; जैसे'जो मैं राम तो कुल सहित कहहि दसानन जाय।' 'जो हरिश्चंद्र को तेजोभ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं' (सत्य.)। अवधारण में 'तो' के बदले 'तो भी' आता है; जैसे'जो' (कुटुंब) होता तो भी मैं न देता' (मुद्रा.)।

कभी-कभी कोई बात इतनी स्पष्ट होती है कि उसके साथ किसी शर्त की आवश्यकता नहीं रहती; जैसे'पत्थर पानी में डूब जाता है।' इस वाक्य को बढ़ाकर यों लिखना कि 'यदि पत्थर को पानी में डालें तो वह डूब जाता है', अनावश्यक है।

'जो' कभी-कभी 'जब' के अर्थ में आता है; जैसे'जो वह स्नेह ही न रहा तो अब सुधि दिलाए क्या होता है' (शकु.)। 'जो के बदले कभी-कभी 'कदाचित्' (क्रियाविशेषण) आता है; जैसेकदाचित् कोई पूछे तो मेरा नाम बता देना।' कभी-कभी 'जो' के साथ ('तो' के बदले) सो, समुच्चयबोधक आता है; जैसे'जो आपने रुपयों के बारे में लिखा सो अभी उसका बंदोबस्त होना कठिन है।'

'यदि' से संबंध रखनेवाली एक प्रकार की वाक्य रचना हिंदी में अँगरेजी के सहवास से प्रचलित हुई है, जिसमें पूर्व वाक्य की शर्त का उल्लेख कर तुरंत ही उसका मंडन कर देते हैं, परंतु उत्तर वाक्य ज्यों का त्यों रहता है, जैसेयदि यह बात सत्य हो (जो निःसंदेह सत्य ही है) तो हिंदुओं को संसार में सबसे बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा' (भारत.)। 'यदि' का पर्यायवाची उर्दू शब्द 'अगर' भी हिंदी में प्रचलित है।

यद्यपि-तथापि (तो भी) ये शब्द जिन वाक्यों में आते हैं उनके निश्चयात्मक विधानों में परस्पर विरोध पाया जाता है, जैसे' **यद्यपि** यह देश तब तक जंगलों से भरा हुआ था **तथापि** अयोध्या अच्छी बस गई थी' (इति.)। **'तथापि'** के बदले बहुधा 'तो भी' और कभी-कभी 'परंतु' आता है, जैसे **यद्यपि** हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भलीभाँति जानते हैं' (शकु.)। **'यद्यपि** गुरु ने कहा है...पर यह तो बड़ा पाप सा है' (मुद्रा.)।

कभी-कभी 'तथापि' एक स्वतंत्र वाक्य में आता है; और वहाँ उसके साथ 'यद्यपि' की आवश्यकता नहीं रहती; जैसे'मेरा भी हाल ठीक ऐसे ही बौने के जैसा है। तथापि एक बात अवश्य है' (रघु.)। इसी अर्थ में 'तथापि' के बदले तिसपर' वाक्यांश भी आता है।

'चाहे' परंतु जब 'यद्यपि' के अर्थ में कुछ संदेह रहता है तब उसके बदले 'चाहे' आता है; जैसे'उसने चाहे अपनी सखियों की ओर ही देखा हो; परंतु मैंने यही जाना' (शकु.)।

'चाहे' बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण वा क्रियाविशेषण के साथ आकर उसकी विशेषता बतलाता है और प्रयोग के अनुसार बहुधा क्रियाविशेषण होता है, जैसे'यहाँ चाहे जो कह लो परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़ भभकी नहीं चल सकी।' (परी.)। 'मेरे रनवास में चाहे जितनी रानी (रानियाँ) हों मुझे दो ही (वस्तुएँ) संसार में

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

प्यारी होंगी' (शकु.)। 'मनुष्य बुद्धिविषयक ज्ञान में चाहे जितना पारंगत हो जाए परंतु उसके ज्ञान से विशेष लाभ नहीं हो सकता।' (सर.) 'चाहे जहाँ से अभी सब दे' (सत्य.)।

दुहरे संकेतवाचक समुच्चयबोधक अव्ययों में से कभी किसी का लोप हो जाता है; जैसे( ) 'कोई परीक्षा लेता तो मालूम पड़ता' (सत्य.)। '( ) इन सब बातों से हमारे प्रभु के सब काम सिद्ध हुए प्रतीत होते हैं तथापि मेरे मन को धैर्य नहीं है। (रचना.)। 'यदि कोई धर्म, न्याय, सत्य, प्रीति पौरुष का हमसे नमूना चाहे( ) हम यही कहेंगे, राम, राम, राम' (इति.)। 'वैदिक लोग ( ) कितना भी अच्छा लिखें तो भी उनके अक्षर अच्छे नहीं बनते' (मुद्रा.)।

कि जब यह संकेतवाचक होता है, तब इसका अर्थ 'त्योंही' होता है, और यह दोनों वाक्यों के बीच में आता है; जैसे'अक्टोबर चला कि उसे नींद ने सताया। (सर.) 'शैव्या रोहिताश्व का मृतकंबल फाड़ा चाहती है कि रंगभूमि की पृथ्वी हिलती है' (सत्य.)।

कभी-कभी 'कि' के साथ उसका समानार्थी वाक्यांश 'इतने में' आता है; जैसे'मैं तो जाने ही को था कि इतने में आप आ गए।'

(ई) **स्वरूपवाचक** कि, जो, अर्थात्, याने, मानों।

इन अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों वा वाक्यों में से पहले शब्द वा वाक्य का स्वरूप (स्पष्टीकरण) पिछले शब्द वा वाक्य से जाना जाता है; इसलिए इन अव्ययों को स्वरूपवाचक कहते हैं।

कि इसके और-और अर्थ तथा प्रयोग पहले कह गए हैं। जब यह अव्यय स्वरूपवाचक होता है, तब इससे किसी बात का केवल आरंभ वा प्रस्तावना सूचित होती है; जैसे'श्रीशुकदेव मुनि बोले कि महाराज अब आगे कथा सुनिए' (प्रेम.)। 'मेरे मन में आती है कि इससे कुछ पूछूँ (शकु.)। 'बात यह है कि लोगों की रुचि एक सी नहीं होती।'

जब आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य से पहले आता है, तब 'कि' का लोप हो जाता है, परंतु मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य का कोई समानाधिकरण शब्द आता है; जैसे'परमेश्वर एक है, **यह** धर्म की बात है' 'रबर काहे का बनता है, **यह बात** बहुतेरों को मालूम नहीं है।'

(सू.इस प्रकार की उलटी रचना का प्रचार हिंदी में बहुधा बँगला और मराठी की देखादेखी होने लगा है, परंतु वह सार्वत्रिक नहीं है। प्राचीन हिंदी कविता में 'कि' का प्रयोग नहीं पाया जाता। आजकल के गद्य में भी कहीं-कहीं इसका लोप कर देते हैं, जैसे'क्या जाने, किसी के मन में क्या भरा है।')

जे वह स्वरूपवाचक 'कि' का समानार्थी है, परंतु उसकी अपेक्षा अब व्यवहार में कम आता है। प्रेमसागर में इसका प्रयोग कई जगह हुआ है; जैसे'यही विचारो जो मथुरा और वृंदावन में अंतर ही क्या है।' 'जिसने बड़ी भारी चूक की जो तेरी

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

माँग श्रीकृष्ण को दी।' जिस अर्थ में भारतेंदु जी ने 'कि' का प्रयोग किया है, उसी अर्थ में द्विवेदी जी बहुधा 'जो' लिखते हैं, जैसे'ऐसा न हो कि कोई आ जाय।' (सत्य.)। 'ऐसा न हो जो इंद्र यह समझे' (रघु.)।

(टी.बँगला, उड़िया, मराठी आदि आर्यभाषाओं में 'कि' या 'जो' के संबंध से दो प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं, जो संस्कृत के 'यत्' और 'इति' अव्ययों से निकली हैं। संस्कृत से 'यत्' के अनुसार उनमें 'जो' आता है और 'इति' के अनुसार बँगला में 'बलिया; उड़िया में 'बोली', मराठी में 'म्हणून' और नैपाली में (कैलाग के अनुसार) 'भनि' है। इन सब का अर्थ 'कहकर' होता है। हिंदी में 'इति' के अनुसार रचना नहीं होती, परंतु 'यत्' के अनुसार इसमें 'जो' (स्वरूपवाचक) आता है। इस 'जो' का प्रयोग उर्दू 'कि' के समान होने के कारण 'जो' के बदले 'कि' का प्रचार हो गया है और 'जो' कुछ चुने हुए स्थानों में रह गया। मराठी और गुजराती में 'कि' क्रमशः 'की' और 'के' रूप में आता है। दक्षिणी हिंदी में 'इति' के अनुसार जो रचना होती है, उसमें 'इति' के लिए 'करके' (समुच्चयबोधक के समान) आता है; जैसेमैं जाऊँगा करके नौकर मुझसे कहता था' = नौकर मुझसे कहता था कि मैं जाऊँगा)।

कभी-कभी मुख्य वाक्य में 'ऐसा', 'इतना', 'यहाँ तक' अथवा कोई विशेषण आता है; उसका स्वरूप (अर्थ) स्पष्ट करने के लिए 'कि' के पश्चात् आश्रित वाक्य आता है; जैसे'क्या और देशों में इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी जमकर पत्थर की चट्टान की नाईं हो जाता है?' (भाषासार.)। **'चोर ऐसा भागा** कि उसका पता ही न लगा।' कैसी छलाँग भरी है कि धरती से ऊपर ही दिखाई देता है' (शकु.)। 'कुछ लोगों ने आदमियों के इस विश्वास को यहाँ तक उत्तेजित कर दिया है कि वे अपने मनोविकारों को तर्कशास्त्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान मानते हैं' (स्वा.)। काल चक्र बड़ा प्रबल है कि किसी को एक ही अवस्था में नहीं रहने देता' (मुद्रा.)। 'तू बड़ा मूर्ख है जो हमसे ऐसी बात कहता है' (प्रेम.)।

(सू.इस अर्थ में 'कि' (वा 'जो') केवल स्वरूपवाचक ही नहीं किंतु परिणाम-बोधक भी है। समानाधिकरण समुच्चयबोधक 'इसलिए' से जिस परिणाम का बोध होता है, उससे 'कि' के द्वारा सूचित होनेवाला परिणाम भिन्न है, क्योंकि इसमें परिणाम के साथ स्वरूप का अर्थ मिला हुआ है। इस अर्थ में केवल एक समुच्चयबोधक 'कि' आता है, इसलिए उसके इस एक अर्थ का विवेचन यहीं कर दिया गया है।

कभी-कभी 'यहाँ तक' और 'कि' साथ-साथ आते हैं और केवल वाक्य ही को नहीं, किंतु शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसे'बहुत आदमी उन्हें सच मानने लगते है; यहाँ तक कि कुछ दिनों में वे सर्वसम्मत हो जाते हैं' (स्वा.)। 'इस पर तुम्हारे बड़े अन्न, रस्सियाँ यहाँ तक कि उपले लादकर लाते थे' (शिव.)। 'क्या यह भी संभव है कि एक के काव्य के पद, यहाँ तक कि प्रायः श्लोकार्द्ध तद्वत् दूसरे के दिमाग से निकल पड़ें?' (रघु.)। इन उदाहरणों में 'यहाँ तक कि' समुच्चयबोधक वाक्यांश है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अर्थात् यह संस्कृत विभक्त्यंत संज्ञा है। पर हिंदी में इसका प्रयोग समुच्चयबोधक के समान होता है। यह अव्यय किसी शब्द वा वाक्य का अर्थ समझाने में आता है; जैसे 'धातु के टुकड़े ठप्पे के होने से सिक्का **अर्थात्** मुद्रा कहते हैं' (जीविका.)। 'गौतम बुद्ध अपने पाँचों चेलों समेत चौमासे भर **अर्थात्** बरसात भर बनारस में रहा' (इति.)। 'इनमें परस्पर सजातीय भाव है, **अर्थात्** ये एक दूसरी से जुदा नहीं है।' (स्वा.)। कभी-कभी 'अर्थात्' के बदले 'अथवा', 'वा' 'या' आते हैं; और तब यह बताना कठिन हो जाता है कि ये स्वरूपवाचक हैं या विभाजक; अर्थात् ये एक ही अर्थवाले शब्दों को मिलाते हैं या अलग-अलग अर्थवाले शब्दों को; जैसे'बस्ती अर्थात् जनस्थान वा जनपद का तो नाम भी मुश्किल से मिलता था' (इति.)। 'तुम्हारी हैसियत वा स्थिति चाहे जैसी हो' (आदर्श.)। 'किसी और तरीके से सज्ञान, बुद्धिमान या अक्लमंद होना आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं' (स्वा.)।

(सू.किसी वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ समझाने में अथवा एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट करने में विभाजक तथा स्वरूपबोधक अव्ययों के अर्थ के अंतर पर ध्यान न रखने से भाषा में सरलता के बदले कठिनता आ जाती है और कहीं कहीं अर्थहीनता भी उत्पन्न होती है।)

कानूनी भाषा में दो नाम सूचित करने के लिए 'अर्थात्' का पर्यायवाची उर्दू 'उर्फ' लाया जाता है और साधारण बोलचाल में 'याने' आता है।

मानो यह 'मानना' क्रिया के विधिकाल का रूप है, पर कभी-कभी इसका प्रयोग 'ऐसा' के साथ उपमा (उत्प्रेक्षा) में समुच्चयबोधक के समान होता है; जैसे'यह चित्र ऐसा सुहावना लगता है मानो साक्षात् सुंदरावा आगे खड़ा हो (शकु.)। आगे देखि जरति रिस भारी। **मनहु** रोष तरवार उघारी' (राम.)।

246. अब हम 'जो' के एक ऐसे प्रयोग का उदाहरण देते हैं, जिसका समावेश पहले कहे हुए समुच्चयबोधक के किसी वर्ग में नहीं हुआ है। 'मुझे मरना नहीं जो तेरा पक्ष करूँ' (प्रेम.)। इस उदाहरण में 'जो' न संकेतवाचक है न उद्देश्यवाचक, न स्वरूपवाचक। यहाँ 'जो' का अर्थ जिसलिए' है। जिसलिए, कभी-कभी 'इसलिए' के पर्याय में आता है; जैसे'यहाँ एक सभा होने वाली है जिसलिए (इसलिए) सब लोग इकट्ठे हैं।' इस दृष्टि से दूसरा वाक्य परिणामदर्शक मुख्य वाक्य हो सकता है।

247. संस्कृत और उर्दू शब्दों को छोड़कर (जिनकी व्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण की सीमा के बाहर है) हिंदी के अधिकांश समुच्चयबोधकों की व्युत्पत्ति दूसरे शब्दभेदों से है और कई एक का प्रचार आधुनिक है। 'और' सार्वनामिक विशेषण है। 'जो' संबंधवाचक सर्वनाम और 'सो' निश्चयवाचक सर्वनाम है। 'यदि', 'परंतु', 'किंतु', आदि शब्दों का प्रयोग 'रामचरितमानस' और 'प्रेमसागर' में नहीं पाया जाता।

(टी.संबंधसूचकों के समान समुच्चयबोधक का वर्गीकरण भी व्याकरण की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। इस वर्गीकरण से केवल उनके भिन्न-भिन्न अर्थ का प्रयोग

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

जानने में सहायता मिल सकती है। पर समुच्चयबोधक अव्ययों के जो मुख्य वर्ग मान गए हैं उनकी आवश्यकता वाक्य-पृथक्करण के विचार से होती है, क्योंकि वाक्य-पृथक्करण वाक्य के अवयवों तथा वाक्य का परस्पर संबंध जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है।

समुच्चयबोधकों का संबंध वाक्य पृथक्करण होने के कारण यहाँ इसके विषय में संक्षेपतः कुछ कहने की आवश्यकता है।

वाक्य बहुधा तीन प्रकार के होते हैंसाधारण, मिश्र और संयुक्त। इनमें से साधारण वाक्य इकहरे होते हैं, जिनमें वाक्यसंयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह आवश्यकता केवल मिश्र और संयुक्त वाक्यों में होती है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य रहता है और उसके साथ एक या अधिक आश्रित वाक्य आते हैं। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत सब वाक्य मुख्य होते हैं। मुख्य वाक्य अर्थ में एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, परंतु आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के ऊपर अवलंबित रहता है। मुख्य वाक्यों को जोड़नेवाले समुच्चयबोधकों को समानाधिकरण कहते हैं, और मिश्र वाक्य के उप वाक्य को जोड़नेवाले अव्यय व्यधिकरण कहाते हैं।

जिन हिंदी व्याकरणों में समुच्चयबोधकों के भेद माने गए हैं, उनमें से प्रायः सभी दो भेद मानते हैं(1) संयोजक और (2) विभाजक। शेष इन दोनों भेदों में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ इन भेदों पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

'भाषातत्त्वदीपिका' में समुच्चयबोधक के केवल पाँच भेद माने गए हैं जिनमें और कई अव्ययों के सिवा 'इसलिए' का भी ग्रहण नहीं किया गया। यह अव्यय आदम के व्यारकण को छोड़ और किसी व्याकरण में नहीं आया, जिससे अनुमान होता है कि इसके समुच्चयबोधक होने में संदेह है। इस शब्द के विषय में हम पहले लिख चुके हैं कि मूल अव्यय नहीं है, किंतु संबंधसूचकांत सर्वनाम है, परंतु उसका प्रयोग समुच्चयबोधक के समान होता है और दो-तीन संस्कृत अव्ययों को छोड़ हिंदी में इस अर्थ का और कोई अव्यय नहीं है। 'इसलिए', 'अतएव', 'अतः' 'और' (उर्दू) 'लिहाजा' से परिणाम का बोध होता है और यह अर्थ दूसरे अव्ययों से नहीं पाया जाता, इसलिए इन अव्ययों के लिए एक अलग भेद मानने की आवश्यकता है।

हमारे किए हुए वर्गीकरण में यह दोष हो सकता है कि एक ही शब्द कहीं कहीं एक से अधिक वर्गों में आया है। यह इसलिए हुआ है कि कुछ शब्दों के अर्थ और प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, परंतु केवल वे ही शब्द एक वर्ग में नहीं आए, और भी दूसरे शब्द उस वर्ग में आए हैं।)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

चौथा अध्याय
विस्मयादिबोधक

248. जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे'हाय! अब मैं क्या करूँ!' (सत्य.)। 'हैं! यह क्या कहते हो' (परी.)। इन वाक्यों में 'हाय' दुःख और 'हैं' आश्चर्य तथा क्रोध सूचित करता है और जिन वाक्यों में ये शब्द हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है।

व्याकरण में इन शब्दों का विशेष महत्त्व नहीं, क्योंकि वाक्य का मुख्य काम जो विधान करना है, उसमें इनके योग से कोई आवश्यक सहायता नहीं मिलती। इसके सिवा इनका प्रयोग केवल वही होता है जहाँ वाक्य के अर्थ की अपेक्षा अधिक तीव्र भाव सूचित करने की आवश्यकता होती है। 'मैं अब क्या करूँ।' इस वाक्य से शोक पाया जाता है, परंतु यदि शोक की अधिक तीव्रता सूचित करनी हो तो उसके साथ 'हाय' जोड़ देंगे, जैसे 'हाय! अब मैं क्या करूँ।' विस्मयादिबोधक अव्ययों में अर्थ का अत्यंताभाव नहीं है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक शब्द से पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है, जैसे अकेले 'हाय' के उच्चारण से यह भाव जाना जाता है कि मुझे बड़ा दुःख है'। तथापि जिस प्रकार शरीर या स्वर की चेष्टा से मनुष्य के मनोविकारों का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार विस्मयादिबोधक अव्ययों से भी इन मनोविकारों का अनुमान होता है, और जिस प्रकार चेष्टा को व्याकरण में व्यक्त भाषा नहीं मानते, उसी प्रकार विस्मयादिबोधकों की गिनती वाक्य के अव्ययों में नहीं होती।

249. भिन्न-भिन्न मनोविकार सूचित करने के लिए भिन्न-भिन्न विस्मयादिबोधक उपयोग में आते हैं, जैसे

हर्षबोधक आहा! वाह वा! धन्य धन्य! शाबाश! जय! जयति!

शोकबोधक आह! ऊह! हा हा! हाय! दइया रे! बाप रे! त्राहि त्राहि! राम राम! हा राम!

आश्चर्यबोधक वाह! हैं! ऐ! ओहो! वाह वा! क्या!

अनुमोदनबोधक ठीक! वाह! अच्छा! शाबाश! हाँ हाँ! (कुछ अभिमान में) भला!

तिरस्कारबोधक छिः! हट! अरे! दुर! धिक्! चुप!

स्वीकारबोधक हाँ! जी हाँ! अच्छा! जी! ठीक! ठीक! बहुत अच्छा!

संबोधनद्योतक अरे! रे! (छोटों के लिए), अजी! लो! हे! हो! क्या! अहो! क्यों!

(सू.स्त्री के लिए 'अरे' का रूप 'अरी' और 'रे' का रूप 'री' होती है। और बहुत्व के लिए दोनों लिंगों में 'आहो', 'अजी' आते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

'हे' 'हो' आदर आदर और बहुत्व के लिए दोनों वचनों में आते हैं। 'हो' बहुधा संज्ञा के आगे आता है।

'सत्य हरिश्चंद्र में स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ 'रे' आया है, जैसेवाह रे! 'महानुभावता'। यह प्रयोग अशुद्ध है।)

250. कई एक क्रियाएँ, संज्ञाएँ, विशेषण भी और क्रियाविशेषण भी विस्मयादिबोधक हो जाते हैं; जैसेभगवान! राम राम! अच्छा! लो! हट! चुप! क्यों! खैर! अस्तु!

251. कभी-कभी पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश विस्मयादिबोधक हो जाता है; जैसेक्या बात है! बहुत अच्छा! सर्वनाश हो गया! धन्य महाराज! क्या न हो भगवान न करे। इन वाक्यों और वाक्यांशों से मनोविकार अवश्य सूचित होते हैं; परंतु इन्हें विस्मयादिबोधक मानना ठीक नहीं है। इनमें जो वाक्यांश हैं, उनके अध्याहृत शब्दों के व्यक्त करने से वाक्य सहज ही बन सकते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्यों और वाक्यांशों को विस्मयादिबोधक अव्यय मानें तो फिर किसी भी मनोविकारसूचक वाक्यों को विस्मयादिबोधक अव्यय मानना होगा; जैसे 'अपराधी निर्दोष है, पर उसे फाँसी भी हो सकती है।' (शिव.)।

(क) कोई-कोई लोग बोलने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनकी न तो वाक्य में कोई आवश्यकता होती है और न जिनका वाक्य के अर्थ से कोई संबंध रहता है; जैसे'जो है सो', 'राम आसरे', 'क्या कहना है', 'क्या नाम करके' इत्यादि। कविता में लु, सु, हि, अहो, इत्यादि शब्द इसी प्रकार से आते हैं जिनको पादपूरक कहते हैं। 'अपना' ('अपने') शब्द भी इसी तरह उपयोग में आते हैं; 'पढ़ लिखकर होशियार हो गया, अपना कमा खा।' (सर.)। ये सब एक प्रकार के व्यर्थ अव्यय हैं, और इनको अलग कर देने से वाक्यार्थ में कोई बाधा नहीं आती।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

दूसरा भाग

शब्दसाधन

दूसरा परिच्छेद

रूपांतर

पहला अध्याय

लिंग

252. अलग-अलग अर्थ सूचित करने के लिए शब्दों में जो विकार होते हैं, उन्हें रूपांतर कहते हैं (दे. अंक91)।

(सू.इस भाग के पहले तीन अध्यायों में संज्ञा के रूपांतरों का विवेचन किया जायगा।)

253. संज्ञा में लिंग; वचन और कारक के कारण रूपांतर होता है।

254. संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष वा स्त्री) जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं(1) (पुंल्लिंग) शुद्ध शब्द 'पुंल्लिंग वा पुंल्लिंग' है पर हिंदी में इसी प्रकार लिखने का प्रचार है, और (2) स्त्रीलिंग।

(टी.सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं की (मुख्य दो) जातियाँचेतन और जड़ हैं। चेतन वस्तुओं (जीवधारियों) में पुरुष और स्त्री जाति का भेद होता है, परंतु जड़ पदार्थ में यह भेद नहीं होता। इसलिए संपूर्ण वस्तुओं की एकत्र तीन जातियाँ होती हैंपुरुष, स्त्री और जड़। इन तीन जातियों के विचार से व्याकरण में उनके सवाचक शब्दों को तीन लिंगों में बाँटते हैं(1) पुंल्लिंग, (2) स्त्रीलिंग और (3) नपुंसक लिंग। अँगरेजी व्याकरण में लिंग का निर्माण बहुधा ऐसी व्यवस्था के अनुसार होता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी तीन लिंग होते हैं, परंतु उनमें कुछ जड़ पदार्थों को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण सचेतन मान लिया गया है। जिन पदार्थों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को पुंल्लिंग, और जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुण दिखाई देते हैं, उनमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों को बहुधा नपुंसक लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ पदार्थों को सचेतन मानते हैं, इसलिए इसमें नपुंसक लिंग नहीं

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

है। यह लिंग न होने के कारण हिंदी की लिंग-व्यवस्था पूर्वोक्त भाषाओं की अपेक्षा कुछ सहज है; परंतु जड़ पदार्थों में पुरुषत्व वा स्त्रीत्व की कल्पना के लिए कुछ शब्दों के रूपों को तथा दूसरी भाषाओं के शब्दों के मूल लिंगों को छोड़कर और कोई आधार नहीं है।)

255. जिस संज्ञा से (यथार्थ वा कल्पित) पुरुषत्व का बोध होता है, उसे पुंल्लिंग कहते हैं; जैसेलड़का, बैल, पेड़, नगर इत्यादि। इन उदाहरणों में 'लड़का' और 'बैल' यथार्थ पुरुषत्व सूचित करते हैं और 'पेड़' तथा 'नगर' से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, इसलिए ये शब्द पुंल्लिग हैं।

256. जिस संज्ञा से (यथार्थ वा कल्पित) स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं; जैसेलड़की, गाय, लता, पुरी इत्यादि। इन उदाहरणों में 'लड़की' और 'गाय' से यथार्थ स्त्रीत्व का और 'लता' तथा 'पुरी' में कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है; इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग हैं।

लिंग निर्णय

257. हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है। इसके लिए व्यापक और पूरे नियम नहीं बन सकते, क्योंकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तथापि हिंदी में लिंगनिर्णय दो प्रकार से किया जाता है(1) शब्द के अर्थ से और (2) उसके रूप से। बहुधा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अर्थ के अनुसार और अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित करते हैं। शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार माना जाता है; और इसके लिए व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं मिल सकती।

258. जिन प्राणिवाचक संज्ञाओं से जोड़े का ज्ञान होता है, उनमें पुरुषवाचक संज्ञाएँ पुंल्लिग और स्त्रीबोधक संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं; जैसेपुरुष, घोड़ा, मोर, इत्यादि पुंल्लिंग हैं; और स्त्री, घोड़ी, मोरनी इत्यादि स्त्रीलिंग हैं।

अप.'संतान' और 'सवारी' (यात्री) स्त्रीलिंग हैं।

(सू.शिष्ट लोगों में स्त्री के लिए 'घर के लोग'पुंल्लिंग शब्दबोला जाता है। संस्कृत में 'दार' (स्त्री) शब्द का प्रयोग पुंल्लिंग, बहुवचन में होता है।

(क) कई एक मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों का बोध होता है; पर वे व्यवहार के अनुसार नित्य पुंल्लिग वा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे

पु.पक्षी, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुआ इत्यादि।

स्त्रीचील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि।

इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि इनके वाच्य प्राणी पुरुष हैं वा स्त्री। इस प्रकार के उदाहरणों को एकलिंग कह सकते हैं। कहीं-कहीं 'हाथी' को स्त्रीलिंग में बोलते हैं, पर यह प्रयोग अशुद्ध है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(ख) प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुंल्लिग वा स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे

पु.समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल, इत्यादि।

स्त्री.भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली इत्यादि।

259. हिंदी में अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग जानना विशेष कठिन है; क्योंकि यह बात अधिकांश व्यवहार के अधीन है। अर्थ और रूप दोनों ही साधनों से इन शब्दों का लिंग जानने में कठिनाई होती है। नीचे लिखे उदाहरणों में यह कठिनाई स्पष्ट जान पड़ेगी।

(अ) एक ही अर्थ के कई अलग-अलग शब्द अलग-अलग लिंग के हैं; जैसेनेत्र (पुं.)आँख (स्त्री.), मार्ग (पुं.)बाट (स्त्री.)।

(आ) एक ही अंत के कई एक शब्द अलग-अलग लिंगों में आते हैं; जैसे कोदों (पुं.), सरसों (स्त्री.), खेत (पुं.), दौड़ (स्त्री.), आलू. (पुं.), बालू (स्त्री.)।

(इ) कई शब्दों को भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-भिन्न लिंगों में लिखते हैं; जैसेउसकी चर्चा, (स्त्री.)। (परी.)। इसका चर्चा, (पुं.)। (इति.)। सीरी पवन, (स्त्री.) (नील.)। पवन चल रहा था, (रघु.)। मेरे जान (पुं.) (परी.)। मेरी जान में, (स्त्री.) (गुटका)।

(ई) एक ही शब्द एक ही लेखक की पुस्तकों में अलग-अलग लिंगों में आता हैं; जैसे'देह ठंडी पड़ गई' (ठेठ. पृष्ठ 33); 'उसके सब देह में' (ठेठ. पृष्ठ 50)। 'कितने संतान हुए' (इति पृ., 1), 'रघुकूलभूषण की संतान' (गुटका. ती. भा., पृ.4)। 'बहुत बरसें हो गईं' (स्वा. पृ. 1)। 'सवा सौ बरस हुए' (सर., भाग 15, पृष्ठ 640)।

(सू.अंत के दो (इ और ई) उदाहरणों की लिंग विभिन्नता शिष्ट प्रयोग के अनादर से अथवा छापे की भूल से उत्पन्न हुई है।)

260. किसी-किसी वैयाकरण ने अप्राणिवाचक संज्ञाओं के अर्थ के अनुसार लिंगनिर्णय करने के लिए कई नियम बनाए हैं। पर ये अव्यापक और अपूर्ण हैं। अव्यापक इसलिए कि एक नियम में जितने उदाहरण हैं, प्रायः उतने ही अपवाद हैं। और अपूर्ण इसलिए कि ये नियम थोड़े ही प्रकार के शब्दों पर बने हैं; शेष शब्द के लिए कोई नियम नहीं है। अव्यापक और अपूर्ण नियमों के कुछ उदाहरण हम अन्यान्य व्याकरणों से यहाँ लिखते हैं

(1) नीचे लिखे अप्राणिवाचक शब्द अर्थ के अनुसार पुंल्लिंग हैं

(अ) शरीर के अवययों के नामबाल, सिर, मस्तक, तालू, ओठ, दंत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, रोम इत्यादि।

अपवादआँख, नाक, जीभ, जाँघ, खाल, नस इत्यादि।

(आ) धातुओं के नामसोना, रूपा, ताँबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, काँसा, इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अप.चाँदी, मिट्टी, धातु इत्यादि।

(इ) रत्नों के नामहीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना इत्यादि।

अप.मणि, चुन्नी, लालड़ी इत्यादि।

(ई) पेड़ों के नामपीपल, बड़, सागौन, शीशम, अशोक इत्यादि।

अप.नीम, जामुन, कचनार इत्यादि।

(उ) अनाजों के नामजौ, गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, चना, तिल इत्यादि।

अप.मक्का, जुआर, मूँग, अरहर इत्यादि।

(ऊ) द्रव पदार्थों के नामघी, तेल, पानी, दही, मही, शर्बत, सिरका, अतर, आसव, अवलेह इत्यादि।

अप.छाछ, स्याही, मसि इत्यादि।

(ऋ) जल और स्थल के भागों के नामदेश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर इत्यादि।

अप.नदी, झील, घाटी इत्यादि।

(ए) ग्रहों के नामसूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु इत्यादि।

अप.पृथ्वी।

(ऐ) वर्णमाला के अक्षरों के नाम; जैसेअ, औ, क, प, य, श इत्यादि।

अप.इ, ई, ऋ।

(2) अर्थ के अनुसार नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग हैं

(अ) नदियों के नामगंगा, यमुना, राप्ती, नर्मदा, कृष्णा इत्यादि।

अप.सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि।

(आ) तिथियों के नामपरिवा, दूज, तीज, चौथ इत्यादि।

(इ) नक्षत्रों के नामअश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि।

(ई) किराने के नामलौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री (जायपत्री), दालचीनी इत्यादि।

अप.तेजपात, कपूर इत्यादि।

(उ) भोजनों के नामपूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी इत्यादि।

अप.भात, रायता, हलुआ, मोहनभोग इत्यादि।

(ऊ) अनुकरणवाचक शब्द, जैसेझकझक, बड़बड़, झंझट इत्यादि।

261. अब संज्ञाओं के रूप के अनुसार लिंगनिर्णय करने के कुछ नियम लिए जाते हैं। ये नियम भी अपूर्ण हैं, परंतु बहुधा निरपवाद हैं। हिंदी में संस्कृत और उर्दू शब्द भी आते हैं, इसलिए इन भाषाओं के शब्दों का अलग-अलग विचार करने में सुविधा होगी।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

1. हिंदी शब्द

पुंल्लिग

(अ) ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएँ, जैसेकपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि।

(आ) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव, पन, वा पा होता है; जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा इत्यादि।

(इ) कृदंत की आनांत संज्ञाएँ, जैसेलगान, मिलान, पान, नहान, उठान इत्यादि।

स्त्रीलिंग

(अ) ईकारांत संज्ञाएँ; जैसेनदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी इत्यादि।

अप.पानी, घी, जी, मोती, दही, मही।

(सू.कहीं-कहीं 'दही' को 'स्त्रीलिंग' में बोलते हैं; पर यह अशुद्ध है।)

(आ) ऊनवाचक याकारांत संज्ञाएँ; जैसेफुड़िया, खटिया, डिबिया, ठिलिया, इत्यादि।

(इ) तकरांत संज्ञाएँ, जैसेरात, बात, लात, छत, भीत इत्यादि।

अप.भात, खेत, सूत, गात, दाँत इत्यादि।

(ई) ऊकारांत संज्ञाएँ; जैसेबालू, लू, दारू, गेरू, खालू, ब्यालू, झाड़ू इत्यादि।

अप.आँसू, आलू, रतालू, टेसू।

(उ) अनुस्वारांत संज्ञाएँ, जैसेसरसों, जोखों, खड़ाऊँ, गौं, दौं, चूँ इत्यादि।

अप.कोदों, गेहूँ।

(ऊ) सकारांत संज्ञाएँ; जैसेप्यास, मिठास, निंदास, रास (लगान), बाँस, साँस इत्यादि।

अप.निकास, काँस, रास (नृत्य)।

(ऋ) कृदंत की नकारांत संज्ञाएँ; जिसका उपात्य वर्ण अकरांत हो, अथवा जिसका धातु नकारांत हो; जैसेरहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान इत्यादि।

अप.चलन और चालचलन उभयलिंग हैं।

(ए) कृदंत की अकारांत संज्ञाएँ; जैसेलूट, मार, समझ, दौड़, सँभाल, चमक, छाप, पुकार इत्यादि।

अप.खेल, नाच, मेल, बिगार, बोल, उतार, इत्यादि।

(ऐ) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट वा हट होता है; जैसे सजावट बनावट, चिकनाहट, झंझट, आहट इत्यादि।

(ओ) जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है; जैसेईख, भूख, राख, चोख, काँख, कोख, देख-रेख, लाख (लाक्षा) इत्यादि।

अपभ्रा ख, रूख।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

2. संस्कृत शब्द

पुंल्लिग

(अ) जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है; जैसेचित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, गोत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि।

(आ) नांत संज्ञा, जैसेपालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि।

अप.'पवन' उभयलिंग है।

(इ) 'ज' प्रत्यांत संज्ञाएँ; जैसेजलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज इत्यादि।

(ई) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्य, त्व, व, र्य होता है; जैसेसतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, इत्यादि।

(उ) जिन शब्दों के अंत में 'आर', 'आय' वा 'आस' हो; जैसेविकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विलास, हास इत्यादि।

अप.सहाय (उभयलिंग), आय (स्त्रीलिंग)।

(ऊ) 'अ' प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसेक्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि।

अप.'जय' स्त्रीलिंग और 'विनय' उभयलिंग है।

(ऋ) 'त' प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसेचरित, फलित, गणित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि।

(ए) जिनके अंत में 'ख' होता है; जैसेनख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख इत्यादि।

स्त्रीलिंग

(अ) आकारांत संज्ञाएँ; जैसेदया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा इत्यादि।

(आ) नाकारांत संज्ञाएँ; जैसेप्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि।

(इ) 'उ' प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसेवायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, वस्तु, धातु, ऋतु इत्यादि।

अप.मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु इत्यादि।

(ई) जिनके अंत में 'ति' वा 'नि' होती है; जैसेगति, मति, जाति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, ऋद्धि इत्यादि।

(सू.अंत के तीन शब्द 'ति' प्रयत्यांत हैं, पर संधि के कारण उनका कुछ रूपांतर हो गया है।)

(उ) 'ता' प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ; जैसेनम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि।

(ऊ) इकारांत संज्ञाएँ; जैसेनिधि, विधि (रीति), परिधि, राशि, अग्नि (आग), छवि, केलि, रुचि इत्यादि।

अप.वारि, जलधि, पाणि, गिरि, आदि, बलि इत्यादि।

(ऋ) 'इमा' प्रत्ययांत शब्द; जैसेमहिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

3. उर्दू शब्द

पुंल्लिग

(अ) जिनके अंत में 'आब' होता है; जैसेगुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, इत्यादि।

अप.शराब, मिहराब, किताब, कमखाब, ताब इत्यादि।

(आ) जिनके अंत में 'आर' या 'आन' होता है; जैसेबाजार, इकरार, इश्तिहार, झनकार, अहसान, मकान, सामान, इम्तिहान इत्यादि।

अप.दूकान, सरकार (शासकवर्ग), तकरार।

(इ) जिसके अंत में 'ह' होता है। हिंदी में 'ह' बहुधा 'आ' होकर अंत्य स्वर में मिल जाता है; जैसेपरदा, गुस्सा, किस्सा, राता, चश्मा, तमगः (अप. तमगा) इत्यादि।

अप.दफा।

स्त्रीलिंग

(अ) ईकारांत भाववाचक संज्ञाएँ, जैसेगरमी, गरीबी, सरदी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, इत्यादि।

(आ) शकारांत संज्ञाएँ, जैसेनालिश, कोशिश, लाश, तलाश, बारिश, मालिश, इत्यादि।

अप.ताश, होश।

(इ) तकरांत संज्ञाएँ, जैसेदौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात, इत्यादि।

अप.शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त।

(ई) आकारांत संज्ञाएँ; जैसेहवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, बला (अप. बलाय) इत्यादि।

अप.'मजा' उभयलिंग और 'दगा' पुंल्लिग है।

(उ) 'तफईल' के वजन की संज्ञाएँ; जैसेतसबीर, तामील, जागीर, तहसील, तफसील इत्यादि।

(ऊ) हकरांत संज्ञाएँ; जैसेसुबह, तरह, राह, आह, सलाह, सुलह इत्यादि।

अप.माह, गुनाह।

262. कोई-कोई संज्ञाएँ दोनों लिंगों में आती हैं। इनके उदाहरण पहले आ चुके हैं; और उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। इन संज्ञाओं को उभयलिंग कहते हैं

आत्मा, कलम, गड़बड़, गेंद, घास, चलन, चालचलन, तमाखू, दरार, पुस्तक, पवन, बर्फ, विनय, श्वास, समाज, सहाय इत्यादि।

263. हिंदी के तीन चौथाई शब्द संस्कृत के हैं और तत्सम तथा तद्भव रूपों

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

में पाए जाते हैं। संस्कृत में पुंल्लिग या नपुंसक लिंग हिंदी में बहुधा पुंल्लिग और स्त्रीलिंग शब्द बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं। तथापि कई एक तत्सम और तद्भव शब्दों का मूल लिंग हिंदी में बदल गया है; जैसे

तत्सम शब्द

शब्द	सं. लिंग	हिं. लिं.
अग्नि (आग)	पुं.	स्त्री.
आत्मा	पुं.	उभय.
आयु.	न.	स्त्री.
जय	न.	स्त्री.
तारा	स्त्री.	पुं.
देवता	स्त्री.	पुं.
देह	पुं.	स्त्री.
पुस्तक	न.	उभय.
पवन	पुं.	उभय.
वस्तु	न.	स्त्री.
राशि	पुं.	स्त्री.
व्यक्ति	स्त्री.	पुं.
शपथ	पुं.	स्त्री.

तद्भव शब्द

तत्सम	सं. लिं.	तद्भव	हिं. लिं.
औषध	पुं.	औषधि	स्त्री.
औषधि	स्त्री.		
शपथ	पुं.	सौह	स्त्री.
बाहु	पुं.	बाँह	स्त्री.
बिंदु	पुं.	बुंद	स्त्री.
तंतु	पुं.	ताँत	स्त्री.
अक्षि	पुं.	आँण	स्त्री.

(सू.इन शब्दों का प्रयोग शास्त्री, पंडित आदि विद्वान् बहुधा संस्कृत के लिंगानुसार ही करते हैं।)

264. अरबी, फारसी, आदि उर्दू भाषाओं के शब्दों में भी इस हिंदी लिंगांतर के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं; अरबी का 'मुहावरत' (स्त्रीलिंग) हिंदुस्तानी में 'मुहावरा'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(पुंल्लिग) हो गया है। (प्लाट्स हिंदुस्तानी व्याकरण, पृ. 28)।

265. अँगरेजी शब्दों के संबंध में लिंगनिर्णय के लिए रूप और अर्थ दोनों का विचार किया जाता है।

(अ) कुछ शब्दों को उसी अर्थ के हिंदी का लिंग प्राप्त हुआ है; जैसे

कंपनीमंडलीस्त्री.	नंबरअंकपुं.
कोटअँगरखापुं.	कमेटीसभास्त्री.
बूटजूतापुं.	लेक्चरव्याख्यानपुं.
चेनसाँकलस्त्री.	वारंटचालानपुं.
लैंपदियापुं.	फीसदक्षिणास्त्री.

(आ) कई एक शब्द आकारांत होने के कारण पुंल्लिग और ईकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग हुए हैं; जैसे

पुं.सोडा, डेल्टा, केमरा इत्यादि।

स्त्री.चिमनी, गिनी, म्युनिसिपैल्टी, लायब्रेरी, हिस्ट्री, डिक्शनरी इत्यादि।

(इ) कई एक अँगरेजी शब्द दोनों लिंगों में आते हैं; जैसेस्टेशन, प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल।

(ई) कांग्रेस, कौंसिल, रिपोर्ट और अपील स्त्रीलिंग हैं।

266. अधिकांश सामासिक शब्दों का लिंग अंत्य शब्द के लिंग के अनुसार होता है; जैसेरसोईघर (पुं.), धर्मशाला (स्त्री.), माँ-बाप (पुं.) इत्यादि।

(सू.कई व्याकरणों में यह नियम व्यापक माना गया है पर दो-एक समासों में यह नियम नहीं लगता; जैसे'मंदमति' शब्द केवल कर्मधारय में स्त्रीलिंग है, परंतु बहुब्रीहि में पूरे शब्द का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है; जैसे'मंदमति बालक'।)

267. सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का लिंग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है; जैसे'महासभा' (स्त्री.), 'महामंडल' (पुं.), 'मर्यादा' (स्त्री.), 'शिक्षा' (स्त्री.), 'प्रताप' (पुं.), 'इंदु' (पुं.) 'रामकहानी' (स्त्री.), 'रघुवंश' (पुं.), दिल्ली (स्त्री.), आगरा (पुं.) इत्यादि।

स्त्रीप्रत्यय

268. अब उन विकारों का वर्णन किया जाता है जो संज्ञाओं में लिंग के कारण होते हैं। हिंदी में पुंल्लिग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीचे लिखे प्रत्यय आते हैं

ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ।

1. हिंदी शब्द

269. प्राणिवाचक आकारांत पुंल्लिग संज्ञाओं के अंत्य स्वर के बदले 'ई' लगाई जाती है; जैसे

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

लड़कालड़की	घोड़ाघोड़ी
बेटाबेटी	बकराबकरी
पुतलापुतली	गधागधी
चेलाचेली	चींटाचींटी

(अ) संबंधवाचक शब्द इसी वर्ग में आते हैं; जैसे

काकाकाकी	नानानानी
मामामामी, माई	सालासाली
दादादादी	भतीजाभतीजी
आजाआजी	भानजाभानजी

(सू.'मामा' का स्त्रीलिंग 'मुमानी' मुसलमानों में प्रचलित है।)

(आ) निरादर या प्रेम में कहीं-कहीं 'ई' के बदले 'इया' आता है और यदि अंत्याक्षर द्वित्व हो तो पहले व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे

कुत्ताकुतिया	बुड्ढाबुढ़िया
बच्छाबछिया	बेटाबिटिया

(इ) मनुष्येतर प्राणिवाचक त्रयक्षरी शब्दों में; जैसे

बंदरबंदरी	हिरनहिरनी	कुकरकुकरी
गीदड़गीदड़ी	मेंढ़कमेंढ़की	तीतरतीतरी

(सू.यह प्रत्यय संस्कृत शब्दों में भी आता है।)

270. ब्राह्मणेतर वर्णवाचक या व्यवसायवाचक और मुनष्येतर कुछ प्राणिवाचक संज्ञाओं के अंत्य स्वर में 'इन' लगाया जाता है; जैसे

सुनारसुनारिन	नातीनातिन	लुहारलुहारिन
अहीरअहीरिन	धोबीधोबिन	बाघबाघिन(राम.)
तेलीतेलिन	कुँजड़ाकुँजड़िन	साँपसापिन(राम.)

(अ) कई एक संज्ञाओं में 'नी' लगती है; जैसे

ऊँटऊँटनी	बाघबाघिनी	हाथीहथनी
मोरमोरनी	रीछरीछनी	सिंहसिंहनी
टहलुआटहलनी (सर.)		
हिंदुहिंदुवी (सत.)		

271. उपनामवाचक पुंल्लिग शब्दों के अंत में 'आइन' आदेश होता है; और जो आदि अक्षर का स्वर 'आ' हो तो उसे ह्रस्व कर देते हैं; जैसे

पाँड़ेपँड़ाइन	बाबूबबुआइन	दूबेदुबाइन
ठाकुरठकुराइन	पाठकपठकाइन	बनियाबनियाइन
मिसिरमिसिराइन	लाललालाइन	सुकुलसुकुलाइन

(अ) कई एक शब्द के अंत में 'आनी' लगाते हैं; जैसे

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

खत्रीखतरानी	देवरदेवरानी	सेठसेठानी
जेठजिठानी	मिहतरमिहतरानी	चौधरीचौधरानी
पंडितपंडितानी	नौकरनौकरानी	

(सू.यह प्रत्यय संस्कृत का है।)

(आ) आजकल विवाहिता स्त्रियों के नामों के साथ कभी-कभी पुरुषों के (पुंल्लिग) उपनाम लगाए जाते हैं; जैसेश्रीमती रामेश्वरीदेवी नेहरू (हि. को.)। कुमारी स्त्रियों के नाम के साथ उपनाम का स्त्रीलिंग रूप आता है; जैसे'कुमारी सत्यवती शास्त्रिणी' (सर.)।

272.कभी-कभी पदार्थवाचक अकारांत व आकारांत शब्दों में सूक्ष्मता के अर्थ में 'ई' वा 'इया' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं; जैसे

रस्सारस्सी	गगरागगरी, गगरिया
घंटाघंटी	डिब्बाडिब्बी, डिबिया
टोकराटोकरी	फोड़ाफुड़िया
लोटालोटिया	लठ्ठलठिया

(क) पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध पदार्थवाचक अकारांत वा ईकारांत शब्दों में विनोद के लिए स्थूलता के अर्थ में 'आ' जोड़कर पुंल्लिग बनाते हैं; जैसे,

घड़ीघड़ा	डालडाला
गठरीगठरा	लहरलहरा (भाषासार.)
चिट्ठीचिट्ठा	गुदड़ीगुदड़ा

273. कोई कोई पुंल्लिग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं; जैसे

भेड़भेड़ा	बहिनबहनोई	राँडरँडुआ
भैंसभैंसा	ननदननदोई	जीजीजीजा

274. कई एक स्त्रीप्रत्ययांत (और स्त्रीलिंग) शब्द अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए आते हैं, इसलिए उनके जोड़े के पुंल्लिग शब्द भाषा में प्रचलित नहीं है; जैसेसती, गाभिन, गर्भवती, सौत, सुहागिन, अहिवाती, धाय, इत्यादि। प्रायः इसी प्रकार के शब्द डाइन, चुड़ैल, अप्सरा आदि हैं।

275. कुछ शब्द रूप में परस्पर जोड़े के जान पड़ते हैं, पर यथार्थ में उनके अर्थ अलग अलग हैं; जैसे

साँड़ (बैल), साँड़नी (ऊँटनी), साँड़िया (ऊँट का बच्चा)।

डाकू (चोर), डाकिन, डाकिनी (चुड़ैल)।

भेड़ (भेड़े की मादा), भेड़िया (एक हिंसक जीवधारी, बृक)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

2. संस्कृत शब्द

276. कुछ पुंल्लिग संज्ञाओं में 'ई' प्रत्यय लगता है

(अ) व्यंजनांत संज्ञाओं में; जैसे

हिं.	संमू.	स्त्री.	हिं.	संमू.	स्त्री.
राजा	राजन्	राज्ञी	विद्वन्	विद्वस	विदुषी
युवा	युवन्	युवती	महान्	महत्	महती
भगवान्	भगवत्	भगवती	मानी	मानिन्	मानिनी
श्रीमान्	श्रीमत्	श्रीमती	हितकारी	हितकारिन्	हितकारिणी

(आ) अकारांत संज्ञाओं में, जैसे

पुत्रपुत्री	सुंदरसुंदरी
देवदेवी	गौरगौरी
कुमारकुमारी	पंचमपंचमी
दासदासी	तरुणतरुणी

(इ) ऋकारांत पुंल्लिग संज्ञाएँ हिंदी में आकारांत हो जाती हैं, अर्थात् वे संस्कृत प्रातिपदिकों से नहीं, किंतु प्रथमा विभक्ति के एकवचन से आई हैं, जैसे

हिं.	संमू.	स्त्री.	हिं.	संमू.	स्त्री.
कर्ता	कर्तृ	कर्त्री	ग्रंथकर्ता	ग्रंथकर्तृ	ग्रंथकर्त्री
धाता	धातृ	धात्री	जनयिता	जनयितृ	जनयित्री
दाता	दातृ	दात्री	कवयिता	कवयितृ	कवयित्री

277. कई एक संज्ञाओं और विशेषणों में 'आ' प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे

सुत	सुता	पंडित	पंडिता
बाल	बाला	शिव	शिवा
प्रिय	प्रिया	शूद्र	शूद्रा
महाशय	महाशया	वैश्य	वैश्या

(अ) 'अक' प्रत्ययांत शब्दों में 'अ' के स्थान में 'ई' हो जाती है; जैसे

पाठकपाठिका	बालकबालिका
उपदेशकउपदेशिका	पुत्रकपुत्रिका
नायकनायिका	

278. किसी-किसी देवता के नाम के आगे 'आनी' प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे

भवभवानी	वरुणवरुणानी
रुद्ररुद्राणी	शर्वशर्वाणी
इंद्रइंद्राणी	

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

279. किसी-किसी शब्द के दो-दो वा तीन-तीन स्त्रीलिंग रूप होते हैं; जैसेमातुलमातुली, मातुलानी। उपाध्यायउपाध्यायानी, उपाध्यायी (उसकी स्त्री), उपाध्याया (स्त्री शिक्षक)।

आचार्यआचार्या (वेदमंत्र सिखानेवाली), आचार्याणी (आचार्य की स्त्री)।

क्षत्रियक्षत्रियी (उसकी स्त्री), क्षत्रिया, क्षत्रियाणी (उस वर्ण की स्त्री)।

280. कोई-कोई स्त्रीलिंग नियमविरुद्ध होते हैं; जैसे

पुं.	स्त्री.
सखि (हि.सखा)	सखी
पति	पत्नी, पतिवंती (सधवा)

3. उर्दू शब्द

281. अधिकांश उर्दू पुंल्लिग शब्दों में हिंदी प्रत्यय लगाए जाते हैं; जैसेई

शाहजादाशाहजादी; मुर्गामुर्गी।

नीशेरशेरनी।

आनीमिहतरमिहतरानी, मुल्लामुल्लानी।

282. कई एक अरबी शब्दों में अरबी प्रत्यय 'ह' जोड़ा जाता है जो हिंदी में 'आ' हो जाता है; जैसे

वालिदवालिदा	खालूखाला
मलिकमलिका	साहबसाहबा
मुर्दईमुद्दइया	

(क) 'खान' की स्त्रीलिंग 'खानम' और बेग की 'बेगम' होता है।

283. कुछ अँगरेजी शब्दों में 'इन' लगाते हैं; जैसे

मास्टरमास्टरिन

डाक्टरडाक्टरिन

इंस्पेक्टरइंस्पेक्टरिन

284. हिंदी में कई एक पुंल्लिग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द दूसरे ही होते हैं, जैसे

राजारानी	पुरुषस्त्री
पितामाता	मर्द, आदमीऔरत
ससुरसास	पुत्रकन्या
सालासाली, सरहज	वरवधू
भाईबहिन, भावज	बेटाबहू, पतोहू
लोगलुगाई	साहबमेम(अँगरेजी)
नरमादा	बाबाबाई (क्वचित्)

(सू.जिन पुंल्लिग शब्दों के दो-दो स्त्रीलिंग रूप हैं, उनमें बहुधा अर्थ का अंतर

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

पाया जाता है। कारण यह है कि स्त्रीलिंग से केवल स्त्री जाति ही का बोध नहीं होता, वरन् उससे किसी की स्त्री का भी अर्थ सूचित होता है। 'चेली' कहने से केवल दीक्षिता स्त्री का ही बोध नहीं होता, वरन् चेले की स्त्री भी सूचित होती है, चाहे उस स्त्री ने दीक्षा न भी ली हो। जहाँ एक ही स्त्रीलिंग शब्द से ये दोनों अर्थ सूचित नहीं होते वहाँ स्त्रीलिंग में बहुधा दो शब्द आते हैं। 'साली' शब्द से केवल स्त्री की बहिन का बोध होता है, साले की स्त्री का नहीं, इसलिए इस पिछले अर्थ में 'सरहज' शब्द आता है। इसी प्रकार 'भाई' शब्द का दूसरा स्त्रीलिंग 'भावज' है जो भाई की स्त्री का बोधक है। यह शब्द 'संस्कृत' भ्रातृजाया से बना है। 'भावज' के दूसरे रूप 'भौजाई' और 'भाभी' हैं। 'बेटी' का पति 'दामाद' या 'जँवाई' कहलाता है।)

285. एकलिंग प्राणिवाचक शब्दों में पुरुष और स्त्री जाति का भेद करने के लिए उनके पूर्व क्रमशः 'पुरुष' और 'स्त्री' तथा मनुष्येतर प्राणिवाचक शब्दों के पहले 'नर' और 'मादा' लगाते हैं; जैसेपुरुष छात्र, स्त्री छात्र, नर चील, मादा चील, नर भेड़िया, मादा भेड़िया इत्यादि। 'मादा' शब्द को कोई कोई 'मादी' बोलते हैं। यह शब्द उर्दू का है।

दूसरा अध्याय

वचन

286. संज्ञा (और दूसरे विकारी शब्दों) के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं

(1) एकवचन (2) बहुवचन

287. संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं; जैसेलड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप।

288. संज्ञा के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं; जैसेलड़के, कपड़े, टोपियाँ, रंगों में, रूपों से इत्यादि।

(अ) आदर के लिए भी बहुवचन आता है; जैसे'राजा के बड़े बेटे आए हैं।' 'कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं' (शकु.)। 'तुम बच्चे हो' (शिव.)।

(टी.हिंदी के कई एक व्याकरणों में वचन का विस्तार कारक के साथ किया गया है, जिसका कारण यह है कि बहुत से शब्दों में बहुवचन के प्रत्यय विभक्तियों के बिना नहीं लगाए जाते। 'मूल रंग तीन हैं'इस वाक्य में 'रंग शब्द बहुवचन है, पर यह बात केवल क्रिया से तथा विधेय-विशेषण 'तीन' से जानी जाती है, पर स्वयं 'रंग' शब्द में बहुवचन का कोई चिह्न नहीं है क्योंकि यह शब्द विभक्तिरहित है। विभक्ति

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

के योग से 'रंग' शब्द का बहुवचन रूप 'रंगों' होता है; जैसे'इन रंगों में कौन अच्छा है?' वचन का विचार कारक के साथ करने का दूसरा कारण यह है कि कई शब्दों का विभक्तिरहित बहुवचन रूप विभक्तिसहित बहुवचन रूप से भिन्न होता है; जैसे'ये टोपियाँ उन टोपियों से छोटी हैं। इस उदाहरण में विभक्तिरहित बहुवचन 'टोपियाँ' और विभक्तिसहित बहुवचन 'टोपियों' रूप एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके सिवा संस्कृत में वचन का विचार विभक्तियों ही के साथ होता है; इसलिए हिंदी में भी उसी चाल का अनुकरण किया जाता है।

अब यहाँ प्रश्न है कि जब वचन और विभक्तियाँ एक दूसरे से इस प्रकार मिली हुई हैं, तब हिंदी में संस्कृत के अनुसार ही उनका एकत्र विचार क्यों न किया जाए? इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यह है कि हिंदी में वचन और विभक्ति का अलग विचार अधिकांश में सुभीते की दृष्टि से किया जाता है। संस्कृत में प्रातिपदिक (संज्ञा का मूल रूप) प्रथमा विभक्ति के एकवचन से भिन्न रहता है और इसी प्रातिपदिक में एकवचन, द्विवचन[1] और बहुवचन के प्रत्यय जोड़े जाते हैं परंतु हिंदी (और मराठी, गुजराती, अँगरेजी, आदि भाषाओं) में संज्ञा का मूल रूप ही प्रथमा विभक्ति (कर्ता कारक) में आता है। इसी मूल रूप में प्रत्यय लगाने से प्रथमा का बहुवचन बनता है; जैसेघोड़ाघोड़े, लड़की-लड़कियाँ आदि। दूसरे विभक्तिसहित कारकों में बहुवचन का जो रूप होता है वह प्रथमा (विभक्तिरहित कर्ताकारक) के बहुवचन रूप से भिन्न रहता है, और उस (रूप) में इस रूप का कुछ काम नहीं पड़ता; जैसेघोड़े, घोड़ों ने, घोड़ों को इत्यादि। इसलिए प्रथमा (विभक्तिरहित कर्ता) के दोनों वचनों का विचार कारकों से अलग ही करना पड़ेगा, चाहे वह वचन के साथ किया जाय, चाहे कारक के साथ। विभक्तिरहित बहुवचन का विचार इस अध्याय में करने से यह सुभीता होगा कि विभक्तियों के कारण संज्ञाओं में जो विकार होते हैं, वे कारक के अध्याय में स्पष्टतया बताए जा सकेंगे।

(सू.यहाँ विभक्तिरहित बहुवचन के नियम सुभीते के लिए लिंग के अनुसार अलग-अलग दिए जाते हैं।)

विभक्तिरहित बहुवचन बनाने के नियम

1. हिंदी और संस्कृत शब्द

(क) पुंल्लिग

289. हिंदी आकारांत पुंल्लिग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य 'आ' के स्थान में 'ए' लगाते हैं; जैसे

---

1. संस्कृत, जेंद, अरबी, इब्रानी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाओं में तीन वचन होते हैं, (1) एकवचन, (2) द्विवचन, (3) बहुवचन। द्विवचन से दो का और बहुवचन से दो से अधिक संख्या का बोध होता है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

लड़कालड़के	बच्चाबच्चे
बीघाबीघे	कपड़ाकपड़े
लोटालोटे	घोड़ाघोड़े
दूधवालादूधवाले	

अप.(1) साला, भानजा, भतीजा, बेटा आदि शब्दों को छोड़कर शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक और प्रतिष्ठावाचक आकारांत पुंल्लिग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है; जैसेकाकाकाका, आजाआजा, मामामामा, लालालाला, बाबा, नाना, दादा, राना, पंडा (उपनाम), सूरमा इत्यादि।

(सू.'बापदादा' शब्द का रूपांतर वैकल्पिक है; जैसे'उनके बापदादे हमारे बापदादे के आगे हाथ जोड़ के बातें किया करते थे' (गुटका.) 'बापदादे जो कर गए हैं, वही करना चाहिए' (ठेठ.)। 'जिनके बापदादा भेड़ की आवाज सुनकर डर जाते थे' (शिव.)। मुखिया, अगुआ और पुरखा शब्दों के भी रूप वैकल्पिक हैं।)

अप.(2) संस्कृत की ऋकारांत और नकारांत संज्ञाएँ जो हिंदी में आकारांत हो जाती हैं, बहुवचन में अविकृत रहती हैं; जैसेकर्ता, पिता, योद्धा, राजा, युवा, आत्मा, देवता, जामाता।

कोई-कोई लेखक 'राजा' शब्द का बहुवचन 'राजे' लिखते हैं; जैसे'तीन प्रथम राजे' (इंग्लैंड.)। हिंदी व्याकरणों में बहुवचन रूप 'राजा' ही पाया जाता है और कुछ स्थानों को छोड़, बोलचाल में भी सर्वत्र 'राजा' ही प्रचलित है। हम यहाँ शब्दों के शिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण देते हैं'सब राजा अपनी-अपनी सेना ले आन पहुँचे' (प्रेम.)। 'हम सुनते हैं कि राजा बहुत रानियों के प्यारे होते हैं' (शकु.)। 'छप्पन राजा तो उसके वंश में गद्दी पर बैठे चुके हैं।' (इति.)। 'सिंहासन के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं' (रघु.)।

'योद्धा' शब्द का बहुवचन हिंदी रघुवंश में एक जगह 'योद्धे' आया' है; जैसेमंत्री बहुत से योद्धे देकर'; परंतु अन्य लेखकों ने बहुवचन में 'योद्धा' ही लिखा है; जैसे'जितने घायल योद्धा बचे थे' (प्रेम.)। 'बड़े-बड़े योद्धा खड़े' (साखी.)। 'महाभारत' में भी 'योद्धा' शब्द बहुवचन में लिखा गया है; जैसे'अर्जुन ने कौरवों के अनगिनत योद्धा और सैनिक मार गिराए।'

(सू.यदि यौगिक शब्दों का पूर्व शब्द हिंदी का और आकारांत पुंल्लिग हो तो उत्तर शब्द के साथ बहुवचन में उसका भी रूपांतर होता है; जैसेलड़का-बच्चालड़के-बच्चे, छापाखाना-छापेखाने इत्यादि। अप.'बालाखाना' का बहुवचन 'बालखाने' होता है।)

अप.(3) व्यक्तिवाचक आकारांत पुंल्लिग संज्ञाएँ बहुवचन में (दे. अंक298) अविकृत रहती हैं; जैसेसुदामा, शतधन्वा, रामबोला इत्यादि।

290. हिंदी आकारांत पुंल्लिग शब्दों को छोड़ शेष हिंदी और संस्कृत पुंल्लिग शब्द दोनों वचनों में एक रूप रहते हैं; जैसे

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

व्यंजनांत संज्ञाएँहिंदी में व्यंजनांत संज्ञाएँ नहीं हैं। संस्कृत की अधिकांश व्यंजनांत संज्ञाएँ हिंदी में अकारांत पुंल्लिग हो जाती हैं; जैसेमनस् =मन, नामन्=नाम, कुमुद्=कुमुद, पंथिन्=पंथ इत्यादि। जो इने-गिने संस्कृत व्यंजनांत शब्द (जैसेविद्वान्, सुहृद्, भगवान्, श्रीमान् आदि) हिंदी में जैसे के तैसे आते हैं, उनका रूपांतर अकारांत पुंल्लिग शब्दों के समान होता है।

अकारांत (हिंदी)घरघर
(संस्कृत) बालकबालक
इकारांत हिंदी शब्द नहीं हैं।
(संस्कृत) मुनिमुनि
ईकारांत (हिंदी) भाईभाई
(संस्कृत) पक्षीपक्षी

(सू.हिंदी में संस्कृत की इन्नंत संज्ञाएँ ईकारांत (प्रथमा एकवचन) रूप में आती हैं। जैसेपक्षिन् =पक्षी, स्वामिन्=स्वामी, योगिन्=योगी, इत्यादि। राम. में 'करिन्' का रूप 'करि' आया है; जैसे'संग लाइ करिनी करि लेहीं। संस्कृत के मूल ईकारांत पुंल्लिग शब्द हिंदी में केवल गिनती के हैं; जैसेसेनानी।)

उकारांत हिंदी शब्द नहीं है।
(संस्कृत) साधुसाधु
ऊकारांत (हिंदी) डाकूडाकू
संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं है।
ऋकारांत हिंदी शब्द नहीं हैं।

संस्कृत शब्द हिंदी में आकारांत हो जाते हैं और दोनों वचनों में एक रूप रहते हैं। दे. अंक289, अप.2

एकारांत (हिंदी) चौबेचौबे
संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं।
ओकारांत (हिंदी) रासोरासो
संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं।
औकारांत (हिंदी) जौजौ
संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं।
अनुस्वार ओकारांत (हिंदी) कोदोंकोदों
संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं।

(सू.पिछले चार प्रकार के शब्द हिंदी में बहुत ही कम हैं।)

(ख) स्त्रीलिंग

291. अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत्य स्वर में बदले 'एँ' करने से बनता है; जैसे

बहिनबहिनें आँखआँखें

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

गायगायें	रातरातें
बातबातें	झीलझीलें

(सू.संस्कृत में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं हैं, पर हिंदी में संस्कृत के जो थोड़े से व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, वे बहुधा अकारांत हो जाते हैं; जैसेसमिध् समिध, सरित्=सरित, आशिस्=आशिस इत्यादि।

292. इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं में 'ई' को ह्रस्व करके अंत्य स्वर के पश्चात् 'याँ' जोड़ते हैं; जैसे

टोपीटोपियाँ	तिथितिथियाँ
रानीरानियाँ	रीतिरीतियाँ
नदीनदियाँ	राशिराशियाँ

(सू.(1) हिंदी में इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ संस्कृत की हैं, और ईकारांत संज्ञाएँ संस्कृत और हिंदी दोनों की हैं।)

(सू.(2) 'परीक्षा गुरु' में ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन यें' लगाकर बनाया गया है; जैसेटोपियें'। यह रूप आजकल अप्रचलित है।

(अ) याकारांत (ऊनवाचक) संज्ञाओं के अंत में केवल अनुस्वार लगाया जाता है; जैसे

लठियालाठियाँ	डिबियाडिबियाँ
लुटियालुटियाँ	गुड़ियागुड़ियाँ
बुढ़ियाबुढ़ियाँ	खटियाखटियाँ

(सू.कई लोग इन शब्दों का बहुवचन 'ये' वा 'ए' लगाकर बनाते हैं, जैसे चिड़ियाएँ, कुंडलियाएँ इत्यादि। ये रूप अशुद्ध हैं। इसका बहुवचन उन्हीं इकारांत शब्दों के समान होता है, जिनसे ये बने हैं।)

293. शेष स्त्रीलिंग शब्दों में अंत्य स्वर के परे 'एँ' लगाते हैं और 'ऊ' ह्रस्व कर देते हैं; जैसे

लतालताएँ		वस्तुवस्तुएँ
कथाकथाएँ		बहूबहुएँ
मातामाताएँ	गौगौएँ	लूलूएँ (सत.)

(सू.हिंदी में प्रचलित आकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत की कुछ ऋकारांत और व्यंजनांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ हिंदी में आकारांत हो जाती हैं; जैसेमातृमाता, दुहितृदुहिता, सीमन्सीमा, अप्सरस्अप्सरा इत्यादि।)

(1) आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विकल्प से 'यें' लगाते हैं। जैसेशालाशालायें, मातामातायें, अप्सराअप्सरायें इत्यादि।

(2) सानुस्वार ओकारांत और औकारांत संज्ञाएँ बहुवचन में बहुधा अविकृत रहती है; जैसेदौं, जोखों, सरसों, गौं इत्यादि। हिंदी में ये शब्द बहुत कम हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

294. कोई-कोई लेखक अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को छोड़ शेष स्त्रीलिंग संज्ञाओं को दोनों वचनों में एक ही रूप में लिखते हैं; जैसे'कोई देशों में ऐसी वस्तु उपजती है' (जीविका.)। 'ठौर ठौर हिगोट कूटने की चिकनी शिला रखी हैं' (शकु.)। 'पाती हैं दुख जहाँ राजकुल ही में नारी' (क.ज.)। ये प्रयोग अनुकरणीय नहीं हैं।

2. उर्दू शब्द

295. हिंदीगत उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनमें बहुधा हिंदी प्रत्यय लगाए जाते हैं; जैसेशाहजादाशाहजादे, बेगमबेगमें, इत्यादि; परंतु कानूनी हिंदी के लेखक उर्दू शब्द और कभी-कभी हिंदी शब्दों में भी उर्दू प्रत्यय लगाकर भाषा को क्लिष्ट कर देते हैं। उर्दू भाषा के बहुवचन के नियम यहाँ लिखे जाते हैं

(1) फारसी प्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बहुधा, 'आना' लगाने से बनता है; जैसेसाहबसाहबान, मालिकमालिकान, काश्तकारकाश्तकारान इत्यादि।

(अ) अंत्य 'ह' के बदले 'ग' और 'ई' के बदले 'इय' हो जाता है; जैसेबंदहबंदगान, बाशिंदहबाशिंदगान, पटवारीपटवारियान, मुत्सद्दीमुत्सद्दियान इत्यादि।

(2) फारसी अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन 'हा' लगाकर बनाते हैं; जैसेबारबारहा;, कूचकूचहा इत्यादि।

(3) फारसी अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन अरबी की नकल पर बहुधा 'आत' लगाकर भी बनाते हैं; जैसेकागजकागजात, दिह (गाँव) दिहात इत्यादि।

(अ) अंत्य 'ह' के बदले 'ज' हो जाता है; जैसेपरवानहपरवानजात, नामहनामजात इत्यादि।

(4) अरबी व्याकरण के अनुसार बहुवचन दो प्रकार का होता है

(क) नियमित, (ख) अनियमित।

(क) नियमित बहुवचन शब्द के अंत में 'आत' लगाने से बनता है; जैसेख्याल ख्यालात, इख्तियारइख्तियारात, मकानमकानात, मुकद्दमामुकद्दमात इत्यादि।

(ख) अनियमित बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आदि, मध्य और अंत में रूपांतर होता है; जैसेहुक्मअहकाम, हाकिमहुक्काम, कायदाकवाइद इत्यादि।

(5) अरबी अनियमित बहुवचन कई 'वजनों' पर बनता है

(अ) अफआल; जैसे

हुक्मअहकाम	तरफअतराफ
वक्तऔकात	खबरअखबार
हालअहवाल	शरीफअशराफ

(आ) फुऊल; जैसेहकहुकूक

(इ) फुअला; जैसेअमीरउमरा

(ई) अफइला; जैसेवलीऔलिया

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(उ) फुअआल; जैसेहाकिमहुक्काम

(ऊ) फआइल; जैसेअजीबअजाइब

(ऋ) फवाइल; जैसेकायदाकवाइद

(ए) फआलिअ; जैसेजौहरजवाहिर

(ऐ) फआलील; जैसेतारीखतवारीख

(6) कभी-कभी एक अरबी एकवचन के दुहरे बहुवचन बनते हैं, जैसे जौहरजवाहिरात, हुक्मअहकामात, दवाअदवियात इत्यादि।

(7) कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन में होता है, जैसेवारिदात, तहकीकात, अखबार, अशरफ, कवाइद, तवारीख (इतिहास), औलिया; औकात (स्थिति), अहवाल इत्यादि।

(8) कई एक उर्दू आकारांत पुंल्लिग शब्द, संस्कृत और हिंदी शब्दों के समान बहुवचन में अविकृत रहते हैं; जैसेसौदा, दरिया, मियाँ, मौला दारोगा इत्यादि।

296. जिन मनुष्यवाचक पुंल्लिग शब्द के रूप दोनों वचनों में एक से होते हैं, उनके बहुवचन में बहुधा 'लोग' शब्द का प्रयोग करते हैं; जैसे'ये ऋषि लोग आपके सम्मुख चले आते हैं' (शकु.)। 'आर्य लोग सूर्य उपासक थे' (इति.)। 'योद्धा लोग यदि चिल्लाकर अपने-अपने स्वामियों का नाम न बताते' (रघु.)।

(अ) 'लोग' शब्द मुनष्यवाचक पुंल्लिग संज्ञाओं के विकृत बहुवचन के साथ भी आता है। जैसे'लड़के लोग', 'चेले लोग', 'बनिये लोग' इत्यादि।

(आ) भारतेंदु जी 'लोग' शब्द का प्रयोग मनुष्येतर प्राणियों के नामों के साथ भी करते हैं; जैसे'पक्षी लोग' (सत्य.)। 'चिउँटी लोग' (मुद्रा.)। यह प्रयोग एकदेशीय है।

297. 'लोग' शब्द के सिवा गुण, जाति, जन, वर्ग, आदि समूहवाचक संस्कृत शब्द बहुवचन के अर्थ में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रकार का है

गण यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताओं और ग्रहों के नामों के साथ आता है, जैसेदेवतागण, अप्सरागण, बालकगण, शिक्षकगण, तारागण, ग्रहगण इत्यादि। 'पक्षिगण' भी प्रयोग में आता है। 'रामचरितमानस' में 'इंद्रियगण' आया है।

वर्ग, जाति ये शब्द 'जाति' के बोधक हैं जो बहुधा प्राणिवाचक शब्दों के साथ आते हैं; जैसेमनुष्यजाति, स्त्रीजाति (शकु.), जनकजाति (राम.), पशुजाति, बंधुवर्ग, पाठकवर्ग इत्यादि। इन संयुक्त शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन में होता है।

जन इसका प्रयोग बहुधा मुनष्यवाचक शब्दों के साथ है; जैसेभक्तजन, गुरुजन स्त्रीजन, इत्यादि।

(अ) कविता में इन समूहवाचक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है और उसमें इनके कई पर्यायवाची शब्द आते हैं; जैसेमुनिवृंद, मृगनिकर, जंतुसंकुल, अघओघ इत्यादि। समूहवाचक शब्दों के और उदाहरणबरूथ, पुंज, समुदाय, समूह, निकाय।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

298. संज्ञाओं के तीन भेदों में से बहुधा जातिवाचक संज्ञाएँ ही बहुवचन में आती हैं; परंतु जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, तब उसका भी बहुवचन होता है; जैसे'कहुरावण, रावण जग केते' (राम.)। 'उठती बुरी है भावनाएँ हाय मन ह्द्धाम में' (क.क.)। (दे. अंक105, 107)

(आ) जब 'पन' प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाना होता है, तब उनके आकारांत मूल शब्द में 'आ' के स्थान पर 'ए' आदेश कर देते हैं; जैसेसीधापन, सीधेपन आदि।

299. बहुधा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, परंतु जब किसी द्रव्य की भिन्न-भिन्न जातियाँ सूचित करने की आवश्यकता होती है तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है; जैसे'आजकल बाजार में कई तेल बिकते हैं।' 'दोनों सोने चोखे हैं।'

300. पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण वा समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं की प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है; जैसे'मेले में केवल शहर का आदमी आया।' 'उसके पास बहुत रुपया मिला।' 'इस साल नारंगी बहुत हुई है।'

301. कई एक शब्द (बहुत की भावना के कारण) बहुधा बहुवचन ही में आते हैं; जैसेसमाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य, दर्शन। उदाहरण'रिपु के समाचार।' 'आश्रम के दर्शन करके' (शकु.)। 'मलयकेतु के प्राण सूख गए' (मुद्रा.)। आम के आम; गुठलियों के दाम' (कहा.)। 'तेरे भाग्य खुल गए' (शकु.)। 'लोग कहते हैं।'

302. आदरार्थ बहुवचन में व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के आगे जी, महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी इत्यादि लगाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अलग-अलग है

जी यह शब्द नाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ आता है और साधारण नौकर से लेकर देवता तक के लिए इसका प्रयोग होता है; जैसेगया प्रसादजी, मिश्रजी, बाबूजी, पटवारीजी, चौधरीजी, रानीजी, सीताजी, गणेशजी। कभी-कभी इसका प्रयोग नाम और उपनाम के बीच होता है; जैसेमथुराप्रसादजी मिश्र।

महाराज इसका प्रयोग साधु, ब्राह्मण, राजा और देवता के लिए होता है। वह शब्द नाम अथवा उपनाम के आगे जोड़ा जाता है और बहुधा 'जी' के पश्चात् आता है; जैसेदेवदत्त महाराज, पांडेय जी महाराज, रणजीत सिंह महाराज, इंद्र महाराज इत्यादि।

साहबयह उर्दू शब्द बहुधा 'जी' के पर्याय में आता है। इसका प्रयोग नामों के साथ अथवा उपनामों वा पदों के साथ होता है; जैसेरमणलाल साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब, रायबहादुर साहब। इसका प्रयोग बहुधा ब्राह्मणों के नामों वा उपनामों के साथ नहीं होता। स्त्रियों के लिए प्रायः स्त्रीलिंग 'साहबा' शब्द आता है; जैसेमेम साहबा, रानी साहबा इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

महाशय, महोदयइन शब्दों का अर्थ प्रायः 'साहब' के समान है। 'महाशय' बहुधा साधारण लोगों के लिए और 'महोदय' बड़े लोगों के लिए आता है; जैसे'शिवदत्त महाशय', 'सर जेम्स मेस्टन महोदय' इत्यादि।

बहादुरयह शब्द राजा-महाराजाओं तथा बड़े-बड़े हाकिमों के नामों वा उपनामों के साथ आता है; जैसेकमलानंद सिंह बहादुर, महाराजा बहादुर, सरदार बहादुर। अँगरेजी नामों और पदों के साथ 'बहादुर' के पहले साहब आता है; जैसेहैमिल्टन साहब बहादुर, लाट साहब बहादुर इत्यादि।

शास्त्रीयह शब्द संस्कृत के विद्वानों के नामों में लगाया जाता है; जैसेरामप्रसाद शास्त्री।

स्वामी, सरस्वतीये शब्द महात्माओं के नामों के आगे आते हैं; जैसेतुलसीराम स्वामी, दयानंद सरस्वती। 'सरस्वती' शब्द स्त्रीलिंग है; तथापि यहाँ उसका प्रयोग पुंल्लिग में होता है। यह शब्द विद्वत्तासूचक भी है।

देवीब्राह्मण और कुलीन सधवा स्त्रियों के नामों के साथ बहुधा 'देवी' शब्द आता है; जैसेगायत्री देवी। किसी-किसी प्रांत में 'बाई' शब्द प्रचलित है; जैसेमथुरा बाई।

303. आदर के लिए कुछ शब्द नामों और उपनामों के पहले भी लगाए जाते हैं; जैसेश्री, श्रीयुक्त, श्रीयुत, श्रीमान्, श्रीमती, कुमारी, माननीय, महात्मा, अत्र भवान्। महाराज, स्वामी, महाशय आदि भी कभी-कभी नामों के पहले आते हैं। जाति के अनुसार पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द लगाए जाते हैं। 'श्रीयुक्त' वा 'श्रीयुत' की अपेक्षा 'श्रीमान्' अधिक प्रतिष्ठा का वाचक है।

(सू.इन आदसूचक शब्दों का वचन से कोई विशेष संबंध नहीं है; क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं और इनके कारण मूल शब्दों में कोई रूपांतर भी नहीं होता। तथापि जिस प्रकार लिंग में 'पुरुष', 'स्त्री', 'नर', 'मादा' और वचन में 'लोग', 'गण', 'जाति', आदि स्वतंत्र शब्दों का प्रत्यय मान लेते हैं, उसी प्रकार इन आदरसूचक शब्दों को आदरार्थ बहुवचन के प्रत्यय मानकर इनका संक्षिप्त विचार किया गया है। इनका विशेष विवेचन साहित्य का विषय है।)

तीसरा अध्याय

कारक

304. संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं; जैसे'रामचंद्रजी ने खारी जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बँधवा दिया है।' (रघु.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

इस वाक्य में 'रामचंद्रजी ने', 'समुद्र पर', 'बंदरों से' और 'पुल' संज्ञाओं के रूपांतर हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध 'बँधवा दिया' क्रिया के साथ सूचित होता है। 'जल के' 'जल' संज्ञा का रूपांतर है और उससे 'जल' का संबंध 'समुद्र' से माना जाता है। इसलिए 'रामचंद्रजी ने', 'समुद्र पर', 'जल के', 'बंदरों से' और 'पुल' संज्ञाओं के कारक कहलाते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति के योग से बने हुए रूप विभक्त्यंत शब्द वा पद कहलाते हैं।

(टी.जिस अर्थ में 'कारक' शब्द का प्रयोग संस्कृत व्याकरणों में होता है, उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है और न वह अर्थ अधिकांश हिंदी व्याकरणों में माना गया है। केवल 'भाषातत्त्वदीपिका' और 'हिंदी व्याकरण' में, जिनके लेखक महाराष्ट्री हैं, मराठी व्याकरण की रूढ़ि के अनुसार, 'कारक' और 'विभक्ति' शब्दों का प्रयोग प्रायः संस्कृत के अनुसार किया गया है। संस्कृत में क्रिया के साथ[1] संज्ञा (सर्वनाम और विशेषण) के अन्वय (संबंध) को कारक कहते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्वय सूचित होता है, उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, वे विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में सात विभक्तियाँ और छह कारक माने जाते हैं। षष्ठी विभक्ति को संस्कृत वैयाकरण कारक नहीं मानते, क्योंकि उसका संबंध क्रिया से नहीं है।

संस्कृत में कारक और विभक्ति को अलग मानने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि एक ही विभक्ति कई कारकों में आती है। यह बात हिंदी में भी है; जैसेघर गिरा, किसान घर बनाता है, घर बनाया जाता है, लड़का घर गया। इन वाक्यों में घर शब्द (संस्कृत व्याकरण के अनुसार) एक ही रूप (विभक्ति) में आकर क्रिया के साथ अलग-अलग संबंध (कारक) सूचित करता है। इस दृष्टि से कारक और विभक्ति अवश्य ही अलग-अलग हैं और संस्कृत सरीखी रूपांतरशील और पूर्ण भाषा में इनका भेद मानना सहज और उचित है।

हिंदी में कारक और विभक्ति को एक मानने की चाल कदाचित् अँगरेजी व्याकरण का फल है, क्योंकि सबसे प्रथम हिंदी व्याकरण[2] पादरी आदम साहब ने लिखा था। इस व्याकरण में 'कारक' शब्द आया है, परंतु 'विभक्ति' शब्द का नाम पुस्तक भर में कहीं नहीं है। दो-एक लेखकों के लिखने पर भी आज तक के हिंदी व्याकरणों में कारक और विभक्ति का अंतर नहीं माना गया है। हिंदी वैयाकरणों के विचार में इन दोनों शब्दों के अर्थ की एकता यहाँ तक स्थिर हो गई है कि व्यासजी सरीखे संस्कृत के विद्वान् ने भी 'भाषाप्रभाकर'[3] में विभक्ति के बदले 'कारक' शब्द का प्रयोग

1. क्रियान्वयित्वं कारकत्वं।
2. यह एक बहुत ही छोटी पुस्तक है और इसके प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में भाषा की विदेशी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तथापि इसमें व्याकरण के कई शुद्ध और उपयोगी नियम दिए गए हैं।
3. यह पुस्तक तारणपुर के जमींदार बाबू रामचरणसिंह की लिखी हुई है परंतु इसका संशोधन स्वर्गवासी पं. अंबिकादत्त व्यास ने किया था।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

किया है। हाल में पं. गोविंदनारायण मिश्र ने अपने 'विभक्ति विचार' में लिखा है कि ''स्वर्गीय पं. दामोदर शास्त्री से ही, संभव है कि सबसे पहले स्वरचित व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों के प्रयोग का यथोचित खंडन कर प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्ति शब्द का प्रयोग उनके बदले में करने के साथ ही इसका युक्तियुक्त प्रतिपादन भी किया था।'' इस तरह से इस बहुत ही पुरानी भूल को सुधारने की ओर आजकल लेखकों का ध्यान हुआ है। अब हमें यह देखना चाहिए कि इस भूल को सुधारने से हिंदी व्याकरण को क्या लाभ हो सकता है।

हिंदी में संज्ञाओं की विभक्तियों (रूपों) की संख्या संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम है और विकल्प से बहुधा कई एक संज्ञाओं की विभक्तियों का लोप हो जाता है। संज्ञाओं का अपेक्षा सर्वनामों के रूप हिंदी में कुछ अधिक निश्चित हैं, पर उसमें भी कई शब्दों की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्तियाँ बहुधा दो-दो कारकों में आती हैं। हिंदी संज्ञाओं की एक विभक्ति कभी-कभी चार कारकों में आती है; जैसेमेरा हाथ दुखता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, नौकर के हाथ चिट्ठी भेजी गई, चिड़िया हाथ न आई। इन उदाहरणों में 'हाथ' संज्ञा (संस्कृत व्याकरण के अनुसार) एक ही (प्रथमा) विभक्ति में है और वह क्रमशः कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण कारकों में आई है। इनमें से कर्ता की विभक्ति को छोड़ शेष विभक्तियों के अध्याहृत प्रत्यय वक्ता व लेखक के इच्छानुसार व्यक्त भी किए जा सकते हैं; जैसेउसने मेरे हाथ को पकड़ा; नौकर के हाथ से चिट्ठी भेजी गई, चिड़िया हाथ में न आई। ऐसी अवस्था में प्रायः एक ही रूप और अर्थ के शब्दों को कभी प्रथमा, कभी द्वितीया, कभी तृतीया और कभी सप्तमी विभक्ति में मानना पड़ेगा। केवल रूप के अनुसार विभक्ति मानने से हिंदी में 'प्रथमा', 'द्वितीया' आदि कल्पित नामों में भी बड़ी गड़बड़ी होगी। संस्कृत में शब्दों के रूप बहुधा निश्चित और स्थिर हैं, इसलिए जिन कारणों से उसमें कारक और विभक्ति का भेद मानना उचित है, इन्हीं कारणों से हिंदी में वह भेद मानना कठिन जान पड़ता है। हिंदी में अधिकांश विभक्तियों का रूप केवल अर्थ से निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि रूपों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए इस भाषा में विभक्तियों के सार्थक नाम कर्ता, कर्म आदि ही उपयोगी जान पड़ते हैं।

हिंदी के जिन वैयाकरणों ने कारक और विभक्ति का अंतर हिंदी में मानने की चेष्टा की है, वह भी इनकी विवेचना समाधानपूर्वक नहीं कर सके हैं। पं. केशवराम भट्ट ने अपने 'हिंदी' व्याकरण' में संज्ञाओं के केवल दो कारककर्ता और कर्म तथा पाँच रूपपहला, दूसरा, तीसरा आदि माने हैं। 'विभक्ति' शब्द का प्रयोग उन्होंने 'प्रत्यय' के अर्थ में किया है और अपने माने हुए दोनों कारकों का लक्षण इस प्रकार बताया है'क्रिया के संबंध में संज्ञा की जो दो विशेष अवस्थाएँ होती हैं, उनको कारक कहते हैं।' इस लक्षण के अनुसार जिन करण संप्रदान आदि संबंधों को संस्कृत वैयाकरण 'कारक' मानते हैं वे भी कारक नहीं कहे जा सकते। तब फिर इन पिछले

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

संबंधों को 'कारक' के बदले और क्या कहना चाहिए? आगे चलकर 'विभक्ति' शीर्षक लेख में भट्ट जी संज्ञाओं के रूपों के विषय में लिखते हैं कि 'अलग अलग पाँच ही रूपों से कारक आदि संज्ञाओं की विभिन्न अवस्थाएँ पहचानी जाती हैं।' इसमें आदि शब्द से जाना जाता है कि संज्ञा की केवल दो विशेष अवस्थाओं को कोई नाम देने की आवश्यकता ही नहीं। 'हिंदी व्याकरण' में कई नियम संस्कृत व्याकरण के अनुसार सूत्र रूप देने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए इस पुस्तक में यह बात कहीं स्पष्ट नहीं हुई है कि 'अवस्था' शब्द 'संबंध' के अर्थ में आया है या 'रूप' के अर्थ में, और न कहीं इस बात का विवेचन किया गया है कि केवल दो विशेष अवस्थाएँ ही 'कारक' क्यों कहलाती हैं? कारक का जो लक्षण किया गया है वह लक्षण नहीं, किंतु वर्गीकरण का वर्णन है और उसकी वाक्यरचना स्पष्ट नहीं है। भट्ट जी ने संज्ञाओं के जो पाँच रूप माने हैं (जिनको कभी-कभी वे 'विभक्ति' भी कहते हैं), उनमें से तीसरी और पाँचवीं विभक्तियों को उन्होंने 'लुप्त अवस्था' में आने पर उन्हीं विभक्तियों के अंतर्गत माना है, पर दूसरी विभक्ति को कहीं उसी में और कहीं पहली में लिया है। हिंदी में संबोधन कारक का रूप इन पाँचों विभक्तियों से भिन्न है; पर यह भी संस्कृत के अनुसार प्रथमा में मान लिया गया है; इसके सिवा हिंदी में षष्ठी ('हिं. व्या.' की 'चौथी') विभक्ति का अभाव है, क्योंकि उसके बदले तद्धित प्रत्यय 'काकेकी' आते हैं, परंतु भट्ट जी ने तद्धित प्रत्ययांत पद को भी विभक्ति मान लिया है। साहित्याचार्य पं. रामावतार शर्मा ने 'व्याकरणसार' में 'विभक्ति' शब्द को उस रूपांतर के अर्थ में प्रयुक्त किया है, जो कारक के प्रत्यय लगने के पूर्व संज्ञाओं में होता है। आपके मतानुसार हिंदी में केवल दो विभक्तियाँ हैं।

इस विवेचन का सार यही है कि हिंदी में विभक्ति और कारक का सूक्ष्म अंतर मानने में बड़ी कठिनाई है। इससे हिंदी व्याकरण की क्लिष्टता बढ़ती है और जब तक उनकी समाधानकारक व्यवस्था न हो, तब तक केवल वाद-विवाद के लिए उन्हें व्याकरण में रखने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमने 'कारक' और 'विभक्ति' शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुकूल अर्थ में किया है; और प्रथमा, द्वितीया आदि कल्पित नामों के बदले, कर्म आदि सार्थक नाम लिखे हैं।

305. हिंदी में आठ कारक हैं। इनके नाम, विभक्तियाँ और लक्षण नीचे दिए जाते हैं

	कारक	**विभक्तियाँ**
(1)	कर्ता	ने
(2)	कर्म	को
(3)	करण	से
(4)	संप्रदान	को
(5)	अपादान	से

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(6)	संबंध	का-के-की
(7)	अधिकरण	में, पर
(8)	संबोधन	हे, अजी, अहो, अरे

(1) क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं; जैसेलड़का सोता है। नौकर ने दरवाजा खोला। चिट्ठी भेजी जायगी।

(टी.कर्ता कारक का यह लक्षण दूसरे व्याकरणों में दिए हुए लक्षणों से भिन्न है। हिंदी में कारक और विभक्ति का संस्कृतरूढ़ अंतर न मानने के कारण इस लक्षण की आवश्यकता हुई है। इसमें केवल व्यापार के आश्रय ही का समावेश नहीं होता; किंतु स्थितिदर्शक और विकारदर्शक क्रियाओं के कर्ताओं का भी (जो यथार्थ में व्यापार के आश्रय नहीं हैं) समावेश हो सकता है। इसके सिवा सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य में कर्म का जो मुख्य रूप होता है उसका भी समावेश इस लक्षण में हो जाता है।)

(2) जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं; जैसे'लड़का पत्थर फेंकता है।' 'मालिक ने नौकर को बुलाया।'

(3) करण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है; जैसे'सिपाही चोर को रस्सी से बाँधता है।' 'लड़के ने हाथ से फल तोड़ा।' मनुष्य आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं।'

(4) जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसकी वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं; जैसे'राजा ने ब्राह्मण को धन दिया।' 'शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं।' 'लड़का नहाने को गया है।'

(5) अपादान कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है; जैसे'पेड़ से फल गिरा।' 'गंगा हिमालय से निकलती है।'

(6) संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है उस रूप को संबंध कारक कहते हैं; जैसेराजा का महल, लड़के की पुस्तक, पत्थर के टुकड़े इत्यादि। संबंध कारक का रूप संबंधी शब्द के लिंग वचन के कारण बदलता है। (दे. अंक303-4)

(7) संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है; जैसे'सिंह वन में रहता है।' 'बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं।'

(8) संज्ञा के जिस रूप से किसी को चिताना या पुकारना सूचित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं; जैसे'हे नाथ! मेरे अपराधों को क्षमा करना।' 'छिपे हो कौन से परदे में बेटा!' 'अरे लड़के, इधर आ।'

(सू.कारकों के विशेष प्रयोग और अर्थ वाक्यविन्यास के कारक प्रकरण में लिखे जायँगे।)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

विभक्तियों की व्युत्पत्ति

306. हिंदी की अधिकांश विभक्तियाँ प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हैं, परंतु इन भाषाओं के विरुद्ध हिंदी की विभक्तियाँ दोनों वचनों में एक रूप रहती हैं। इन विभक्तियों को कोई-कोई वैयाकरण प्रत्यय नहीं मानते, किंतु संबंधसूचक अव्ययों में गिनते हैं। विभक्तियों और संबंधसूचक अव्ययों का साधारण अंतर पहले (दे. अंक232...ग) बताया गया है और आगे इसी अध्याय (अंक...344...345) में बताया जायगा। यहाँ केवल विभक्तियों की व्युत्पत्ति केवल दो-एक व्याकरणों में संक्षेपतः लिखी गई है, पर इसका सविस्तार विवेचन विलायती विद्वानों ने किया है। मिश्र जी ने भी अपने 'विभक्ति-विचार' में इस विषय की योग्य समालोचना की है। तथापि हिंदी विभक्तियों की व्युत्पत्ति बहुत ही विवादग्रस्त विषय है। इसमें बहुत कुछ मूल शोध की आवश्यकता है और जब तक अपभ्रंश प्राकृत और प्राचीन हिंदी के बीच की भाषा का पता न लगे तब तक यह विषय बहुधा अनुमान ही रहेगा।

(1) **कर्ता कारक**इस कारक के अधिकांश प्रयोगों में कोई विभक्ति नहीं आती। हिंदी आकारांत पुंल्लिग शब्दों को छोड़कर शेष पुंल्लिग शब्दों का मूल रूप ही इस कारक के दोनों वचनों में आता है। पर स्त्रीलिंग में शब्दों और आकारांत पुंल्लिग शब्दों के बहुवचन में रूपांतर होता है, जिसका विचार वचन के अध्याय में हो चुका है। विभक्ति का यह अभाव सूचित करने के लिए ही कर्ता कारक को विभक्तियों में चिह्न लिख दिया जाता है। हिंदी में कर्ता कारक की कोई विभक्ति (प्रत्यय) न होने का कारण यह है कि प्राकृत में अकारांत और आकारांत पुंल्लिग संज्ञाओं को छोड़ शेष पुंल्लिग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं का प्रथमा (एकवचन) विभक्ति में कोई प्रत्यय नहीं है और संस्कृत के कई एक तत्सम शब्द भी हिंदी में प्रथमा एकवचन रूप में आए हैं।

हिंदी में कर्ता कारक की जो 'ने' विभक्ति आती है, वह यथार्थ में संस्कृत की तृतीया विभक्ति (करण कारक) के 'ना' प्रत्यय का रूपांतर है; परंतु हिंदी में 'ने' का प्रयोग संस्कृत 'न' के समान करण (साधन) के अर्थ में कभी नहीं होता। इसलिए उसे हिंदी करण कारक की (तृतीया) विभक्ति नहीं मानते। ('ने' का प्रयोग वाक्य-विन्यास के कारक प्रकरण में लिखा जायगा)। यह 'ने' विभक्ति पश्चिमी हिंदी का एक विशेष चिह्न है, पूर्वी हिंदी (और बंगला, उड़िया आदि भाषाओं) में इसका प्रयोग नहीं होता। मराठी में इसके दोनों वचनों के रूप क्रमशः, 'ने' और 'नी' है। 'ने' विभक्ति को अधिकांश (देशी और विदेशी) वैयाकरण संस्कृत के 'ना' (प्रा.एण) से व्युत्पन्न मानते हैं और उसके प्रयोग से हिंदी रचना भी प्रायः संस्कृत के अनुसार होती है। परंतु कैलाश साहब बीम्स साहब के मत के आधार पर उसे 'लग्' (संगे) धातु के भूतकालिक कृदंत 'लग्य' वा अपभ्रंश मानकर यह सिद्ध करने की चेष्टा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

करते हैं कि हिंदी की विभक्तियाँ प्रत्यय नहीं हैं, किंतु संज्ञाओं और दूसरे शब्दभेदों के अवशेष हैं। प्राकृत में इस विभक्ति का रूप एकवचन में 'एण' और अपभ्रंश में 'ऐं' है।

(2) **कर्म कारक** इस कारक की विभक्ति 'को' है, पर बहुधा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, और तब कर्म कारक की संज्ञा का रूप दोनों वचनों में कर्ता कारक ही के समान होता है। यही 'को' विभक्ति संप्रदान कारक भी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी में कर्म कारक का कोई निज का रूप नहीं है। इसका रूप यथार्थ में कर्म और संप्रदान कारकों में बँटा हुआ है। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में व्यास जी 'भाषा प्रभाकर' में, बीम्स साहब के मतानुसार, लिखते हैं कि 'कदाचित् यह स्वार्थिक 'क' से निकला हो पर सूक्ष्म संबंध इसका संस्कृत से जान पड़ता है, जैसेकक्षं ==कक्खं,=काखं=काहं=काहूँ=कहूँ=कौं=कों=को।' इस लंबी व्युत्पत्ति का खंडन करते हुए मिश्र जी ने अपने 'विभक्ति विचार' में लिखा है कि कात्यायन ने अपने व्याकरण में **अम्हाकं, पस्ससि, सब्बको, यको, अमुको** आदि उदाहरण दिए हैं। और 'तुम्हाम्हेन आकं' सब्बतो को' आदि सूत्रों से 'तुम्हाकं', 'अम्हाकं' 'अम्हे' आदि अनेक रूपों को सिद्ध किया है। प्राकृत के इन रूपों से ही 'हिंदी में हमको, हमें, तुमको, तुम्हें आदि रूप बने हैं और इनके आदर्श पर ही द्वितीया विभक्ति चिह्न 'को' सब शब्दों के संग प्रचलित हो गया।' इन दोनों युक्तियों में कौन सी ग्राह्य है, यह बताना कठिन है, क्योंकि दोनों ही अनुमान है और इनको सिद्ध करने के लिए प्राचीन हिंदी के कोई उदाहरण नहीं मिलते। 'विभक्ति विचार' में 'कहँ' 'कहुँ' आदि की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

(3) **करण कारक**इसकी विभक्ति 'से' है। यही प्रत्यय अपादान कारक का भी है। कर्म और संप्रदान कारकों की विभक्ति के समान हिंदी में करण और अपादान कारकों की विभक्ति भी एक ही है। मिश्र जी के मत में यह 'से' विभक्ति प्राकृत की पंचमी विभक्ति 'सुन्तो' से निकली है और इसी से हिंदी के अपादान कारक के प्राचीन रूप 'ते', 'सो' आदि व्युत्पन्न हुए हैं। चंद के महाकाव्य के अपादान के अर्थ में 'हूँतो' और 'हुँत' आए हैं, जो प्राकृत की पंचमी से दूसरे प्रत्यय 'हिंतो' से निकलते हैं। हार्नली साहब का मत भी प्रायः ऐसा ही है; पर कैलाग साहब, जो सब विभक्तियों को स्वतंत्र शब्दों के टूटे-फूटे रूप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, इस विभक्ति को संस्कृत के 'सम' शब्द का रूपांतर मानते हैं। 'से' की व्युत्पत्ति के विषय में मिश्र जी (और हार्नली साहब) का मत ठीक जान पड़ता है; परंतु इन विद्वानों में से किसी ने यह नहीं बतलाया कि हिंदी में 'से' विभक्ति करण और अपादान दोनों कारकों में क्योंकर प्रचलित हुई; जब कि संस्कृत और प्राकृत में दोनों कारकों के लिए अलग अलग विभक्तियाँ हैं। 'भाषा प्रभाकर' में जहाँ और विभक्तियों की व्युत्पत्ति बताने की चेष्टा की गई है, वहाँ 'से' का नाम तक नहीं है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(4) **संबंध कारक** इस कारक की विभक्ति 'का' है। वाक्य में जिस शब्द के साथ संबंध कारक का संबंध होता है, उसे भेद्य कहते हैं और भेद्य के संबंध से संबंध कारक को भेदक कहते हैं। 'राजा का घोड़ा' इस वाक्यांश में 'राजा का' भेदक और 'घोड़ा' भेद्य है। संबंध कारक की विभक्ति 'का' भेद्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर 'की' और 'के' हो जाती है। हिंदी की और और विभक्तियों के समान 'का' विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों का मत एक नहीं है। उनके मतों का सार नीचे दिया जाता है

(अ) संस्कृत में इक, ईन, इय प्रत्यय संज्ञाओं में लगने से 'तत्संबंधी' विशेषण बनते हैं; जैसेकाया-कायिक, कुल-कुलीन, राष्ट्र-राष्ट्रीय। 'इक' से हिंदी में 'का', 'ईन', से गुजराती में 'नो' और 'इय' से सिंधी में 'जो' और मराठी में 'चा' आया है।

(आ) प्रायः इसी अर्थ में संस्कृत में एक प्रत्यय 'क' आता है, जैसेमद्रकमद्रदेश में उत्पन्न, रोमक=रोम देश संबंधी आदि। प्राचीन हिंदी में वर्तमान 'का' के स्थान में 'क' पाया जाता है; जैसे'पितु आयस सब धर्मक टीका' (राम.)। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिंदी 'का' संस्कृत से 'क' प्रत्यय से निकला है।

(इ) प्राकृत में 'इदं' (संबंध) अर्थ में 'केरओ', केरिआ', 'केरक', 'केर' आदि प्रत्यय आते हैं, जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; जैसेकस्यकेरकं एवं पचहणं (सं. कस्य संबंधिनं इदं प्रवहणं) किसका यह वाहन (है)। इन्हीं प्रत्ययों से रासो की प्राचीन हिंदी के केरा, केरो आदि प्रत्यय निकले हैं, जिनसे वर्तमान हिंदी के 'का के की' प्रत्यय बने हैं।

(ई) क्क, इक्क, एच्चय आदि प्राकृत के इदमर्थ के प्रत्ययों से ही रूपांतरित होकर वर्तमान हिंदी के 'का के की' प्रत्यय सिद्ध हुए दिखते हैं।

(उ) सर्वनामों के रा रे री प्रत्यय केरा, केरो आदि प्रत्ययों के आद्य 'क' का लोप करने से बने हुए समझे जाते हैं। (मारवाड़ी तथा बँगला में ये अथवा इन्हीं के समान प्रत्यय संज्ञाओं के संबंधकारक में आते हैं।)

इस मत-मतांतर से जान पड़ता है कि हिंदी के संबंध कारक की विभक्तियों की व्युत्पत्ति निश्चित नहीं है। तथापि यह बात प्रायः निश्चित है कि ये विभक्तियाँ संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति से नहीं निकली हैं; किंतु किसी तद्धित प्रत्यय से व्युत्पन्न हुई है।

(5) **अधिकरण कारक** इनकी दो विभक्तियाँ हिंदी में प्रचलित हैं'में' और 'पर'। इनमें से 'पर' को अधिकांश वैयाकरण संस्कृत 'उपरि' का अपभ्रंश मानकर विभक्तियों में नहीं गिनते। 'उपरि' का एक और अपभ्रंश 'ऊपर' हिंदी में संबंधसूचक के समान भी प्रचलित है। 'विभक्ति विचार' में मिश्र जी ने 'लिए', 'निमित्त' आदि के समान 'पर' (पै) को भी स्वतंत्र शब्द माना है, पर उनकी व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं लिखा है। यथार्थ में 'पर' शब्द स्वतंत्र ही है; क्योंकि यह संस्कृत वा प्राकृत

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

की किसी विभक्ति वा प्रत्यय से नहीं निकला है। 'पर' को अधिकरण कारक की विभक्ति मानने का कारण यह है कि अधिकरण से जिस आधार का बोध होता है, उसके सब भेद अकेले 'में' से सूचित नहीं होते, जैसा संस्कृत की सप्तमी विभक्ति से होता है।

'में' की व्युत्पत्ति के विषय में भी मतभेद है और इसके मूलरूप का निश्चय नहीं हुआ है। कोई इसे संस्कृत 'मध्ये' का और कोई प्राकृत सप्तमी विभक्ति 'म्मि' का रूपांतर मानते हैं। मिश्र जी लिखते हैं कि यदि 'में' संस्कृत 'मध्ये' का अपभ्रंश होता तो 'में' के साथ ही 'माँझ', 'मँझार', 'मधि' आदि का प्रयोग हिंदी में न होता। गुजराती का सप्तमी का प्रत्यय 'माँ' इसी (पिछले) मत को पुष्ट करता है, अर्थात् 'में' प्राकृत 'म्मि' का अपभ्रंश है।

(6) संबोधन कारककोई-कोई वैयाकरण इसे अलग कारक नहीं गिनते। किंतु कर्ता कारक के अंतर्गत मानते हैं। संबंध कारक के समान यह कारक में इसलिए नहीं गिना जाता कि इन दोनों कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नहीं होता। संबंध कारक का अन्वय तो क्रिया के परोक्ष रूप से होता भी है, परंतु संबोधन कारक का अन्वय वाक्य में किसी शब्द के साथ नहीं होता, इसको केवल इसीलिए कारक मानते हैं कि इस अर्थ में संज्ञा का स्वतंत्र रूप पाया जाता है। संबोधन कारक की कोई अलग विभक्ति नहीं है; परंतु और और कारकों के समान इसके दोनों वचनों में संज्ञा का रूपांतर होता है। विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा से पहले बहुधा हे, हो, अरे, अजी आदि विस्मयादिबोधक अव्यय लगाए जाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग विस्मयादिबोधक अव्यय के अध्याय में दिए गए हैं।

307. विभक्तियाँ चरम प्रत्यय कहलाती हैं, अर्थात् उनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं आते। इस लक्षण के अनुसार विभक्तियों और दूसरे प्रत्ययों का अंतर स्पष्ट हो जाता है; जैसेसंसार भर के ग्रंथगिरि पर' (भारत.)। इस वाक्यांश में 'भर' शब्द विभक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पश्चात् 'के' विभक्ति आई है। इस 'के' के पश्चात् भर, तक, वाला आदि कोई प्रत्यय नहीं आ सकते। तथापि हिंदी में अधिकरण कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा संबंध वा अपादान कारक की विभक्ति आती है; जैसे'हमारे पाठकों में से बहुतेरों ने' (भारत)। 'नंद उसको आसन पर से उठा देगा। (मुद्रा.)। 'तट पर से' (शिव.)। 'कुएँ में का मेंढक।' 'जहाज पर के यात्री' इत्यादि।

(अ) संबंध कारक के साथ कभी-कभी जो विभक्ति आती है, वह भेद के अध्याहार के कारण आती है; जैसे'इस राँड़ के ( ) को बकने दीजिए (शकु.)।' यह काम किसी के घर के ( ) ने किया है।' कभी-कभी संबंध कारक को संज्ञा मानकर उसका बहुवचन भी कर देते हैं; जैसेयह काम घरकों ने किया है। (घरकों ने =घरवालों ने)

308. कोई-कोई विभक्तियाँ कुछ अव्ययों में भी पाई जाती हैं; जैसे

कोकहाँ को, यहाँ को, आगे को।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

सेकहाँ से, वहाँ से, आगे से।
काकहाँ का, जहाँ का, जब का।
परयहाँ पर, जहाँ पर।

संज्ञाओं की कारक रचना

309. विभक्तियों के योग के पहले संज्ञाओं का जो रूपांतर होता है उसे विकृत रूप कहते हैं; जैसे'घोड़ा' शब्द के 'ने' विभक्ति के योग से एकवचन में 'घोड़े' और बहुवचन में 'घोड़ों' हो जाता है। इसलिए 'घोड़े' और 'घोड़ों' विकृत रूप हैं। विभक्तिरहित कर्ता और कर्म को छोड़कर और शेष कारक, जिनमें संज्ञा वा सर्वनाम का विकृत रूप आता है, **विकृत कारक** कहलाते हैं।

310. एकवचन में विकृत रूप का प्रत्यय 'ए' है, जो केवल हिंदी और उर्दू (तद्भव) आकारांत पुंल्लिग संज्ञाओं में लगाया जाता है; जैसेलड़कालड़के ने, घोड़ाघोड़े ने, सोनासोने का, परदापरदे में, अंधाहे अंधे, इत्यादि (दे. अंक289)

(क) हिंदी आकारांत संज्ञाओं वा विशेषणों में 'पन' से जो भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, उनके आगे विभक्ति आने पर मूल संज्ञा वा विशेषण का रूप विकृत होता है; जैसेकड़ापनकड़ेपन को, गुंडापनगुंडेपन से, बहिरापनबहिरेपन में इत्यादि।

अप.(1) संबोधन कारक 'बेटा' में शब्दों का रूप बहुधा नहीं बदलता; जैसेअरे बेटा आँख खोलो' (सत्य.)। 'बेटा! उठ।' (रघु.)।

अप.(2) जिन आकारांत पुंल्लिग शब्दों का रूप विभक्तिरहित बहुवचन में नहीं बदलता वे एकवचन में भी विकृत रूप में नहीं आते (दे. अंक289 और अपवाद); जैसे **राजा** ने, **काका** को, **दारोगा** से, **देवता** में, **रामबोला** का इत्यादि।

अप.(3) भारतीय प्रसिद्ध स्थानों के व्यक्तिवाचक आकारांत पुंल्लिग नामों को छोड़, शेष देशी तथा मुसलमानी स्थानवाचक आकारांत पुंल्लिग शब्द का विकृत रूप विकल्प से होता हैजैसे' **आगरे** का आया हुआ' (गुटका.)। **'कलकत्ते** के महलों में' (शिव.)। 'इस **पाटलिपुत्र** (पटने) के विषय में' (मुद्रा.)। **'राजपूताने** में,' **'दरभंगे की** फसल' (शिक्षा)। **'दरभंगा से** (सर.)। **'छिंदवाड़ा में** या **छिंदवाड़े में' 'बसरा** से वा **बसरे** से' इत्यादि।

प्रत्ययवादपाश्चात्य स्थानों के और कई देशी स्थानों के आकारांत पुंल्लिग नाम अविकृत रहते हैं; जैसेअफ्रीका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, लासा, रीवाँ, नाभा, कोटा आदि।

अप.(4) जब किसी विकारी आकारांत (संज्ञा अथवा दूसरे शब्द) के साथ कारक के बाद वही शब्द आता है, तब पूर्व शब्द बहुधा अविकृत रहता है; जैसेकोठा का कोठा, **जैसा** का तैसा।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अप.(5) यदि विकारी संज्ञाओं (और दूसरे शब्दों) का प्रयोग शब्द ही के अर्थ में हो तो विभक्ति के पूर्व उसका विकृत रूप नहीं होता। जैसे'घोड़ा' का क्या अर्थ है', 'मैं' को सर्वनाम कहते हैं, **'जैसा'** से विशेषता सूचित होती है।

311. **बहुवचन में** विकृत रूप के प्रत्यय **'ओं'** और **'यों'** हैं।

(अ) अकारांत, विकारी आकारांत और हिंदी याकारांत शब्दों के अंत्य स्वर में 'ओ' आदेश होता है, जैसे घर **घरों की** (पु.), बात **बातों में** (स्त्री.), लड़का **लड़कों का** (पु.), डिबिया **डिबियों में** (स्त्री.)।

(आ) मुखिया, अगुआ, पुरखा और बापदादा शब्दों का विकृत रूप बहुधा इसी प्रकार से बनता है, जैसेमुखियों को, अगुओं से, बापदादों का इत्यादि।

(सू.संस्कृत के हलंत शब्दों का विकृत रूप आकारांत शब्दों के समान होता है, जैसेविद्वान्विद्वानों की, सरित्सरितों को इत्यादि।)

(इ) इकारांत संज्ञाओं के अंत्य ह्रस्व स्वर के पश्चात् 'या' लगाया जाता है, जैसेमुनिमुनियों को, हाथीहाथियों से, शक्तिशक्तियों का, नदीनदियों में इत्यादि।

(ई) शेष शब्दों में अंत्य स्वर के पश्चात् 'ओं' आता है, जैसे राजाराजाओं को, साधुसाधुओं में, मातामाताओं से, धेनुधेनुओं का, चौबेचौबेओं में, जौजौओं को।

(सू.)विकृत रूप के पहले 'ई' और 'ऊ' ह्रस्व हो जाते हैं (दे. अंक292, 293)।

(उ) ओकारांत शब्दों के अंत में केवल अनुस्वार आता है; और सानुस्वार ओकारांत तथा औकारांत संज्ञाओं में कोई रूपांतर नहीं होता; जैसेरासोरासों में, कोदोंकोदों से, सरसोंसरसों का इत्यादि (दे. अंक293)।

(सू.हिंदी में ऐकारांत पुंल्लिग और एकारांत, ऐकारांत तथा ओकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ नहीं हैं।)

(ऊ) जिन आकारांत शब्दों के अंत में अनुस्वार होता है उनके वचन और कारकों के रूपों में अनुस्वार बना रहता है; जैसेरोआँरोएँ, रोएँ से, रोओं में।

(ए) जाड़ा, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास आदि कुछ शब्द विकृत कारकों में बहुधा बहुवचन ही से आता है; जैसेभूखों मरना, बरसातों की रातें, गर्मियों में, जाड़ों में इत्यादि।

(ऐ) कुछ कालवाचक संज्ञाएँ विभक्ति के बिना ही बहुवचन के विकृत रूप में आती हैं, जैसेबरसों बीत गए, इस काम में घंटों लग गए हैं।' (दे. अंक512)।

312. अब प्रत्येक लिंग और अंत की एक संज्ञा की कारकरचना के उदाहरण दिए जाते हैं; पहले उदाहरण में सब कारकों के रूप रहेंगे, परंतु आगे के उदाहरण में केवल कर्ता, कर्म और संबोधन के रूप दिए जाएँगे। बीच के कारकों की रचना कर्म कारक के समान उनकी विभक्तियों के योग से ही हो सकती है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(क) पुंल्लिग संज्ञाएँ

(1) अकारांत

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक	बालक
	बालक ने	बालकों ने
कर्म	बालक को	बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
संप्रदान	बालक को	बालकों को
अपादान	बालक से	बालकों से
संबंध	बालक का, के, की	बालकों का, के, की
अधिकरण	बालक में	बालकों में
	बालक पर	बालकों पर
संबोधन	हे बालक	हे बालको

(2) आकारांत (विकृत)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	लड़का	लड़के
	लड़के ने	लड़कों ने
कर्म	लड़के को	लड़कों को
संबोधन	हे लड़के	हे लड़को

(3) आकारांत (अविकृत)

कर्ता	राजा	राजा
	राजा ने	राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
संबोधन	हे राजा	हे राजाओ

(4) आकारांत (वैकल्पिक)

कर्ता	बाप दादा	बाप दादा
	बाप दादे ने	बाप दादाओं ने
कर्म	बाप दादा को	बाप दादाओं को
संबोधन	हे बाप दादा	हे बाप दादाओ

(अथवा)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

कर्ता	बाप दादा	बाप दादे
	बाप दादे ने	बाप दादों ने
कर्म	बाप दादे को	बाप दादों को
संबोधन	हे बाप दादे	हे बाप दादो

(5) इकारांत

कर्ता	मुनि	मुनि
	मुनि ने	मुनियों ने
कर्म	मुनि को	मुनियों को
संबोधन	हे मुनि	हे मुनियो

(6) ईकारांत

कर्ता	माली	माली
	माली ने	मालियों ने
कर्म	माली को	मालिकों को
संबोधन	हे माली	हे मालियो

(7) उकारांत

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	साधु	साधु
	साधु ने	साधुओं ने
कर्म	साधु को	साधुओं को
संबोधन	हे साधु	हे साधुओ

(8) ऊकारांत

कर्ता	डाकू	डाकू
	डाकू ने	डाकुओं ने
कर्म	डाकू को	डाकुओं को
संबोधन	हे डाकू	हे डाकुओ

(9) एकरांत

कर्ता	चौबे	चौबे
	चोबे ने	चौबेओं ने
कर्म	चौबे को	चौबेओं को
संबोधन	हे चौबे	हे चौबेओ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(10) ओकारांत

कर्ता	रासो	रासों
	रासो ने	रासों ने
कर्म	रासो को	रासों को
संबोधन	हे रासो	हे रासो

(11) औकारांत

कर्ता	जौ	जौ
	जौ ने	जौओं ने
कर्म	जौ को	जौओं को
संबोधन	हे जौ	जे जौओ

(12) सानुस्वार ओकारांत

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	कोदों	कोदों
	कोदों ने	कोदों ने
कर्म	कोदों को	कोदों को
संबोधन	हे कोदो	हे कोदो

(ख) स्त्रीलिंग संज्ञाएँ

(1) अकारांत

कर्ता	बहिन	बहिनें
	बहिन ने	बहिनों ने
कर्म	बहिन को	बहिनों को
संबोधन	हे बहिन	हे बहिनो

(2) आकारांत (संस्कृत)

कर्ता	शाला	शालाएँ
	शाला ने	शालाओं ने
कर्म	शाला को	शालाओं को
संबोधन	हे शाला	हे शालाओ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(3) आकारांत (हिंदी)

कर्ता	बुढ़िया	बुढ़ियाँ
	बुढ़िया ने	बुढ़ियों ने
कर्म	बुढ़िया को	बुढ़ियों को
संबोधन	हे बुढ़िया	बुढ़ियो

(4) इकारांत

कर्ता	शक्ति	शक्तियाँ
	शक्ति ने	शक्तियों ने
कर्म	शक्ति को	शक्तियों को
संबोधन	हे शक्ति	हे शक्तियो

(5) ईकारांत

कर्ता	देवी	देवियाँ
	देवी ने	देवियों ने
कर्म	देवी को	देवियों को
संबोधन	हे देवी	हे देवियो

(6) उकारांत

कर्ता	धेनु	धेनुएँ
	धेनु ने	धेनुओं ने
कर्म	धेनु को	धेनुओं को
संबोधन	हे धेनु	हे धनुओ

(7) ऊकारांत

कर्ता	बहू	बहुएँ
	बहू ने	बहुओं ने
कर्म	बहू को	बहुओं को
संबोधन	हे बहू	हे बहुओं

(8) औकारांत

कर्ता	गौ	गौएँ
	गौ ने	गौओं ने
कर्म	गौ को	गौओं को
संबोधन	हे गौ	हे गौओ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(9) सानुस्वार आकारांत

कर्ता	सरसों	सरसों
	सरसों ने	सरसों ने
कर्म	सरसों को	सरसों को
संबोधन	हे सरसो	हे सरसो

(एकवचन के समान)

313. तत्सम संस्कृत संज्ञाओं का मूल संबोधन कारक (एकवचन) भी उच्च हिंदी और कविता में आता है, जैसे

व्यंजनांत संज्ञाएँराजन्, श्रीमन्, विद्वन्, भगवन्, महात्मन्, स्वामिन् इत्यादि।
आकारांत संज्ञाएँकविते, आशे, प्रिये, शिक्षे, सीते, राधे, इत्यादि।
इकारांत संज्ञाएँहरे, मुने, सखे, मते, सीतापते इत्यादि।
ईकारांत संज्ञाएँपुत्रि, देवि, मानिनि, जननि इत्यादि।
उकारांत संज्ञाएँबंधो, प्रभो, धेनो, गुरो, साधो इत्यादि।
ऋकारांत संज्ञाएँपितः, दातः, मातः इत्यादि।

विभक्तियों और संबंधसूचक अव्ययों में संबंध

314. विभक्ति के द्वारा संज्ञा (या सर्वनाम) का जो संबंध क्रिया वा दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है, वही संबंध कभी-कभी संबंधसूचक अव्यय के द्वारा प्रकाशित होता है, जैसे

'लड़का नहाने को गया है' अथवा 'नहाने के लिए गया है।' इसके विरुद्ध संबंधसूचकों से जितने संबंध प्रकाशित होते हैं, उन सबके लिए हिंदी में कारक नहीं हैं; जैसे'लड़का नदी तक गया', 'चिड़िया धोती समेत उड़ गई', 'मुसाफिर पेड़ तले बैठा है', 'नौकर साँप के पास पहुँचा' इत्यादि।

(टी.यहाँ अब ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जिन संबंधसूचकों से कारकों का अर्थ निकलता है, उन्हें कारक क्यों न मानें और शब्दों के सब प्रकार के परस्पर संबंध सूचित करने के लिए कारकों की संख्या क्यों न बढ़ाई जाय? यदि 'नहाने को' कारक माना जाता है, तो 'नहाने के लिए' को भी कारक मानना चाहिए और यदि 'पेड़ पर' एक कारक है तो 'पेड़ तले' दूसरा कारक होना चाहिए।

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभक्तियों और संबंधसूचकों की उत्पत्ति पर विचार करना आवश्यक है। इस विषय में भाषाविदों का यह मत है कि विभक्तियों और संबंधसूचकों का उपयोग बहुधा एक ही है। भाषा के आदिकाल में विभक्तियाँ न थीं और एक के साथ दूसरे का संबंध स्वतंत्र शब्दों के द्वारा प्रकाशित होता था। बार-बार उपयोग में आने से इन शब्दों के टुकड़े हो गए और फिर उनका उपयोग

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

प्रत्यय रूप से होने लगा। संस्कृत सरीखी प्राचीन भाषाओं में संयोगात्मक विभक्तियाँ भी स्वतंत्र शब्दों के टुकड़े हैं। मिश्र जी 'विभक्तिविचार' में लिखते हैं कि सु, औ, जस, अम्' औ, शस्, टा, भ्यां, भिस्', आदि को स्वंतत्र रूप से दर्शाना ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये चिह्न स्वतंत्र शब्दों में ही पूर्व काल में उपजे थे।' किसी भाषा में बहुत सी और किसी में थोड़ी विभक्तियाँ होती हैं। जिन भाषाओं में विभक्तियों की संख्या अधिक रहती है (जैसे संस्कृत में हैं) उनमें संबंधसूचकों का प्रचार अधिक नहीं होता। भिन्न-भिन्न भाषाओं में रूप के जो भेद दिखाई देते हैं, उनका विशेष कारण यही है कि संबंधसूचकों का उपयोग किसी में स्वतंत्र रूप से और किसी में प्रत्यय रूप से हुआ है।

इस विवेचन से जान पड़ता है कि विभक्तियों और संबंधसूचकों की उत्पत्ति प्रायः एक ही प्रकार की है। अर्थ की दृष्टि से भी दोनों समान ही हैं, परंतु रूप और प्रयोग की दृष्टि से दोनों में अंतर है। इसलिए कारक का विचार केवल अर्थ के अनुसार ही न करके रूप और प्रयोग के अनुसार भी करना चाहिए। जिस प्रकार लिंग और वचन के कारण संज्ञाओं का रूपांतर होता है उसी प्रकार शब्दों का परस्पर संबंध सूचित करने के लिए भी रूपांतर होता है और उसे (हिंदी में) कारक कहते हैं। यह रूपांतर एक शब्द में दूसरा जोड़ने से नहीं, किंतु प्रत्यय जोड़ने से होता है। संबंधसूचक अव्यय एक प्रकार के स्वतंत्र शब्द हैं, इसलिए संबंधसूचकांत संज्ञाओं को कारक नहीं कहते। इसके सिवा, कुछ विशेष प्रकार के मुख्य संबंधी ही को कारक मानते हैं, औरों को नहीं। यदि सब संबंधसूचकांत संज्ञाओं को कारक मानें तो अनेक प्रकार के संबंध सूचित करने के लिए कारकों की संख्या न जाने कितनी बढ़ जाय।

विभक्तियाँ जिस प्रकार संबंधसूचकों से (रूप और प्रयोग में) भिन्न हैं उसी प्रकार वे तद्धित और कृदंत (प्रत्ययों) से भी भिन्न हैं। कृदंत या तद्धित प्रत्ययों के आगे विभक्तियाँ आती हैं पर विभक्तियों के पश्चात् कृदंत वा तद्धित प्रत्यय बहुधा नहीं आते।

इसी विषय के साथ इस बात का भी विवेचन आवश्यक जान पड़ता है कि विभक्तियाँ, संज्ञाओं (और सर्वनामों) में मिलाकर लिखी जायँ वा उनसे पृथक्। इसके लिए पहिले हम दो उदाहरण उन पुस्तकों में से देते हैं, जिसके लेखक संयोगवादी हैं

(1) 'अब यह कैसे मालूम हो कि लोग जिन बातों को कष्ट मानते उन्हें श्रीमान् भी कष्ट ही मानते हों। अथवा आपके पूर्ववर्ती शासन ने जो काम किए आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हों? साथ ही एक बात और है। प्रजा के लोगों की पहुँच श्रीमान् तक बहुत कठिन है। पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया' (शिव.)।

(2) 'प्रायः पौने आठ सौ वर्ष महाकवि चंद के समय से अब तक बीत चुके हैं। चंद के सौ वर्ष बाद ही अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में दिल्ली में फारसी भाषा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हुआ। कवि अमीर खुसरो की मृत्यु सन् 1325 ईसवी में हुई थी। मुसलमान कवियों में उक्त अमीर खुसरो हिंदी काव्यरचना के विषय में सर्वप्रथम और प्रधान माना जाता है' (विभक्ति.)।

इन अवतरणों से जान पड़ेगा कि स्वयं संयोगवादी लेखक ही अभी तक एक मत नहीं हैं। जिस शब्द (अथवा प्रत्यय) को गुप्त जी मिलकर लिखते हैं, उसी को मिश्र जी अलग लिखते हैं। मिश्र जी ने तो यहाँ तक किया है कि संज्ञा में विभक्ति को मिलाने के लिए दोनों के बीच में 'ही' लिखना ही छोड़ दिया है, यद्यपि यह अव्यय संज्ञा और विभक्ति के बीच में आता है। इसी तरह गुप्त जी 'तक' को और शब्दों से तो अलग-अलग, पर 'यहाँ' में मिलाकर लिखते हैं। 'पर' के संबंध में भी दोनों लेखकों का मत विरोध है।

ऐसी अवस्था में विभक्तियों को संज्ञाओं से मिलाकर लिखने के लिए भाषा के आधार पर कोई निश्चित नियम बनाना कठिन है। विभक्तियों को मिलाकर लिखने में एक दूसरी कठिनाई यह है कि हिंदी में बहुधा प्रकृति और प्रत्यय के बीच में कोई अव्यय भी आ जाते हैं; जैसे'चौदह पीढ़ी तक का पता' (शिव.)। संसार भर के ग्रंथगिरि' (भारत.)। 'घर ही के बाड़े' (राम.)। प्रकृति और प्रत्यय के बीच में समानाधिकरण शब्द के आ जाने से उन दोनों को मिलाने में बाधा आ जाती है जैसे 'विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की कन्या भुवनमोहिनी दमयंती का रूप।' (गुटका.)। 'हरगोविंद (पंसारी के लड़के) ने (परी.)। उलटे कामाओं से घिरे हुए शब्दों के साथ विभक्ति मिलाने से जो गड़बड़ होती है, उसके उदाहरण स्वयं 'विभक्तिविचार' में मिलते हैं; जैसे'समसे' 'सके', 'उद्भव न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण', 'को का' संबंध इत्यादि। मिश्र जी ने कहीं-कहीं विभक्ति को इन कामाओं के पश्चात् भी लिखा है; जैसे'न्ह' का प्रयोग (पृ. 56) 'से' के बीच में (पृ. 86)। इस प्रकार के गड़बड़ प्रयोगों से संयोगवादियों के प्रायः सभी सिद्धांत खंडित हो जाते हैं।

(हिंदी में अधिकांश लेखक विभक्तियों को सर्वनामों के साथ मिलाकर लिखते हैं, क्योंकि इनमें संज्ञाओं की अपेक्षा अधिक नियमित रूपांतर होते हैं, और प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में बहुधा कोई प्रत्यय नहीं आते। तथापि 'भारतभारती' में विभक्तियाँ सर्वनामों से भी पृथक् लिखी गई हैं। ऐसी अवस्था में भाषा के प्रयोग का अधिकार वैयाकरण को नहीं है, इसलिए इस विषय को हम ऐसा ही अनिश्चित छोड़ देते हैं।)

315. विभक्तियों के बदले में कभी-कभी नीचे लिखे संबंधसूचक अव्यय आते हैं

कर्म कारकप्रति, तईं (पुरानी भाषा में)।
करण कारकद्वारा, करके, जरिए, कारण, मारे।
संप्रदान कारकलिए, हेतु, निमित्त, अर्थ, वास्ते।
अपादान कारकअपेक्षा, बनिस्बत, सामने, आगे, साथ।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अधिकरणमध्य, बीच, भीतर, अंदर, ऊपर।

316हिंदी में कुछ संस्कृत कारकों काविशेषकर करण कारक काप्रयोग होता है; जैसेसुखेन (सुख से), कृपया (कृपा से), येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा कर्मणा इत्यादि। 'रामचरितमानस' में छंद बिठाने के लिए कहीं कहीं शब्दों में कर्म कारक की विभक्ति (व्याकरण के विरुद्ध) लगाई गई है; जैसे'जय राम रमा रमणं।' ऐसा प्रयोग 'रासो' और दूसरे प्राचीन काव्यों में भी मिलता है।

(क) हिंदी में कभी-कभी उर्दू भाषा के भी कुछ कारक आते हैं; जैसे

करण और अपादान इनकी विभक्ति 'अज' (से) है जो दो-एक शब्दों में आती है; जैसेअज खुद (आपसे), अज तरफ (तरफ से)।

संबंध कारक इसमें भेद्य पहले आता है और उसके अंत में 'ए' प्रत्यय लगाया जाता है; जैसेसितारे हिंद (हिंद के सितारे), दफ्तरे हिंद (हिंद का दफ्तर), बामे दुनिया (दुनिया की छत)।

अधिकरण कारक इसकी विभक्ति 'दर' है जो 'अज' के समान कुछ संज्ञाओं के पहले आती है; जैसेदर हकीकत (हकीकत में), दर असल (असल में)। कई लोग इन शब्दों को भूल से 'दर हकीकत में' और 'दर असल में' बोलते हैं। 'फिलहाल' शब्द में 'फी' अरबी प्रत्यय है और फारसी 'दर' का पर्यायवाची है। 'फिलहाल' को अर्धशिक्षित 'फिलहाल में' कहते हैं।

चौथा अध्याय
सर्वनाम

317. संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन और कारक हैं, परंतु लिंग के कारण इसका रूप नहीं बदलता।

318. विभक्तिरहित (कर्ता कारक के) बहुवचन में पुरुषवाचक (मैं, तू) और निश्चयवाचक (यह, वह) सर्वनामों को छोड़कर, शेष सर्वनामों का रूपांतर नहीं होता; जैसे

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
मैं	हम	आप	आप
तू	तुम	जो	जो
यह	ये	कौन	कौन
वह	वे	क्या	क्या
सो	सो	कोई	कोई
		कुछ	कुछ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि 'मैं' और 'तू' का बहुवचन अनियमित है; परंतु 'यह' तथा 'वह' का नियमित है। संबंधवाचक 'जो' के समान नित्य संबंधी 'सो' का भी, बहुवचन में, रूपांतर नहीं होता। कोई-कोई लेखक बहुवचन में 'यह' और 'वह' का भी रूपांतर नहीं करते (दे. अंक 121, 128)। 'क्या' और 'कुछ' का प्रयोग एकवचन ही में होता है।

319. विभक्ति के योग से अधिकांश सर्वनाम दोनों वचनों में विकृत रूप में आते हैं; परंतु 'कोई' और निजवाचक 'आप' की कारकरचना केवल एकवचन में होती है। 'क्या' और 'कुछ' का कोई रूपांतर नहीं होता; उनका प्रयोग केवल विभक्तिरहित कर्ता और कर्म में होता है।

320. 'आप', 'कोई', 'क्या' और 'कुछ' को छोड़ शेष सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में 'को' के सिवा एक और विभक्ति एकवचन में 'ए' और बहुवचन में 'ऐ' आती है।

321. पुरुषवाचक सर्वनामों से संबंधकारक की 'का के की' विभक्तियों के बदले 'रा रे री' आती है और निजवाचक सर्वनाम में 'ना ने नी' विभक्तियाँ लगाई जाती हैं।

322. सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता; क्योंकि जिसे पुकारते या चिताते हैं, उनका नाम या उपनाम कहकर ही ऐसा करते हैं। कभी-कभी नाम याद न आने पर अथवा क्रोध में 'अरे तू', 'अरे वह' आदि शब्द बोले जाते हैं, परंतु ये (अशिष्ट) प्रयोग व्याकरण में विचार करने के योग्य नहीं हैं।

323. पुरुषवाचक सर्वनामों की कारकरचना आगे दी जाती है

उत्तम पुरुष 'मैं'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मैं	हम
	मैंने	हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
करण	मुझसे	हमसे
संप्रदान	मुझको, मुझे	हमको, हमें
अपादान	मुझसे	हमसे
संबंध	मेरा, रे, री	हमारा, रे, री
अधिकरण	मुझमें	हममें

मध्यम पुरुष 'तू'

कर्ता	तू	तुम
	तूने	तुमने
कर्म	तुझको, तुझे	तुमको, तुम्हें

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

करण	तुझसे	तुमसे
संप्रदान	तुझको, तुझे	तुमको, तुम्हें
अपादान	तुझसे	तुमसे
संबंध	तेरा, रे, री	तुम्हारा, रे री
अधिकरण	तुझमें	तुममें

(अ) पुरुषवाचक सर्वनामों की कारकरचना में बहुत समानता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष कारकों में एकवचन में 'मैं' का विकृत रूप 'मुझ' और 'तू' का 'तुझ' होता है। संबंधकारक के दोनों वचनों में 'मैं' का विकृत रूप क्रमशः 'में' और 'हमा' और 'तू' का 'ते' और 'तुम्ह' होता है। दोनों सर्वनामों में संबंध कारक की रा-रे-री विभक्तियाँ आती हैं। विभक्तिसहित कर्ता के दोनों वचनों में और संबंध कारक को छोड़ शेष कारकों के बहुवचन में दोनों का रूप अविकृत रहता है।

(आ) पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्तिरहित कर्ता के एकवचन और संबंध कारक को छोड़ शेष कारकों में अवधारण के लिए एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ई' वा 'ही' लगाते हैं; जैसेमुझी का, तुझी से, हमीं ने, तुम्हीं से इत्यादि।

(इ) कविता में 'मेरा' और 'तेरा' के बदले बहुधा संस्कृत की षष्ठी के रूप क्रमशः 'मम' और 'तव' आते हैं; जैसे'करहु सु मम उर धाम।' (राम.)। 'कहाँ गई तब गरिमा विशेष?' (हिं. ग्र.)।

325. निजवाचक 'आप' की कारकरचना केवल एकवचन में होती है, परंतु एकवचन के रूप बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आते हैं; इसका विकृत रूप 'अपना' है, जो संबंध कारक में आता है और जो 'अप' में संबंध कारक को 'ना' विभक्ति जोड़ने से बना है। इसके साथ 'ने' विभक्ति नहीं आती, परंतु दूसरी विभक्तियों के योग से इनका रूप हिंदी आकारांत संज्ञा के समान 'अपने' हो जाता है। कर्ता और संबंध कारक को छोड़ शेष कारकों में विकल्प 'आप' के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं।

(सू.'आप' शब्द का संबंध कारक 'अपना' प्राकृत की षष्ठी 'अप्पण' से निकला है।)

निजवाचक 'आप'

कारक	एकवचन
कर्ता	आप
कर्म/संप्र.	अपने को, आपको
करणअपा.	अपने से, आपसे
संबंध	अपना, ने, नी
अधिकरण	अपने में, आपमें

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) कभी-कभी 'अपना' और 'आप' संबंध कारक को छोड़ शेष कारकों में मिलकर आते हैं; जैसेअपने आप, अपने आपको, अपने आपसे, अपने आपमें।

(आ) 'आप' शब्द का एक रूप 'आपस' है, जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण कारकों के एकवचन में होता है; जैसे'लड़के आपस में लड़ते हैं।' 'स्त्रियों की आपस की बातचीत।' इसमें परस्परता का बोध होता है। कोई-कोई लेखक 'आपस' का प्रयोग संज्ञा के समान करते हैं; जैसे(विधाता ने) 'प्रीति भी तुम्हारे **आपस** में अच्छी रखी है' (शकु.)।

(इ) 'अपना' जब संज्ञा के समान निज लोगों के अर्थ में आता है, तब उसकी कारकरचना हिंदी आकारांत संज्ञा के समान दोनों वचनों में होती है; जैसे'अपने माता बिन जग में कोई नहीं अपना पाया' (आरा.)। 'वह अपनों के पास नहीं गया।'

(ई) प्रत्येक के अर्थ में 'अपना' शब्द की द्विरुक्ति होती है; जैसे'अपने-अपने को सब कोई चाहते हैं।' 'अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग।'

(उ) कभी-कभी 'अपना' के बदले 'निज' (सर्वनाम) का संबंध कारक आता है, और कभी-कभी दोनों रूप मिलकर आते हैं; जैसे'निज का माल, निज का नौकर।' 'हम तुम्हें अपने निज के काम से भेजा चाहते हैं' (मुद्रा.)।

(ऊ) कविता में 'अपना' के बदले बहुधा 'निज' (विशेषण होकर) आता है; जैसे'निज देश कहते हैं किसे' (भारत.)। 'वर्णाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ लोग' (राम.)।

325. 'आप' शब्द आदरसूचक भी है, पर उसका प्रयोग केवल अन्य पुरुष के बहुवचन में होता है। इस अर्थ में उसकी कारकरचना निजवाचक 'आप' से भिन्न होती है। विभक्ति के पहले आदरसूचक 'आप' का रूप विकृत नहीं होता। इसका प्रयोग आदरार्थ बहुवचन में होता है, इसलिए बहुत्व का बोध होने के लिए इसके साथ 'लोग' या 'सब' लगा देते हैं। इसके साथ 'ने' विभक्ति आती है और संबंध कारक में 'का के की' विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। इसके कर्म और संप्रदान कारकों में दुहरे रूप नहीं आते।

आदरसूचक 'आप'

कारक	एक.(आदर.)	बहु. (संख्या.)
कर्ता	आप	आप लोग
	आपने	आप लोगों ने
कर्म-संप्र.	आपको	आप लोगों को
संबंध	आपका, के, की	आप लोगों का, के, की

(सू.इसके शेष रूप विभक्तियों के योग से इसी प्रकार बनते हैं।)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

326. निश्चयवाचक सर्वनामों के दोनों वचनों की कारकरचना में विकृत रूप आता है। एकवचन में 'यह' का विकृत रूप 'इस', 'वह' का 'उस' और 'सो' का 'तिस' होता है और बहुवचन में क्रमशः 'इन', 'उन' और 'तिन' आते हैं। इनके विभक्तिसहित बहुवचन कर्ता के अंत्य 'त' में विकल्प से 'हों' जोड़ा जाता है, और कर्म तथा संप्रदान कारकों के बहुवचन 'ए' के पहले 'न' में 'ह' मिलाया जाता है।

निकटवर्ती 'यह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह	यह, ये
	इसने	इनने, इन्होंने
कर्म्सम्प्रदान	इसको, इसे	इनको, इन्हें
कारणअपादान	इससे	इनसे
संबंध	इसका के, की	इनका के, की
अधिकरण	इसमें	इनमें
	दूरवर्ती 'वह'	
कर्ता	वह	वह, वे
	उसने	उनने, उन्होंने
कर्म्सम्प्रदान	उसको, उसे	उनको, उन्हें

(सू.शेष कारक 'यह' के अनुसार विभक्तियाँ लगाने से बनते हैं।)

नित्यसंबंधी 'सो'

कर्ता	सो	सो
	तिसने	तिनने, तिन्होंने
कर्म्सम्प्रदान	तिसको, तिसे	तिनको, तिन्हें

(सू.शेष रूप 'वह' के अनुसार विभक्तियाँ लगाने से बनते हैं।)

(अ) 'सो' के जो रूप यहाँ दिए गए हैं, वे यथार्थ में 'तौन' के हैं, जो पुरानी भाषा में 'जौन' (जो) का नित्यसंबंधी है। 'तौन' अब प्रचलित नहीं है; परंतु उसके कोई-कोई रूप 'सो' के बदले और कभी-कभी 'जिस' के साथ आते हैं; इसलिए सुभीते के विचार से सब रूप लिख दिए गए हैं। 'तिसपर भी', 'जिस तिसको' आदि रूपों को छोड़ 'तौन' के शेष रूपों के बदले 'वह' के रूप प्रचलित हैं।

(आ) निश्चयवाचक सर्वनामों के रूपों में अवधारण के लिए एकवचन 'ई' और बहुवचन में 'ही' अंत्य स्वर में आदेश करते हैंजैसेयहयही, वहवही, इन-इन्हीं से, उन्हीं को, सोई इत्यादि।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

327. संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' और प्रश्नवाचक सर्वनाम 'कौन' के रूप निश्चयवाचक सर्वनामों के अनुसार बनते हैं। 'जो' के विकृत रूप दोनों वचनों में क्रमशः 'जिस' और 'जिन' हैं तथा 'कौन' के 'किस' और 'किन' हैं।

संबंधवाचक 'जो'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जो	जो
	जिसने	जिनने, जिन्होंने
कर्म्मसंप्रदान	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें

प्रश्नवाचक 'कौन'

कर्ता	कौन	कौन
	किसने	किनने, किन्होंने
कर्म्मसंप्रदान	किसको, किसे	किनको, किन्हें

328. यह, वह, सो, जो और कौन के विभक्तिसहित कर्ता कारक के बहुवचन में जो दो-दो रूप हैं, उनमें से दूसरा रूप अधिक शिष्ट समझा जाता है; जैसेउनने और उन्होंने। कोई-कोई वैयाकरण शेष कारकों में भी हों जोड़कर बहुवचन का दूसरा रूप बनाते हैं, जैसेइन्हींको, जिन्होंसे इत्यादि। परंतु ये रूप प्रचलित नहीं हैं।

329. प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क्या' की कारकरचना नहीं होती। यह शब्द इसी रूप में केवल एकवचन (विभक्तिरहित) कर्ता और कर्म में आता है; जैसे'क्या गिरा?' तुम क्या चाहते हो? दूसरे कारकों के एकवचन में 'क्या' के बदले ब्रजभाषा के 'कहा' सर्वनाम का विकृत रूप 'काहे' आता है।

प्रश्नवाचक 'क्या'

कारक	एक.
कर्ता	क्या
कर्म	क्या
करण, अपा.	काहे से
संप्रदान	काहे को
संबंध	काहे का, के, की
अधिकरण	काहे में

(अ) 'काहे से' (अपादान) और 'काहे को' (संप्रदान) का प्रयोग 'क्यों' के अर्थ में होता है; जैसे'तुम यह काहे से कहते हो?' 'लड़का वहाँ काहे को गया था?' 'काहे को' कभी-कभी असंभावना के अर्थ में आता है; जैसे'चोर काहे को हाथ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

आता है'। 'क्योंकि' समुच्चयबोधक में 'क्यों' के बदले कभी-कभी 'काहे से, का प्रयोग होता है (दे. अंक245अ); जैसे'शकुंतला मुझे बहुत प्यारी है काहे से कि वह मेरी सहेली की बेटी है' (शकु.)। 'काहे का' का अर्थ 'किस चीज से बना' है, पर कभी-कभी इसका अर्थ 'वृथा' भी होता है; जैसे'वह राजा ही काहे का है' (सत्य.)।

(आ) 'क्या से क्या' और 'क्या का क्या' 'वाक्यांशों' में 'क्या' के साथ विभक्ति आती है। इनसे दशांतर सूचित होता है।

330. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' यथार्थ में प्रश्नवाचक सर्वनाम से बना है; जैसेसं.कोपि, प्रा.कोबि, हि.कोई। इसका विकृत रूप 'किस' में अवधारणबोधक 'ई' प्रत्यय लगाने से बना है। 'कोई' की कारकरचना केवल एकवचन में होती है, परंतु इसके रूपों की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है। कर्म और संप्रदान कारकों में इसका एकारांत रूप नहीं होता, जैसा दूसरे सर्वनामों का होता है।

अनिश्चयवाचक 'कोई'

कारक	एकवचन
कर्ता	कोई
	किसी ने
कर्म्मसंप्रदान	किसी को

(सू.कोई-कोई वैयाकरण इसके बहुवचन रूप 'किन' के नमूने पर 'किन्हीं ने' 'किन्हीं को' आदि लिखते हैं; पर वे रूप शिष्टसम्मत नहीं हैं। 'कोई' के द्विरुक्त रूपों ही से बहुवचन होता है। परिवर्तन के अर्थ में 'कोई' के अविकृत रूप के साथ संबंध कारक की विभक्ति आती है; जैसे'कोई का कोई राजा बन गया।' इस वाक्यांश का प्रयोग बहुधा कर्ता कारक ही में होता है।)

331. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' की कारकरचना नहीं होती। 'क्या' के समान यह केवल विभक्तिरहित कर्ता और कर्म के एकवचन में आता है; जैसे'पानी में कुछ है', 'लड़के ने कुछ फेंका है।' 'कुछ का कुछ' वाक्यांश में 'कुछ' के साथ संबंध कारक की विभक्ति आती है। जब 'कुछ' का प्रयोग 'कोई' के अर्थ में संज्ञा के समान होता है, तब उसकी कारक रचना संबोधन को छोड़ शेष कारकों के बहुवचन में होती है; जैसे'उनमें से कुछ ने इस बात को स्वीकार करने की कृपा दिखाई' (हिं. को.)। 'कुछ ऐसे हैं।' 'कुछ की भाषा सहज है' (सर.)।

332. आप, कोई, क्या और कुछ को छोड़कर शेष सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में दो-दो रूप होने से यह लाभ है कि दो 'को' इकट्ठे होकर उच्चारण नहीं बिगाड़ते, जैसे'मैं इसे तुमको दूँगा।' इस वाक्य में 'इसे' के बदले 'इसको' कहना अशुद्ध है।

333. निजवाचक 'आप', 'कोई' 'क्या' और 'कुछ' को छोड़ शेष सर्वनामों के बहुवचन रूप आदर के लिए भी आते हैं इसलिए बहुत्व का स्पष्ट बोध कराने

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

के लिए इन सर्वनामों के साथ 'लोग' वा 'लोगों' लगाते हैं, जैसेये लोग, उन लोगों को, किन लोगों से इत्यादि। 'कौन' को छोड़ शेष सर्वनामों के साथ 'लोग' के बदले कभी कभी 'सब' आता है; जैसेहम सब, आप सबको, इन सबमें से इत्यादि।

334. विकारी सर्वनामों के मेल से बने हुए सर्वनामों के दोनों अवयव विकृत होते हैं; जैसेजिस किसी को, जिस जिससे, किसी न किसी का नाम, इत्यादि।

335. अवधारण वा अविकार के अर्थ में पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनामों के अविकृत रूप के साथ संबंध कारक विभक्ति आती है; जैसे'तुम के तुम न गए और मुझे भी न जाने दिया।' जो तीस दिन अधिक होंगे वह वह के वही होंगे (शिव.)।

पाँचवाँ अध्याय

विशेषण

336. हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़ दूसरे विशेषणों में कोई विकार नहीं होता; परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है, इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके 'अंत' के अनुसार होता है।

विशेषणों के मुख्य तीन भेद किए गए हैंसार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। इनके रूपांतरों का विचार आगे इसी क्रम से होगा।

337. सार्वनामिक विशेषणों के दो भेद हैंमूल और यौगिक। 'आप', 'क्या' और 'कुछ' को छोड़कर शेष मूल सार्वनामिक विशेषणों के पश्चात् विभक्त्यंत वा संबंधसूचकांत संज्ञा आने पर उनके दोनों वचनों में विकृत रूप आता है; जैसे'मुझ दीन को', 'तुम मूर्ख से', 'हम ब्राह्मणों का धर्म', 'किस देश में', 'उस गाँव तक', 'किसी वृक्ष की छाल', 'उन पेड़ों पर' इत्यादि।

(अ) 'शिव.' में 'कौन' शब्द अविकृत रूप में आया है; जैसे'कौन बात में तुम उनसे बढ़कर हो?' यह प्रयोग अनुकरणीय नहीं है।

(आ) 'कोई' शब्द के विकृत रूप की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है; पर उसके साथ बहुधा एकवचन संज्ञा आती है; जैसेकिसी-किसी तपस्वी ने मुझे पहचान भी लिया है' (शकु.)। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो किसी-किसी विशेष प्रकार की राज्यपद्धति का होना बिलकुल ही पसंद नहीं करते' (स्वा.)। विकृत कारकों की बहुवचन

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

संज्ञा के साथ 'कोई-कोई' कभी-कभी मूल रूप में ही आता है; जैसे **'कोई-कोई लोगों** का यह ध्यान है।' (जीविका.)। इस पिछले प्रकार के प्रयोग का प्रचार अधिक नहीं है।

(इ) कुछ कालवाचक संज्ञाओं के अधिकरण कारक के एकवचन के साथ ('कुछ' के अर्थ में) 'कोई' का अविकृत रूप आता है; जैसे'कोई दम में', 'कोई घड़ी में', इत्यादि।

338. यौगिक सार्वनामिक विशेषण आकारांत होते हैं; जैसेऐसा, वैसा, इतना, उतना इत्यादि। ये आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार गुणवाचक आकारांत विशेषणों के समान (दे. अंक339) बदलते हैं; जैसेऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य को, ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियाँ इत्यादि।

(अ) 'कौन' 'जो' और 'कोई' के साथ जब 'सा' प्रत्यय आता है, तब उनमें आकारांत गुणवाचक विशेषणों के समान विकार होता है; जैसेकौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कौन से लड़के को इत्यादि (दे.अंक 339)

339. **गुणवाचक** विशेषणों में केवल **आकारांत** विशेषण विशेष्यनिष्ठ होते हैं; अर्थात् वे विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। इनमें वही रूपांतर होते हैं, जो संबंध कारक की विभक्ति 'का' में होते हैं। आकारांत विशेषणों में विकार होने के नियम ये हैं

(1) पुंल्लिग विशेष्य बहुवचन में हो अथवा विभक्त्यंत वा संबंधसूचकांत हो, तो विशेषण के अंत्य 'आ' के स्थान में 'ए' होता है; जैसेछोटे लड़के, ऊँचे घर में बड़े लड़के समेत इत्यादि।

(2) स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ विशेषण के अंत्य 'आ' के स्थान में 'ई' होती है; जैसेछोटी लड़की, छोटी लड़कियाँ, छोटी लड़की को इत्यादि।

(अ) राजा शिवप्रसाद ने 'इकट्ठा' विशेषण को उर्दू भाषा के आकारांत विशेषणों के अनुकरण पर बहुधा अविकृत रूप में लिखा है; जैसे'दौलत इकट्ठा होती रही' (इति.) पर 'विद्यांकुर' में इकट्ठे आया है; जैसे'उनके इकट्ठे' झुंड चलते हैं। अन्य लेखक इसे विकृत रूप में लिखते हैं, जैसे'इकट्ठे होने पर उन लोगों का वह क्रोध और भी बढ़ गया' (रघु.)।

(आ) 'जमा', 'उमदा' और 'जरा' को छोड़ शेष उर्दू आकारांत विशेषणों का रूपांतर हिंदी आकारांत विशेषणों के समान होता है; जैसेदोष निकालने की तो जुदी बात है' (परी.)। 'इसे शत्रु पर चलाने और फिर अपने पास लौटा लेने के मंत्र जुदे-जुदे हैं' (रघु.)। 'बेचारे लड़के', बेचारी लड़की।'

(सू.कोई-कोई लेखक इन उर्दू विशेषणों को अविकृत रूप में ही लिखते हैं; जैसे'ताजा हवा' (शिव.); परंतु हिंदी की प्रवृत्ति इनके रूपांतर की ओर है। द्विवेदी जी ने 'स्वाधीनता' में कुछ वर्ष पूर्व 'नियम जुदा जुदा है' लिखकर 'रघुवंश' में 'मंत्र जुदे-जुदे हैं' लिखा है।)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

340. आकारांत संबंधसूचक (जो अर्थ में प्रायः विशेषण के समान हैं) आकारांत विशेषणों के समान विकृत होते हैं (दे. अंक 233आ); जैसेसती ऐसी नारी, तालाब का जैसा रूप, सिंह के से गुण, भोज सरीखे राजा, हरिश्चंद्र ऐसा पति इत्यादि।

(अ) जब किसी संज्ञा के साथ अनिश्चय के अर्थ में 'सा' प्रत्यय आता है, तो इसका रूप उसी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है; जैसे'मुझे जाड़ा सा लगता है', 'एक जोत सी उतरी चली आती है' (गुटका.)। 'उसने मुँह पर घूँघट सा डाल लिया है' (तथा.)। 'रास्ते में पत्थर से पड़े हैं।'

341. आकारांत गुणवाचक विशेषणों को छोड़ शेष हिंदी गुणवाचक विशेषणों में कोई विकार नहीं होता है; जैसेलाल टोपी, भारी बोझ, ढालू जमीन इत्यादि।

342. संस्कृत गुणवाचक विशेषण बहुधा कविता में विशेष्य के लिंग के अनुसार विकृत होते हैं। इनका रूपांतर 'अंत' (अंत्य स्वर) के अनुसार होता है

(अ) व्यंजनांत विशेषणों में स्त्रीलिंग के लिए 'ई' लगाते हैं; जैसे

पापिन्=पापिनी स्त्री
बुद्धिमत=बुद्धिमती भार्या
गुणवत्=गुणवती कन्या
प्रभावशालिन्=प्रभावशालिनी भाषा

'हिंदी रघुवंश' में 'युद्ध संबंधिनी थकावट' आया है।

(आ)कई एक अंगवाचक तथा दूसरे अकारांत विशेषणों में भी बहुधा 'ई' आदेश होता है; जैसे

सुमखसुमुखी
चंद्रवदनचंद्रवदनी
दयामयदयामयी
सुंदरसुंदरी

(इ) उकारांत विशेषणों में, विकल्प से, अंत्य में 'व' आगम करके 'ई' लगाते हैं; जैसे

साधुसाध्वी	साधु वा साध्वी स्त्री
गुरुगुर्वी	गुरु या गुर्वी छाया

(ई) अकारांत विशेषणों में बहुधा 'आ' आदेश होता है; जैसे

सुशीलसुशीला	अनाथअनाथा
चतुरचतुरा	प्रियप्रिया
सरलसरला	सच्चरित्रसच्चरित्रा

343. संख्यावाचक विशेषणों में क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और आकारांत परिमाणवाचक विशेषणों का रूपांतर होता है; जैसेपहली पुस्तक, पहले लड़के, दूसरे दिन तक, सारे देश में, दूने दामों पर।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) अपूर्णांक विशेषणों में केवल 'आधा' शब्द विकृत होता है; जैसेआधे गाँव में। 'सवा' शब्द का रूपांतर नहीं होता; पर इससे बना हुआ 'सवाया' शब्द विकारी है; जैसेसवा घड़ी में, सवाये दामों पर। 'पौन' शब्द का एक रूप 'पौना' है, जो विकृत रूप में आता है, जैसेपौने दामों पर, पौनी कीमत में इत्यादि।

(आ) संस्कृत क्रमवाचक विशेषणों में पहले तीन शब्दों में 'आ' और शेष शब्दों में (अठारह तक) 'ई' लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं; जैसेप्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, दशमी, षोडशी इत्यादि। अठारह के ऊपर संस्कृतक्रमवाचक स्त्रीलिंग विशेषणों का प्रयोग हिंदी में बहुधा नहीं होता।

(इ) 'एक शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान होने पर उसकी कारकरचना एकवचन ही होती है, पर जब उसका अर्थ 'कुछ लोग' होता है, तब उसका रूपांतर बहुवचन में भी होता है; जैसेएकों को इस बात की इच्छा नहीं होती। (दे. अंक184-आ.)

(ई) 'एक दूसरा' का प्रयोग प्रायः सर्वनाम के समान होता है। यह बहुधा लिंग और वचन के कारण नहीं बदलता; परंतु विकृत कारकों के एकवचन में (आकारांत विशेषणों के समान) इसका अंत्य 'आ' के बदले ए हो जाता है; जैसे'ये दोनों बातें एक दूसरे से मिली हुई मालूम होती हैं' (स्वा.)। यह कर्ता कारक में कभी प्रयुक्त नहीं होता।

(सू.कोई-कोई लेखक 'एक दूसरा' को विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं; जैसेलड़कियाँ एक दूसरी को चाहती हैं।'

विशेषणों की तुलना

344. हिंदी के विशेषणों की तुलना करने के लिए, उनमें कोई विकार नहीं होता। यह अर्थ नीचे लिखे नियमों के द्वारा सूचित किया जाता है

(अ) दो वस्तुओं में किसी भी गुण का न्यूनाधिक भाव सूचित करने के लिए जिस वस्तु के साथ तुलना करते हैं, उसका नाम (उपमान) अपादान कारक में लाया जाता है और जिस वस्तु की तुलना करते हैं, उसका नाम (उपमेय) गुणवाचक विशेषण के साथ आता है; जैसे'मारनेवाले से पालनेवाला बड़ा होता है' (कहा.)। 'कारण तें कारज कठिन' (राम.)। 'अपने को औरों से अच्छा और औरों को अपने से बुरा दिखलाने को' (गुटका.)।

(आ) अपादान कारक के बदले बहुधा संज्ञा के साथ 'अपेक्षा' वा 'बनिस्बत' का उपयोग किया जाता है और विशेषण (अथवा संज्ञा के संबंध कारक) के साथ अर्थ के अनुसार 'अधिक' या 'कम' शब्दों का प्रयोग होता है; जैसे'बेलपति-कन्या राजकन्या से भी अधिक सुंदरी, सुशीला और सच्चरित्रा है' (सर.)। 'मेरा जमाना बंगालियों के बनिस्बत तुम फिरंगियों के लिए ज्यादा मुसीबत का था' (शिव.)। 'हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं' (परी.)। 'लड़के की अपेक्षा लड़की कम प्यारी नहीं होती।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(इ) अधिकता के अर्थ में कभी-कभी 'बढ़कर' पूर्वकालिक कृदंत अथवा 'कहीं' क्रिया-विशेषण आता है, जैसे'मुझसे बढ़कर और कौन पुण्यात्मा है?' (गुटका.) 'चित्र से बढ़कर चितेरे की बड़ाई कीजिए, (क. क.)। 'पर मुझसे वह कहीं सुखी हैं' (हिं. ग्र.)। 'मनुष्यों में अन्य प्राणियों से कहीं अधिक उपज्ञाएँ होती हैं' (हित.)।

(ई) संज्ञावाचक विशेषणों के साथ न्यूनता के अर्थ में 'कुछ कम' वाक्यांश आता है जिसका प्रयोग क्रियाविशेषण के समान होता है; जैसे'कुछ कम दस हजार वर्ष बीत गए' (रघु.)। 'कुछ' के बदले अर्थ के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी आता है; जैसे'एक कम सौ यज्ञ' (तथा.)।

(उ) सर्वोत्तमता सूचित करने के लिए विशेषण के पहले 'सबसे' लगाते हैं और उपमान को अधिकरण कारक में रखते हैं; जैसेसबसे बड़ी हानि। (रघु.)। 'है विश्व में सबसे बली सर्वांतकारी काल ही' (भारत.) 'धनुर्धारी योद्धाओं में इसी का नंबर सबसे ऊँचा है' (रघु.)।

(ऊ) सर्वोत्तमता दिखाने की एक और रीति यह है कि कभी-कभी विशेषण की द्विरुक्ति करते हैं अथवा द्विरुक्ति विशेषणों में से पहले को अपादान कारक में रखते हैं; जैसे'इसके कंधों से बड़े-बड़े मोतियों का हार लटक रहा है' (रघु.)। 'इस नगर में जो अच्छे से अच्छे पंडित हों' (गुटका.)। 'जो खुशी बड़े से बड़े राजाओं को होती है, वही एक गरीब से गरीब लकड़हारे को भी होती है' (परी.)।

(ऋ) कभी-कभी सर्वोत्तमता केवल ध्वनि से सूचित होती है और शब्दों से केवल यही जाना जाता है कि अमुक वस्तु में अमुक गुण की अतिशयता है। इसके लिए अत्यंत, परम, अतिशय, बहुत ही, एक ही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है; जैसे'अत्यंत सुंदर छवि', 'परम मनोहर रूप', बहुत ही डरावनी मूर्ति।' 'पंडित जी अपनी विद्या में एक ही हैं' (परी.)।

(ए) कुछ रंगवाचक विशेषणों से अतिशयता सूचित कराने के लिए उनके साथ प्रायः उसी अर्थ का दूसरा विशेषण वा संज्ञा लगाते हैं; जैसेकाला भुजंग, लाल अंगारा, पीला जर्द।

(ऐ) कई वस्तु की एकत्र उत्तमता जताने के लिए 'एक' विशेषण की द्विरुक्ति करके पहले शब्द को अपादान कारक में रखते हैं और द्विरुक्त विशेषणों के पश्चात् गुणवाचक विशेषण लाते हैं; जैसेशहर में एक से एक धनवान लोग पड़े हैं।' 'बाग में एक से एक सुंदर फूल हैं।'

345. संस्कृत गुणवाचक विशेषणों में तुलनाद्योतक प्रत्यय लगाए जाते हैं। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं(1) मूलावस्था, (2) उत्तरावस्था और (3) उत्तमावस्था।

(1) विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित नहीं होती, उसे मूलावस्था कहते हैं; जैसे'सोना पीला होता है', 'उच्च स्थान', 'नम्र स्वभाव'।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(2) विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती है, उस रूप को उत्तरावस्था कहते हैं; जैसेवह दृढ़तर प्रबल प्रमाण दें' (इति.)। 'गुरुतर दोष', 'घोरतर पाप' इत्यादि।

(3) **उत्तमावस्था** विशेषण के उस रूप को कहते हैं, जिससे दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती है; जैसे'चंद प्राचीनतम काव्य में' (विभक्ति.)। 'उच्चतम आदर्श' इत्यादि।

346. संस्कृत में विशेषण की उत्तरावस्था में 'तर' या 'ईयस्' प्रत्यय लगाया जाता है और उत्तमावस्था में 'तम' वा 'इष्ट' प्रत्यय आता है। हिंदी में ईयस और इष्ट प्रत्ययों की अपेक्षा तर और तम प्रत्ययों का विचार अधिक है।

(अ) 'तर' और 'तम' प्रत्ययों के योग से मूल विशेषण में बहुत से विकार नहीं होते; केवल अंत्य न् का लोप होता है और 'वस' प्रत्यांत विशेषणों में स् के बदले त् आता है; जैसे

लघु (छोटा), लघुतर (अधिक छोटा), लघुतम (सबसे छोटा)

गुरु	गुरुतर	गुरुतम
महत्	महत्तर	महत्तम
युवन् (तरुण)	युवतर	युवतम
विद्वस (विद्वान्)	विद्वत्तर	विद्वत्तम
उत (ऊपर)	उत्तर	उत्तम

(सू.'उत्तम' शब्द हिंदी में मूल अर्थ में आता है। परंतु 'उत्तर' शब्द बहुधा 'जवाब' और 'दिशा' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'उत्तरार्ध' शब्द में उत्तरा का अर्थ 'पिछला' है। 'तर' और 'तम' प्रत्ययों के मेल से 'तारतम्य' शब्द बना है, जो 'तुलना' का पर्यायवाची है।)

(आ) ईयस् और इष्ट प्रत्ययों के योग से मूल विशेषण में बहुत से विकार होते हैं, पर हिंदी में इनका प्रचार कम होने के कारण इस पुस्तक में इनके नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल इनके कुछ प्रचलित उदाहरण दिए जाते हैं

वसिष्ठ=वसुमत् (धनी)+इष्ठ।

स्वादिष्ट=स्वादु (मीठी)+इष्ट।

बलिष्ठ=बलिन्+इष्ठ

गरिष्ठ=गुरु+इष्ठ।

(इ) नीचे लिखे रूप विशेषण के मूल रूप से भिन्न हैं

कनिष्ठयह 'युवन्' शब्द का एक रूप है।

ज्येष्ठ, श्रेष्ठइनके मूल शब्दों का पता नहीं है। हिंदी में 'श्रेष्ठ' शब्द बहुधा उत्तरावस्था में आता है; जैसे'धन' से 'विद्या' श्रेष्ठ है (भाषा.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.हिंदी में ईयस् प्रत्यांत उदाहरण बहुधा नहीं मिलते। 'हरेरिच्छा बलीयसी' और 'स्वर्गादपि गरीयसी' में संस्कृत के स्त्रीलिंग उदाहरण हैं।

(ई)हिंदी में कुछ उर्दू विशेषण अपनी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में आते हैं; जैसेबिहतर (अधिक अच्छा), बदतर (अधिक बुरा), ज्यादातर (अधिकतर), पेशतर (अधिकतर पहलेक्रि, वि.), कमतरीन (नीचतम)।

छठा अध्याय

क्रिया

347. क्रिया का उपयोग विधान करने में होता है और विधान करने में काल रीति, पुरुष, लिंग और वचन की अवस्था का उल्लेख करना आवश्यक होता है।

(सू.संस्कृत में ये सब अवस्थाएँ क्रिया ही के रूपांतर से सूचित होती है, पर हिंदी में इनके लिए बहुधा सहकारी क्रियाओं का काम पड़ता है।)

348. क्रिया में वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग और वचन के कारण विकार होता है। जिस क्रिया में ये विकार पाए जाते हैं और जिसके द्वारा विधान किया जा सकता है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं, जैसे'लड़का खेलता है।' इस वाक्य में 'खेलता है' समापिका क्रिया है; 'नौकर काम पर गया।' यहाँ 'गया' समापिका क्रिया है।

(1) वाच्य

349. वाच्य क्रिया में उस रूपांतर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है वा कर्म के विषय में अथवा केवल भाव के विषय में; जैसे'स्त्री कपड़ा सीती है' (कर्ता), 'कपड़ा सिया जाता है' (कर्म), 'यहाँ बैठा नहीं जाता' (भाव)।

(टी.वाच्य का यह लक्षण हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में दिए हुए लक्षणों में भिन्न है। उनमें वाच्य का लक्षण संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया में केवल रूप के आधार पर किया गया है। संस्कृत में वाच्य का निर्णय केवल रूप पर हो सकता है; पर हिंदी में क्रिया के कई एक प्रयोगजैसेलड़के ने पाठ पढ़ा, रानी ने सहेलियों को बुलाया, लड़कों को गाड़ी पर बिठाया जायऐसे हैं, जो रूप के अनुसार एक वाच्य में, अर्थ के अनुसार दूसरे वाच्य में आते हैं। इसलिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार, केवल रूप के आधार पर यह लक्षण किया जायेगा तो अर्थ के अनुसार वाच्य के कई संकीर्ण (संलग्न) विभाग करने पड़ेंगे और यह विषय सहज होने के बदले कठिन हो जायेगा।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

कई एक वैयाकरणों का मत है कि हिंदी में वाच्य का लक्षण करने में क्रिया में केवल 'रूपांतर' का उल्लेख करना अशुद्ध है, क्योंकि इस भाषा में वाच्य के लिए क्रिया का रूपांतर' ही नहीं होता, वरन् उसके साथ दूसरी क्रिया का समास भी होता है। इस आक्षेप का उत्तर यह है कि कोई भाषा कितनी ही रूपांतरशील क्यों न हो उसमें कुछ न कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं, जिनमें मूल शब्द में तो रूपांतर नहीं होता किंतु दूसरे शब्दों की सहायता से रूपांतर माना जाता है। संस्कृत के 'बोधयाम् आस', 'पठन् भवति' आदि इसी प्रकार के प्रयोग हैं। हिंदी में केवल वाच्य ही नहीं, किंतु अधिकांश काल, अर्थ, कृदंत और कारक तथा तुलना आदि भी बहुधा दूसरे शब्दों के योग से सूचित होते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण में कहीं कहीं संयुक्त शब्दों को भी, सुभीते के लिए, मूल रूपांतर मान लेते हैं।

कोई-कोई वैयाकरण 'वाच्य' को 'प्रयोग' भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। हिंदी में वाच्य के संबंध से दो प्रकार की रचनाएँ होती हैं; इसलिए हमने 'प्रयोग' शब्द का उपयोग क्रिया के साथ कर्ता वा कर्म के अन्वय तथा अनन्वय ही के अर्थ में किया है और उस 'वाच्य' का अनावश्यक पर्यायवाची शब्द नहीं रखा। हिंदी व्याकरणों के 'कर्तृप्रधान' और 'भाववाचक' शब्द भ्रामक होने के कारण इस पुस्तक में छोड़ दिए गए हैं।)

349. (क) कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य (दे. अंक678 अ) क्रिया का कर्ता है; जैसे'लड़का दौड़ता है', 'लड़का पुस्तक पढ़ता है', 'लड़के ने पुस्तक पढ़ी', 'रानी ने सहेलियों को बुलाया', 'हमने नहाया' इत्यादि।

(टी.'लड़के ने पुस्तक पढ़ी'इसी वाक्य में क्रिया को कोई-कोई वैयाकरण कर्मवाच्य (वा कर्मणि प्रयोग) मानते है। संस्कृत व्याकरण में दिए हुए लक्षण के अनुसार 'पढ़ी' क्रिया कर्मवाच्य (या कर्मणि प्रयोग) अवश्य है, क्योंकि उसके पुरुष, लिंग, वचन, 'पुस्तक' कर्म के अनुसार हैं, और हिंदी की रचना 'लड़के ने पुस्तक पढ़ी', संस्कृत की रचना 'बालकेन पुस्तिका पठिता' के बिलकुल समान है। तथापि हिंदी की यह रचना कुछ विशेष कालों ही में होती है (जिनका वर्णन आगे 'प्रयोग' के प्रकरण में किया जायगा) और इसमें कर्म की ही प्रधानता नहीं है, किंतु कर्ता की है; इसलिए यह रचना रूप के अनुसार कर्मवाच्य होने पर भी अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार 'रानी ने सहेलियों को बुलाया' इस वाक्य में 'बुलाया' क्रिया रूप के अनुसार तो भाववाच्य है; परंतु अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य ही है और इसमें भी हमारा किया हुआ वाच्यलक्षण घटित होता है।)

350. क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है; जैसे'कपड़ा सिया जाता है', 'चिट्ठी भेजी गई'। 'मुझसे यह बोझ न उठाया जायगा।' 'उसे उतरवा लिया जाय।' (शिव.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

351. क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म कोई नहीं है, उस रूप को भाववाच्य कहते हैं; जैसे'यहाँ कैसे बैठा जायगा', 'धूप में चला नहीं जाता।'

352. कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में और भाववाच्यकेवल अकर्मक क्रियाओं में होता है।

(अ) यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं में कर्ता को लिखने की आवश्यकता हो, तो उसे करण कारक में रखते हैं, जैसे'लड़के से रोटी नहीं खाई गई।' 'मुझसे चला नहीं जाता।' कर्मवाच्य में कर्ता कभी-कभी 'द्वारा' शब्द के साथ आता है; जैसे 'मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।'

(आ) कर्मवाच्य में उद्देश्य कभी अप्रत्यय कर्मकारक में (जो रूप में अप्रत्यय कर्ता कारक के समान होता है) और कभी सप्रत्यय कर्मकारक में आता है; जैसे'डोली एक अमराई में उतारी गई।' (ठेठ.)। उसे उतरवा लिया जाय। (शिव.)

(सू.कर्मवाच्य के उद्देश्य को कर्म कारक में रखने का प्रयोग आधुनिक और एकदेशीय है। 'रामचरितमानस' तथा 'प्रेमसागर' में यह प्रयोग नहीं है। अधिकांश शिष्ट लेखक भी इससे मुक्त हैं, परंतु 'प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः' के अनुसार इसका विचार करना पड़ा है।

इस प्रयोग के विषय में द्विवेदी जी 'सरस्वती' में लिखते हैं कि 'तब खान बहादुर और उनके साथी (1) उसको पेश किया गया, (2) खत को लाया गया, (3) मुल्क को बरबाद किया गया इत्यादि अशुद्ध प्रयोग कलम से निकालते जरूर हिचकें।')

(इ) जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आतीं।

(सू.संयुक्त क्रियाओं के वाच्य का विचार आगे (425वें अंक में) किया जायगा।

353. हिंदी कर्मवाच्य क्रिया का उपयोग सर्वत्र नहीं होता; वह बहुधा नीचे लिखे स्थानों में आती है

(1) जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न हो; जैसे'चोर पकड़ा गया है', 'आज हुक्म सुनाया जायगा।' न तु मारे जैहैं सब राजा' (राम.)।

(2) कानूनी भाषा और सरकारी कागज-पत्रों में प्रभुता जताने के लिए; जैसे'इत्तला दी जाती है', 'तुमको यह लिखा जाता है', 'सख्त कार्रवाई की जायगी।'

(3) अशक्तता के अर्थ में; जैसे'रोगी से अन्न नहीं खाया जाता', 'हमसे तुम्हारी बात न सुनी जायगी।'

(4) किंचित् अभिमान में; जैसे'यह फिर देखा जायगा।' 'नौकर बुलाए गए हैं।' आपको यह बात बताई गई है।' 'उसे पेश किया गया।'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

354. कर्मवाच्य के बदले हिंदी में बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ आती हैं।

(1) कभी-कभी सामान्य वर्तमानकाल की अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया का उपयोग कर कर्ता का अध्याहार करते हैं; जैसे'ऐसा कहते हैं' (ऐसा कहा जाता है)। 'ऐसा सुनते हैं' (ऐसा सुना जाता है)। 'सूत को कातते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं' (सूत काता जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है)। 'तरावट के लिए तालु पर तेल मलते हैं।'

(2) कभी-कभी कर्मवाच्य की समानार्थिनी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है; जैसे'घर बनता है' (बनाया जाता है।) 'वह लड़ाई में मरा' (मारा गया)। 'सड़क सिंच रही है' (सींची जा रही है)।

(3) कुछ सकर्मक क्रियार्थक संज्ञाओं के अधिकरण कारक के साथ 'आना' क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग करते हैं; जैसे'सुनने में आया है' (सुना गया है), 'देखने में आता है' (देखा जाता है) इत्यादि।

(4) किसी-किसी सकर्मक धातु के साथ 'पड़ना' क्रिया का इच्छित काल लगाते हैं; जैसे'ये सब बातें देख पड़ेंगी आगे' (सर.)। जान पड़ता है; सुन पड़ता है।

(5) कभी-कभी पूर्ति (संज्ञा या विशेषण) के साथ 'होना' क्रिया के विवक्षित कालों का प्रयोग होता है; जैसेनानक उस गाँव के पटवारी हुए (बनाए गए)। यह रीति प्रचलित हुई (की गई)।

(6) भूतकालिक कृदंत (विशेषण) के साथ संबंध कारक और 'होना' क्रिया के कालों का प्रयोग किया जाता है; जैसेयह बात मेरी जानी हुई है (मेरे द्वारा जानी गई है)। यह काम लड़के का किया होगा (लड़के से किया गया होगा)।

355. भाववाच्य क्रिया बहुधा अशक्तता के अर्थ में आती है; जैसेवहाँ कैसे बैठा जाएगा। लड़के से नहीं चला जाता।

(अ) अशक्तता के अर्थ में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के साथ 'बनना' क्रिया के कालों का भी उपयोग करते हैं; जैसेरोटी खाते नहीं बनता, लड़के से चलते न बनेगा, इत्यादि (दे. अंक 416)।

(सू.संयुक्त क्रियाओं के भाववाच्य का विचार आगे (426वें अंक में) किया जायगा।)

356. द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है और गौण कर्म ज्यों का त्यों रहता है; जैसेराजा को भेंट दी गई। विद्यार्थी को गणित सिखाया जायगा।

(अ) अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है, परंतु वह कभी-कभी कर्मकारक ही में आता है; जैसेसिपाही सरदार बनाया गया। कांस्टेबलों को कॉलेज के अहाते में न खड़ा किया जाता' (शिव.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(2) काल

357. क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है; जैसेमैं जाता हूँ (वर्तमानकाल), मैं जाता था (अपूर्ण भूतकाल), मैं जाऊँगा (भविष्यत् काल)।

(सू.(1) काल (समय) अनादि और अनंत है। उसका कोई खंड नहीं हो सकता। तथापि वक्ता वा लेखक की दृष्टि से समय के तीन भाग कल्पित किए जा सकते हैं। जिस समय वक्ता वा लेखक बोलता वा लिखता हो, उस समय को वर्तमान काल कहते हैं और उसके पहले का समय भूतकाल तथा पीछे का समय भविष्यत् काल कहलाता है। इन तीनों कालों का बोध क्रिया के रूपों से होता है; इसलिए क्रिया के रूप भी 'काल' कहलाते हैं। क्रिया के 'काल' से केवल व्यापार के समय ही का बोध नहीं होता, किंतु उसकी पूर्णता वा अपूर्णता भी सूचित होती है। इसलिए क्रिया के रूपांतरों के अनुसार प्रत्येक 'काल' के भी भेद माने जाते हैं।

(2) यह बात स्मरणीय है कि काल क्रिया के रूप का नाम है, इसलिए दूसरे शब्द जिनसे काल का बोध होता है, 'काल' नहीं कहाते; जैसेआज, कल, परसों, अभी, घड़ी, पल इत्यादि।

358. हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्य तीन भेद होते हैं(1) वर्तमान काल, (2) भूतकाल, (3) भविष्यत् काल। क्रिया की पूर्णता वा अपूर्णता के विचार से पहले दो कालों के दो-दो भेद और होते हैं। भविष्यत् काल में व्यापार की पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के कोई विशेष रूप नहीं पाए जाते; इसलिए इस काल के कई भेद नहीं होते। क्रिया के जिस रूप से केवल काल का बोध होता है और व्यापार की पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का बोध नहीं होता उसे काल की सामान्य अवस्था कहते हैं। व्यापार की सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण अवस्था से कालों के जो भेद होते हैं, उनके नाम और उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं

काल	सामान्य	अपूर्ण	पूर्ण
वर्तमान	वह चलता है	वह चल रहा है	वह चला है
भूत	वह चला	वह चल रहा था	वह चला था
		वह चलता था	॰
भविष्यत्	वह चलेगा	॰	॰

(1) सामान्य वर्तमान काल से जाना जाता है कि व्यापार का आरंभ बोलने के समय हुआ है; जैसेहवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, चिट्ठी भेजी जाती है।

(2) अपूर्ण वर्तमान काल से ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में व्यापार हो रहा है; जैसेगाड़ी आ रही है। हम कपड़े पहिन रहे हैं। चिट्ठी भेजी जा रही है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(3) पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से सूचित होता है कि व्यापार वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है; जैसेनौकर आया है। चिट्ठी भेजी गई है।

(सू.यद्यपि वर्तमान काल एक ओर भूतकाल से और दूसरी ओर भविष्यत् काल से मर्यादित है, तथापि उसकी पूर्व और उत्तर मर्यादा पूर्णतया निश्चित नहीं है। वह केवल वक्ता या लेखक की तात्कालिक कल्पना पर निर्भर है। वह कभी-कभी तो केवल क्षणव्यापी होता है और कभी-कभी युग, मन्वंतर अथवा कल्प तक फैल जाता है। इसलिए भूतकाल के अंत और भविष्यत् काल के आरंभ के बीच का कोई भी समय वर्तमान काल कहलाता है।)

(4) सामान्य भूतकाल की क्रिया से जाना जाता है कि व्यापार बोलने वा लिखने के पहले हुआ; जैसेपानी गिरा, गाड़ी आई, चिट्ठी भेजी गई।

(5) अपूर्ण भूतकाल से बोध होता है कि व्यापार गत काल में पूरा नहीं हुआ, किंतु जारी रहा; जैसेगाड़ी आती थी, चिट्ठी लिखी जाती थी, नौकर जा रहा था।

(6) पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि व्यापार को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका; जैसेनौकर चिट्ठी लाया था, सेना लड़ाई पर भेजी गई थी।

(7) सामान्य भविष्यत्काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि व्यापार का आरंभ होनेवाला है; जैसेनौकर जायगा, हम कपड़े पहिनेंगे, चिट्ठी भेजी जायगी।

(टी.कालों का जो वर्गीकरण हमने यहाँ किया है, वह प्रचलित हिंदी व्याकरणों में किए गए वर्गीकरण से भिन्न है। उनमें काल के साथ-साथ क्रिया के दूसरे अर्थ भी (जैसेआज्ञा, संभावना, संदेह आदि) वर्गीकरण के आधार माने गए हैं। हमने इन दोनों के आधारों (काल और अर्थ) पर अलग-अलग वर्गीकरण किया है, क्योंकि एक आधार में क्रिया में केवल काल की प्रधानता है और दूसरे में केवल अर्थ या रीति की। ऐसा वर्गीकरण न्यायसंमत भी है। ऊपर लिखे सात कालों का वर्गीकरण क्रिया के समय और व्यापार की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था के आधार पर किया गया है। अर्थ के अनुसार कालों का वर्गीकरण अगले प्रकरण में किया जायगा।

यदि हिंदी में वर्तमान और भूतकाल के समान भविष्यत् काल में भी व्यापार की पूर्णता और अपूर्णता सूचित करने के लिए क्रिया के रूप उपलब्ध होते, तो हिंदी की कालव्यवस्था अँगरेजी के समान पूर्ण हो जाती और कालों की संख्या सात के बदले ठीक नौ होती। कोई-कोई वैयाकरण समझते हैं कि 'वह लिखता रहेगा' अपूर्ण भविष्यत् का और 'वह लिख चुकेगा' पूर्ण भविष्यत् का उदाहरण है; और इन दोनों कालों को स्वीकार करने से हिंदी की कालव्यवस्था पूरी हो जायगी। ऐसा करना बहुत ही उचित होता; परंतु ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, वे यथार्थ में संयुक्त क्रियाओं के हैं, और इस प्रकार के रूप दूसरे कालों में भी पाए जाते हैं; जैसेवह लिख चुका, इत्यादि। तब रूपों को भी अपूर्ण भविष्यत् और पूर्ण भविष्यत् के समान क्रमशः अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत मानना पड़ेगा, जिससे कालव्यवस्था पूर्ण होने के बदले गड़बड़ और कठिन हो जायगी।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

यही बात अपूर्ण वर्तमान के रूपों के विषय में भी कही जा सकती है।

हमने इस काल के उदाहरण केवल कालव्यवस्था की पूर्णता के लिए दिए हैं। इस प्रकार के रूपों का व्यापार संयुक्त क्रियाओं के माध्यम में किया जायगा। (दे. अंक 407, 412, 415)

कालों के संबंध में यह बात भी विचारणीय है कि कोई-कोई वैयाकरण इन्हें सार्थक नाम (सामान्य वर्तमान, पूर्ण भूत आदि) देना ठीक नहीं समझते, क्योंकि किसी एक नाम से एक काल के सब अर्थ सूचित नहीं होते। भट्ट जी ने इनके नाम संस्कृत के लट्, लोट्, लङ् आदि के अनुकरण पर 'पहला रूप' 'तीसरा रूप' आदि (कल्पित नाम) रखे हैं। कारकों के नामों के समान कालों के नाम भी व्याकरण में विवादग्रस्त विषय हैं; परंतु जिन कारणों से हिंदी में कारकों के सार्थक नाम रखना प्रयोजनीय है, उन्हीं कारणों के कालों के सार्थक नाम भी आवश्यक हैं।

कालों के नामों में हमने पहले प्रचलित 'आसन्न भूतकाल' के बदले 'पूर्ण वर्तमान काल' नाम रखा है। इस काल से भूतकाल में आरंभ होनेवाली क्रिया की पूर्णता वर्तमान काल में सूचित होती है; इसलिए यह पिछला नाम ही अधिक सार्थक जान पड़ता है और इससे कालों के नामों में एक प्रकार की व्यवस्था भी आ जाती है।)

(3) अर्थ

359. क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है, उसे 'अर्थ' कहते हैं; जैसेलड़का जाता है (निश्चय), लड़का जावे (संभावना), तुम जाओ (आज्ञा), यदि लड़का जाता तो अच्छा होता (संकेत)।

(टी.हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में इस रूपांतर का विचार अलग नहीं किया गया, किंतु काल के साथ मिला दिया गया है। आदम साहब के व्याकरण में 'नियम' के नाम से इस रूपांतर का विचार हुआ है और पाध्ये महाशय ने स्यात् मराठी के अनुकरण पर अपनी 'भाषातत्त्वदीपिका' में इसका विचार 'अर्थ' नाम से किया है। इस रूपांतर का नाम काले महाशय ने भी अपने अँगरेजी, संस्कृत व्याकरण में (लोट्, विधिलिङ् आदि के लिए) 'अर्थ' ही रखा है। यह नाम 'नियम' की अपेक्षा अधिक प्रचलित है, इसलिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि यह थोड़ा बहुत भ्रामक अवश्य है।

क्रिया के रूपों से केवल समय की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था ही का बोध नहीं होता, किंतु निश्चय, संदेह, संभावना, आज्ञा, संकेत आदि का भी बोध होता है; इसलिए इन रूपों का भी व्याकरण में संग्रह किया जाता है, इन रूपों से काल का भी बोध होता है और अर्थ का भी, और किसी रूप में ये दोनों इतने मिले रहते हैं कि उनको अलग-अलग करके बताना कठिन हो जाता है; जैसे'वहाँ न जाना पुत्र, कहीं' (एकांत.)। इस वाक्य में केवल आज्ञार्थ ही नहीं है, किंतु भवियत् काल भी है, इसलिए यह निश्चित करना कठिन है, 'जाना' काल का रूप है, अथवा अर्थ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का। कदाचित् इसी कठिनाई से बचने के लिए हिंदी के वैयाकरण काल और अर्थ को मिलाकर क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करते हैं। इसके लिए उन्हें काल के लक्षण में कहना पड़ता है कि 'क्रिया' का 'काल' समय के अतिरिक्त व्यापार की व्यवस्था भी बताता है, अर्थात् व्यापार समाप्त हुआ या नहीं हुआ, होगा अथवा उसके होने में संदेह है। 'काल' के लक्षण को इतना व्यापक कर देने पर भी आज्ञा संभावना और संकेत अर्थ बच जाते हैं, और इन अर्थों के अनुसार भी क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इसलिए समय और पूर्णता वा अपूर्णता के सिवा क्रिया के जो और अर्थ होते हैं, उनके अनुसार अलग वर्गीकरण करना उचित है, यद्यपि इस वर्गीकरण में थोड़ी-बहुत अशास्त्रीयता अवश्य है।

360. हिंदी में क्रियाओं के मुख्य पाँच अर्थ होते हैं(1) निश्चयार्थ, (2) संभावनार्थ, (3) संदेहार्थ, (4) आज्ञार्थ और (5) संकेतार्थ।

(1) क्रिया के जिस रूप से किसी बात का निश्चय सूचित होता है, उसे निश्चयार्थ कहते हैं; जैसे'लड़का आता है', 'नौकर चिट्ठी नहीं लाया', 'हम किताब पढ़ते रहेंगे', 'क्या आदमी न जायगा।'

(सू.) (क) हिंदी में निश्चयार्थ क्रिया का कोई विशेष रूप नहीं है। जब क्रिया किसी विशेष अर्थ में नहीं आती, तब उसे, सुभीते के लिए, निश्चयार्थ में मान लेते हैं। 'काल' के विवेचन में पहले (दे. अंक358) जो उदाहरण दिए गए हैं, वे सब निश्चयार्थ के उदाहरण हैं।

(ख) प्रश्नवाचक वाक्यों में क्रिया के रूप से प्रश्न सूचित नहीं होता, इसलिए प्रश्न को क्रिया का अलग 'अर्थ' नहीं मानते। यद्यपि प्रश्न पूछने में वक्ता के मन में संदेह का आभास रहता है, तथापि प्रश्न का उत्तर सदैव संदिग्ध नहीं होता। 'क्या लड़का आया है?' इस प्रश्न का उत्तर निश्चयपूर्वक दिया जा सकता है; जैसे'लड़का आया है' 'अथवा लड़का नहीं आया।' इसके सिवा प्रश्न स्वयं कई अर्थों में किया जा सकता है; जैसे'क्या लड़का आया है' (निश्चय), 'लड़का कैसे आवे?' (संभावना), 'लड़का आया होगा' (संदेह) इत्यादि।

(2) संभावनार्थ क्रिया से अनुमान, इच्छा, कर्त्तव्य आदि का बोध होता है; जैसेकदाचित् पानी बरसे (अनुमान), तुम्हारी जय हो (इच्छा), राजा को उचित है कि प्रजा का पालन करे (कर्त्तव्य), इत्यादि।

(3) संदेहार्थ क्रिया से किसी बात का संदेह जाना जाता है; जैसे'लड़का आता होगा', 'नौकर गया होगा।'

(4) आज्ञार्थ क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है; जैसेतुम जाओ, लड़का जावे, वहाँ मत जाना, क्या मैं जाऊँ (प्रार्थना) इत्यादि।

(सू.आज्ञार्थ और संभावनार्थ के रूपों में बहुत कुछ समानता है। यह बात आगे कालरचना के विवेचन में जान पड़ेगी। संभावनार्थ के कर्त्तव्य, योग्यता आदि

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अर्थों में कभी-कभी आज्ञा का अर्थ गर्भित रहता है; जैसे'लड़का यहाँ बैठे।' इस वाक्य में क्रिया से आज्ञा और कर्त्तव्य दोनों अर्थ सूचित होते हैं।)

(5) संकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की असिद्धि सूचित होती है, जिसमें कार्य कारण का संबंध होता है; जैसेयदि मेरे पास बहुत सा धन होता तो मैं चार काम करता' (भाषासार.)। 'यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बिठाया होता तो यह अशुद्ध क्यों रहता।' (गुटका.)।

(सू.संकेतार्थ वाक्यों में जो-तो समुच्चयबोधक अव्यय बहुधा आते हैं।)

361. सब अर्थों के अनुसार कालों के जो भेद होते हैं, उनकी संख्या, नाम और उदाहरण आगे दिए जाते हैं

निश्चयार्थ	संभावनार्थ	संदेहार्थ	आज्ञार्थ	संकेतार्थ
1. सामान्य वर्तमान वह चलता है	7. संभाव्य वर्तमान वह चलता हो	10. संदिग्ध वर्तमान वह चलता होगा	12. प्रत्यक्ष विधि तू चल	14. सामान्य संकेतार्थ वह चलता
2. पूर्ण वर्तमान वह चला है	8. संभाव्य भूत वह चला हो	11. संदिग्ध भूत वह चला होगा	13. परोक्ष विधि तू चलना	15. अपूर्ण संकेतार्थ वह चलता होता
3. सामान्य भूत वह चला	9. संभाव्य भविष्यत् वह चले			16. पूर्ण संकेतार्थ वह चला होता
4. अपूर्ण भूत वह चलता था				
5. पूर्ण भूत वह चला था				
6. सामान्य भविष्यत् वह चलेगा				

सू.(1) इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि हिंदी में कालों की संख्या कम से कम सोलह है। भिन्न-भिन्न व्याकरणों में यह संख्या भिन्न-भिन्न पाई जाती है। इसका कारण यह है कि कोई कोई वैयाकरण कुछ कालों को स्वीकृत नहीं करते, अथवा उन्हें भ्रमवश छोड़ जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भविष्यत् और पूर्ण भविष्यत् कालों को छोड़, जिनका विवेचन संयुक्तक्रियाओं के साथ करना ठीक जान पड़ता है, शेष काल हमारे किए हुए वर्गीकरण में ऐसे हैं, जिनका प्रयोग भाषा में पाया जाता है और जिनमें काल तथा अर्थ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

के लक्षण घटते हैं। कालों के प्रचलित नामों में हमने दो नाम बदल दिए हैं(1) आसन्नभूत, (2) हेतुहेतुमद्भूत। आसन्नभूत नाम बदलने का कारण पहले कहा जा चुका है; तथापि कालरचना में इसी नाम का उपयोग ठीक जान पड़ता है। 'हेतुहेतुमद्भूत' नाम बदलने का कारण यह है कि इस काल के तीन रूप होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग अलग-अलग प्रकार का है और जिनका अर्थ एक ही नाम से सूचित नहीं होता। ये काल केवल संकेतार्थ में आते हैं, इसलिए इनके नामों के साथ 'संकेत' शब्द रखना उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार 'संभाव्य' और 'संदिग्ध' शब्द संभावनार्थ और संदेहार्थ सूचित करने के लिए आवश्यक होते हैं।

जो काल और नाम प्रचलित व्याकरणों में नहीं पाए जाते, वे उदाहरण सहित यहाँ लिखे जाते हैं

प्रचलित नाम	नया नाम	उदाहरण
आसन्न भूतकाल	पूर्ण वर्तमान काल	वह चला है
× ×	संभाव्य वर्तमान काल	वह चलता हो
× ×	संभाव्य भूतकाल	वह चला हो
विधि	प्रत्यक्ष विधि	तू चल
हेतुहेतुमद्भूतकाल	सामान्य संकेतार्थ	वह चलता
× × ×	अपूर्ण संकेतार्थ	वह चलता होता
× × ×	पूर्ण संकेतार्थ	वह चलता होता

(2) (कालों के विशेष अर्थ वाक्यविन्यास में लिखे जायँगे।)

पुरुष, लिंग और वचन

प्रयोग

362. हिंदी क्रियाओं में तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य), दो लिंग (पुंल्लिग और स्त्रीलिंग) और दो वचन (एकवचन और बहुवचन) होते हैं। उदाहरण

पुंल्लिग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	मैं चलता हूँ	हम चलते हैं
मध्यम पुरुष	तू चलता है	तुम चलते हो
अन्य पुरुष	वह चलता है	वे चलते हैं

स्त्रीलिंग

उत्तम पुरुष	मैं चलती हूँ	हम चलती हैं
मध्यम पुरुष	तू चलती है	तुम चलती हो
अन्य पुरुष	वह चलती है	वे चलती हैं

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

363. पुंल्लिग एकवचन का प्रत्यय आ, पुंल्लिग बहुवचन का प्रत्यय ए, स्त्रीलिंग एकवचन का प्रत्यय 'ई' और स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रत्यय 'इ' वा 'ई' है।'

364. संभाव्य भविष्यत् और विधि कालों में लिंग के कारण कोई रूपांतर नहीं होता है। स्थितिदर्शक 'होना' क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों में भी लिंग का कोई विकार नहीं होता (दे. अंक 3861, 387)।

365. वाक्य के कर्ता वा कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का जो अन्वय और अनन्वय होता है, उसे प्रयोग कहते हैं। हिंदी में तीन प्रयोग होते हैं(1) कर्तरिप्रयोग (2) कर्मणिप्रयोग और (3) भावे प्रयोग।

(1) कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है, उस क्रिया को कर्तरिप्रयोग कहते हैं; जैसेमैं चलता हूँ, वह जाती है, वे आते हैं, लड़की कपड़ा सीती है, इत्यादि।

(2) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, उसे कर्मणिप्रयोग कहते हैं; जैसेमैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा, इत्यादि।

(3) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्त्ता वा कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थात् जो सदा अन्य पुरुष पुंल्लिग, एकवचन में रहती है, उसे **भावेप्रयोग** कहते हैं; जैसेरानी ने सहेलियों को बुलाया, मुझसे चला नहीं जाता, सिपाहियों को लड़ाई पर भेजा जायगा।

366. सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों को (दे. अंक 389) छोड़कर कर्तृवाच्य के शेष कालों में तथा अकर्मक क्रियाओं के सब कालों में कर्तरिप्रयोग आता है। कर्तरिप्रयोग में कर्ता कारक अप्रत्यय रहता है।

अप.(1) भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में बोलना; भूलना, बकना, लाना, समझाना और जानना सकर्मक क्रियाएँ कर्तरिप्रयोग में आती हैं; जैसे'लड़की कुछ न बोली,' 'हम बहुत बके', 'राम मन भ्रमर न भूला' (राम.)। 'दूसरे गर्भाधान में केतकी पुत्र जनी' (गुटका.)। कुछ तुम समझे कुछ हम समझे' (कहा.)। 'नौकर चिट्ठी लाया।'

अप.(2) नहाना, छींकना आदि अकर्मक क्रियाएँ भूतकालिक कृदंत बने हुए कालों में भावेप्रयोग में आती हैं; जैसेहमने नहाया है, लड़की ने छींका इत्यादि।

प्रत्य.कोई-कोई लेखक बोलना, समझना और जनना क्रियाओं के साथ विकल्प में अप्रत्यय कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं; जैसे'उसने कभी झूठ नहीं बोला' (रघु.)। 'केतकी ने लड़की जनी' (गुटका.)। 'जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप के बाप को जाना है' (शिव)। 'जिसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं समझा' (विचित्र.)।

सितारे हिंद 'पुकारना' क्रिया को सदा कर्तरिप्रयोग में लिखते हैं; जैसे'चोबदार पुकारा', 'जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता' (गुटका.)।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(सू.संयुक्त क्रियाओं के प्रयोगों का विचार वाक्यविन्यास में किया जायगा। (दे. अंक 628-638)।)

367. कर्मणिप्रयोग दो प्रकार का होता है(1) कर्तृवाच्य कर्मणिप्रयोग, (2) कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग।

(1) 'बोलना' वर्ग की सकर्मक क्रियाओं को छोड़ शेष कर्तृवाच्य अकर्मक क्रियाएँ भूतकालिक कृदंत से बने कालों में (अप्रत्यय कर्म कारक के साथ) कर्मणिप्रयोग में आती हैं; जैसेमैंने पुस्तक पढ़ी, मंत्री ने पत्र लिखे इत्यादि। कर्तृवाच्य के कर्मणिप्रयोग में कर्ता कारक सप्रत्यय रहता है।

(2) कर्मवाच्य की सब क्रियाएँ (दे. अंक 350, 393) अप्रत्यय कर्मकारक के साथ कर्मणिप्रयोग में आती हैं; जैसे'चिट्ठी भेजी गई', 'लड़का बुलाया जायगा' इत्यादि। यदि कर्मवाच्य के कर्मणिप्रयोग में कर्ता की आवश्यकता हो, तो वह करण कारक में अथवा 'द्वारा' शब्द के साथ आता है; जैसेमुझसे पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।

368. भावेप्रयोग तीन प्रकार का होता है(1) कर्तृवाच्य भावेप्रयोग, (2) कर्मवाच्य भावेप्रयोग, (3) भाववाचक भावेप्रयोग।

(1) कर्तृवाच्य भावेप्रयोग में सकर्मक क्रिया के कर्ता और कर्म दोनों सप्रत्यय रहते हैं और यदि क्रिया अकर्मक हो, तो केवल कर्ता सप्रत्यय रहता है; जैसे'रानी ने सहेलियों को बुलाया', 'हमने नहाया है', 'लड़की ने छींका था।'

(2) कर्मवाच्य भावेप्रयोग में कर्म सप्रत्यय रहता है और यदि कर्ता की आवश्यकता हो तो वह 'द्वारा' के साथ अथवा करण कारक में आता है; परंतु बहुधा वह लुप्त रहता है; जैसे'उसे अदालत में पेश किया गया।' 'नौकर को वहाँ भेजा जायगा।'

(सू.अप्रत्यय कर्म कारक का उपयोग वाक्यविन्यास के कारक प्रकरण में लिखा जायगा (दे. अंक 520)।)

(3) भाववाच्य भावेप्रयोग में कर्ता की आवश्यकता हो, तो उसे करण कारक में रखते हैं; जैसे'यहाँ बैठा नहीं जाता', 'मुझसे चला नहीं जाता' इत्यादि। भाववाच्य भावेप्रयोग में सदा अकर्मक क्रिया आती है (दे. अं. 352)।

(5) कृदंत

369. क्रिया के जिन रूपों का उपयोग दूसरे शब्दभेदों के समान होता है, उन्हें कृदंत कहते हैं; जैसेचलना (संज्ञा), चलता (विशेषण), चलकर (क्रियाविशेषण), मारे, लिए (संबंधसूचक) इत्यादि।

(सू.कई कृदंतों का उपयोग कालरचना तथा संयुक्त क्रियाओं में होता है और ये सब धातुओं से बनते हैं।)

370. हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत दो प्रकार के होते हैं(1) विकारी, (2)

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

अविकारी, वा अव्यय। विकारी कृदंतों का प्रयोग बहुधा संज्ञा वा विशेषण के समान होता है और कृदंत अव्यय क्रियाविशेषण वा कभी-कभी संबंधसूचक के समान आते हैं (दे. अंक 520)। यहाँ केवल उन कृदंतों का विचार किया जाता है जो कालरचना तथा संयुक्त क्रियाओं में उपयुक्त होते हैं। शेष कृदंत व्युत्पत्ति प्रकरण में लिखे जायँगे।

1. विकारी कृदंत

371. विकारी कृदंत चार प्रकार के हैं(1) क्रियार्थक संज्ञा, (2) कर्तृवाचक संज्ञा, (3) वर्तमानकालिक कृदंत, (4) भूतकालिक कृदंत।

372. धातु के अंत में 'ना' जोड़ने से **क्रियार्थक संज्ञा** बनती है (दे. अंक 188-अ)। इसका प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों के समान होता है। क्रियार्थक संज्ञा केवल पुंल्लिग और एकवचन में आती है, और इसकी कारकरचना संबोधन कारक को छोड़ शेष कारकों में आकारांत पुंल्लिग (तद्भव) संज्ञा के समान होती है; (दे. अंक 310); जैसेजाने को, जाने से, जाने में इत्यादि।

(अ) जब क्रियार्थक संज्ञा विशेषण के समान आती है, तब उसका रूप उसकी पूर्ति वा कर्म (विशेष्य) के लिंग, वचन के अनुसार बदलता है; जैसे'तुमको परीक्षा करनी हो तो लो'। (परीक्षा.)। 'वनयुवतियों की छवि रनवास की स्त्रियों में मिलनी दुर्लभ है' (शकु.)। 'देखनी हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में' (भारत.)। 'बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी।' 'पहिनने के वस्त्र आसानी से चढ़ने-उतरनेवाले होने चाहिए' (सर.)।

(सू.क्रियार्थक विशेषण को लेखक लोग कभी कभी अविकृत ही रखते हैं; जैसे'मत फैलाने के लिए लड़ाई करना' (इति.)। 'कौन सी बात समाज को मानना चाहिए' (स्वा.)। 'मनुष्यगणना करना चाहिए' (शिव.)।

373. क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के अंत में 'वाला' लगाने से कर्तृवाचक संज्ञा बनती है; जैसेचलनेवाला, जानेवाला इत्यादि। इसका प्रयोग कभी-कभी भविष्यत्कालिक कृदंत विशेषण के समान होता है; जैसेआज मेरा भाई आनेवाला है। जानेवाला नौकर। कर्तृवाच्य संज्ञा का रूपांतर संज्ञा और विशेषण के समान होता है।

(सू.'वाला' प्रत्यय के बदले कभी-कभी 'हारा' प्रत्यय आता है 'मरना' और 'होना' क्रियार्थक संज्ञाओं के अंत्य 'आ' का लोप करके 'हारा' के बदले 'हार' लगाते हैं; जैसेमरनहार, होनहार। 'वाला' या 'हार' केवल प्रत्यय है, स्वतंत्र शब्द नहीं है। पर राम. में मूल शब्द और इस प्रत्यय के बीच 'हूँ', अवधारणबोधक अव्यय रख दिया गया है; जैसेभयउ न अहई होनिहूँ हारा। कोई-कोई आधुनिक लेखक 'वाला' को मूल शब्द से अलग लिखते हैं।

'वाला' को कोई-कोई वैयाकरण संस्कृत के 'वत्' वा 'वल' से और कोई-कोई

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

'पाल' से व्युत्पन्न हुआ मानते हैं, और 'हार' को संस्कृत के 'कार' प्रत्यय से निकला हुआ समझते हैं।)

374. **वर्तमानकालिक कृदंत धातु** के अंत में 'ता' लगाने से बनता है; जैसेचलता, बोलता इत्यादि। इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और इसका रूप आकारांत विशेषण के समान बदलता है; जैसेबहता पानी, चलती चक्की, जीते कीड़े इत्यादि। कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान होता है, और तब इसकी कारकरचना आकारांत पुंल्लिग संज्ञा के समान होती है; जैसेमरता क्या न करता। डूबने को तिनके का सहारा बस है। मारतों के आगे, भागतों के पीछे।

375. **भूतकालिक कृदंत** धातु के अंत में आ जोड़ने से बनता है। उसकी रचना नीचे लिखे नियमों के अनुसार होती है

(1) आकारांत धातु के अत्य 'अ' के स्थान में 'आ' कर देते हैं। जैसे

बोलनाबोला	पहचाननापहचाना
डरनाडरा	मारनामारा
समझनासमझा	खींचनाखींचा

(2) धातु के अंत में आ, ए वा ओ हो तो धातु के अंत में 'या' कर देते; जैसे

लानालाया	बोनाबोया
कहलानाकहलाया	डुबोनाडुबाया
खेनाखेया	सेनासेया

(अ) यदि धातु के अंत में ई हो तो उसे ह्रस्व कर देते हैं; जैसेपीनापिया, जीनाजिया, सीनासिया।

(3) ऊकारांत धातु की 'ऊ' को ह्रस्व करके उसके आगे 'आ' लगाते हैं।

जैसेचूनाचुआ	छूनाछुआ

376. नीचे लिखे भूतकालिक कृदंत नियमविरुद्ध बनते हैं

होनाहुआ	जानागया
करनाकिया	मरनामुआ
देनादिया	लेनालिया

(सू.'मुआ' केवल कविता में आता है। गद्य में 'मरा' शब्द प्रचलित है। मुआ, छुआ आदि शब्दों को कोई कोई लेखक मुवा, हुवा, छुवा आदि रूपों में लिखते हैं; पर ये रूप अशुद्ध हैं, क्योंकि ऐसा उच्चारण नहीं होता और ये शिष्टसम्मत भी नहीं हैं। करना का भूतकालिक कृदंत 'करा' प्रांतिक प्रयोग है। 'जाना' का भूतकालिक कृदंत 'जाया' संयुक्त क्रियाओं में आता है। इसका रूप 'गया' सं.गतः से प्रा.गओ के द्वारा बना है।)

377. भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है। जैसेमरा घोड़ा, गिरा घर, उठा हाथ, सुनी बात, भागा चोर।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) वर्तमानकालिक और भूतकालिक कृदंतों के साथ बहुधा 'हुआ' लगाते हैं और इसमें मूल कृदंतों के समान रूपांतर होता है, जैसेदौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई गाड़ी, देखी हुई वस्तु, मरे हुए लोग इत्यादि। स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रत्यय केवल 'हुई' में लगता है; जैसेमरी हुई मक्खियाँ।

(आ) भूतकालिक कृदंत भी कभी-कभी संज्ञा के समान आता है; जैसेहाथ का दिया, पिसे को पीसना। 'गई बहोरि गरीब निवाजू' (राम.)।

(इ) सकर्मक क्रिया से बना हुआ भूतकालिक कृदंत विशेषण कर्मवाच्य होता है, अर्थात् वह कर्म की विशेषता बताता है; जैसेकिया हुआ काम, बनाई हुई बात, इत्यादि। इस अर्थ में इस कृदंत के साथ कोई-कोई लेखक 'गया' कृदंत जोड़ते हैं; जैसेकिया गया काम, बनाई गई बात इत्यादि।

378. जिन भूतकालिक कृदंतों में 'आ' के पूर्व 'य' का आगम होता है, उनमें 'ए' और 'ई' प्रत्ययों के पहले विकल्प से 'य' का लोप हो जाता है; जैसेलाये, लाए, लायीलाई। यदि 'य' प्रत्यय के पहले 'इ' हो तो 'य' लोप होकर 'ई' प्रत्यय पूर्व 'इ' में संधि के अनुसार मिल जाता है, जैसेलियाली, दियादी, कियाकी, सियासी, पियापी, जियाजी। 'गया' का भी स्त्रीलिंग 'गई' होता है।

(सू.कोई-कोई लेखक ईकारांत रूपों की लियी, लिई, गयी, गई, जियी, जिई आदि लिखते हैं; पर ये रूप सर्व-सम्मत नहीं हैं। बहुवचनों में ये (लाये) और स्त्रीलिंग में ई (लाई) का प्रयोग अधिक शिष्ट माना जाता है।)

2. कृदंत अव्यय

379. कृदंत अव्यय चार प्रकार के हैं

(1) पूर्वकालिक कृदंत, (2) तात्कालिक कृदंत, (3) अपूर्ण क्रियाद्योतक, (4) पूर्ण क्रियाद्योतक।

380. पूर्वकालिक कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है, अथवा धातु के अंत में 'के', 'कर' वा 'करके' जोड़ने से बनता है; जैसे

क्रिया	धातु	पूर्वकालिक कृदंत
जाना	जा	जाके, जाकर, जा करके
खाना	खा	खाके, खाकर, खा करके
दौड़ना	दौड़	दौड़के, दौड़कर, दौड़ करके

(सू.'करना' क्रिया के धातु में 'के' जोड़ा जाता है; जैसेकरके। 'आना' क्रिया के, नियमित रूपों के सिवा, कभी-कभी दो रूप होते हैं; जैसेआन और आनकर। उदाहरण'शकुंतला स्नान करके खड़ी है' (शकु.)। 'दूत ने आनकर यह खबर दी।' 'आन पहुँची'। कविता में स्वरांत धातु के परे कभी-कभी 'य' जोड़कर पूर्वकालिक कृदंत अव्यय बनाते हैं; जैसेजानाजाय, बनानाबनाय, इत्यादि। पूर्वकालिक कृदंत

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

का 'य' प्रत्यय संस्कृत के 'य' प्रत्यय से निकला है और उसका एक पूर्वकालिक कृदंत 'विहाय' (छोड़कर) अपने मूल रूप में हिंदी कविता में आता है; जैसे'तप विहाय जेहि भावै भोगू।' (राम.)।

(क) पूर्वकालिक कृदंत अव्यय से बहुधा मुख्य क्रिया के पहले होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे'हम नगर देखकर लौटे।' 'वे भोजन करके लेटते हैं।' क्रियासमाप्ति के अतिरिक्त, पूर्वकालिक क्रिया से नीचे लिखे अर्थ पाए जाते हैं

(1) कार्य कारण; जैसेलड़का कुसंग में पड़कर बिगड़ गया। प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं (राम.)।

(2) रीति; जैसेबच्चा दौड़कर चलता है। 'सींग कटाकर बछड़ों में मिलना' (कहा.)।

(3) द्वारा; जैसे'इस पवित्र आश्रम के दर्शन करके हम अपना जन्म सफल करें' (शकु.)। फाँसी लगाकर मरना।

(4) विरोध; जैसे'तुम ब्राह्मण होकर संस्कृत नहीं जानते।' पानी में रहकर मगर से बैर' (कहा.)।

381. वर्तमानकालिक कृदंत के 'ता' को 'ते' आदेश करके उसके आगे 'ही' जोड़ने से तात्कालिक कृदंत अव्यय बनता है; जैसेबोलते ही, आते ही इत्यादि। इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे'उसने आते ही उपद्रव मचाया।' 'सिपाही गिरते ही मर गया।'

382. अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय का रूप तात्कालिक कृदंत अव्यय के समान 'ता' को 'ते' आदेश करने से बनता है; परंतु उसके साथ 'ही' नहीं जोड़ी जाती; जैसेसोते, रहते, देखते इत्यादि। इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की अपूर्णता सूचित होती है; जैसे'मुझे घर लौटते रात हो जायगी।' 'उसने जहाजों को एक पाँती में जाते देखा' (विचित्र.)। 'तू अपनी विवाहिता को छोड़ते नहीं लजाता' (शकु.)।

383. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय भूतकालिक कृदंत विशेषण के अंत्य 'आ' को 'ए' आदेश करने से बनता है; जैसेकिए, गए, बीते, मारे, लिए इत्यादि। इस कृदंत से बहुधा मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार को पूर्णता का बोध होता है; जैसे'इतनी रात गए तुम क्यों आए?' इस बात को हुए कई वर्ष बीत गए', इससे मुख्य क्रिया की रीति भी सूचित होती है; जैसे'महाराज, कमर कसे बैठे हैं' (विचित्र.)। 'लिए' और 'मारे' कृदंतों का प्रयोग बहुधा संबंधसूचक अव्यय के समान होता है (दे. अंक2394)।

384. अपूर्ण क्रियाद्योतक और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों के साथ बहुधा (दे. अंक377अ) 'होना' क्रिया का पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय 'हुए' लगाया जाता है; जैसे'दो-एक दिन आते हुए दासी ने उसको देखा था' (चंद्र.)। 'धर्म एक बैताल

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

के सिर पर पिटारा रखवाए हुए आता है' (सत्य.)।

(सू.तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत यथार्थ में क्रिया के कोई भिन्न प्रकार के रूपांतर नहीं हैं; किंतु वर्तमानकालिक और भूतकालिक कृदंतों के विशेष प्रयोग हैं। कृदंतों के वर्गीकरण में इन तीनों को अलग-अलग स्थान देने का कारण यह है कि इनका योग कई एक संयुक्त क्रियाओं में और स्वतंत्र कर्ता के साथ तथा कभी-कभी क्रियाविशेषण के समान होता है, इसलिए इनके अलग-अलग नाम रखने में सुभीता है। कृदंतों के विशेष अर्थ और प्रयोग वाक्यविन्यास में लिखे जायँगे।

(6) कालरचना

385. क्रिया के वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग और रचना के कारण होनेवाले सब रूपों का संग्रह करना कालरचना कहलाती है।

(क) हिंदी के सोलह काल रचना के विचार से तीन भागों में बाँटे जा सकते हैं। पहले वर्ग में वे काल आते हैं, जो धातु में प्रत्ययों के लगाने से बनते हैं, दूसरे वर्ग में वे काल हैं, जो वर्तमानकालिक कृदंत में सहकारी क्रिया 'होना' के रूप लगाने से बनते हैं और तीसरे वर्ग में वे काल आते हैं, जो भूतकालिक कृदंत में उसी सहकारी क्रिया के रूप जोड़कर बनाए जाते हैं। इन वर्गों के अनुसार कालों का वर्गीकरण नीचे दिया जाता है

पहला वर्ग

(धातु से बने हुए काल)

(1) संभाव्य भविष्यत्
(2) सामान्य भविष्यत्
(3) प्रत्यक्ष विधि
(4) परोक्ष विधि

दूसरा वर्ग

(वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल)

(1) सामान्य संकेतार्थ (हेतुहेतुमद्भूत् काल)
(2) सामान्य वर्तमान
(3) अपूर्ण भूत
(4) संभाव्य वर्तमान
(5) संदिग्ध वर्तमान
(6) अपूर्ण संकेतार्थ

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

तीसरा वर्ग

(भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल)

(1) सामान्य भूत
(2) आसन्न भूत (पूर्ण वर्तमान)
(3) पूर्ण भूत
(4) संभाव्य भूत
(5) संदिग्ध भूत
(6) पूर्ण संकेतार्थ

(ख) इन तीनों वर्गों में पहले वर्ग के चारों काल तथा सामान्य संकेतार्थ और सामान्य भूत केवल प्रत्ययों के योग से बनते हैं, इसलिए ये छह काल साधारण काल कहलाते हैं, और शेष दस काल सहकारी क्रिया के योग से बनने के कारण संयुक्त काल कहे जाते हैं। कोई-कोई वैयाकरण केवल पहले छह कालों को यथार्थ 'काल' मानते हैं और पिछले दस कालों को संयुक्त क्रियाओं में गिनते हैं क्योंकि इनकी रचना दो क्रियाओं के मेल से होती है। पहले (दे. अंक 49 टी. में) कहा जा चुका है कि हिंदी-संस्कृत के समान रूपांतरशील और संयोगात्मक भाषा नहीं है[1]; इसलिए इनमें शब्दों के समासों को कभी-कभी सुभीते के लिए उनका रूपांतर मान लेते हैं। इसके सिवा हिंदी में संयुक्त क्रियाएँ अलग मानने की चाल पुरानी है, जिसका कारण यह है कि कुछ संयुक्त क्रियाएँ कुछ विशेष कालों में ही आती हैं और कई एक संयुक्त क्रियाएँ संज्ञाओं के मेल से बनती हैं। इस विषय का विशेष विचार आगे (अं. 400 में) किया जायगा। जिन कालों को 'संयुक्त काल' कहते हैं, वे कृदंतों के साथ केवल एक ही सहकारी क्रिया के मेल से बनते हैं और उनसे संयुक्त क्रियाओं के विशेष अर्थअवधारण, शक्ति, आरंभ, अवकाश आदिसूचित नहीं होते, इसलिए, संयुक्त कालों को संयुक्त क्रिया से अलग मानते हैं। 'संयुक्त काल' शब्द के विषय में किसी किसी को जो आक्षेप है, उसके संबंध में केवल इतना ही कहना है कि 'कल्पित' नाम की अपेक्षा कुछ भी सार्थक नाम रखने से उसके उल्लेख करने में अधिक सुभीता है।

1. कर्तृवाच्य

386. पहले वर्ग के चारों कालों के कर्तृवाच्य के रूप नीचे लिखे अनुसार बनते हैं

(1) संभाव्य भविष्यत् काल बनाने के लिए धातु में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	ऊँ	एँ
मध्यम पुरुष	ए	ओ
अन्य पुरुष	ए	एँ

1. हिंदुस्तान की और-और आर्यभाषाओंमराठी, गुजराती, बँगला आदिकी भी यही अवस्था है।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(अ) यदि धातु अकारांत हों, तो ये प्रत्यय 'आ' के स्थान में लगाए जाते हैं; जैसे'लिख' से 'लिखें, 'कह' से 'कहें' 'बोल' से 'बोलें' इत्यादि।

(आ) यदि धातु के अंत में आकार वा ओकार हो तो 'ऊँ' और 'ओ' को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले **विकल्प** से 'व' का आगम होता है; जैसे'जा' से जाए वा जावे, 'गा' से गाए वा गावे, 'खो' से खोए वा खोवे इत्यादि। ईकारांत और ऊकारांत धातुओं में जब विकल्प से 'वा' का आगम नहीं होता तब उनका अंत्य स्वर ह्रस्व हो जाता है; जैसेजिऊँ, जिओ, पिए वा पीवे, सिएँ वा सीवें, छुए वा छूवे।

(इ) एकारांत धातुओं में ऊँ और ओ को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले 'व' का आगम होता है; जैसे' सेवें, खेवें, देवें इत्यादि।

(ई) देना और लेना क्रियाओं के धातुओं में, विकल्प से (अ) और (ई) के अनुसार प्रत्ययों का आदेश होता है; जैसेदूँ, (देऊँ), दे (देवे) दो (देओ), लूँ, ले (लेवे), लो (लेओ)।

(उ) आकारांत धातुओं के परे ए और एँ के स्थान में विकल्प से क्रमशः य और यँ आते हैं; जैसेजाय जायँ, खाय खायँ, इत्यादि।

(ऊ) 'होना' के रूप ऊपर लिखे नियमों के विरुद्ध होते हैं। ये आगे दिए जायँगे। (सू.कई लेखक लावो, पिये, जाये, जाव आदि रूप लिखते हैं; पर ये अशुद्ध हैं।)

(2) सामान्य भविष्यत् काल की रचना के लिए संभाव्य भविष्यत् के प्रत्येक पुरुष में पुंल्लिग एकवचन के लिए गा, पुंल्लिग बहुवचन के लिए गे और स्त्रीलिंग एकवचन के लिए गी लगाते हैं; जैसेजाऊँगा, जायँगे, जायगी, जाओगी आदि।

(सू.'भाषाप्रभाकर' में स्त्रीलिंग बहुवचन का चिह्न गीं लिखा है परंतु भाषा में 'गी' ही का प्रचार है और स्वयं वैयाकरण ने जो उदाहरण दिए हैं, उनमें भी 'गी' ही आया है। इस प्रत्यय के संबंध में हमने जो नियम दिया है, वह सितारे हिंद और पं. रामसजन के व्याकरणों में पाया जाता है। सामान्य भविष्यत् का प्रत्यय 'गा' संस्कृतगतः, प्राकृतगओ से निकला हुआ जान पड़ता है, क्योंकि वह लिंग और वचन के अनुसार बदलता है तथा इसके और मूल क्रिया के बीच में 'ही' अव्यय आ सकता है (दे. अंक227)।

(3) प्रत्यक्ष विधि का रूप संभाव्य भविष्यत् के रूप के समान होता है, दोनों में केवल मध्यम पुरुष के एकवचन का अंतर है। विधि का मध्यम पुरुष एकवचन धातु ही के समान होता है; जैसे'कहना' से 'कह', 'जाना', से 'जा' इत्यादि।

(सू.'शकु.' में विधि के मध्यम पुरुष एकवचन का रूप संभाव्य भविष्यत् ही के समान आया है; जैसे'कण्वहे बेटी, मेरे नित्य कर्म में विघ्न मत डाले।')

(अ) आदरसूचक 'आप' के लिए मध्यम पुरुष में धातु के साथ-साथ 'इए' वा 'इएगा' जोड़ देते हैं; जैसेआइए, बैठिए, पान खाइएगा।

(आ) लेना, देना, पीना, करना और होता के आदरसूचक विधिकाल में 'इए'

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

वा 'इएगा' के पहले ज का आगम होता है और उनके स्वरों में प्रायः वही रूपांतर होता है जो इन क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत बनाने में किया जाता है (दे. अंक 376); जैसेलेनालीजिए, करनाकीजिए, देनादीजिए, होनाहूजिए, पीनापीजिए इत्यादि।

(सू.होना का आदरसूचक विधिकाल होइए का भी चलन अधिक है; जैसेआप सभापति होइए, जिससे कार्य आरंभ किया जा सके।')

(इ) 'करना' का आदरसूचक विधिकाल 'करिए' 'शकु.' में आया है; पर यह प्रयोग अनुकरणीय नहीं है।

(ई) कभी-कभी आदरसूचक विधि का उपयोग संभाव्य भविष्यत् के अर्थ में आता है; जैसे'मन में ऐसी आती है कि सब छोड़छाड़ बैठ रहिए' (शकु.)। 'वायस पालिय अति अनुरागा' (राम.)।

(उ) 'चाहिए' यथार्थ में आदरसूचक विधि का रूप है, पर इससे वर्तमानकाल की आवश्यकता का बोध होता है; जैसे'मुझे पुस्तक चाहिए', 'उन्हें और क्या चाहिए?'

(ऊ) आदरसूचक विधि का दूसरा रूप (गांत) कभी-कभी आदर के लिए सामान्य भविष्यत् और परोक्ष विधि में भी आता है; जैसे'कौन सी रात आन मिलिएगा।' 'मुझे दास समझकर कृपा रखिएगा।'

(4) परोक्ष विधि केवल मध्यम पुरुष में आती है और दोनों वचनों में एक ही रूप का प्रयोग होता है। इसके दो रूप होते हैं(1) क्रियार्थक संज्ञा तद्वत् परोक्ष विधि होती है, (2) आदरसूचक विधि के अंत में ओ आदेश होता है; जैसे(1) तू रहना सुख से पतिसंग (सर.)। प्रथम मिलाप को भूल मत जाना (शकु.)। (2) तू किसी के सोंहीं मत कहियो (प्रेम.)। पिता, इस लता को मेरे ही समान गिनियो। (शकु.)।

(अ) 'आप' के साथ आदरसूचक विधि का दूसरा रूप आता है। (3) जैसे'आप वहाँ न जाइएगा।' 'आप न जाइयो' शिष्ट प्रयोग नहीं है।

(आ) आदरसूचक विधि में 'ज' के पश्चात् इए और इयो बहुधा क्रम से ऐ और ओ हो जाते हैं; जैसेलीजे, दीजे, कीजो, पीजो, हूजे आदि। ये रूप अक्सर कविता में आते हैं; जैसे'कह गिरधर कविराय कहो अब कैसी कीजे। जल खारी ह्वै गयो कहो अब कैसे पीजे।' 'स्वावलंब हम सबको दीजे' (भारत.)। 'कीजो सदा धर्म से शासन' (सर.)।

(सू.किसी-किसी का मत है कि इये को 'इए' लिखना चाहिए, अर्थात् 'चाहिये' आदि शब्द 'चाहिए' 'लीजिए' रूप से लिखे जावें। इस मत का प्रचार थोड़े ही वर्षों से हुआ है, और कई लोग इसके विरोधी भी हैं। इस वर्णविन्यास के प्रवर्तक पं. महावीर प्रसाद जी द्विवेदी हैं, जिनके प्रभाव से इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। स्थानाभाव के कारण यहाँ दोनों पक्षों के वादों का विचार नहीं कर सकते, पर इस मत को ग्रहण करने में विशेष कठिनाई यह है कि यदि 'कीजिए' लिखे तो फिर 'कीजियो' किस रूप में लिखा

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

जायगा? यदि 'कीजियो' का 'कीजिओ' लिखें तो 'स्त्रियों' को 'स्त्रिओं' लिखना चाहिए और जो एक की, 'कीजिए' और दूसरे को 'कीजियो' लिखे तो प्रायः एक प्रकार के दोनों रूपों को इस प्रकार भिन्न-भिन्न लिखने से व्यर्थ ही भ्रम उत्पन्न होगा। इस प्रकार के दोनों अनमिल रूप भारत भारती में पाए जाते हैं'; जैसे

इस देश को हे दीनबंधो आप फिर **अपनाइए**
भगवान्! भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि **बनाइए**,
दाता! तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर **कीजियो**,
माता! मरे हा! हा! हमारी शीघ्र ही सुध **लीजियो**।

हम अपने मत के समर्थन में भारतमित्र संपादक. पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी के एक लेख का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं

अब 'चाहिये' और 'लिये' जैसे शब्दों पर विचार करना चाहिए। हिंदी शब्दों में इकार के बाद स्वतः यकार का उच्चारण होता है, जैसा किया, दिया आदि से स्पष्ट है। इसके सिवा 'हानि' शब्द इकारांत है। इसका बहुवचन में हानिओं', न होकर 'हानियों' रूप होता है। × × × सच तो यों है कि हिंदी की प्रकृति इकार के बाद यकार उच्चारण करने का है। इसलिए 'चाहिये', 'लिये', 'दीजिये', 'कीजिये' जैसे शब्दों के अंत में एकार न लिखकर 'येकार' लिखना चाहिए।'')

387. संयुक्त कालों की रचना में 'होना' सहकारी क्रिया के रूपों का काम पड़ता है, इसलिए ये रूप आगे लिखे जाते हैं। हिंदी में 'होना' क्रिया के दो अर्थ हैं(1) स्थिति, (2) विकार। पहले अर्थ में इस क्रिया के केवल दो काल होते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी रचना, और क्रियाओं के समान होती है; पर इसके कुछ कालों से पहला अर्थ भी सूचित होता है।

होना (स्थितिदर्शक)

कर्तापुंल्लिग व स्त्रीलिंग

(1) सामान्य वर्तमानकाल

	एकवचन	बहुवचन
उ.पु.	मैं हूँ	हम हैं
म.पु.	तू है	तुम हो
अ.पु.	वह है	वे हैं

(2) सामान्य भूतकाल

कर्तापुंल्लिग

मैं था	हम थे
तू था	तुम थे
वह था	वे थे

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

कर्तास्त्रीलिंग

एकवचन		बहुवचन
13	थी	थीं

होना (विकारदर्शक)

(1) संभाव्य भविष्यत्काल

कर्तापुंल्लिग वा स्त्रीलिंग

1. मैं होऊँ	हम हों होवें
2. तू हो, होवे	तुम होओ, हो
3. वह हो, होवे	वे हों, होवें

(2) सामान्य भविष्यत् काल

कर्तापुंल्लिग

1. मैं होऊँगा	हम होंगे, होवेंगे
2. तू होगा, होवेगा	तुम होओगे, होगे
3. वह होगा; होवेगा	वे होंगे, होवेंगे

कर्तास्त्रीलिंग

1. मैं होऊँगी	हम होंगी, होवेंगी
2. तू होगी, होवेगी	तुम होओगी, होगी
3. वह होगी; होवेगी	वे होगी, होवेंगी

(3) सामान्य संकेतार्थ

कर्तापुंल्लिग

1. मैं होता	हम होते
2. तू होता	तुम होते
3. वह होता	वे होते

कर्तास्त्रीलिंग

13. होती	होतीं

(सू.'होना' (विकारदर्शक के शेष रूप आगे यथास्थान दिए जायँगे।)

388. दूसरे वर्ग के छहों कर्तृवाच्य काल वर्तमानकालिक कृदंत के साथ 'होना' सहकारी क्रिया के ऊपर लिखे कालों के रूप जोड़ने से बनते हैं। स्थितिदर्शक सामान्य वर्तमान काल और विकारदर्शक संभाव्य भविष्यत्काल को छोड़ सहकारी क्रिया के शेष कालों के रूप कर्ता के पुरुष, वचनानुसार बदलते हैं।

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(1) सामान्य संकेतार्थ वर्तमानकालिक कृदंत को कर्ता के पुरुष, लिंग, वचनानुसार बदलने से बनता है। इसके साथ सहायक क्रिया नहीं आती, जैसेमैं आता, वह आती, हम आते, वे आतीं इत्यादि।

(2) सामान्य वर्तमान वर्तमानकालिक कृदंत के साथ स्थितिदर्शक सहकारी क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप जोड़ने से बनता है; जैसेमैं आता हूँ, वह आती है, तुम आती हो इत्यादि।

(अ) सामान्य वर्तमान काल के साथ 'नहीं' आने से बहुधा सहकारी क्रिया का लोप हो जाता है; जैसे'दो भाइयों में भी परस्पर अब यहाँ पटती नहीं।' (भारत.)।

(3) अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए कृदंत के साथ स्थितिदर्शक सहकारी क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप (था) जोड़ते हैं; जैसेमैं आता था, तू आती थी, वे आती थीं इत्यादि।

(अ) जब इस काल से भूतकाल के अभ्यास को बोध होता है, तब बहुधा सहकारी क्रिया का लोप कर देते हैं; जैसे'मैं बराबर नियमपूर्वक स्वाधीनता के लिए महाराज से प्रार्थना करता, तो वह कहते अभी सब्र करो' (विचित्र.)।

(आ) बोलचाल की कविता में कभी-कभी संभाव्य भविष्यत् के आगे स्थितिदर्शक सहकारी क्रिया के रूप जोड़कर सामान्य वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल बनाते हैं; जैसे'कहाँ जलै है वह आगी' (एकांत.)। 'पूर्ण सुधाकर झलक मनोहर दिखलावै था सर के तीर' (हिं. ग्रं.)। इसका प्रचार अब घट रहा है।

(4) वर्तमानकालिक कृदंत के साथ विकारदर्शक सहकारी क्रिया का संभाव्य भविष्यत्काल के रूप में लगाने से संभाव्य वर्तमानकाल बनता है; जैसेमैं आता होऊँ, वह आता हो, वे आती हों।

(5) वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य भविष्यत् के रूप लगाने से संदिग्ध वर्तमानकाल बनता है; जैसेमैं आता होऊँगा, वह आता होगा, वे आती होंगी।

(6) अपूर्ण संकेतार्थ काल बनाने के लिए वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सामान्य संकेतार्थ काल के रूप लगाए जाते हैं; जैसे'आज दिन यदि बढ़ई हल न तैयार करते होते तो हमारी क्या दशा होती।'

(अ) इस काल का प्रचार अधिक नहीं। इसके बदले बहुधा सामान्य संकेतार्थ आता है। इस काल में 'होता' क्रिया का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसके साथ 'होता' शब्द की निरर्थक द्विरुक्ति होती है।

389. तीसरे वर्ग में छहों कर्तृवाच्य काल भूतकालिक कृदंत के साथ 'होता' सहायक क्रिया के पूर्वोक्त पाँचों कालों के रूप जोड़ने से बनते हैं। इन कालों में 'बोलना' वर्ग की क्रियाओं को छोड़कर शेष सकर्मक क्रियाएँ कर्मणिप्रयोग वा भावेप्रयोग में आती हैं (दे. अंक 366-368)। यहाँ कर्तरिप्रयोग के उदाहरण दिए जाते हैं

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

(1) सामान्य भूतकाल भूतकालिक कृदंत में कर्ता के पुरुष, लिंग, वचनानुसार रूपांतर करने से बनता है। इसके साथ सहकारी क्रिया नहीं आती; जैसेमैं आया, हम आये, वह बोला, वे बोलीं?

(2) आसन्नभूत बनाने के लिए भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूप जोड़ते हैं; जैसेमैं बोला हूँ, वह बोला है, तू आया है, वे आई हैं।

(3) पूर्ण भूतकाल भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप जोड़कर बनाया जाता है; जैसेमैं आया था, वह आई थी, तुम बोली थीं, हम बोली थीं।

(4) भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप जोड़ने से संभाव्य भूतकाल बनता है; जैसेमैं बोला होऊँ, तू बोला हो, वह आई हो, हम आई हों।

(5) भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल के रूप जोड़ने से संदिग्ध भूतकाल बनता है; जैसेमैं आया होऊँगा, वह आया होगा, वे आई होंगी।

(6) पूर्ण संकेतार्थ काल बनाने के लिए भूतकालिक कृदंत के साथ सामान्य संकेतार्थ काल के रूप लगाए जाते हैं; जैसे'जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता तो तेरी पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुँचती होती' (गुटका.)।

390. आकारांत क्रियाओं में पुरुष के कारण भेद नहीं पड़ता, जैसेमैं गया, तू गया, वह गया। जब उनके साथ सहकारी क्रिया आती है, तब स्त्रीलिंग के बहुवचन का रूपांतर केवल सहकारी क्रिया में होता है; जैसेमैं जाती हूँ, हम जाती हैं, वे जाती थीं।

391. उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप बहुधा (दे. अंक 128ऊ) बोलचाल में पुंल्लिग ही के समान होते हैं। राजा शिवप्रसाद का यही मत है और भाषा में इसके प्रयोग मिलते हैं; जैसेगौतमीहम जाते हैं' (शकु.)। 'रानीअब हम महल में आते हैं।' (कर्पूर.)।

392. आगे कर्तृवाच्य के सब कालों में तीन क्रियाओं के रूप लिखे जाते हैं। इन क्रियाओं में एक अकर्मक, एक सहकारी और एक सकर्मक है। अकर्मक क्रिया हलंत धातु की और सकर्मक क्रिया स्वरांत धातु की है। सहकारी 'होना' क्रिया के कुछ रूप अनियमित होते हैं

अकर्मक चलना क्रिया (कर्तृवाच्य)

धातु	...	...	चल (हलंत)
कर्तृवाचक संज्ञा	...	...	चलनेवाला

Bookhindi.blogspot.com

Bookhindi.blogspot.com

वर्तमानकालिक कृदंत	...	...	चलता हुआ
भूतकालिक कृदंत	...	...	चला हुआ
पूर्वकालिक कृदंत	...	...	चल, चलकर
तात्कालिक कृदंत	...	...	चलते ही
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	...	...	चलते हुए
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	...	...	चले हुए

(क) धातु से बने हुए काल

कर्तरिप्रयोग

संभाव्य भविष्यत् काल

कर्तापुंल्लिग वा स्त्रीलिंग

एकवचन	बहुवचन
1. मैं चलूँ	हम चलें
2. तू चले	तुम चलो
3. वह चले	वे चले

(2) सामान्य भविष्यत् काल

कर्तापुंल्लिग

एकवचन	बहुवचन
1. मैं चलूँगा	हम चलेंगे
2. तू चलेगा	तुम चलोगे
3. वह चलेगा	वे चलेंगे

कर्तास्त्रीलिंग

1. मैं चलूँगी	हम चलेंगी
2. तू चलेगी	तुम चलोगी
3. वह चलेगी	वे चलेंगी

(3) प्रत्यक्ष विधिकाल (साधारण)

कर्तापुंल्लिग वा स्त्रीलिंग

1. मैं चलूँ	हम चलें
2. तू चले	तुम चलो
3. वह चले	वे चलें

Bookhindi.blogspot.com